खण्ड-417, अंक-2
शुक्रवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1917
(4 अगस्त, 1995 ई0)

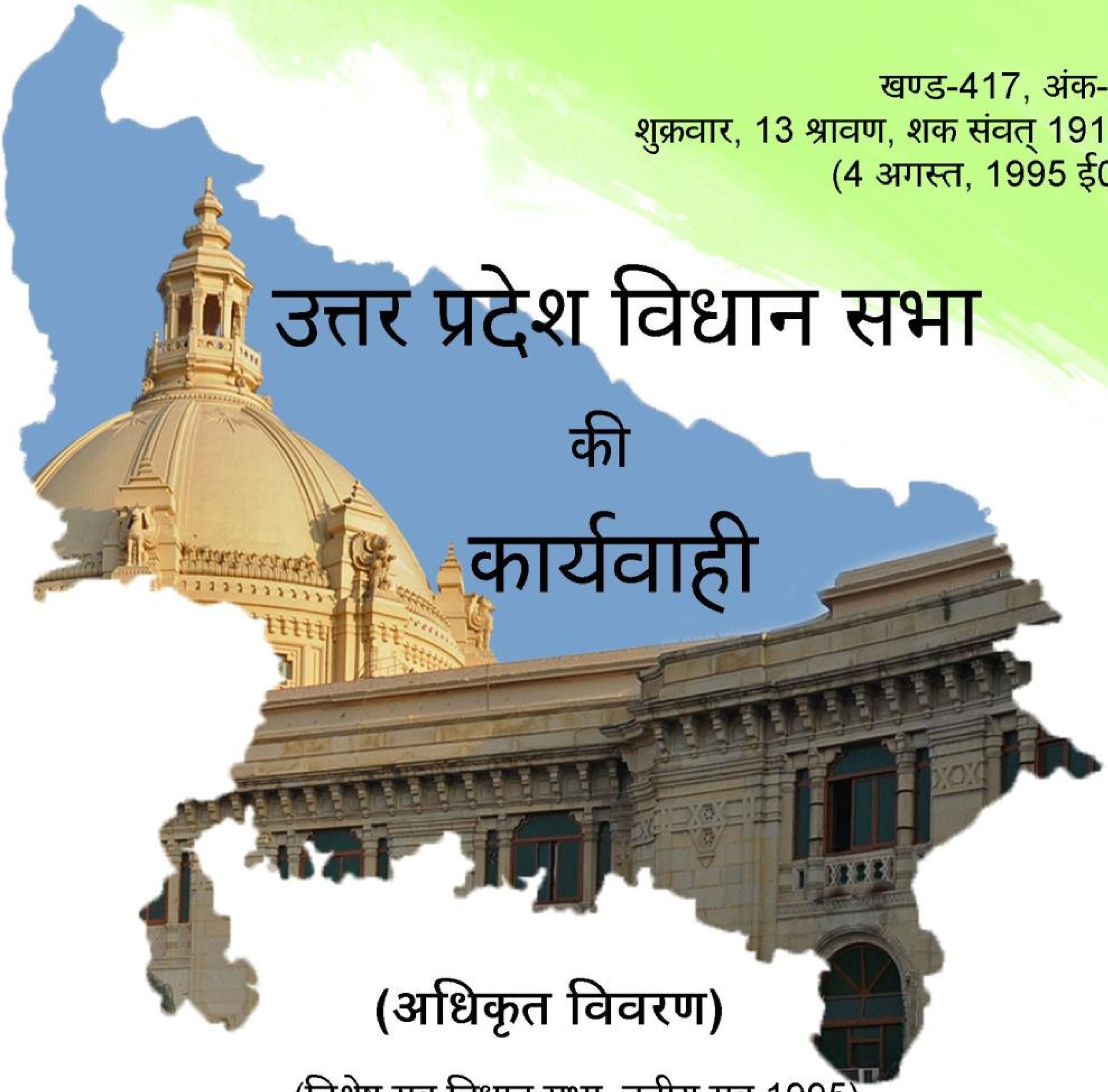

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(विशेष सत्र विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
प्रश्नोत्तर	1–23
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	123
जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बांध बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
आगरा के कस्बा किरावली में अछनेरा और फतेहपुर सीकरी में विद्युत आपूर्ति ठप्प होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124–125
ग्राम कमासिन, जनपद बांदा की भूदान समिति की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
वाराणसी में सिंचाई तथा अन्य विभागों द्वारा अधिग्रहीत की गयी आबादी भूमि के विभिन्न प्रकरणों को सिविल जज वाराणसी को रिफर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125–126
प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी प्रक्रियण एवं तिलहन विकास समिति, लखनऊ द्वारा लाखों रुपये से संबंधित आडिट रिपोर्ट पर निर्णय न लिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैण, अल्मोड़ा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126–127
बाराबंकी के हैदरगढ़ औसेश्वर मार्ग पर गोमती नदी पर पुल बनवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
सत्र के दौरान सदन से बाहर ऊर्जा क्षेत्र में प्रबन्ध सुधार तथा पूंजी निवेश के बारे में मुख्य मंत्री द्वारा नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	127–129
आय व्ययक की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु 24 से अनधिक दिवस नियत होने के बावजूद मात्र 16 दिन नियत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	130–133
वाराणसी में श्रृंगार गौरी पर कथित जलाभिषेक के संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा दिये गये बयान विषयक औचित्य का प्रश्न	133–138
श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक से संबंधित औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	138–143
विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	143–144

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 का त्रुटिपूर्ण उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	144
विधायकों की सूरक्षा में लगे गनर का टी० ए० डी० ए० एक निर्धारित धनराशि में दिये जाने संबंधी शासनादेश के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	144–149
वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायकों की सुविधाओं को बढ़ाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	149–150
यू० पी० स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1982-83 (सदन के पटल पर रखा गया)	150
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के वर्ष 1993-94 का स्थिति पत्रक और लाभ-हानि का लेखा (सदन के पटल पर रखा गया)	151
कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 से संबंधित शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ...	151
लोक आयुक्त उ० प्र० का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989 (सदन के पटल पर रखा गया)	151
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत रायबरेली मुख्य मार्ग से लिंक रोड तक बनवाये जाने के संबंध में श्री नारायण दत्त आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	152
जनपद आगरा में मुस्का क्वार्टर के पीछे गड्ढे में बसी जनता कालोनी में व्याप्त गन्दगी से मुक्ति दिलाये जाने विषयक श्री राजाराम दुबे आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	152
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	152–162
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	162–195
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय ((स्वीकृत)	195–216
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विधान सभा की सहमति (पुनर्विचार एवं सहमति) ...	216–218

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायती विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ...	218–229
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	229
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट होकर नकल करने विषयक श्री बदन सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	230
बांदा जनपद के कृषकों पर अनियमित ढंग से लगायी गयी सींच एवं अवैध वसूली विषयक श्री राजकुमार शिवहरे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	230–231
प्रदेश के कालीन उद्योग को खतरनाक उद्योग की श्रेणी में रखने हेतु केन्द्र से सिफारिश करने आदि विषयक श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य	232–233
जनपद आगरा के ताज होटल के कर्मचारियों की हड़ताल एवं भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की बिगड़ती स्थिति विषयक श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य	233–235
नत्थियां	236–248

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अब्दुलाख, श्री	मेरठ	ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
अखिलेश, श्री	[illegible]	[illegible] सिंह, श्री	[illegible]
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	काशी सिंह ऐरो, श्री	पिथौरागढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली गढ़वाल
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	कोकब हमीद, श्री	मेरठ
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	जगदम्बिका पाल, श्री	[illegible]
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जगराम सिंह,	कानपुर नगर
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	तेजपाल सिंह, श्री	[illegible]
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	[illegible]पुरी	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	[illegible]
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बशीर उद्दीन, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रकाश, श्री	बस्ती
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
संत बक्श रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुधीर कुमार बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हरेन्द्र सिंह ज्ञानी	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 1995

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

निष्प्रयोज्य एवं बेकार पड़े बिजली घरों को बेचकर नये बिजली घर स्थापित करने की मांग

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ जिलों में वर्षों से बेकार पड़े बिजली घरों को बेचने तथा कुछ जिलों में नये बिजली घर स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या उक्त हेतु निजी क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई करार हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है ।

निष्प्रयोज्य एवं बेकार पड़े छोटे तापीय बिजली घरों के संयंत्रों एवं उपयंत्रों की बिक्री के लिये अभी तक किसी उद्यमी से इस संबंध में करार नहीं हुआ है । जहां तक नये बिजली घरों की स्थापना का प्रश्न है, दो जल-विद्युत परियोजनायें, दो तापीय परियोजनायें एवं 14 डीजल पर आधारित परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिये निजी उद्यमियों के साथ समझौता (एम० ओ० यू०) हस्ताक्षरित हो चुके हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है वह दो भागों में विभक्त है । पहला, बेकार पड़े बिजली घरों को बेचे जाने का है और दूसरा कहां-कहां नये बिजली घर स्थापित होने जा रहे हैं ? पहले खण्ड के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बेकार पड़े बिजली घर हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं और क्या इनको बेचे जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद् द्वारा विद्युत प्रबन्धन को अनुमति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब दी गई ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि दो जल-विद्युत परियोजनायें, दो तापीय परियोजनायें एवं 14 डीजल पर आधारित परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिये निजी उद्यमियों के साथ समझौता हो चुका है और एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो इन विद्युत परियोजनाओं को, जिनका हवाला उत्तर में दिया गया है, कहां-कहां स्थापित किया जायेगा और जो एम० ओ० यू० हस्ताक्षरित हुए हैं उसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण किन शर्तों पर उनको अनुमति दी गई है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, माननीय श्री चौधरी जी ने पूछा कि जो बेकार पड़े हैं, वे कहां-कहां पर स्थित हैं । मैं बताना चाहता हूं कि ये विद्युत गृह कई वर्षों से विभिन्न जिलों में निष्प्रयोज्य पड़े हुए हैं । वे हैं–ऐशबाग पावर हाउस, लखनऊ, रिवर साइड पावर हाउस, कानपुर, भेलपुर पावर हाउस बनारस में, बलरामपुर, गोण्डा में, मैनपुरी पावर हाउस, मैनपुरी में, गोरखपुर पावर हाउस, गोरखपुर में, मऊ पावर हाउस, मऊ

में, सुहावल पावर हाउस, फैजाबाद में, मुरादनगर पावर हाउस, गाजियाबाद में, चन्दोसी पावर हाउस, मुरादाबाद में और तालकटोरा पावर हाउस, लखनऊ में है।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जो निष्प्रयोज्य तापीय विद्युत गृह हैं उनको बेचने का निर्णय कैबिनेट से लिया गया या नहीं लिया गया है। लिया गया है तो कब लिया गया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

अभी परिषद् स्तर पर ही इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। निविदा मांगी गयी है कैबिनेट से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हरदुआगंज का जो बेकार पड़ा हुआ पावर हाउस है 15 दिन पहले कैबिनेट को भेजा जा चुका है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो बताया गया है उसमें 2 जल विद्युत, दो तापीय तथा 14 डीजल पर आधारित परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करने के संबंध में है तो मैं जानना चाहता हूं कि इनके संबंध में एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं तो यह कौन-कौन हैं, किन-किन जगहों पर हैं और किन-किन शर्तों पर हस्ताक्षर हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो काफी विस्तृत होगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

यह लम्बी चौड़ी लिस्ट है मुख्य बता रहा हूं। मनेरी भाली (4×76 मे०वा०) जल विद्युत परियोजना, उत्तरकाशी पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना, उत्तरकाशी, तपोवन विष्णु घाट जल विद्युत, चमोली, परतपुर, तापीय विद्युत परियोजना, इलाहाबाद, नेप्था पर आधारित तापीय विद्युत गृह, हरदुआगंज, अलीगढ़ विस्तार से सूचना देने में काफी समय लग जायगा। अगर कहें तो मैं पढ़ कर बता दूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

कम से कम इतना तो बता दें कि एम० ओ० यू० किन लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ है, यह विद्युत उत्पादन किन शर्तों पर करेंगे और वितरण और पारेषण किन शर्तों पर करेंगे कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह दो तापीय और 14 डीजल विद्युत परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हो गये हैं या नहीं और किन उद्यमियों द्वारा हुए हैं। वैसे यह काफी लम्बी लिस्ट होगी कम्पनियों के नाम भी बताने पड़ेंगे काफी समय लगेगा।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

जिन निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है वह इस प्रकार से हैं। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, चमोली, मै० जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि० नई दिल्ली, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर (टिहरी) मै० डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज कलकत्ता तापीय विद्युत परियोजनाओं में रोजा तापीय विद्युत परियोजना शाहजहांपुर, मेसर्स इंडो गल्फ फर्टीलाइजर एण्ड

कारपोरेशन लि० जगदीशपुर, जवाहरपुर तापीय परियोजना जवाहरपुर एटा मै० पैसेफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन कनाडा ।

डीजल परियोजना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर मै० डालमिया ब्रदर्स प्राई० नई दिल्ली । डीजल परियोजना पनकी कानपुर मै० डालमिया ब्रदर्स प्राई० नई दिल्ली । डीजल परियोजना कोसीकला मथुरा, मै० धामपुर सुगन मिल्स लि० नई दिल्ली । डीजल परियोजना अलीगढ़ मै० पूनीसिन लि० नई दिल्ली । डीजल परियोजना मुरादाबाद मै० ग्लोबल बोर्ड्स लि० बम्बई । डीजल परियोजना मुजफ्फरनगर मै० सुभाष प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग नई दिल्ली । डीजल परियोजना चन्दौसी मै० इण्डियन पावर पार्टनर्स नई दिल्ली । डीजल परियोजना गजरौला मै० एनप्रो इण्डिया लि० नई दिल्ली । डीजल परियोजना साहिबाबाद मै० महोदी मिरलैक्स ब्लेक स्टोन लि० नई दिल्ली । डीजल परियोजना ग्रेटर नोएडा मै० आर० पी० जी० इंडस्ट्रीज लि० कलकत्ता । तो इस प्रकार मैं 10 इण्डस्ट्रीज बता चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष–

10 मिनट का समय समाप्त हो रहा है जिसे अकेले आप ने लिया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मेरी यह जिज्ञासा है कि जो यह समझौता किया गया है उसमें यह निहित है कि यह विद्युत का उत्पादन करेंगे, तो उसका वितरण वह स्वयं करेंगे या राज्य विद्युत परिषद् अथवा सरकार उसको खरीदेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसका आपके सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसकी सूचना भी उनके पास नहीं होगी । आपका जो है वह इस पर है कि वह बिजली किसको बेचेंगे और किसको नहीं बेचेंगे ?

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आप मेरा प्रश्न सुन लें, वह यदि अप्रासंगिक नहीं होगा तो आप उत्तर दिलवायेंगे और यदि प्रासंगिक है तो आप उत्तर दिलवायेंगे मैं पिनपोवाइन्टेड यह जानना चाहता हूं कि क्या यह शर्तों में है कि वह विद्युत किस दर पर उत्पादित करेंगे और राज्य सरकार को देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

क्या शर्तों में यह भी है कि वह किस दर पर उत्पादित करेंगे और किस दर पर राज्य सरकार या विद्युत परिषद् को बेचेंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

शर्तें तो अभी तय नहीं हुई हैं । वितरण का कार्य इन कम्पनियों को नहीं दिया गया है । राज्य विद्युत परिषद् समस्त विद्युत क्रय करेगी और माननीय सदस्य की शेष बातों के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो उद्यमियों से समझौता किया गया है वह जो बिजली उत्पादित करेंगे, हमें किस दर पर मिलेगी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यह स्वयं करेंगे या वह करेंगे और किस दर पर करेंगे ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

केवल डीजल विद्युत गृह की बिजली 2.55 पर इकाई की दर तय की गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं केवल दो बातें जानना चाहता हूं पहली, जो पुराने निष्प्रयोज्य और तापीय संयंत्रों को बेचने की व्यवस्था है, क्या इसमें यह भी है कि हमसे बिजली घर खरीदने के बाद उसमें बिजली उत्पादन ही करेंगे या और कोई कारखाना लगा सकेंगे ?

साथ ही यह भी बतायें कि जो नई योजनाओं के एम० ओ० क्यू० हुए हैं, उनका पारेषण एवं डिस्ट्रीब्यूशन किस एजेन्सी से होगा और उनके माध्यम से कुल कितने मेगावाट बिजली उत्पादित होगी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

गुप्त जी ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछ लिया है, वितरण का कार्य इन कम्पनियों को नहीं दिया गया है, राज्य विद्युत परिषद् समस्त विद्युत क्रय करेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी जिज्ञासा है कि वह जनरेट करेंगे, तो उसे हमारे ग्रिड में दे देंगे या उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वही करेंगे पहले यह देखा गया है कि जब चीनी की मिलें बेची गईं तो उसमें यह शर्त नहीं रखी गयी थी कि जो उनको खरीदेगा वह चीनी मिल ही लगायेगा या अन्य कोई उद्योग करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें जिन बिजली घरों को बेचने का निश्चय कर लिया गया है, के संबंध में यह शर्त जरूर रखी जाय कि वह विद्युत का उत्पादन ही करेंगे अन्य कोई उत्पादन नहीं। मान्यवर, शाहजहांपुर में एक थर्मल पावर प्लान्ट बनना शुरू हो गया है, परचेज एग्रीमेन्ट भी हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय गुप्त जी की यह जिज्ञासा है कि जिन निष्प्रयोज्य बिजली घरों को बेचने पर विचार हो रहा है, उनके संबंध में इस बात पर भी विचार हो रहा है कि जो उद्यमी उनको खरीदेंगे वह बिजली का ही उत्पादन करेंगे दूसरा कोइ कारखाना नहीं लगायेंगे। क्या ऐसी कोई शर्त है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

तापीय एवं अन्य संयंत्रों का विक्रय किया जाना है। निजी क्षेत्र इनका प्रयोग उत्पादन हेतु नहीं करेंगे।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो निष्प्रयोज्य एवं बेकार पड़े छोटे तापीय बिजलीघर हैं उनके लिये किसी से करार नहीं हुआ है तो यह करार जो करना है वह कब तक होगा, इसको कब तक सुनिश्चित करेंगे और दूसरा जो पावर हाउस डीजल पर आधारित लगाने

की बात कही है इनकी स्थापना हो गयी और कार्य आरम्भ हो गया इनके निर्माण का ता में यह ज... चाहूंगा कि डीजल पर आधारित पावर हाउस कब तक विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर देंगे ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, हमने उत्तर में बता दिया है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, बिजली की बहुत आवश्यकता है । उत्पादन नहीं होगा तो.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग समय सीमा भी देखें । एक ही प्रश्न पर इतना समय लेंगे, आगे और भी प्रश्न हैं ।

प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने हेतु उठाये गये सरकार के कदम

**2–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानून व्यवस्था में सुधार लाने एवं कानून का शासन स्थापित करने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने तथा कानून का शासन स्थापित करने हेतु शासन द्वारा निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :––

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अत्यधिक पिछड़े वर्ग के लोगों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न एवं उन्मूलन के संबंध में होने वाली छोटी से छोटी घटना को पूर्ण गम्भीरता से लेकर तात्कालिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग को राहत दिलाने व इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिये गये हैं ।

(2) समाज में महिलाओं का सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनके विरुद्ध अपराध व उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कठोर व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

(3) सामान्य जनता में गुंडागर्दी बाहुबल एवं माफियाओं के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसे तत्वों के विरुद्ध नियोजित ढंग एवं सख्ती से निपटने पर बल दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, आपने निर्देश किया है अपनी सरकार को, शासन को । तब से अपराधों की स्थिति क्या रही है । और दूसरा प्रश्न यह है कि जब से निर्देश दिये गये हैं, निर्देशों की अवहेलना करने के नाते कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किया है । इन सब कार्यों की निगरानी के लिये प्रदेश स्तर पर कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी जो यह सुनिश्चित करे कि आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है कि नहीं । एक और सवाल.....

श्री अध्यक्ष–

पहले इतना तो जवाब आने दीजिये ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े विद्वान हैं । सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे । उत्तर प्रदेश में माफियाओं और गुण्डागर्दी की सरकार थी और उसने पूरे उत्तर प्रदेश में बलात् मकानों, दुकानों और राजकीय सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया । तो क्या सरकार ऐसे अवैध कब्जे करके जिनकी सम्पत्ति हड़पी गयी है उन्हें वापस देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे । इसका साफ-साफ जवाब दे दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कई प्रश्न एक साथ हो गये हैं तो उत्तर विस्तार से होगा । पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मात्र डेढ़ महीने में सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की, इसकी जानकारी आपकी अनुज्ञा से देना चाहता हूं जो कि 1-6-95 से 15-7-95 तक की है । बहुत बड़े अपराधियों से मुठभेड़ हुई इसमें उनकी संख्या 201 हुई । मुठभेड़ में अपराधी मारे गये 25, उन मुठभेड़ों में बन्दी बनाये गये अपराधी 436, शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 349 अवैध शस्त्र जो बरामद किये गये उसमें फैक्ट्री निर्मित 136 देशी, 2,474 बम विस्फोटक के संबंध में 253 और विभिन्न अधिनियम के अन्तर्गत जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उसमें से रासुका में 24 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्दी अधिनियम में 144 गुण्डागर्दी में 272 शस्त्र अधिनियम में 4,756, आबकारी में 2,236 वृक्ष एवं नारकोटिक्स में 1,192 अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत 30,975 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत 18,374, यह आंकड़े हैं यह डेढ़ माह के हैं । जो माननीय मल्ल साहब ने बताया निर्देश जारी हुए उसमें ढिलाई बरतने में बन्द किया गया है । इसमें सरकार अलग से आंकड़े तैयार नहीं करती है अधिकारी शिथिल पाये जाते हैं उसमें उससे बड़े अधिकारी कार्यवाही कर लेते हैं सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये बल्कि सारी अराजकता को दूर करने के लिये संकल्प अभियान चला रहे हैं । यह जो आंकड़े हैं इस बात के साक्षी हैं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है कि माफिया राज्य समाप्त हो । और पूरी तरह से कानून का राज्य हो । पूरे प्रदेश में जिस तरह से गुण्डा-राज्य समाप्त किया है निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि माननीय मंत्री जी स्वस्थ्य न्याय के आधार पर इसको सुनिश्चित करायें जो पिछले शासनकाल में हत्यायें हुईं, कुछ हत्यायें पहले झांसी में हुईं उन हत्याओं को जिन अपराधियों ने किया, उन अपराधियों को पिछली सरकार का संरक्षण प्राप्त था इसलिये अपराध पंजीकृत नहीं हुए, तो न्याय के हित में कानून के हित में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राजू इलाहाबादी काण्ड झांसी में, और जिला परिषद् में हुए हत्याकांड के अपराधियों को पकड़ने के लिये कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

लिखकर आप दे दीजियेगा मंत्री जी दिखवा लेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिस घटना के बारे में कहा है । आंकड़े तो अभी आपको बताये हैं इसके अतिरिक्त 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से निर्देश जारी किये हैं जिसमें एक अभियान चलाने की बात कही है ।

45 दिन तक सघन अभियान में गुण्डागर्दी, माफिया लोगों के लिये, मोटर वाहनों की चोरी करने वालों के लिये तथा असामाजिक तत्वों को देखा जायगा उनकी गतिविधियों को कैसे रोका जा सके ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

श्रीमन्, इसमें सी० आई० डी० से जांच करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कानून व्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकती है.....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न करें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रदेश के थानों में सब इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों की कमी है और उसको दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सरकार का संकल्प है कि विधि और कानून का शासन स्थापित हो। तो इसमें जहां कहीं कोई कमी होगी उस पर सरकार अलग से विचार कर लेगी। जितनी हमारे पास क्षमता है उस क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए सरकार काम करेगी। हमारे डेढ़ माह के शासनकाल की यह उपलब्धि है।

श्री किरनपाल सिंह–

अध्यक्ष जी, श्री गौड़ जी ने जो प्रश्न किया था उसी से मिलता जुलता प्रश्न मेरा है। आप कानून व्यवस्था सुधारना चाहते हैं आपकी नीयत साफ है। पिछले दिनों आपने पुलिस अधिकारियों के तबादले जो किये हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि आपने मेरिट पर नहीं किये हैं। जो अच्छे-अच्छे आई० पी० एस० थे जो कानून व्यवस्था सम्भालते थे उनका ध्यान न रखकर जिनके पास इच्छा शक्ति की कमी है जो इफैक्टिवली कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं उनको तैयार कर दिया गया है। जो सेन्सटिव जिले हैं जिनमें अच्छे, कर्मठ आई० पी० एस० अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए वहां उनको तैनात नहीं किया गया है। तो क्या आगे आप मेरिट का ध्यान रखेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बेल के संबंध में जो वर्तमान कानून है, उसकी समीक्षा करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ला–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने तीसरी लाइन में उत्तर दिया है सामान्य जनता में गुंडागर्दी बाहुबल एवं माफियाओं के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसे तत्वों के विरुद्ध नियोजित ढंग एवं सख्ती से निपटने पर बल दिया गया है। तो यह कार्यवाही निश्चित रूप से शासन और अपने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों द्वारा करेगा। लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन ही इस तरह के तत्वों

को बढ़ावा दे रहा हो । मैं अपने यहां गोरखपुर की बात कर रहा हूं । वहां के कमिश्नर ओमप्रकाश स्वयं वहां पर गुंडागर्दी को प्रश्रय दे रहे हैं । ऐसे माफिया जिनके विरुद्ध अनेक अपराध दर्ज हैं । उन्होंने गनर और शैडो दिये हैं । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना मंत्री जी के पास नहीं होगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्री शुक्ला जी ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से निर्देश पालन किया जायगा । उनकी सूचना की जानकारी मेरे पास नहीं है । 30 जुलाई को पुलिस महानिदेशक का पत्र सारे डी० आई० जी०, आई० जी० को भेजा है जिसके अन्तर्गत एक सघन अभियान चलाया जा रहा है । उसमें यह कहा गया है :—

> रेन्ज डी० आई० जी० जोनल आई० जी० सैल विजिट ईच एण्ड एवरी डिस्ट इन देयर रेन्जेस जोन्स एण्ड क्लोजली मानीटर दी प्रोग्रेस आफ दी ड्राइव । डेली रिपोर्ट आफ अर्लियर ड्राइव विंग सेन्ट बाई रेन्ज डी० आई० जी० शुड शैल बी डिस्कान्टीन्यू इन्स्टेड थ्री प्रोग्रेस रिपोर्ट्स शैल बी सेन्ट बाई रेन्ज डी० आई० जी० थ्रो देयर जोनल आई० जी० टू रीच दिस हेडक्वार्टर आन 18-8-95 प्रोग्रेस रिपोर्ट फार 1-8-95 टु 15-8-95 आन 3-9-95 प्रोग्रेस रिपोर्ट फार 1-8-95 टु 21-8-95 प्रोग्रेस रिपोर्ट फार 1-8-95 टु 14-9-95 प्रोफार्माज फार दीज प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आर बीइंग सेन्ट सेपरेटली ।

डी० आई० जी० रेंज, जोंनल आई० जी० अपने परिक्षेत्र के प्रत्येक जिले में जाएं और सतर्कता से अभियान की समीक्षा करें । पूर्व अभियान की डेली रिपोर्ट जो डी० आई० जी० रेंज द्वारा भेजी जा रही थी उसके बजाय उनकी प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट रेंज के डी० आई० डी० द्वारा परिक्षेत्र के आई० जी० के माध्यम से भेजी जाएं । 1-8-95 से 15-8-1995 की प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट 18-8-95 को 1-8-95 से 31-8-95 की 3-9-95 को व 1-8-95 से 14-9-95 की प्रगति रिपोर्ट 17-9-1995 को भेजी जाएं । जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के परिपत्र हैं वह अलग से भेजे जा रहे हैं । श्रीमन्, आदेश हुआ है कि 45 दिन एक सघन अभियान डी० आई० जी०, आई० जी० अपनी-अपनी रेंज में चलायेंगे । अपने यहां दौरा करेंगे और सारी चीजों को देखेंगे । जो शुक्ल जी ने घटना बतायी है अधिकारियों की निगाह इस पर भी होगी। अलग से इसका उत्तर मेरे पास नहीं है । माननीय खन्ना जी ने जमानत के कानून के बारे में कहा कि इससे तो कहीं ड्राइव में दिक्कत तो नहीं आ रही है । मान्यवर, हर सरकार की नीति होती है कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित रहे और जो दोषी हैं वह पकड़े जायं और जो निर्दोष हों वह छोड़े जायं । जब तक किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय अपराधी नहीं घोषित करता है तब तक वह अपराधी नहीं माना जाता है । जमानत का कानून, कानून बनाने वाले लोगों ने इसीलिये बनाया है कि जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक लम्बे समय तक किसी को कारागार में रखना उचित नहीं होगा । मान्यवर, अभी जो मैंने कहा था इसमें यह भी कहा गया है कि "एंड नो इंनोसेंट परसन बी फाल्सली इम्पलीसिटेड ।" अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि कोई निर्दोष न सताया जाय । माननीय किरनपाल जी ने कहा कि अच्छे अधिकारियों को हटाकर कुछ कम जानकारी वाले अधिकारियों को रखा जा रहा है तो हमने अच्छे बुरे अधिकारियों का कोई वर्गीकरण नहीं किया है । अगर किसी अधिकारी की पत्रावली

में इस प्रकार का उल्लेख है कि अच्छा अधिकारी नहीं है तो उसे अच्छा स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन श्रीमन्, सरकार के पास अच्छे और बुरे अधिकारियों का वर्गीकरण नहीं है अलग-अलग स्थानों पर पोस्ट करके, उसकी क्षमता का लाभ उठाने की कोशिश करती है। हम लोगों ने किसी व्यक्ति को किसी खास नीयत से कहीं पोस्ट नहीं किया है। हमारी मान्यता है और हमारी नीति है कि समाज में कानून और व्यवस्था का शासन होना चाहिए।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ स्थित आलमबाग के मुहल्ला सुजानपुरा में नाले/नालियों की सफाई कराने की मांग

*1–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित आलमबाग में मुहल्ला सुजानपुरा के नाले/नालियों की सफाई विगत कई वर्षों से न होने के कारण नालियां अवरुद्ध हो गयी हैं, जिसके कारण बरसात का पानी वहां के निवासियों के घरों में भर जाने से संक्रामक रोग फैलने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त नालों की तत्काल सफाई कराने के आदेश संबंधित अधिकारी को देकर लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम किशोर बिन्द)–

नाले का प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण नाला पूर्ण रूप से भरा है, किन्तु नालियों की सफाई नियमित रूप से की जाती है। वर्षा के समय नालियों में बैक-फ्लो होने के कारण पानी अल्पकालिक रूप से कुछ घरों में भर जाता है, जो धीरे-धीरे निकल जाता है, किन्तु उससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका नहीं है।

नाले की सफाई के लिये निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि नाला भरा हुआ है। जब शासन के संज्ञान में यह है कि नाला भरा हुआ है तो उसकी सफाई क्यों नहीं कराई गयी ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक कितनी बार उस नाले की सफाई करायी गयी है और उसके नाम पर कितने धन की उगाही नगर महापालिका द्वारा की गयी है। तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक नाले की सफाई का टेंडर क्यों नहीं मांगा गया आज क्यों मांगा जा रहा है ? चौथा मेरा सवाल है कि नाले में पानी भर जाने के कारण संक्रामक रोग फैले हुए हैं तो इन रोगों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, सुजानपुरा का यह नाला कानपुर रोड पर टेढ़ीपुलिया से मिलता है। इसकी लम्बाई 910 मीटर है। यह कुछ स्थानों पर कच्चा है और कुछ स्थानों पर पक्का है। इस नाले की सफाई की

अनुमानित लागत 1 लाख 6213 रुपये है । इस नाले की सफाई हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है जो 4-8-95 तक प्राप्त हो जायगी और उसके बाद नाले की सफाई कराई जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

अब तक इसकी सफाई पर कितना धन खर्च किया गया है और इसका जो प्रवाह अवरुद्ध है उसको खुलवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, माननीय सदस्य के इन प्रश्नों का भी उत्तर दे दें ।

श्री राम किशोर बिन्द–

जो प्रवाह अवरुद्ध है उसको खुलवाने के लिये निविदा 4-8-95 तक मांगी गयी है । निविदा प्राप्त होने के बाद नाले की सफाई हो जायगी । मान्यवर, नाले की सफाई की जो प्रक्रिया है नालों की बराबर सफाई होती रहती है ।

श्री राम किशोर बिन्द–

एक माह के अन्दर सफाई हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे भी एक प्रश्न कर लेने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री घनश्याम शुक्ल को बुला लिया है ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैंने 4 प्रश्न पूछे हैं । माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि नाले में पानी भरा है, संक्रामक रोग से कोई खतरा नहीं है, कोई रोग नहीं फैलेगा । आज नाले की सफाई के नाम पर उक्त नाले पर कितना धन सरकार के द्वारा व्यय किया जा चुका है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, नाले की सफाई के लिये निविदायें क्यों नहीं स्वीकार की गयीं ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न जब गया तो निविदायें आमंत्रित होना शुरू हो गया ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । माननीय मंत्री जी से मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

माननीय शुक्ल जी ने कहा कि नाले में पानी भर गया और घरों में पानी चला गया, लेकिन मान्यवर, ऐसी स्थिति अभी है नहीं कि किसी के घर में पानी जा रहा हो । माननीय शुक्ल जी के यहां ज्यादा पानी बरसा होगा ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है और बहुत ही गम्भीर है। पिछली सरकार का पाप यह सरकार धो रही है। नाला जब बढ़ता है, तो उसका पानी धीरे-धीरे निकल जाता है, लेकिन उसमें कूड़ा करकट भर जाता है और वह अवरुद्ध हो जाता है, तो इस प्रकार से पूरे जिले की स्थिति बहुत ही खराब है। मान्यवर, अभी तो पानी कम बरसा है तब यह स्थिति है जब पानी बरसेगा तब नरक हो जायेगा। इसके पहले यह लखनऊ नर्क बन चुका है और पूरे शहर में पानी का भराव हो चुका है। यदि लखनऊ में कुछ विशेष व्यवस्था न की गयी तो बहुत से लोगों को हैजा होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप चाहते क्या हैं ?

श्री राम कुमार शुक्ला–

मान्यदर, यहां सब की सुरक्षा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी जिज्ञासा है कि जिस नाले का उद्धरण दिया गया है उसकी सफाई हो जाय उसके लिये माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतना पैसा खर्च होगा, उसकी निविदा आमंत्रित की है जैसे ही टेन्डर आ जायेगा सफाई करा देंगे।

श्री छब्बू पटेल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस नाले का इन्होंने टेन्डर काल किया है वह नाला कच्चा कितने मीटर है और पक्का कितने मीटर का है और क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि कितने भाग की सफाई पर कितना खर्च आयेगा कितना कच्चे पर आयेगा और कितना पक्का पर आयेगा ? मान्यवर, नाले पर सफाई जो हो रही है उसमें काम कुछ और होगा और इस्टीमेट कुछ और होगा इसकी जांच कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस नाले की लम्बाई मान्यवर, 910 मीटर है चौड़ाई एक मीटर और गहराई एक मीटर है यह कुछ स्थानों पर कच्चा है और कुछ स्थानों पर पक्का है। नाला है तो उसका अपना चरित्र है कहीं कच्चा होगा, कहीं पक्का होगा, कहीं नीचा होगा कहीं ऊंचा होगा। इसकी सफ़ाई के लिये जो इस्टीमेट बना है वह एक लाख छह हजार दो सौ तेरह रुपये का है। यह नाला ठीक से साफ करवा दिया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मेरठ के विकास प्राधिकरण में किसानों की अध्याप्ति की गयी जमीन के मुआवजे का भुगतान

*1–श्री राम कृष्ण वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो किसानों की भूमि अध्याप्ति की है उसमें कितने किसानों का मुआवजे का भुगतान अवशेष है तथा इसका वर्ष 1990 से 1995 तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है ? अवशेष मुआवजे को कब तक किसानों को भुगतान करा देंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्याप्ति की गई भूमि के अन्तर्गत 1250 किसानों को मुआवजे की धनराशि रु० 1211.04 लाख भुगतान किया जाना अवशेष है । प्राधिकरण द्वारा इस दौरान अर्जित/विकसित की गई भूमि/भूखण्ड मांग कम होने के कारण बड़ी मात्रा में अनिस्तारित पड़ी है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल हो गई व प्रतिकर भुगतान न हो सका ।

अवशेष मुआवजे का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान किसानों को करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री घनश्याम शुक्ल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, सरकार ने यह बताया कि 1250 किसानों को मुआवजे की धनराशि रु० 1211.04 लाख भुगतान किया जाना अवशेष है । मान्यवर, इन किसानों की दयनीय स्थिति है और यह बहुत गरीब है । यह सब गलत कार्य कर लिया गया है । इनको बिना पैसे भुगतान किये इनकी भूमि ले ली गई है । मुझे जो सूचना थी वह यह थी कि केवल 20 लोग शेष हैं लेकिन जो इसमें उत्तर में आया है 1250 किसान अवशेष है । मान्यवर, यह जो जमीन ले ली गयी है जिसका भुगतान नहीं किया गया है इसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष–

मुआवजे का भुगतान जो बाकी है यह कब तक हो जायेगा यह माननीय सदस्य की जिज्ञासा है ।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, किन्तु बराबर प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायगा ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, यह 1990 से पहले का फैसला है, 1990 से पहले यह जमीन ली गयी थी आप बता रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास किया गया होता तो 5 साल के अन्दर कुछ भुगतान हो जाता। 1250 किसान उसमें उद्वेलित हैं न वह दूसरी जमीन खरीद सकते हैं और न कहीं नौकरी कर सकते हैं इस सरकार का दायित्व है कि वह निश्चित डेट हमको बताये कि कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, अधिकारियों के द्वारा जो सूचनायें प्राप्त कराई गयी हैं उसके अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण के पास लगभग 450 करोड़ रुपये की अनिस्तारित सम्पत्ति है जिसमें 4000 एकड़ भूमि भी सम्मिलित है। इस सम्पत्ति की बल्क सेल, काउन्टर सेल के माध्यम से निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के बड़े कार्यालयों से सम्पर्क कर उनके कार्यालय परिसर हेतु उनके अधिकारियों की आवासीय कालोनियों के विकास हेतु भूमि विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, शीघ्र जो है भुगतान किया जायगा।

श्री जयपाल सिंह–

मान्यवर, जो भूमि अर्जित की है उसमें मेरे क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा आ गया है लेकिन ग्रामीण सर्किल रेट से पैसा दिया जा रहा है जबकि शहर के रेट कुछ और हैं। तो क्या शहरी रेट के हिसाब से मुआवजा देने का कष्ट करेंगे ? जो 5 साल से पैसा पड़ा है तो उस समय का मुआवजा का रेट कुछ और था तो आज के रेट के हिसाब से मुआवजा देने का कष्ट करेंगे और यह कब तक दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से संबंधित तो नहीं है जो मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है उसका भुगतान कराने का प्रश्न है। उस रेट पर दिलायेंगे या वर्तमान रेट पर दिलायेंगे इसकी सूचना कदाचित मंत्री जी के पास न हो। मंत्री जी यदि आपके पास सूचना है, तो इसका उत्तर दे दीजियेगा। जो यह ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है शहर में ली जा रही है उसका जो रेट बढ़ गया है और उसका जो मुआवजा बकाया है उसको देंगे। यदि आपके पास कोई सूचना हो तो बता दें। वैसे यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि बिना मेरी इजाजत के न बोलें। मैं जिस माननीय सदस्य का नाम लेकर बुलाऊं कृपया वही माननीय सदस्य पूछें। आप एक साथ चार-पांच सदस्य खड़े हो जाते हैं और पूछने लगते हैं जिससे व्यवधान होता है यह कौन सी परम्परा है। मेरा अनुरोध है कि मैं जिसका नाम पुकारूं केवल वही खड़े होकर पूछें।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी सूचना के हिसाब से 9 करोड़ रुपया विकास प्राधिकरण का जिलाधिकारी ने अन्य मद में खर्च कर दिया है, जिसकी जमीन ली गयी है वह इधर उधर भटक रहे हैं। तो क्या सरकार जो 9 करोड़ रुपया अन्य मदों में भुगतान किया गया है उसको पुनः प्राप्त करके भुगतान करायेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आज भूखण्ड बिक नहीं रहे हैं और उसकी सेल का प्रयास किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर भुगतान नहीं हो पा रहा है लेकिन विकास प्राधिकरण ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना बना रखी

है नयी-नयी योजना है । किसानों को देने के लिये पैसा नहीं है । मेरे क्षेत्र में कई एक्सटेंशन योजनायें बनायी जा रही हैं, प्रस्ताव पास हो गया, धारा-4, 6 व 16 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हुई है, नक्शा पास नहीं किया जा रहा है, किसान जमीन बेच नहीं सकता हैं, तो क्या उन योजनाओं को वापस लेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, सूचना दी जा चुकी है । जो लैन्ड अर्जित की गयी थी, जिसका भुगतान अवशेष हैं, उसके लिये, प्राधिकरण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बल्क सैल के माध्यम से सेलिंग करके, उसका भुगतान शीघ्र किया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें । माननीय मंत्री जी सदस्य की जिज्ञासा यह थी कि 9 करोड़ रुपया विकास प्राधिकरण का जिलाधिकारी ने किसी अन्य कार्यों में खर्च कर दिया है । यदि ऐसी कोई बात है, तो क्या यह सही है । अगर ऐसा कर दिया है तो यह पैसा प्राप्त करके पुनः उसका भगतान करायेंगे ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से, जो उत्तर प्रदेश प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें जो प्रश्नों के बारे में लिखा है उसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही प्रश्न पूछें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जैसा अभी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है कि किसानों के मुआवजे के लिये यहां से दी गई धनराशि को अगर जिलाधिकारी ने दूसरी जगह खर्च कर दिया है तो संबंधित आयुक्त इसकी जांच करेंगे और अगर कहीं गलत जगह पर खर्च कर दिया गया है तो जिन लोगों ने खर्च किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी । जहां तक मुआवजे की बात है, इसको 3 महीने के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करायेंगे ।

[शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 1995 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में उद्योगों पर बकाये विद्युत कर को वसूलने के लिये सरकार की कार्यवाही

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों पर विद्युत का कितना रुपया बकाया है ? इसको वसूलने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

वर्ष 1994-95 के अन्त में उद्योगों पर बकाया राशि रु० 419.62 करोड़ है ।

औद्योगिक श्रेणी में शेष बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की जाती है :—

(अ) विशेष शिविरों का आयोजन करके वसूली की जा रही है ।

(ब) बकाया धारकों के संयोजनों का विद्युत विच्छेदन ।

(स) धारा–5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं । पहला कि बकाया धन की वसूली करने का लक्ष्य क्या है, क्या इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे । दूसरी बात, कि जो 419 करोड़ का बकाया है, उसमें सबसे ज्यादा किस यूनिट पर बकाया है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, 419.62 करोड़ बकाया है, जिसमें सरकारी इण्डस्ट्रीज पर 108.32 करोड़ और निजी पर 311.30 करोड़ बकाया है । माननीय सदस्य ने जो इच्छा जाहिर की है, उसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देना चाहता हूं कि उपरोक्त बकाया धनराशि में न्यायालय द्वारा 172.76 करोड़ की राशि पर स्टे आर्डर लम्बित है और शेष 246.86 करोड़ रुपये की वसूली करने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में बताना चाहता हूं । विशेष शिविरों का आयोजन करके वसूली करना, किश्तों में भुगतान करने वालों की किश्तों को जमा किया जाना, सुनिश्चित करना, बड़े उपभोक्ताओं द्वारा अधिकारियों से सम्पर्क कर भुगतान करना, अवर अभियन्ता से मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता तक को जिम्मेदार बनाना तथा धारा 5 में वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना शामिल है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैंने दो बातें स्पष्ट पूछी थी कि बकाया धन वसूल करने का लक्ष्य कब तक का है, क्या कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे और सबसे ज्यादा किस यूनिट पर धनराशि बकाया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी और किस यूनिट पर सबसे पुराना बकाया है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि 160 डिवीजन हैं और यह वसूली की प्रक्रिया का निरन्तर डिवीजन वाइज लक्ष्य निर्धारित रहता है और वसूली प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है । जो माननीय सदस्य ने बकाये के संबंध में जानकारी चाही है, इसके बारे में मेरे पास विस्तृत सूचना है, एक-एक बकायेदार से संबंधित सूचना है, जिसमें 10 लाख से ऊपर तथा 10 लाख से नीचे दोनों की जानकारी है । माननीय सदस्य कभी मेरे कक्ष में आ जायें, मैं एक-एक बकायेदार के बारे में सूचना दे दूंगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । आप समय सीमा निर्धारित करवा दें । इस साल 5 हजार अम्बेदकर ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित है और उस पर 232 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, यदि यह 419 करोड़ होते तो 10 हजार अम्बेदकर ग्रामों का सारे का सारा विद्युतीकरण हो जाता। लेकिन मान्यवर, कोई समय सीमा निर्धारित करवा दें, अगर हाईकोर्ट का स्टे है तो छोड़ दीजिये, यह समय सीमा बता दें कि जो बकाया है, उसकी वसूली कब तक कर ली जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा है कि जो बकाया है, वह कब तक वसूल हो जायेगी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, न्यायालय में लम्बित मामलों को छोड़कर, यथाशीघ्र वसूली की कार्यवाही की जायेगी वैसे बकाया राशियों की भुगतान के लिये निरन्तर प्रयास किया जा रहा है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उद्योगों पर 419.62 करोड़ रुपया बकाया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बकाया है उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पर अलग-अलग कितना बकाया है और क्या इनकी वसूली के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गौर जी, मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उद्योगों पर जो बकाया धनराशि है, उसका भुगतान न करने पर विद्युत संयोजन काट दिये जाते हैं, किन्तु सरकारी विभागों के ऊपर करोड़ों की धनराशि बकाया होने पर भी सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने यह बता दिया है कि क्या कार्यवाही होती है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि विशेष शिविर लगा करके वसूली की जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कुल कितने शिविर आयोजित किये गये, कितने बकायादारों की बिजली काटी गयी और कितने लोगों के खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये, ये तीन बिन्दु हैं, उनकी संख्या आ जाये ताकि पता लगे कि परिषद् ने इसमें क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा है कि वसूली के लिये अब तक कितने शिविर आयोजित किये गये और किन-किन लोगों के खिलाफ आर० सी० जारी की गयी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, पहले ही बता दिया है कि विस्तृत में आंकड़ा बतलाना यहां पर सम्भव नहीं है क्योंकि यह हजारों की संख्या में हैं, इसलिये माननीय सदस्य हमारे कक्ष में आ जायं, हम उनको विस्तार से बता देंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के ट्यूबवेलों के बिजली के बिलों को माफ करने की योजना तथा क्रियान्वयन

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ट्यूबवेलों के बिजली के बिल माफ किये गये थे ? यदि हां, तो कब से कब तक ? क्या माफ किये गये बिलों की वसूली हेतु नोटिस जारी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी रिकवरी (आर० सी०) को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जी हां ।

(i) वर्ष 1987–88 में बिजली के बिलों की माफी दी गयी थी ।

(ii) 1-4-88 से 30-11-89 तक कुछ शर्तों के अनुसार 10,000 रुपये तक का बकाया की माफी दी गयी थी ।

(iii) शेष देय राशि 31-3-95 तक जमा करने पर अधिभार राशि की माफी दी गयी थी ।

(iv) दिनांक 1-12-89 से 30-4-90 तक के बिलों की छूट उन किसानों को दी जायेगी जिन्होंने विद्युत बिलों का पूर्ण भुगतान 31-3-95 तक कर दिया होगा ।

जी नहीं/संज्ञान में नहीं है ।

नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह किसानों का मामला है । 1987-88 में तीन श्रेणियों में किसानों के ट्यूबवेलों के बिजली के बिल माफ किये गये थे । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन-जिन श्रेणियों का उल्लेख इन्होंने उत्तर में किया है उन तीनों श्रेणियों में कितने किसान वास्तव में लाभान्वित हुए । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज नियमानुसार कार्यवाही की बात की जा रही है । 6 वर्ष बीत चुके हैं इन 6 वर्षों में क्या कार्यवाही की गई ? मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि आज भी इस प्रकार की वसूली और उत्पीड़न की कार्यवाही इन तीन श्रेणी के लोगों से की जा रही है जिन्होंने अज्ञानतावश बिल जमा कर दिये हैं क्या उनकी धनराशि सरकार वापस करेगी या फिर उनके बिलों को एडजेस्ट करेगी । इन तीन बातों की जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, जो हमने माननीय सदस्य को अभी अवगत कराया है 1987-88 में बिजली के बिल जो माफ किये गये थे उससे 5 लाख किसान लाभान्वित हुए थे और 1-4-88 से 31-12-89 तक जो बिजली के बिल माफ किये गये, उसमें करीब 2 लाख 25 हजार किसान लाभान्वित हुए थे । इस तरह 1-12-89 से 30-4-90 तक जो बिल माफ किये गये थे उसमें लगभग 2 लाख किसान लाभान्वित हुए । इन तीनों सूचनाओं से हम आपको अवगत करा रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैंने दो और जिज्ञासाएं व्यक्त की थीं पहला यह कि 6 वर्ष तक कार्यवाही हुई । दूसरा जिन्होंने अज्ञानतावश बिल जमा कर दिया है क्या उनकी धनराशि को वापस किया जायेगा या फिर एडजेस्ट किया जायेगा । (श्री प्रमोद तिवारी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

मान्यवर, अभी इनके साथ कुछ गुस्ताखी हो जायेगी तो फिर मेरा दोष नहीं होगा दोष इनका होगा। आग में हाथ डालने से कभी हाथ जल जायगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय डंग जी ने जो सवाल पूछा है हमने उत्तर में साफ बता दिया है कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर 1987 तथा 88 में जो विद्युत बिल माफ किये गये थे उसमें सरकार द्वारा किसी को आर० सी० भेज दी गयी है तो उसे वापस लिया जायगा अगर किसी ने जमा कर दिया है तो उसे वापस कर दिया जायगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जिन्होंने अज्ञानतावश बिल जमा कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह की आप स्पष्ट जानकारी दे दीजिये मंत्री जी। उसे दिखवा लेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह जानकारी का सवाल नहीं है। मुझे यह बात आदेश देने के बाद हमारे सामने जायगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि जिनको यह जानकारी नहीं मिली कि यह बिजली का बिल उनका माफ है और उन्होंने जाकर पैसा जमा कर दिया है तो उसे आगे आप एडजेस्ट कर देंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप मंत्री जी तक हमारे प्रश्न को ठीक-ठाक पहुंचा दिया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जिन्होंने जमा कर दिया है या जिन्होंने जमा नहीं किया है आर० सी० जिनकी आ गयी है। दो प्रकार के मामले हैं। इनके लिये शासन की तरफ से पत्र चला जायगा। उसमें उनका जो भी पैसा जमा हुआ है उनको समायोजित कर दिया जायगा।

विश्व प्रसिद्ध काशीनगरी को धार्मिक नगरी घोषित किये जाने हेतु पारित संकल्प के क्रियान्वयन की मांग

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध काशी नगरी को धार्मिक नगरी घोषित किये जाने हेतु नगर महापालिका वाराणसी ने संकल्प संख्या-80, दिनांक 20-12-89 को पारित कर सरकार को भेजा है ? क्या इस प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो इसे लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रस्ताव के औचित्य का परीक्षण करने हेतु कतिपय सूचना जिलाधिकारी फैजाबाद से मांगी गयी है, जो प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो कतिपय सूचना जिलाधिकारी, फैजाबाद से मांगी गयी है मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कतिपय सूचनाएं कौन सी सूचनाएं हैं जिनके विषय में जिलाधिकारी, फैजाबाद से जानकारी मांगी गयी है और मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह आप देखे 20-12-89 को महापालिका, वाराणसी ने संकल्प पारित करके राज्य सरकार को भेजा । मैंने 1989-90 में भी इस प्रश्न को उपस्थित किया था तब भी मुझे बताया गया था कि यह परीक्षाधीन है । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि 1989-90 से परीक्षणाधीन है 15 अगस्त होने जा रहा है अब कितने वर्षों में इसका परीक्षण करा लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

जिला अधिकारी से जो सूचना मांगी गयी है वह क्या है और 1989 से मामला परीक्षणाधीन है इन दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें ।

नगर विकास मंत्री (श्री राम किशोर बिन्द)–

मान्यवर, काशीनगरी को धार्मिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा संकल्प संख्या–80, दिनांक 20-12-89 को पारित किया गया था तथा उसे दिनांक 20 मई, 1990 को नगर विकास विभाग को भेजा गया था । उक्त प्रस्ताव पर नगर निगम, वाराणसी के सभासद श्री नरायण मिश्र द्वारा कार्यकारिणी समिति में रखा गया था जिसे नगर निगम के सदन में पास होने के उपरान्त उसका परीक्षण किया गया, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त घोषणा के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना उपयुक्त होगा कि वाराणसी में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी तथा किन-किन चीजों पर प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे । इस संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा शासन के सांस्कृतिक कार्य एवं धर्मार्थ कार्य विभाग से भी सम्पर्क किया गया किन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । मामले के निस्तारण हेतु पत्रावली न्याय विभाग को संदर्भित की गयी । न्याय विभाग में अधिसूचना संख्या–2862/11-421 ई०, दिनांक 17-11-1992 को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की । ज्ञातव्य है कि उक्त अधिसूचना के तहत यात्री कर लगाये जाने का प्राविधान है जो धार्मिक स्थलों पर ही आरोपित किया जाता है । उक्त अधिसूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि जिलाधिकारी, फैजाबाद से मांगी गयी है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में काशीनगरी को धार्मिक क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है । अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जब रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी उसके बाद ही कार्यवाही की जायगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था कि 1989-90 में भी मैंने यही प्रश्न किया था और उस समय यह बताया गया था कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है । माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को लिखा गया है । साथ ही उत्तर में कतिपय सूचनाएं मांगी गयी हैं, कतिपय सूचना का अभिप्राय तो एक से अधिक सूचना के लिये होता है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी, फैजाबाद से वह एक से अधिक कौन सी सूचनाएं हैं जिन्हें मांगा गया है और कब तक इस मामले का परीक्षण कर लिया जायेगा ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, परीक्षण रिपोर्ट मांगी गयी है और जब वह रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद ही कार्यवाही सम्भव है।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, इसमें एक समय सीमा निश्चित कर दी जाय।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, भारतवर्ष एक धर्म निरपेक्ष देश है। आजादी के बाद से कोई भी नगरी अभी तक धर्म के आधार पर घोषित नहीं की गयी है। इसीलिये जिलाधिकारी, फैजाबाद से सूचना मांगी गयी है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव नगर महापालिकाओं को 89 में भेजा गया तो उसके बाद 91-92 में मा० कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो एक धार्मिक संस्था है की सरकार बनी थी उसने इस प्रस्ताव को क्यों नहीं माना ?

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया उसे भी दिला दें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, यह प्रश्न पूर्व में जब बी० जे० पी० की सरकार थी उस समय विधान सभा के तृतीय सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित था तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इसके संबंध में यही उत्तर दिया, प्रस्ताव 91 में नहीं वरन 1990 में प्राप्त हुआ और इसका परीक्षण किया जा रहा है। इस समय हमारे सहयोगी दल हैं इनके द्वारा भी यही कार्य किया गया था।

विद्युत वितरण कार्य निजी क्षेत्रों में दिये गये निर्णयों में उपभोक्ताओं के हितों में उठाये गये कदम

*4–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण कार्य निजी क्षेत्रों में दिये जाने के निर्णय में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये कौन-कौन से ऐहितियाती कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कोई अनिवार्य लक्ष्य निजी क्षेत्रों को भी दिया गया है ? यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विद्युत आपूर्ति के अधिकतम मूल्य के सम्बन्ध में भी निजी क्षेत्रों से कोई समझौता हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

शासन द्वारा केवल नोयडा स्थित नोयडा पावर कम्पनी लि० को गजट विज्ञप्ति संख्या 5480पी–3/93-23-86पी/92, दिनांक 30-8-93 के माध्यम से ग्रेटर नोयडा एवं उससे संलग्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु लाइसेन्स प्रदान किया है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वही अधिकार प्राप्त हैं जो प्रदेश में अन्यत्र विद्युत उपभोक्ताओं को उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता निजी क्षेत्रों को हस्तान्तरित किये गये हैं, जिनका विद्युतीकरण हेतु लाइन इत्यादि बनाने से संबंधित पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेन्सधारी की है।

निजी क्षेत्र से हुए इस अनुबन्ध के अनुसार लाइसेन्सी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की दर प्रदेश के अन्य उपभोक्ताओं के समान होगी।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नोएडा में जो बिजली का काम नोएडा पावर कं० लि० को दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का कितना रुपया उनके ऊपर बकाया है और जो दूसरा मूल प्रस्ताव था जिसमें निजी क्षेत्र के विद्युतीकरण का काम दिया गया था क्या उसी दर पर उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है जो मूल समझौते में था ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, त्यागी जी ने इस प्रश्न से हट कर प्रश्न किया है कितना बकाया है इसमें कहीं जिक्र नहीं है। और जो उनकी जिज्ञासा है अलग से बता दें समाधान कर देंगे।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मेरा अनुरोध है कि यह तो उत्तर होना चाहिए था माननीय मंत्री जी बता दें कि जब से निजी क्षेत्र में विद्युत का काम किया गया है तब से कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? जो वह विद्युत कनेक्शन देंगे उसका इस्टीमेट क्या उसी दर पर लिया जाता है जिस दर पर राज्य विद्युत परिषद् लेती थी ?

श्री अध्यक्ष–

जिस दर पर राज्य विद्युत परिषद् विद्युत कनेक्शन करती थी क्या उसी दर पर इनके द्वारा भी किया जा रहा है यानी नोएडा पावर कम्पनी द्वारा उसी दर पर किया जा रहा है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कितने गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यह भी बता दें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, जब एग्रीमेन्ट हुआ था तब यह व्यवस्था की गयी थी उस एग्रीमेन्ट को पढ़कर मैं बता देता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

ड्यूरिंग दी पीरिएड आफ दिस एग्रीमेन्ट.....

श्री अध्यक्ष–

इसका आप हिन्दी में रूपान्तर बता दें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

यह जो हमारे पास है उसका हिन्दी में आशय यह है कि विद्युत बोर्ड और उनकी दरों में कोई विभिन्नता नहीं है। विद्युत बोर्ड जो है उसने जो निर्धारित किया है, उसी तहत चल रहा है। माननीय सदस्यों को इसके अतिरिक्त कोई जानकारी हो तो बता दें हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

आज के एजेण्डा में मेरा एक अतारांकित प्रश्न संख्या–149 था क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम से अनुबन्धित बसों में विधायकों/सांसदों को बैठने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर आया है "जी हां" । मान्यवर, मैं वाराणसी से इलाहाबाद आ रहा था वहां पर एक अनुबन्धित बस खड़ी थी, जब मैं उस पर बैठने को गया तो देखा उसमें विधायक, सांसद और पत्रकार के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है । मंत्री जी तो कार से चल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न यह है कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम से अनुबन्धित बसों में विधायकों/सांसदों को बैठने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह गलत है, यही मैं बता रहा हूं । जब मैं उस पर बैठने गया तो कोई भी स्थान विधायक, सांसद और पत्रकार के लिए नहीं था । इसी तरह से दूसरी बस जो खड़ी थी उसमें भी नहीं था ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई शिकायत है तो आप लिख कर दे दें, किन्तु व्यवस्था का जो प्रश्न उठा रहे हैं वह ठीक नहीं है । यह शिकायत है और उसके बारे में लिखकर दे दें मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

इसी संबंध में मेरा भी नत्थी (ख) में तारां० प्रश्न सं०–8 है, मेरा दिनांक 23-3-95 का प्रश्न है कई बार आया है और इस बार भी मंत्री जी ने इसके उत्तर में कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । इस तरह से क्या 5-6 महीने में सूचना एकत्र की जायेगी ? यह बहुत गंभीर बात है। इसके बारे में आप समुचित आदेश देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इसको आप लिखकर दे दें, जो जरूरी होगा वह निर्देश संसदीय कार्यमंत्री और सरकार को दे दूंगा । यदि यह पहली बार आया है तो पहली बार में तो इनको अधिकार ही है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

यह चौथी बार आया है ।

श्री अध्यक्ष–

तो आप लिखकर दे दें मैं शासन को निर्देशित कर दूंगा ।

दुपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुपहिया वाहनों के चालकों तथा उनके पीछे बैठने वाली सवारियों के लिये हैलमेट पहनना अनिवार्य किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो निर्णय की रूप रेखा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्दलाल पटेल)–

मोटर यान (संशोधित) अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–129 के उपबन्धों के अनुसार प्रदेश में दिनांक 14-11-94 से मोटर साईकिल चालक तथा सवार के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य है ।

3 दिसम्बर, 1993 एवं 22 फरवरी, 94 को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का उत्पादन एवं व्यय की जानकारी

*6–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 3 दिसम्बर, 1993 को राज्य विद्युत परिषद् का उत्पादन तथा प्रति यूनिट उत्पादन व्यय क्या था ? उक्त विवरण 22 फरवरी, 1994 को कितना है ? क्या सरकार की उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन व्यय को घटाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

3 दिसम्बर, 93 एवं 22 फरवरी, 94 को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को कुल उत्पादन क्रमशः 60.26 मि० यू० तथा 61.28 मि० यू० था । माह दिसम्बर, 93 एवं फरवरी, 94 में प्रतिदिन बस-बार पर प्रति यूनिट औसत उत्पादन लागत क्रमशः 81.93 पैसे एवं 84.07 पैसे थी ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के तापीय एवं जलीय विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है जो निम्नवत् है :–

(1) निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाकर लक्ष्यानुसार पूर्ण कराना ।

(2) विद्युत उत्पादन गृहों का नवीनीकरण कराना ।

(3) नई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीनिवेश के लिये प्रोत्साहन ।

जहां तक विद्युत उत्पादन व्यय घटाने की कार्ययोजना का प्रश्न है, वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर ताप विद्युत गृहों के नवीनीकरण कार्य, वृहद अनुरक्षण कार्य एवं विशेष मरम्मत इत्यादि कार्यों के पूर्ण किये जाने पर उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ उत्पादन व्यय स्वतः घटेगा क्योंकि उपरोक्त वर्णित कार्यों के पूर्ण होने पर पश्चात् इकाई की दक्षता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है । उत्पादन व्यय घटाने के लिये विभिन्न तापीय विद्युत गृहों पर क्रोयले में आने वाले बड़े पत्थरों तथा अन्य लोहे आदि के टुकड़ों को

कोल-प्रेशर तथा कोल मिलों में जाने से पहले अलग छांटने की एक योजना प्रत्येक विद्युत गृह पर लागू की गयी है । इस योजना के क्रियान्वयन कोल-प्रेशर तथा कोल मिलों के ब्रेक डाउन में प्रभावी रूप से कमी हुई है जिसके कारण ईंधन, तेल की खपत में कमी आई है ।

लखनऊ नगर के जियामऊ एवं मार्टिन पुरवा क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990 में तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य मंत्री की पहल पर लखनऊ नगर के जियामऊ एवं मार्टिन पुरवा क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग कराई गयी थी तथा उक्त बोरिंग से संबंधित समस्त अभिलेख बोरिंग कराये जाने के लगभग दो वर्ष बाद सिंचाई विभाग द्वारा 10/92 में जल निगम को उपलब्ध कराये गये थे । यदि हां, तो क्या वहां पर पेयजल की व्यवस्था करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और इस विलम्ब के लिये कौन दोषी है ? क्या दोषी कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां । सिंचाई विभाग के प्रश्नगत नलकूप की बोरिंग से संबंधित "कम्पलीशन प्लान" की एक प्रति 10/92 में प्राप्त हुई थी । नलकूप जल निगम को हस्तान्तरित नहीं है ।

जी नहीं । उक्त नलकूप से कोई पेयजल व्यवस्था नहीं करायी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन उपलब्ध न होने के कारण ।

उपरोक्तानुसार इस विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओबरा तापीय परियोजना एवं अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में वाहनों के दुरुपयोग में हुए व्यय की जानकारी

*8–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना एवं अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में पदानुक्रम में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कार्यरत कार्मिक कितने हैं ? परियोजनाओं पर कितने वाहन किराये पर और कितने वाहन परिषद् के संचालित हैं ? पिछले तीन वर्षों 1991-92, 92-93, 93-94 में वाहनों पर किराये/मरम्मत/रखरखाव पर कितना धन व्यय हुआ ? वाहन सुरक्षा किस स्तर के अधिकारियों को दी जानी चाहिये । क्या इस संबंध में परिषदीय नियमों का पालन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यदि वाहन के बदले वाहन भत्ता दिया जाय तो कुल कितना धन वार्षिक व्यय होगा ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनपरा विद्युत तापीय परियोजना सोनभद्र की निर्माणाधीन पारेषण लाइन पर हो रहे व्यय की एवं अन्य जानकारी

*9–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अनपरा विद्युत तापीय परियोजना सोनभद्र की निर्माणाधीन लगभग 1235 कि० मी० लंबी पारेषण लाइन की कुल लागत धनराशि क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त पारेषण लाइन के निर्माण में विभागीय रेट (शिड्श रेट) से अधिक रेट पर सिविल इंजीनियरों के बजाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो सिविल कार्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों से अधिक रेट पर कराने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या सरकार जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

अनपरा तापीय परियोजना से संबंधित 800 के० वी० एवं 400 के० वी० की कुल लगभग 1235 किलोमीटर लंबी पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाना है, जिनकी अनुमानित लागत रु० 1082.0 करोड़ है । उक्त पारेषण लाइनों का निर्माण ओ० ई० एल० एफ० जापान के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पैकेज में एक ही अनुबन्धकर्ता से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करके न्यूनतम निविदा मूल्य के आधार पर कराया जा रहा है, जिसमें टावरों की डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, टावर आपूर्ति व लाइन निर्माण कार्य सम्मिलित है । अतः इनके विभागीय रेट शड्यूल नहीं बनाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में पेयजल हेतु गोमती नदी के पानी को शुद्ध करने की जानकारी

*10–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पेयजल के लिये कच्चा पानी गोमती नदी से लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या गोमती नदी में डी० डी० टी० व गैमेक्सीन (बी० एच० सी०) सहनशीलता के स्तर से अधिक पायी जाती है ? यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां, लखनऊ नगर में ऐशबाग तथा बालगंज जलकल के लिए कच्चा पानी गोमती नदी से लिया जाता है ।

जी नहीं, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार डी० डी० टी० की मात्रा नहीं पाई गई है परन्तु गैमेक्सीन (बी० एच० सी०) की मात्रा 0.0021 पार्टस पर मिलियन (पी० पी० बी०) बताई गई है जो

नगण्य है आई० एस० आई० मानक के अनुसार रा–वाटर में इसका कोई मानक इंगित नहीं किया गया है। परन्तु ट्री टेड वाटर में शून्य होना चाहिए। ट्री टेड वाटर में इसकी मात्रा शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर जिले के बहुआ, हसवा व असोधर विकास खण्ड में जल की समस्या को दूर करने की मांग

*11–श्री महेन्द्र प्रताप नारायन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिले का विशेषकर बहुआ, हसवा व असोधर विकास खण्ड का जल स्तर काफी नीचे चला गया है ? यदि हां, तो वहां का जल स्तर कितने मीटर नीचे गया है ? क्या यह सही है कि जल स्तर नीचे जाने से वहां पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो वहां पर पेयजल की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में जलस्तर लगभग 2 से 3 मीटर नीचे चला गया।

जल स्तर नीचे चले जाने से अधिष्ठापित हैण्डपम्पों तथा चालू पेयजल नलकूपों के श्राव में कोई विशेष अन्तर नहीं आया।

प्रश्न में इंगित ब्लाक–बहुआ, हसवा व असोधर में क्रमशः 86, 83 व 57 आबाद ग्राम है जिनमें से क्रमशः 54,53 तथा 44 ग्राम पेयजल से संतृप्त हैं। शेष ग्राम आंशिक रूप से लाभान्वित हैं जो धन की उपलब्धता के आधार पर हैण्ड पम्प अथवा पाईप पेयजल योजना से संतृप्त किया जायेगा। सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नगत ग्रामीण क्षेत्रों में 28 नग हैण्ड पम्प तथा बहुआ नग क्षेत्र में 4 नग हैण्ड पम्प और अधिष्ठापित किये गये हैं।

उ० प्र० में विद्युत उत्पादन केन्द्रों के निजीकरण किये जाने की सरकार की योजना

*12–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उत्तर प्रदेश के किन-किन विद्युत उत्पादन केन्द्रों के निजीकरण की योजना बना रही है और क्यों ? उन उत्पादन केन्द्रों की परिसम्पत्ति वर्तमान में कितनी है ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के स्थापित/चालू विद्युत उत्पादन केन्द्रों के निजीकरण हेतु वर्तमान में राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है किन्तु निम्नलिखित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को संसाधनों की कमी के कारण निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है :–

(1) विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना

(400 मेगावाट)

(2) श्रीनगर जल विद्युत परियोजना

(330 मे० वा०)

(3) मनेरी भाली (चरण द्वितीय)

(304 मे० वा०)

उपरोक्त परियोजनाओं पर वर्ष 1993-94 तक जो धनराशि खर्च की गयी है उसका विवरण निम्नवत् है :-

(1) विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना =रु० 3194.69 लाख

(2) श्री नगर ज़० वि० परियोजना = रु० 12797.63 लाख

(3) मनेरी भाली (चरण द्वितीय) जल विद्युत परियोजना = रु० 17378.43 लाख

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ में 7-8 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

*13-श्री छब्बू पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ से 7-8 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत लगभग 100 कर्मचारियों को तत्कालीन आवास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान के मध्य हुए समझौते वर्ष 1992 के आधार पर लखनऊ जल संस्थान में हस्तान्तरित किया गया था जिसके अनुसार उक्त कर्मचारियों को दो माह के अन्दर नियमित करने की शर्त थी ? यदि हां, तो अभी तक इन कर्मचारियों को जल संस्थान में नियमित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उन्हें नियमित करने की कार्यवाही तुरन्त आरम्भ करेगी और अब तक समझौते की शर्तों का पालन न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, वर्ष 1992 में तत्कालीन आवास आयुक्त, प्रमुख सचिव, आवास तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान के मध्य ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ जिसमें प्रश्नगत कर्मचारियों को दो माह के अन्दर नियमित करने की शर्त रही हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के भूखण्ड सं० 24/जी० एच०/103 की नीलामी

*14-डा० माम चन्द्र लाम्बा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ के भूखण्ड सं० 24/जी० एच०/103 की नीलामी हेतु मुहरबन्द निविदायें मांगी गयी थी ? यदि

हां, तो किस-किस की निविदायें प्राप्त हुई थी ? क्या दिनांक 23 मई, 1994 को नीलामी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बोली रायल बिल्डर्स के पक्ष में छूटी थी जिसने 10 प्रतिशत धनराशि परिषद् में जमा कर दर थी ? यदि हां, तो क्या नीलामी निरस्त करके विजय श्री कन्सट्रक्शन के पक्ष में कर दी गयी थी जिसका 7 लाख रुपये का चेक बैंक से बिना भुगतान के वापस आ गया था ? यदि हां, तो फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले में की गयी अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

केवल एक मुहरबन्द लिखित बोली (सील्ड बिड) मेसर्स विजय श्री कन्स्ट्रक्शन एण्ड होटल प्रा० लि० लखनऊ की प्राप्त हुयी थी ।

जी हां ।

आवास आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार खुली बोली रायल बिल्डर्स की उच्चतम बोली आयी थी, जो रु० 1005 प्रति वर्गमीटर थी । तदुपरान्त मेसर्स विजय श्री कान्स्ट्रक्शन एण्ड होटल प्रा० लि० की मुहरबन्द सील्ड विड खोली गयी जो रु० 1190 प्रतिवर्ग मीटर थी । अतः रायल बिल्डर्स की बोली नहीं छूटी थी तथा उन्होंने बिना किसी मांग के स्वयं ही 10% की धनराशि परिषद् के खाते में जमा की थी ।

नीलामी निरस्त नहीं की गयी थी बल्कि नीलामी प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त रु० 1190 प्रति वर्ग मीटर के आधार पर उच्चतम बोली जो सील्ड विड से प्राप्त हुयी थी और उसी के अनुसार विजय श्री कान्स्ट्रक्शन के पक्ष मे स्वीकृत की गयी थी । विजय श्री कान्स्ट्रक्शन एवं होटल प्रा० लि० का रु० 7 लाख का चेक बैंक से बिना भुगतान के वापस आ गया था । आवेदक के द्वारा सूचित करने पर बैंक में पर्याप्त धन है, बैंक ने त्रुटिपूर्ण ढंग से चेक वापस कर दिया है, चेक पुनः बैंक को प्रेषित किया गया था जो 8-6-94 को क्रेडिट हो गया । इसलिए फर्म के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं की जाती है ।

अभी तक इस प्रकरण में कोई जांच नहीं करायी गयी है । यह मामला सम्प्रति मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथापि प्रकरण में विभागीय जांच करायी जायेगी ।

सहकारिता विभाग के अमीनों पर संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन स्वीकृत उ० प्र० वसूली नियमावली, 1974 का लागू न होना

*15–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन स्वीकृत उ० प्र० वसूली नियमावली, 1974 के अनुसार सह० कुर्क अमीनों को समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर सभी समान सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (चौधरी जगवीर सिंह गूजर)–

जी नहीं ।

सहकारिता विभाग के अमीनों पर संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन स्वीकृत उ० प्र० वसूली नियमावली, 1974 लागू नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री राजकुमार शिवहरे–

[3सरे बुधवार में अतारांकित प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

2–श्री राजकुमार शिवहरे–

[दि० 27 जुलाई, 95 को अता० प्र० सं० 85 द्वारा उत्तरित]

झांसी डिवीजन जल संस्थान कर्मचारी संघ बांदा (इकाई) के अध्यक्ष सहित हस्ताक्षरित पत्र में दर्शित कर्मचारियों की समस्या के निदान की जानकारी

3–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी डिवीजन जल संस्थान कर्मचारी संघ, बांदा (इकाई) जनपद बांदा के अध्यक्ष सहित अन्य का हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 1-3-1995 प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ एवं महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी को जल संस्थान कर्मियों की मांगों को तत्काल निराकरण करने के संबंध मे प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर उक्त अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां ।

झांसी जल संस्थान से प्राप्त सूचनानुसार उनके द्वारा झांसी डिवीजन जल संस्थान कर्मचारी संघ बांदा (इकाई) के पत्र दिनांक 1-3-1995 में वर्णित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 236–238 पर)

जिला फैजाबाद नगर परिषद् के क्षेत्र के गन्दे पानी के निकासी हेतु बने नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग

4–श्री परशुराम यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला फैजाबाद के नगर परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत गन्दे पानी की निकासी के लिये बने नालों को पाट कर कब्जा कर लिये जाने के कारण शहरी क्षेत्र का गन्दा

पानी निकलने के लिये पर्याप्त नाले नहीं रह गये हैं ? यदि हां, तो नालों पर कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

नगर पालिका परिषद् फैजाबाद सीमा के अन्तर्गत गन्दे पानी के निकासी हेतु दो बड़े नाले प्रमुख हैं। नगर के गन्दे पानी के निकास के लिये यह पर्याप्त हैं। इन नालों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इसके अतिरिक्त 8 छोटे नालों पर 42 व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा करने के मामले प्रकाश में आये हैं। उक्त सभी अनधिकृत कब्जे 12 से 15 वर्ष पुराने हैं और पक्के निर्माण के रूप में है।

अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद के क्षेत्र में आने वाले रिकाबगंज फतेहगंज मार्ग का निर्माण कार्य कागजों पर ही होकर राशि को हड़प करने का गम्भीर प्रकरण

5–श्री परशुराम यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर परिषद्, फैजाबाद के क्षेत्र में आने वाले रिकाबगंज फतेहगंज मार्ग का निर्माण कार्य कागजों पर पूरा करके इस निमित्त निर्माण कार्य की राशि हड़प लिये जाने का प्रकरण जिला प्रशासन और सरकार के संज्ञान में है तथा इसकी जांच भी चल रही है ? यदि हां, तो शहर के इस प्रमुख मार्ग जिस पर राजकीय महिला चिकित्सालय भी पड़ता है तथा प्रसवकालीन महिलायें व अन्य मरीज आते हैं अत्यन्त जर्जर और बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के बाद भी इसे यथा स्थिति में किन कारणों से रखा जा रहा है ? क्या इस मार्ग का निर्माण कार्य निकट भविष्य में कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

उक्त प्रकरण जिला प्रशासन और सरकार के संज्ञान में नहीं है।

स्थानीय निकायों को साधारण या विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत करने हेतु सीमित धनराशि प्रति वर्ष शासन स्तर पर उपलब्ध होती है। धनराशि की उपलब्धता, मानक, तत्सम्बन्धी वर्ष में रखते हुए प्रदेश की निकायों को सड़क अनुदान स्वीकृत करने के लिए शासन वचनबद्ध नहीं है। सम्बन्धित निकायों का कर्तव्य एवं दायित्व है कि वे अपने संसाधनों में वृद्धि करके सड़क के निर्माण और मरम्मत आदि करायें। सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि प्रदेश की प्रत्येक निकाय या उसकी किसी एक सड़क के निर्माण हेतु विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत किया जा सकें।

आगरा मण्डल के जनपदों में सघन विद्युतीकरण के लक्ष्य की जानकारी

6–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में आगरा मण्डल के किस जनपद में किन-किन गांवों का सघन विद्युतीकरण का लक्ष्य योजना के अन्तर्गत था तथा किन गांवों का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है ? लक्ष्य पूरा न होने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

आगरा मण्डल के जनपद अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, आगरा व फिरोजाबाद में वर्ष 1994-95 में क्रमशः आठ (8), एक (1), सात (7), एक (1), पांच (5) व सात (7) गांवों का सघन विद्युतीकरण का लक्ष्य था, तथा प्रत्येक जनपद के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है। गांवों की जनपदवार सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृ० 239 पर)

आगरा मण्डल के जनपदों में अम्बेडकर गांवों मे विद्युतीकरण का मामला

7–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में आगरा मण्डल के किस जनपद में कितने अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण होना था ? क्या सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो किस जनपद में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या शासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

सुश्री मायावती–

आगरा मण्डल के जनपद अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, आगरा व फिरोजाबाद में वर्ष 1994-95 में क्रमशः चार (4), दो (2), दो (2), दो (2), तीन (3) व दो (2) अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपरा 'अ' तापीय परियोजना के पम्प हाउस के निर्माण के समय स्लश (कीचड़) निकालने में हुए भुगतान का मामला

8–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना "अ" सोनभद्र के पम्प हाउस के निर्माण के समय स्लश (कीचड़) निकालने के कार्य पर पुल कितना भुगतान किस-किस ठेकेदार द्वारा अग्रिम मांगा गया था ? किस-किस ठेकेदार को, कितना-कितना भुगतान किया गया था ? क्या निर्माणाधीन पम्प हाउस से कीचड़ निकालने पर किये गये भुगतान की कटौती, निर्माण कर रहे ठेकेदार उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम एवं एन० पी० सी० सी० से की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अनपरा "अ" तापीय परियोजना के पम्प हाउस के निर्माण के समय स्लश (कीचड़) निकालने के लिए किसी भी ठेकेदार द्वारा अग्रिम भुगतान नहीं मांगा गया था।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

अन्तिम भुगतान के संबंध में मतभेद होने के कारण अभी तक अन्तिम भुगतान का बीजक नहीं बना है ।

अनपरा तापीय परियोजना 'अ' सोनभद्र में आक्जीलरी पाण्ड हेतु टूटे बांध को बनवाने में ठेकेदार को हुए पेमेन्ट की जानकारी

9–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना ''अ'' सोनभद्र में आक्जीलरी पाण्ड हेतु निर्मित बांध वर्ष 1987 में बह गया था ? यदि हां, तो इसको ठीक करने में परिषद् का कुल कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के इस व्यय के मद में कोई कटौती की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

बांध की लगभग 20-30 मीटर लम्बाई में लीकेज हो जाने के कारण कुछ हिस्सा बैठ गया था, जिसकी आवश्यक मरम्मत निर्माणकर्ता ठेकेदार द्वारा ही करा दी गयी थी । इस कार्य के लिए ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया ?

प्रश्न नहीं उठता ।

बांध की आवश्यक मरम्मत का व्यय-भार निर्माणकर्ता ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया गया था ।

जनपद आजमगढ़ जौनपुर व इलाहाबाद, देवरिया में राज्य विद्युत परिषद् के विभिन्न वितरण खण्डों में कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरण न किये जाने की शिकायत

10–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत परिषद् में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु कोई नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसका पालन नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जौनपुर व इलाहाबाद देवरिया जनपद के विभिन्न वितरण खण्डों में एच० बी० सी० एच० डी० सी० बिल क्लर्क, कैशियर, अनुबंध लिपिक मानचित्रक, संगणक आशुलिपिक आदि विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही जनपद एक ही सीट, स्थान, खण्ड में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या जनहित में इनका स्थानान्तरण अन्यत्र जनपदों में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या परिषदीय आदेश संख्या 2092 एनजी/एसई०वी 14/80/एनजी/79 दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अनुपालन न होने के कारण उसे निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सामान्यतः पालन किया जा रहा है ।

जी हां ।

जनहित एवं परिषदीय हित में स्थानान्तरण किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के इनटेक चैनल के निर्माण हेतु व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

11–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के इनटेक चैनेल के निर्माण हेतु कुल कितनी मिट्टी तथा चट्टान की खुदाई का भुगतान हुआ ? इसमें से कितनी मिट्टी तथा चट्टान की ढुलाई एवं उसका अन्यत्र भराई करने का भुगतान हुआ ? इस ठेके में लगभग 8 लाख घन मीटर खुदी हुई चट्टान को कम्पेक्ट करने की आवश्यकता क्या थी ? इसमें कौन सी तकनीकी विधि अपनाई गई ?

सुश्री मायावती–

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के इनटेक चैनल के निर्माण हेतु कुल 17,90,702.30 घनमीटर मिट्टी एवं 7,05,745.40 घनमीटर सभी प्रकार की चट्टानों की ढुलाई का भुगतान हुआ है ।

उपरोक्त सभी मिट्टी तथा चट्टानों की अन्यत्र भराई का भुगतान हुआ है ।

चट्टानों की भराई चूंकि मिट्टी के साथ मिल कर ही होनी थी, अतः इन्हें कम्पेक्ट करने का भुगतान अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार किया गया ।

मिली हुई मिट्टी एवं चट्टानों का कम्पेक्शन शीप फुट रोलर द्वारा किया गया ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र हेतु निर्मित इनटेक चैनल में हुए भुगतान में की गयी गड़बड़ी

12–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र हेतु निर्मित इनटेक चैनेल के संरेखण पर एक गहरा नाला पहले स्थित था ? यदि हां, तो क्या चैनेल हेतु खुदाई का भुगतान करते समय पहले से ही स्थित नाले के आयतन के बराबर की कटौती की गयी ? यदि नहीं, तो इससे राज्य विद्युत परिषद् को कुल कितनी क्षति पहुंची ? क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र हेतु इन्टेक चैनल के संरेखण का नक्शा देखने से पता चलता है कि उक्त संरेखण में "वैली" एवण "रिज" थी, एवं इसकी प्राकृतिक ढलाने रिहन्द जलाशय की दिशा में थी। खुदाई का जो भी भुगतान किया गया है वह खुदाई से पहले के तल एवं खुदाई के बाद के तल के अन्तर के आधार पर किया गया है। इस विधि के अन्तर्गत गड्ढा, टीला आदि के आयतन का समायोजन स्वतः ही कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के खण्डों/मण्डलों आदि में वाहनों के रख-रखाव में हो रही अनियमितता की जांच

13–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न खण्डों/मण्डलों आदि में कुल कितने वाहन तथा कितने चालक हैं ? क्या यह सही है कि परिषदीय वाहनों को बाहरी चालकों से चलवाया जाता है और उनके वेतन का भुगतान हैण्ड रसीद के माध्यम से विभिन्न फर्जी नामों से कराया जाता है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन वाहनों पर बाहरी व्यक्ति वर्तमान समय से कब से कार्य कर रहे हैं ? उनका नाम पिता का नाम तथा पता व अन्य विवरण क्या है ? उनको कितना वेतन भुगतान किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त कर्मचारियों को परिषदीय सेवा में नियमित करेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर के विरुद्ध श्री इन्द्रभद्र सिंह श्री नन्दलाल, श्री भगेलूराम, श्री रईस अहमद आदि विधायकों का शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री नन्दलाल, श्री भगेलूराम, श्री रईस अहमद आदि विधायक जनपद-सुल्तानपुर का दिनांक 23-8-94 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार व श्री मथुरा प्रसाद ग्रामवासी जनपद–सुल्तानपुर का कनेक्शन न दिये जाने तथा बिल भेजने की शिकायत की गयी है और जिसकी जांच पत्र संख्या एस० ई० वी० (बी०) बी० सी०–36/94 दिनांक 3 सितम्बर, 1994 द्वारा पुलिस अधीक्षक सतर्कता (सुरक्षा) उ० प्र० रा० वि० प० द्वारा श्री वी० के० जोशी, उप पुलिस

अधीक्षक मुख्यालय उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् को सौंपी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां, प्रथमतः यह जांच श्री वी० के० जोशी, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सौंपी गयी थी, किन्तु उनके स्थानान्तरण के बाद जांच का दायित्व उपाधीक्षक, सतर्कता, लखनऊ जोन को सौंपा गया है, जो सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय का कार्य भी देख रहे हैं ।

जांच अभी जारी है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद में लाइन पार क्षेत्र की आवागमन समस्या को दूर करने हेतु मेरठ रोड तिराहे से सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

15–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद में लाइन पार क्षेत्र की आवागमन की समस्या को देखते हुए मेरठ रोड तिराहे से राजकीय राज मार्ग–24 (विजयनगर बाईपास) तक सड़क बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्माण हो जायगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्राधिकरण के आर्थिक श्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए लगभग तीन वर्ष में निर्माण होने की सम्भावना है ।

जनपद सीतापुर नगर परिषद् मिश्रिख में दैनिक वेतन कर्मचारियों के वेतन न मिलने की शिकायत

16–श्री नरेन्द्र सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर की नगर परिषद् मिश्रिख में दैनिक वेतन पर कई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको कई माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है और मात्र दैनिक वेतन कर्मचारी श्रीमती कृष्णा का वेतन लगातार दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि अन्य कर्मचारियों को कई माह से श्रीमती कृष्णा से कम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस भेदभाव का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि परगनाधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा यह अनियमितता की जा रही है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी तथा दोषी परगनाधिकारी/अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

नगर पालिका परिषद् मिश्रिख में दैनिक वेतन पर कुल 15 कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें पालिका कोष में धन उपलब्ध न होने के कारण कई माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है । इनमें श्रीमती कृष्णा भी सम्मिलिति हैं ।

जी नहीं ।

भेदभाव का प्रश्न नहीं है । इतना अवश्य है कि श्रीमती कृष्णा द्वारा पेट में हुये ट्यूमर के इलाज हेतु बकाया वेतन की मांग किये जाने पर उन्हें हाल में तीन माह का वेतन एक साथ सहायता के रूप में मानवीयता के आधार पर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की नगर परिषद् मिश्रिख के वर्तमान समय में लगे इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्पों के खराब होने की शिकायत एवं उन्हें ठीक किये जाने की मांग

17–श्री नरेन्द्र सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के नगर परिषद् मिश्रिख के वर्तमान समय में अनेकों इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प बन्द पड़े हैं जिससे नागरिकों को जल आपूर्ति में कठिनाई हो रही है ? क्या इस संबंध में अमर नाथ शास्त्री नीमसार जनपद-सीतापुर का शिकायती पत्र दिनांक 26-4-94, 26-5-94 जिलाधिकारी सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? उक्त शिकायती पत्र की मुख्य शिकायतें क्या हैं ? जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करायी गयी ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

नगर परिषद् मिश्रिख नीमसार जनपद सीतापुर में 62 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों में से II हैण्ड पम्प वर्तमान समय में बोरिंग फेल हो जाने के कारण बन्द पड़े हैं । नगर मिश्रिख व नीमसार में जलापूर्ति के लिए दो ओवर हेड टैंक बने हैं जिनके द्वारा नियमित रूप से जलापूर्ति क जा रही है ।

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्रों में मुख्य शिकायत श्रीमती कृष्णा देवी गुप्ता दैनिक लिपिक के विरुद्ध अनुपस्थित रहने की थी । जांच प्रभारी अधिकारी न० पा० परिषद् मिश्रिख नैमिषारण/परगना मजिस्ट्रेट मिश्रिख द्वारा करायी गयी जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की नगर परिषद् मिश्रिख में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मी कृष्णा गुप्ता के खिलाफ शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर परिषद् मिश्रिख में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मी के विरुद्ध श्री जनार्दन प्रसाद, संसद सदस्य का कोई शिकायती पत्र 4-11-94 का जिलाधिकारी सीतापुर को प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि नगर विकास मंत्री एवं मण्डल आयुक्त लखनऊ को भी सम्बोधित की गयी है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां। मुख्य शिकायत श्रीमती कृष्णा गुप्ता के कार्यलय से अनुपस्थित रहने की थी।

जी हां। शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर की नगर परिषद् मिश्रिख की नियुक्ति लिपिक पद पर करने विषयक जानकारी एवं पूरे प्रकरण में हुई अनियमितता की जांच परिणाम

19–श्री नरेन्द्र सिंह

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर परिषद् मिश्रिख में वर्तमान समय में कितने स्थायी तृतीय श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या श्रीमती कृष्णा देवी की दैनिक वेतन भोगी लिपिक कर्मचारी पद पर नियुक्ति की गयी है ? उक्त कर्मचारी के विरुद्ध जून, 1994 से अब तक अनियमित कार्य किये जाने विषयक कितने शिकायती-पत्र नगरवासियों द्वारा जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मिश्रिख को प्राप्त हुए हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र ता० 27-8-94, 1 सितम्बर, 94 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा हुआ पत्र माननीय मुख्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? जांच किस अधिकारी से कराई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

नगर परिषद् मिश्रिख (सीतापुर) में वर्तमान में तीन स्थायी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

श्रीमती कृष्णा देवी को दैनिक वेतन भोगी लिपिक पद पर नियुक्ति दिनांक 1-10-90 को तत्कालीन अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा की गयी थी।

श्रीमती कृष्णा देवी के विरुद्ध जून, 1994 में अब तक चार शिकायती पत्र जिलाधिकारी सीतापुर के नाम प्राप्त हुये हैं जिसकी जांच प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद्-मिश्रिख/उपजिलाधिकारी मिश्रिख से करायी गयी। जांच करने पर शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्नकर्ता के उक्त शिकायती पत्र मा० मुख्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में जले ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग

20–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में लगभग दस ट्रांसफार्मर विगत अनेक माहों से जले होने के कारण सारा क्षेत्र अंधेरा में डूबा है ? यदि हां, तो कब तक सम्पूर्ण ट्रांसफार्मर को बदला जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड पोखड़ा में अद्यतन स्थिति में आठ ट्रांसफार्मर विगत अनेक माहों से जले हुए हैं। इनमें से एक ट्रांसफार्मर से कोई विद्युत कनेक्शन नही है, तथा एक अन्य ट्रांसफार्मर से संचित उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति दूसरे ट्रांसफार्मर से चालू है।

क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को अगले तीन माह में बदल दिये जाने की सम्भावना है।

जनपद चमोली गढ़वाल के रानीगढ़ पट्टी में बिजली की भारी अनियमितता की जानकारी

21–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली गढ़वाल के रानीगढ़ पट्टी में बिजली की भारी अव्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन लोगों के घरों पर बिजली की लाइन नही है, उन पर भी हजारों रुपये के बिलों को भुगतान हेतु भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। जनपद चमोली गढ़वाल के रानीगढ़ पट्टी में औसतन बीस घंटा प्रतिदिन पट्टी में औसतन बीस घंटा प्रतिदिन विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं। ग्राम को दिया में सत्रह लोगों ने बिना विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण किये, केबिल डाल कर अपने घरों पर विद्युत कनेक्शन ले लिये थे। इनको परिषदीय नियमानुसार बिल भेजे गये थे।

छः लोगों ने बिल जमा कर कनेक्शन नियमति करा लिये है। अन्य ग्यारह लोगों ने अपने परिसरों से केबिल हटा लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गजोखर ब्लाक पिंडरा वाराणसी में 132 के० वी० का विद्युत स्टेशन बनाये जाने की मांग

22–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि स्थान गजोखर ब्लाक पिंडरा वाराणसी में 132 के० वी० का विद्युत सब स्टेशन सन् 92 से बनाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि इसका शिलान्यास भू० पू० राज्य मंत्री विद्युत भारत सरकार, श्री कल्पनाथ राय ने किया था और भारत सरकार से छः करोड़ रुपये देने को कहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार भारत सरकार से छः करोड़ रुपये प्राप्त कर उक्त 132 के० वी० के सब विद्युत स्टेशन को बनवायेगी ? अब तक जो ईंटें लगी हैं क्या वह रद्दी है ? क्या सरकार उसकी भी जांच करायेगी ? क्या इस सब विद्युत स्टेशन गजोखर के लिये प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मुख्य मंत्री जी को दिनांक 9-2-95 को लिखा है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उसमें कुछ सुझाव भी दिये गये हैं ? क्या उसके मुताबिक जांच कराकर इस्टीमेट बनाया जायगा ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जल संस्थान कानपुर में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने का मामला

23–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान, कानपुर में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-9-94 मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को पदों का सृजन करते हुए विनियिमित किये जाने के आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में कब तक शासनादेश निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां ।

बिना पद के नियुक्त करना जल संस्थान को नियम विरुद्ध कार्यवाही है । पदों का सृजन जल संस्थान की वित्तीय स्थिति का पूर्णरूप से अध्ययन करके ही किया जाना सम्भव होगा ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

पंपिग सेटों तथा सरकारी नलकूपों एवं अन्य उपभोक्ताओं के ऊपर अधिभार बढ़ाने से आर्थिक वृद्धि एवं घाटे की जानकारी

24–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 रु० प्रति हार्सपावर पंपिंग सेटों तथा सरकारी नलकूपों एवं अन्य उपभोक्ताओं के ऊपर विद्युत अधिभार बढ़ाने से कितने करोड़ रु० की वृद्धि विद्युत परिषद् को हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत परिषद् का घाटा कितने करोड़ का है और वित्तीय संस्थाओं से कितने अरब का कर्जा मय सूद के बकाया है और दूसरी देन दारिया कोयला तेल आदि का कितना बकाया है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

25–श्री ऊदल–

[4 थे सोमवार में अता० प्र० सं० 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर पंचायत भदोही जिला भदोही में स्वीकृत नलकूपों को चालू किये जाने की मांग

26–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत भदोही जिला भदोही की पेयजल समस्या को ठीक करने हेतु चार नलकूप स्वीकृत किये गये हैं ? क्या दो नलकूप इसके पूर्व स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो इनका निर्माण अब तक न कराने का कारण क्या है ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां, वर्ष 1992-93 के पूर्व चार नलकूपों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो विभिन्न वर्षों में निर्मित होकर कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर के ब्लाक जलालपुर के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

27–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला जौनपुर के ब्लाक जलालपुर स्थित गांव कनवानी, मकदूमपुर मयी, मझगवां कलां तथा विकास खण्ड मुफ्तीगंज के गांव लट्ठेपुर, पतौरा, पेसारा आदि अनुसूचित जाति प्रधान गांवों में विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा ? क्या सरकार शीघ्र ही इन समस्त अनुसूचित जाति प्रधान गांवों में विद्युतीकरण का निर्देश राज्य विद्युत परिषद् को दे रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1995-96 में केवल अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। संदर्भित ग्रामों में कोई भी ग्राम अम्बेडकर ग्रामों की सूची में नहीं है।

उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्यों के अन्तर्गत जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकर समिति द्वारा चयन किये जाने पर निर्भर करेगा, जिसके लिये किसी समय-सीमा का निर्धारण किया जाना अभी संभव नहीं है।

जिला लखनऊ स्थित कालोनी लोहिया नगर में बिजली के बिलों द्वारा अतिरिक्त धन वसूलने की रोकथाम करने की मांग

28–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद स्थित कालोनी लोहिया नगर में बिजली बिलों में धांधली पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धन वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

मीटर रीडिंग के आधार पर बिल बनाये जाते हैं जहां मीटर खराब या अन्य कारणों से मीटर रीडिंग उपलब्ध न हो तो औसत उपभोग के आधार पर बिल निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के टाउन एरियाओं व नोटीफाइड एरियाओं के सचिवों के स्थानान्तरण का मामला

29–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के टाउन एरियाओं व नोटीफाइड एरियाओं के सचिवों के स्थानान्तरण के लिये शासनादेश सं०–2850/9-1-94 लखनऊ दिनांक 20 जून, 1994 के तहत निदेशक स्थानीय निकाय, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारियों को स्थानान्तरण करने का अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शासनादेश में दिये गये मानक का ध्यान स्थानान्तरण करते समय दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि निदेशक स्थानीय निकाय लखनऊ के आदेश सं०–6/1437/सा० स्था०/अ० अ० न० प० (94) 23 जून, 1994 द्वारा 18 अधिशासी अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया तथा उन्हीं अधिशासी अधिकारियों का स्थानान्तरण मण्डलायुक्त द्वारा दिनांक 28 जून, 1994 को किया गया है ? यदि हां, तो दोनों आदेशों में किस आदेश का पालन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जाना है ? इसके कारण क्या हैं ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी नहीं । उल्लिखित शासनादेश द्वारा टाउन एरिया व नोटीफाइड एरियाओं के सचिवों के स्थानान्तरण के संबंध में नीति निर्धारित की गई है । शासनादेश संख्या 5177/9-1-92 दिनांक 30 मई, 1992 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारियों को स्थानान्तरण करने का अधिकार दिया गया है ।

जी हां । लेकिन स्थानान्तरण मानक से विचलित होते हुए जनहित में प्रशासनिक आधार पर भी किए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

निदेशक, स्थानीय निकाय के आदेश दिनांक 23-6-94 द्वारा जिन 18 अधिशासी अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया उनमें से 3 अधिशासी अधिकारियों को, निदेशक, स्थानीय के आदेश दिनांक 23-6-94 की जानकारी न होने से मण्डलायुक्त गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 28-6-94 द्वारा स्थानान्तरित किया ।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के लिए पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी है । निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण आदेश प्रसारित किये गये हैं । अतः निदेशक, स्थानीय निकाय के आदेश का पालन किया जाना है ।

नगर परिषद् देवरिया में विभिन्न पदों पर मनमानी नियुक्तियां

30–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेशों का खुला उल्लंघन कर एवं मनमानी तरीके से नगर परिषद्, देवरिया में जनवरी, 94 में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला आजमगढ़ के ग्राम कुम्भ लालगंज में विद्युत उपभोक्ता के नलकूप के विच्छेदन का मामला

31–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विभिन्न वितरण खण्डों में नलकूप उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजकर बाद में उसे सही कराने के नाम पर मनमानी ढंग से रुपये वसूलें जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, लालगंज आजमगढ़ द्वारा दिनांक 21-1-1979 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम आजमगढ़ को यह सूचना दी गयी थी कि ग्राम कुम्भ निवासी विद्युत उपभोक्ता को नलकूप का अस्थायी विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है और बाद में रिपोर्ट की गयी कि उपभोक्ता दिनांक 17-11-1984 तक विद्युत उपभोग करता रहा ? उक्त दोनों में कौन सा कथन सत्य है ? क्या यह सही है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम आजमगढ़ दोषी है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जहां तक ग्राम कुम्भ का प्रश्न है दिनांक 21-1-79 को सहायक अभियन्ता द्वारा इस संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम आजमगढ़ को कोई सूचना नहीं दी गई थी और उपभोक्ता का दिनांक 17-11-84 को ट्रांसफार्मर उतार कर स्थायी विच्छेदन किया गया ।

दिनांक 17-11-84 को लाइन स्थायी रूप से काटने का कथन सत्य है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका स्याना के चुंगी विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा में लिये जाने की मांग

32–श्री वासुदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका स्याना के चुंगी विभाग के कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य से पृथक किया गया ? ऐसे कितने चुंगी कर्मचारियों को शासनादेश सं० 171/9-1-92 दिनांक 8 जनवरी, 1992 के अन्तर्गत सेवा में लिया गया है ? क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को कार्य पर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

चुंगी समाप्ति के बाद 26 दैनिक वेतन भोगी चुंगी कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया ।

शासनादेश संख्या–171/9-1-92 के अन्तर्गत आने वाले 25 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से 19 कर्मचारियों को सेवा में ले लिया गया है, जिसमें से 13 कर्मचारियों को शासनादेश दिनांक 3-2-92 के अन्तर्गत विनियमित किया जा चुका है तथा शेष 6 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं । इनके बाद भी शेष 6 कर्मचारियों को सेवा के लिये जाने की कार्यवाही शेष है । एक कर्मचारी जो शासनादेश दिनांक 8-1-92 की परिधि में नहीं आता था वह अपने पिता की सेवा में मृत्यु हो जाने के कारण सेवा योजित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

शेष 6 कर्मचारियों को सूचना भेजे जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

नगर पालिका स्याना जनपद बुलन्दशहर में रिक्त पदों पर दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मियों को ही लिये जाने की मांग

33–श्री वासुदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका स्याना जनपद बुलन्दशहर की सफाई एवं कर विभागों में वर्ष 1992 से अब तक सेवा निवृत्त के पश्चात् रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है ? क्या इन रिक्त पदों पर सफाई एवं कर विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित कर शासनादेश सं० 171/9-1-92 दिनांक 8.जनवरी, 1992 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां ।

जी हां । सफाई विभाग में रिक्त कुल 9 पदों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों के 5 पदों के समक्ष दो सफाई कर्मचारियों को शासनादेश सं०–171/9-1-92, दिनांक 8-1-92 द्वारा विनियमित किया गया तथा तीन सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती/नवनियुक्ति की गई । भिश्ती के चार रिक्त पदों में से एक पद पर एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को विनियमित किया गया तथा एक पद पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की गयी । इसी प्रकार कर विभाग में रिक्त दो पदों में से चपरासी के एक पद पर विनियमितीकरण किया गया तथा तृतीय श्रेणी के टैक्स कलेक्टर के एक पद पर विनियमितीकरण प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका स्याना जनपद बुलन्दशहर में गृहकर लागू न किये जाने से पालिका को हुई वित्तीय हानि

34–श्री वासुदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 1988 से स्वीकृत गृहकर लागू न कर पूर्व टाउन एरिया टैक्स (आजीविका, व्यवसाय, सम्पत्ति कर) किस आधार पर जनता से वसूल किया जा रहा है ? लगभग सात वर्ष से अब तक गृहकर लागू न किये जाने से पालिका को कितनी वित्तीय हानि हुई ? क्या सरकार स्वीकृत गृहकर पालिका सीमा में लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्दु–

निवर्तमान निर्वाचित बोर्ड, नगर पालिका परिषद्, स्याना, बुलन्दशहर के प्रस्ताव सं०–5, दिनांक 4-1-1988 तथा प्रस्ताव सं०–8, दिनांक 17-1-1992 में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व टाउन एरिया टैक्स जनता से वसूल किया जा रहा है । अनुमानतः 13,00,000/-रुपये की वित्तीय हानि हुई है ।

गृहकर लागू किये जाने हेतु सर्वे कराया जा रहा है । स्वीकृत गृहकर को पालिका सीमा में लागू करने हेतु नगर पालिका परिषद् कृत संकल्प है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लेसू लखनऊ के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) (प्रथम) के अधीन वर्ष, 1988 में आडिट पार्टी द्वारा की गयी हेराफेरी की शिकायत

35–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेसू लखनऊ के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) प्रथम के अधीन वर्ष 1988 में कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट संख्या 03, 04, 05, 06 का कौन-कौन सी आडिट पार्टी राज्य निरीक्षण इकाई/आंतरिक सम्प्रेक्षा इकाई ने आडिट किया था ? उनके नाम पद नाम तैनाती स्थान क्या है ? क्या रिपोर्ट संख्या 03 में सी० सी० 35 द्वारा घटाई गई बकाया धनराशि की हेराफेरी पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ? क्या यह सत्य है कि पिछले दस वर्षों में कैश में जमा की गयी धनराशि तथा कम्प्यूटर को फीड की गयी धनराशि में 50 करोड़ रुपये के घपले हैं ? यदि हां, तो इस घपले की भरपाई किस प्रकार की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । आन्तरिक सम्प्रेक्षा इकाई द्वारा वर्ष 1988 में 10/87 से 12/88 तक का आडिट किया गया था ।

आडिट पार्टी के सदस्यों का नाम, पदनाम एवं तैनाती स्थान निम्न थे :–

नाम	पदनाम	स्थान तैनाती का
1–श्री आर०ए० श्रीवास्तव	उप निदेशक	4–विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
2–श्री एम०ए० किदवई	सहायक लेखाधिकारी	–तदैव–

3–श्री जी०एस० राठौर	सहायक लेखाकार	–तदैव–
4–श्री के०पी० गुप्ता	–तदैव–	–तदैव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन मुख्यालय स्थित लखनऊ के समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं उनकी पत्नियां तथा दोनों द्वारा मकान भत्ता लिया जाना

36–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार को निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नियां विद्युत परिषद् में किस तिथि से कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि मकान किराया भत्ता की कटौती नियुक्ति की तिथि से नहीं की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत पति/पत्नी (जो कर्मचारी है) एक ही आवास में रहकर अनियमित तरीके से प्रदेश कार्यालय से मकान किराया भत्ता ले रहे हैं ? यदि हां, तो उनके नाम पद नाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? अब तक कितना धन, अनियमित तरीके से प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वसूल किया गया है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आर० आर० सिंह अवर अभियन्ता (विद्युत) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, देवरिया द्वारा की गयी अनियमिता के संदर्भ में शिकायती पत्र एवं जांच की मांग

37–श्री अजय कुमार पोइया– -

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा, फतेहपुर बाराबंकी के पत्र दिनांक 5-10-1994 के साथ पूर्वान्चल विकास परिषद् जनपद देवरिया का शिकायती पत्र जो श्री आर० आर० सिंह, अवर अभियन्ता (विद्युत) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, देवरिया द्वारा 20 लाख (बीस लाख रुपये) का विश्व बैंक की लाइन का सामान उखाड़कर बेचने पर जांच कराने के संबंध में था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत विच्छेदन के समय प्राप्त मीटर व तार को अवैध रूप से बेचा जाना

38–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय आदेशों का उल्लंघन कर विद्युत विच्छेदन के समय जो भी मीटर एवं केबिल उतारा जाता है उसे टेस्ट लैब एवं स्टोर में जमा न करके दूसरे उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है ? यदि हां, तो उतारे गये मीटर एवं केबिल आदि को मेजरमेन्ट बुक में न लेने के क्या कारण है ? क्या परिषद् द्वारा उपभोक्ताओं को केबिल देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उपभोक्ताओं द्वारा इस्टीमेट जमा करने के बाद कितने दिन/सप्ताह महीने

में विद्युत कनेक्शन रिलीज कर दिये जाते हैं ? प्रतिवर्ष लेसू लखनऊ के लिये कितने मीटर केबिल खरीदा जा रहा है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

केबिल लगा कर कनेक्शन दिये जाने वाले मामलों में भावी उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त सामान्यतः एक माह में कनेक्शन अवमुक्त किया जाता है ।

लेसू द्वारा विगत वर्ष में भावी उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन हेतु विभिन्न क्षमता की 78 किलोमीटर केबिल खरीदा गया है ।

गढ़वाल मण्डल में बन्द लघु विद्युत परियोजनाओं को पुनः चालू किये जाने का मामला

39–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कितनी लघु विद्युत परियोजनायें बन्द पड़ी हैं ? इनको बनाने में कितनी धनराशि खर्च होगी ? कितनी आय सरकार को प्रतिमाह प्राप्त होगी ? सरकार की नीति इन बन्द पड़ी लघु विद्युत परियोजनाओं के बारे में क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को कई माह का वेतन न मिलना तथा नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के स्थानान्तरण में देय यात्रा भत्ता की जानकारी

40–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के लगभग 600 स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के 12 से 18 माह तक का वेतन बकाया है, जिसके भुगतान के लिए मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी और उसके बावजूद भी बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या इसके बाद भी नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थानान्तरित अधिशासी अधिकारियों का सम्पूर्ण बकाया वेतन का भुगतान एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान शासन स्तर से करने की कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बकाया वेतन यात्रा भत्ता का भुगतान करने की स्पष्ट नीति की घोषणा करेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं । नागर स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई मजदूरों के 1-1-86 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाये के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 11.30 करोड़ रुपया तदर्थ अनुदान के रूप में तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा की पूर्ति हेतु दिया गया है ।

जी हां ।

जी नहीं । बकाया वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की है । शासन अपना वेंतन अंशदान, चुंगी व पथकर क्षतिपूर्ति बराबर दे रहा है । स्थानान्तरण अधिशासी अधिकारियों के यात्रा भत्ता बकाया वेतन में नहीं आता है । इसलिए यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में योजना बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि तैनाती स्थान पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के भुगतान किये जाने का नियमों में प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड निचलौल जनपद महाराजगंज के ग्राम सभा लक्ष्मीपुरकला में विद्युतीकरण न होने की शिकायत

41–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के ग्राम सभा लक्ष्मीपुरकंला के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1985-86 में ग्राम सभा चटिया से लक्ष्मीपुर तक पोल खड़ा करके तथा तार खींचकर ट्रांसफार्मर लगाया गया है ? क्या आज तक उक्त ग्राम सभा को विद्युत देने के लिए कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? क्या उक्त विद्युतीकरण पर सरकार का लाखों रुपया खर्च किया गया है ? यदि हां, तो उससे होने वाली राजस्व हानि के संबंध में सरकार द्वारा आज तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार तत्काल उक्त गांव का विद्युत कनेक्शन जोड़वाने तथा राजस्व की हुई क्षति की रिकबरी संबंधित दोषी अधिकारियों से कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । यह सत्य है कि चटिया से लक्ष्मीपुर खुर्दकला तक 11 के० वी० लाइन का निर्माण तथा लक्ष्मीपुर खुर्दकलां में 25 के० वी० ए०, 11/4 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 1985-86 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया गया था ।

लाइन चालू होने के पहले ही आंधी तूफान के कारण उक्त 11 के० वी० लाइन ध्वस्त हो गयी । तत्पश्चात् उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बन्द हो जाने के कारण लक्ष्मीपुर खुर्दकला ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो पाया ।

जी हां । सम्पादित किये गये कार्यों पर लगभग रु० 1.70 लाख खर्च किया गया था ।

लक्ष्मीपुर खुर्दकला ग्राम में कनेक्शन हेतु कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त लाइन को पुनः ठीक करके चालू करने की कार्यवाही नहीं की गयी है । चूंकि उक्त ग्राम में कोई भी विद्युत संयोजन नहीं है, अतः राजस्व हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

लक्ष्मीपुर खुर्दकला ग्राम में कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं है, अतः क्षतिग्रस्त लाइन को पुनः ठीक करके चालू करने पर अतिरिक्त व्यय किया जाना उचित नहीं है ।

नगर क्षेत्र समिति सिसवा बाजार द्वारा पूर्व जनपद गोरखपुर को प्राप्त धनराशि के द्वारा बन्द नाले की सफाई न कराये जाने की शिकायत

42–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अप्रत्याशित अतिवृष्टि से जनपद गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़ नगर पालिकाओं एवं टाउन एरियाओं को 59 लाख रुपये की धनराशि सीवरेज ड्रेनेज एवं पेयजल योजना मरम्मत हेतु शासन द्वारा आवंटित की गयी थी जिसमें नगर क्षेत्र समिति सिसवा बाजार द्वारा पूर्ण जनपद गोरखपुर को 3 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई थी जिससे नाले निर्माण कराये जाने के लिये अधिशासी अभियन्ता दशम् शाखा उ० प्र० जल निगम गोरखपुर ने अपने पत्रांक 513/बाढ़/जनरल/15 दि० 6-3-1981 द्वारा प्रभारी अधिकारी सिसवा बाजार से निर्माण कराये जाने के लिये दिनांक 10-3-81 को प्रस्ताव की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि नगर क्षेत्र सिसवा बाजार को अवमुक्त की गयी है ? क्या उक्त धनराशि को अन्य मदों में खर्च करने की शिकायत पर पूर्व मा० सदस्य उप नेता जनता विधान मण्डल दल उ० प्र० ने दिनांक 18-9-1986 को तथा अध्यक्ष टाउन एरिया सिसवा बजार ने अपने पत्रांक 1148/टा०ए० सिसवा/दि० 22-4-1990 द्वारा नगर विकास मंत्री को अवमुक्त धनराशि टाउन एरिया सिसवा बाजार को वापस करने के सम्बन्ध में लिखित पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्रों के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही को पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या तथा एवार्ड के रूप में दी जाने वाली राशि के निरस्त करने के कारणों की जानकारी

43–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत दैनिक श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ पाण्डु लिपिक/वरिष्ठ पाण्डु लिपिक के कार्य की प्रकृति कार्मिकों की योग्यता, दायित्व एवं पद का स्तर क्या है ? क्या इनका कोई एवार्ड दिनांक 16-4-77 को हुआ था ? यदि हां, तो राज्य विद्युत परिषद् में एवार्ड न लागू करने के लिए कितना आर्थिक भार शासन को बताया गया था ? क्या यह सत्य है कि परिषदीय सचिवालय अधिकारियों ने शासन को आकड़े में हेराफेरी करके 300 करोड़ रुपये व्यय दिखाया है ? यदि हां, तो व्यय का विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती–

(क) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् मिनिस्ट्रीयल स्टेबिलसमेंट (आफिस आफ दी चीफ इंजीनियर एण्ड अदर सबार्डिनेट आफिसेज) रेगुलेशन, 1970 (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार दैनिक श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ पाण्डु लिपिक/वरिष्ठ पाण्डु लिपिक की शैक्षिक योग्यता बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, यू० पी० से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा अन्य

उत्तीर्ण जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में टंकण की गति 25 शब्द प्रति मिनट की अर्हता रखना आवश्यक है।

वरिष्ठ पाण्डु लिपिक के शत-प्रतिशत पद स्थाई कनिष्ठ पाण्डु लिपिक से प्रोन्नति द्वारा तथा कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के शत-प्रतिशत पद स्थाई दैनिक श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है। दैनिक श्रेणी लिपिक के 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के द्वारा खुले बाजार से तथा 15 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है। इस हेतु ही वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, उ० प्र० से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उत्तीर्ण हो एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी के टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति का अनुभव रखते हैं, पात्र हैं।

दैनिक श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ पाण्डु लिपिक/वरिष्ठ पाण्डु लिपिक के कर्तव्य एवं दायित्व लिपिकीय (क्लेरिकल कार्य) हैं।

लिपिकीय संवर्ग में दैनिक श्रेणी लिपिक का पद न्यूनतम स्तर का है। इससे उच्च कनिष्ठ पाण्डु लिपिक का स्तर है तथा उससे उच्च वरिष्ठ पाण्डु लिपिक का स्तर है।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि एवार्ड राष्ट्रीय एवं राज्य की अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक न्याय के प्रतिकूल था अतः उ० प्र० शासन ने अधिसूचना दिनांक 12-1-89 द्वारा इसे निरस्त कर दिया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शासन द्वारा प्रस्तुत प्रति शपथ-पत्र में 150 करोड़ का वित्तीय भार इंगित किया गया है। सम्प्रति प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण न्यायाधीन (सबजुडिस्ड) है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड पांच भाग–1 के प्रस्तर 265 एवं 266 में निहित प्राविधानों के तहत उपलब्ध भूमि/भवन आदि का विस्तृत विवरण रखने की जिम्मेदारी

44–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड पांच भाग–1 के प्रस्तर 265 एवं 266 में निहित प्राविधानों के तहत उपलब्ध भूमि/भवन आदि का विस्तृत विवरण रखने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या इस सम्बन्ध में परिषदीय आदेश संख्या 28-12–कार्य/रा० वि०प०/94–14–7/84 के/94 दिनांक 5-8-94 के अनुपालन में अपने क्षेत्र/परियोजना का विस्तृत विवरण परिषद् को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों से सूचनायें प्राप्त हो गयी है और किन-किन स्थानों से सूचनायें अभी अपेक्षित है ? क्या यह सत्य है कि विलम्ब का मूल कारण

अधिकारियों द्वारा सरकारी भूमि को निजी हाथों में बेचना है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत, वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड पांच भाग–1 के प्रस्तर 265 एवं 266 में निहित प्राविधानों के तहत उपलब्ध भूमि/भवन आदि का विस्तृत विवरण रखने की जिम्मेदारी परिषद के जिला या स्थानीय कार्यालय के मुखिया की है, जैसा कि वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड पांच भाग–1 के प्रस्तर 263 में परिभाषित है ।

परिषद् के संदर्भित पत्र दिनांक 5-8-1994 द्वारा समस्त भूमि व भवनों की सूचना नहीं मांगी गयी है अपितु केवल अनुपयोगी भूमि व भवनों का विवरण मांगा गया है ।

उक्त पत्र में मांगी गयी सूचना अधोलिखित अधिकारियों से प्राप्त हो गयी हैं :–

1–महाप्रबन्धक केसा, कानपुर ।

2–महाप्रबन्धक, ताप एवं जल विद्युत परियोजना, ओबरा ।

3–महाप्रबन्धक, ताप विद्युत परियोजना, हरदुआगंज ।

4–महाप्रबन्धक, ताप विद्युत परियोजना, पनकी ।

5–महाप्रबन्धक, ताप विद्युत परियोजना, आनपरा "अ" ।

6–महाप्रबन्धक, ताप विद्युत परियोजना, पारीछा ।

7–महाप्रबन्धक, ताप विद्युत परियोजना, आनपरा "ब" ।

8–मुख्य अभियन्ता, सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ

9–मुख्य अभियन्ता, जनपद वितरण, लखनऊ

10–मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ ।

11–मुख्य अभियन्ता, जनपद पारेषण, लखनऊ ।

निम्न स्थानों से पूर्ण सूचनायें अभी अपेक्षित हैं :–

1–महाप्रबन्धक, जल विद्युत परियोजना, देहरादून ।

2–महाप्रबन्धक, तापीय विद्युत परियोजना, टाण्डा ।

3–मुख्य अभियन्ता, पारेषण, लखनऊ ।

4–मुख्य अभियन्ता, वितरण मध्यांचल, लखनऊ ।

5–मुख्य अभियन्ता, वितरण पूर्वांचल, वाराणसी ।

6–मुख्य अभियन्ता, वितरण परिश्चमांचल, मेरठ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अहिरापीर जगदीशपुर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के कतिपय व्यक्तियों द्वारा बत्ती पंखा हेतु जमा किया गया धन एवं कनेक्शन देने की मांग

45–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अहिरापीर जगदीशपुर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के 35 व्यक्तियों ने बत्ती व पंखा के लिये दिनांक 6-11-89 व 1-11-89 को पूरा इस्टीमेट का रु० विद्युत वितरण खण्ड प्रथम वाराणसी के वहां जमा करके रसीद ले लिया था ? क्या उन रसीदों की प्रतियां एवं प्रार्थना पत्र को प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को अपने पत्र के साथ दिनांक 14-1-94 को दिया था ? यदि हां, तो क्या अब तक उनको बत्ती व पंखा के लिये लाइन दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और कनेक्शन देने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । ग्राम–अहिरापीर, जगदीशपुर ब्लाक पिंडरा, जिला–वाराणसी के 35 नहीं बल्कि कुल 32 व्यक्तियों ने बत्ती एवं पंखा के कनेक्शन हेतु प्रतिभूति धनराशि तथा मानक सर्विस कनेक्शन की धनराशि दिनांक 1-11-89 से 6-11-89 के बीच जमा किया था ।

जी हां ।

जी हां ।

मामले में जांच करा ली गई है । उक्त कनेक्शनों को दिये जाने हेतु एल०टी० लाईन के विस्तार के लिये किसी भी श्रोत से धन उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है । आवेदकों को एल० टी० लाईन के विस्तार हेतु धन जमा करने का विकल्प दिया गया था जिसके लिए वह सहमत नहीं हुए । अतः संबंधित अधिकारियों को आवेदकों द्वारा रसीद दिखाये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई धनराशि को वापिस किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

गांव देवराई ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के कतिपय लोगों द्वारा बत्ती पंखा हेतु दिये गये धन के बावजूद कनेक्शन न दिये जाने के कारणों की जानकारी

46–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिशंकर वगैरह 26 व्यक्तियों ने गांव देवराई ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी ने दिनांक 26-4-90 को बत्ती एवं पंखा के लिये पूरा इस्टीमेट जमा कर दिया था ? क्या उनके प्रार्थना पत्र व इस्टीमेट की जमा रसीद के साथ प्रश्नकर्ता ने ता० 17-1-94 तथा मानिका वगैरह सरांय के इस्टीमेट की रसीद 26-4-90 को मुख्य मंत्री को अपने पत्र के साथ दिया है ? अब तक कनेक्शन न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त कनेक्शन देने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त कनेक्शनों को दिये जाने हेतु एल०टी० लाइन के विस्तार के लिए किसी भी श्रोत से धन उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं हुआ है ।

परिषद् की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण परिषद द्वारा अपने संसाधनों से एल०टी० लाइन का विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है । आवेदकों को एल०टी० लाईन के विस्तार हेतु धन जमा करने का विकल्प दिया गया था जिसके लिए वह सहमत नहीं हुए । अतः संबंधित अधिकारियों को आवेदकों द्वारा रसीद दिखाये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई धनराशि को वापिस किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

सेन्टोसा सिटी के निर्माण हेतु ग्रोथ टैक्नो प्रोजेक्ट लि० व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीच का करार निरस्त होने के कारण की जानकारी

47–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्टोसा सिटी के निर्माण हेतु ग्रोथ टैक्नो प्रोजेक्ट लि० व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीच किया गया करार निरस्त हो गया है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

ग्रोथ टैक्नो प्रोजेक्ट लि० को करार की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षर होने की तिथि के 90 दिन के अन्दर कुल जमा धनराशि का 25 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में अनुबन्ध की धारा संख्या 6.1 के अन्तर्गत भुगतान करना था किन्तु भुगतान न किये जाने के कारण करार की धनराशि 6.1 के अनुसार करार स्वतः समाप्त हो गया ।

जनपद बलिया के विद्युतीकरण कराने हेतु पूर्वांचल निधि में वर्ष 1994 में प्राप्त धनराशि के प्रयोग की जानकारी

48–श्री दीनानाथ चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विद्युतीकरण कराने हेतु पूर्वांचल निधि से वर्ष 1994 में 68 लाख रुपया दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त धन का उपयोग कहां-कहां पर किया गया है ? क्या यह सच है कि उक्त धन को अभी तक खर्च नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बलिया जनपद में पूर्वांचल निधि से रु० 63.30 लाख प्राप्त हुए थे । उक्त धन का उपयोग संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों पर किया गया है ।

जी नहीं, उक्त धन का पूर्ण रूप में उपयोग, अवशेष कार्यों के लिए स्टोर सामग्री उपलब्ध न हो पाने के कारण नहीं किया जा सका है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृ० 240–242 पर) ।

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी फतेहपुर में सूखाराहत हेतु नल लगाये जाने की मांग

49–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी फतेहपुर में कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? वर्ष 1993-94 में क्या सूखे को देखते हुये पर्याप्त हैण्ड पम्प गांवों में लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम किशोर बिन्द–

प्रश्नगत क्षेत्र में अब तक कुल 1153 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

अतिरिक्त हैण्ड पम्प वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वर्तमान में पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं।

50–श्री राजकुमार शिवहरे–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधान सभा क्षेत्र सिसवा बाजार जनपद महाराजगंज ग्राम बूढ़ाडीह खुर्द, बरवां द्वारिका आदि गांव के क्षतिग्रस्त टूटे पोलों को बदले जाने की मांग

51–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के उप नगर सिसवा बाजार के अतिरिक्त ग्राम सभा बूढ़ाडीह खुर्द, बरवां द्वारिका आदि ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण के समय विद्युत विभाग द्वारा काठ एवं लोहे के पोलों द्वारा तार खींच कर जो विद्युतीकरण किया गया है उसमें से कितने काठ एवं लोहे के जर्जर एवं सड़े पोल गिरने की स्थिति में है ? क्या उन पोलों को बदलने के लिये नगर क्षेत्र समिति सिसवा बाजार के पूर्व अध्यक्ष प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 01(2) टा० ए० सिसवा दिनांक 7-4-92 पत्रांक 210 दिनांक 10-3-93 मेमो 7-8-92 द्वारा लिखा गया था ? यदि हां, तो आज तक विद्युत पोलों को विभाग द्वारा न बदले जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा क्षेत्र सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के उपनगर सिसवा बाजार के अतिरिक्त ग्राम सभा बूढ़ाडीह खुर्द बरवां द्वारिका ग्रामों में लोहे के 15 पी०सी०सी० के चार तथा लकड़ी के 44 पोलों को बदले जाने की आवश्यकता प्रतीत होती थी। इनमें से अत्यन्त जर्जर स्थिति के लकड़ी के सात पोल बदल दिये गये हैं, तथा उपरोक्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

संदर्भित पत्र विद्युत वितरण खण्ड, महराजगंज में उपलब्ध नहीं है, अपितु वांछित कार्यवाही के अन्तर्गत अत्यन्त जर्जर स्थिति वाले लकड़ी के तीन पोल दिसम्बर 1993 में तथा चार पोल फरवरी 1994 में बदल दिये गये हैं।

अत्यन्त जर्जर स्थिति वाले लकड़ी के सात पोल बदल दिये गये हैं, तथा प्रश्नगत ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है। अवशेष बदलने योग्य पोलों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही वित्तीय संसाधनों एवं आवश्यक स्टोर सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बटियां से लक्ष्मीपुर खुर्द कला तक लाइन बनाकर विद्युत आपूर्ति न किये जाने के कारणों की जानकारी

52–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बटियां से लक्ष्मीपुर खुर्द कला तक 11000 किलोवाट की मुख्य लाइन से विद्युत लाइन बना कर ट्रान्सफार्मर लगा दिये गये है, किन्तु विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत आपूर्ति आज तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति न करने का कारण है ?

सुश्री मायावती–

जी हां। यह सत्य है कि बटिया से लक्ष्मीपुर खुर्दकला तक 11 के०वी० लाइन का निर्माण तथा लक्ष्मीपुर खुर्दकला में 25 के०वी०ए०, 11/.4 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 1985-86 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया गया था। लाइन चालू होने के पहले ही आंधी तूफान के कारण उक्त 11 के०वी० लाइन ध्वस्त हो गयी। तत्पश्चात उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बन्द हो जाने के कारण लक्ष्मीपुर खुर्दकला ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो पाया।

लक्ष्मीपुर खुर्दकला ग्राम में कनेक्शन हेतु कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त लाइन को पुनः ठीक करके चालू करने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

विकास खण्ड सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के ग्राम सेमरी विशुनपुरा की मुख्य लाइन से ब्रांच विद्युत लाइन सुगौली से पोखरभिण्डा की बनी विद्युत लाइन में विद्युत आपूर्ति करने की मांग

53–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी को है कि विकास खण्ड सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के ग्राम सभा सेमरी से विशुनपुरा के लिये मुख्य विद्युत लाइन 11000 किलोवाट जो बनायी गयी है, उसी मुख्य विद्युत लाइन से एक ब्रांच विद्युत लाइन सुगौली से पोखरभिण्डा को विद्युतीकरण करने हेतु खम्भे लगाकर तार खींचकर ट्रान्सफार्मर वर्ष 81-82 में लगाये गये हैं किन्तु विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति विद्युतीकरण क्षेत्र में नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति न किये जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां। यह सत्य है कि ग्राम सेमरी से ग्राम विशुनपुरा की 11 के०वी० लाइन से ग्राम पोखर भिन्डा की 11 के०वी० लाइन का निर्माण तथा ग्राम पोखरभिन्डा में 25 के०वी०ए०, 11/.4 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना वर्ष 1981-82 में की गयी थी। परन्तु पोखरभिन्डा की 11 के०वी० लाइन तथा ग्राम सुगौली की एल०टी० लाइन वर्ष 1982-83 में ध्वस्त हो जाने के पश्चात् से उक्त ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बाधित है।

उक्त ग्रामों में कनेक्शन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः ठीक करके चालू करने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

तहसील निचलौल जनपद महराजगंज में यात्रियों की सुविधा हेतु अधिग्रहीत भूमि पर बस स्टेशन बनाये जाने की मांग

54–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय निचलौल जनपद महराजगंज के यात्रियों के यातायात की सुविधा हेतु सड़क परिवहन विभाग द्वारा राजकीय बसों के ठहराव के लिये सन् 1981-82 में भूमि अधिग्रहीत करके चाहरदीवारी का निर्माण कराया गया है ? क्या यात्री शेड बुकिंग भवन तथा बसों के लिये प्लेट फार्म का निर्माण आज तक नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील मुख्यालय पर आने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये तत्काल बस स्टेशन की अधिग्रहीत भूमि पर भवन शेड, प्लेट फार्म, बुकिंग भवन का निर्माण करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नन्दलाल पटेल–

जी नहीं, भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1973 में किया गया था तथा भूमि पर चाहरदीवारी का निर्माण वर्ष 1976-77 में कराया गया।

निर्माण नहीं कराया गया।

वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण निर्माण कराना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर के पार्क/सार्वजनिक स्थलों पर मकान/दुकान बनाने की रोकथाम

55–श्री वासुदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ महानगर में कितने पार्क/सार्वजनिक स्थल ऐसे हैं जिनको खुली जगह घोषित होने के बावजूद वर्तमान मेयर द्वारा मकान/दुकान आदि बनवाने के लिये आदेश दे दिये गये ? क्या मंत्री जी उन पार्कों/खुले स्थानों के नाम बतायेंगे तथा किस अधिकारी द्वारा कब-कब आदेश दिये गये ? क्या मंत्री जी पिछले तीन वर्षों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पार्कों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष कितना व्यय हो रहा है तथा कहां-कहां ? उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है।

माण्डल मान्टेसरी स्कूल माण्डल हाउस लखनऊ में बने शादी घर की फर्जी बुकिंग

56–श्री वासुदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सड़कों की सफाई तथा सड़कों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाये जाने के लिये क्या व्यवस्था की जाती है ? क्या माडल हाउस लखनऊ के चालीस गलियों पर अवैध कब्जा करके मकान आदि बनवा लिये गये हैं ? यदि हां, तो इस अवैध कब्जे को हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था लागू की जायेगी ? अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि माडल मान्टेसरी स्कूल, मांडल हाउस,

लखनऊ को शादी विवाह हेतु किराये पर उठाया जाता है ? यदि हां, तो पिछले चार वर्षों में किन-किन तिथियों को आयोजन/कार्यक्रम हेतु किसको-किसको दिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि फर्जी बुकिंग का अवैध धन लिया गया है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भ्रष्टाचार की प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायतें एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

57–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1 जुलाई, 1994 से 31-1-95 तक किस-किस तारीख को अधिशासी अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की है ? उसमें आरोप क्या है और जांच किस एजेन्सी द्वारा कराई गयी है और श्री मिश्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

श्री एस० बी० मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता मा० विधायक के दिनांक 28-7-94, 18-11-94 एवं अन्य तीन पत्र प्राप्त हुये हैं जिस पर मा० विधायक द्वारा कोई तिथि अंकित नहीं की गयी है ।

श्री एस०बी० मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध मुख्य रूप से निम्न आरोप है :–

(1) श्री मिश्रा, लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक अभियन्ता थे और उपाध्यक्ष से सांठ-गांठ कर अधिशासी अभियन्ता का कार्य हथिया लिया ।

(2) श्री मिश्रा द्वारा नेहरू इन्क्लेव, विशाल खण्ड, विराट खण्ड एवं विनीत खण्ड में करोड़ों रुपये का फर्जी भुगतान किया गया ।

(3) गोमती नगर में मेन्टीनेन्स युनिट द्वारा कार्य देखे जाने के बाद भी मेन्टीनेन्स के नाम पर करोड़ों का फर्जी भुगतान किया ।

(4) बाजार दर से अधिक दर पर टेण्डर स्वीकृत कराते हैं ।

(5) विराट खण्ड में भवनों का 90 लाख का टेण्डर स्वीकृत कराया तथा 1.50 करोड़ का कार्य बिना टेण्डर स्वीकृत करा दिया ।

(6) विश्वास खण्ड में 25 लाख की लागत का आलीशान भवन बनवाया है ।

(7) बिना शासन की अनुमति के रु० 1.25 लाख की कीमत का रिवाल्वर खरीदा है ।

(8) गोण्डा में इनके कई भूखण्ड है ।

(9) अपने भाई का एडमीशन बंगलौर इंजीनियरिंग कालेज में रु० 3.00 लाख देकर कराया है ।

श्री मिश्रा के विरुद्ध उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ में पुराने नये ताप विद्युत गृहों की खाली जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके मकान/खेती करने का आरोप

58–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वाराणसी एवं लखनऊ क्षेत्रों में 33 के०वी०, 132 के०वी०, 220 के०वी० एवं 400 के०वी० उपकेन्द्रों एवं पुराने तापगृहों एवं कालोनियों के अन्तर्गत कुल कितनी-कितनी भूमि खाली पड़ी है ? उनमें कुल कितने प्रकार के पेड़ लगे हैं ? क्या राज्य विद्युत परिषद् को इस खाली भूमि तथा उन पर लगे पेड़ों से कोई राजस्व प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में मंडलवार कुल कितने राजस्व की प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो पेड़ों एवं भूखण्डों से उत्पन्न होने वाली फसलों का उपयोग किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया ? क्या यह सत्य है कि राज्य विद्युत परिषद् के सभी भूखण्डों पर परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जे की सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

59–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं० 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अधीन जलापूर्ति व्यवस्था में कार्यरत श्रमिकों की रिट याचिका एवं उनके निर्णय की जानकारी

60–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अधीन जलापूर्ति व्यवस्था में अनुबन्ध के माध्यम से कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं उनके नाम पदनाम एवं कार्यरत अवधि क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों से संबंधित कितनी रिट याचिकायें मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है ? किन-किन कर्मचारियों द्वारा रिट याचिकायें की गई थी तथा द्विपक्षीय वार्ता द्वारा कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

सुश्री मायावती–

परिषद् में अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अधीन कुछ जलापूर्ति का कार्य आइटम रेट अनुबन्ध के माध्यम से कराया जाता है तथा ठेकेदार द्वारा किये कार्य का भुगतान उनके कार्य के आइटमों के मापी के आधार पर किया जाता है । यह कार्य करने के लिये ठेकेदार आवश्यकतानुसार श्रमिक नियोजित करता रहता है, जिसकी संख्या आवश्यकतानुसार घटती बढ़ती रहती है तथा परिषद ठेकेदार के श्रमिकों की संख्या का कोई रिकार्ड नहीं रखता है । अतः सही संख्या बता पाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में इन कर्मचारियों से संबंधित 4 (चार) रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं।

सूची संलग्न है।

रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं, अतः द्विपक्षीय वार्ता का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृ० 243 पर)

जनपद लखनऊ स्थित नैपियर रोड सचिवालय कालोनी के ब्लाक नम्बर 17 तथा 18 के सामने नाला के टूट जाने से हो रहे जल भराव को दूर करने की व्यवस्था की मांग

61–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नैपियर रोड सचिवालय कालोनी के ब्लाक नम्बर 17 व 18 के सामने जो नाला पानी निकासी हेतु डाला गया था, टूट कर बन्द हो जाने से उक्त रोड पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे वहां के नागरिकों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और साथ ही गन्दगी इक्ट्ठा हो जाती है जिससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त नाले का तत्काल निर्माण कराकर वहां के निवासियों को राहत पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

वर्तमान में उक्त मार्ग पर न तो जल भराव ही होता है और न ही नागरिकों का आवागमन अवरुद्ध हो रहा है।

उक्त नाले की सफाई कर पुलिया का निर्माण कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, रायबरेली एवं बरेली आदि में राज्य विद्युत परिषद् की एवं जिला परिषदीय खाली भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत

62–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत ट्रेड यूनियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (इंटक) (एच० एम० के० पी०) ने लखनऊ स्थित सरोजनी नगर सब-स्टेशन शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मेरठ (विक्टोरिया पार्क), गाजियाबाद, रायबरेली एवं बरेली (सिविल लाईन) जिलों में परिषदीय भूमि पर कब्जा करके स्कूल, दुकान, भवन बनाया है ? यदि हां, तो क्या परिषद ने यह भूमि यूनियन के नाम आवंटित कर दी है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या यह भी सत्य है कि यूनियन ने परिषदीय भूमि को बाहरी व्यक्तियों को बेच भी दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत फंड अनुभाग से किराये की मद से आवंटित धन की जिलावार तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के अपने मकान में किराये पर कार्यालयों के चलाने के कारणों की जानकारी

63–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत फण्ड अनुभाग से किराये के मद में कुल कितना धन आवंटित होता है ? क्या मंत्री जी किराये के मद में आवंटित होने वाले धन की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? कुल कितने कार्यालय किराये पर चल रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि अधिकतर कार्यालय राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान में चल रहे हैं ? क्या निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक दिखाकर अधिक धन किराये के मद में भुगतान हो रहा है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन लखनऊ में कन्टीजेन्सी मद द्वारा प्रिन्टिग हेतु प्रतिवर्ष व्यय किये गये खर्च की जानकारी

64–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन लखनऊ में आफिस कन्टीजेन्सी के मद में पिछले तीन वर्षों में अधिकारिक कैम्प एवं अनुभागों में वर्षवार कितना व्यय किया गया तथा किन-किन मदों में ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रिन्टिग के मद में प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जा रहा है ? उसका विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि जो भी सामान बाहर से मंगाये गये हैं वे बाजार से कई गुने अधिक दर पर हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् सचिवालय के अधिकारिक कैम्पों एवं अनुभागों में कंटीजेन्सी के मद में पिछले तीन वर्षों में किए गये व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

मुद्रण के मद में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् मुख्यालय पर पिछले तीन वर्षों में हुए व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है :–

वर्ष 92–93	वर्ष 93–94
3,29,154.48	4,78,801.07

वर्ष 94–95

2,67,441.53

मुद्रित कराई गयी सामग्रियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

मुद्रण के सभी कार्य खुले बाजार से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर प्रतियोगिता के आधार पर कराये जाते हैं जिसकी दरें सामान्यतः प्रचलित बाजार दर से कम होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत खण्डों/उपखंडों/परियोजनाओं/मण्डलों आदि के कैश को कैश चेस्ट में नही बल्कि निजी कार्यों में प्रयोग करने की शिकायत

65–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत खडों/उपखडों/परियोजनाओं/मण्डलों आदि में जो कैश हस्तानान्तरित होता है उसकी जांच की क्या प्रक्रिया परिषद् द्वारा अपनाई जाती है ? कैश चेस्ट की जांच किस अधिकारी द्वारा की जाती है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि परिषदीय धन कैश चेस्ट में न रखकर अपने निजी कार्यों में प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो इसका कड़ाई से पालन हेतु क्या उपाय किये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

उपखण्डों को खण्डों से जो कैश हस्तानान्तरित होता है उसकी जांच खंड स्तर पर उपखण्डों के लेखों से की जाती है। खण्डों/परियोजनाओं/मण्डलों आदि के कैश हस्तान्तरण की जांच क्षेत्र/परियोजना/मुख्यालय स्तर पर ब्राडशीट बनाकर की जाती है।

कैश चेस्ट की जांच, खण्ड में खण्डीय अधिकारी (आधिशासी अभियन्ता एवं राजस्व के मामले में सहायक अभियन्ता (राजस्व) तथा उपखण्ड में उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाती है। ऐसा कोई मामला परिषद् के संज्ञान में नहीं आया है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ को ओवर टाइम देने की व्यवस्था की जानकारी

66–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ को ओवर टाइम देने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो किन नियमों के अनुसार ओवर टाइम दिया जा रहा है ? क्या उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्य क्षेत्रों में ओवर टाइम देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पिछले दो वर्षों में अनुरक्षण एवं कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों को कितना ओवर टाइम दिया गया और किस कार्य के लिये ? क्या ओवर टाइम की गणना करते समय कर्मचारी द्वारा निर्धारित दैनिक कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 12/93, 12/94 के ओवर टाइम का विस्तृत विवरण जिसमें कर्मचारियों द्वारा किये गये

दैनिक निर्धारित कार्य और कार्य की समाप्ति के बाद के कार्यों का विवरण सहित आकड़ा सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अन्तर्गत कार्यरत वाटर सप्लाई श्रमिकों की समस्याओं की बिन्दुवार शिकायतों की जांच की मांग

67–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा सोनभद्र के अन्तर्गत वाटर सप्लाई व्यवस्था में कार्यरत संविदा श्रमिकों के सामूहिक प्रार्थना पत्र दिनांक 15-9-94 व दिनांक 1-10-94 तथा उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्रांक–2002/उ० प्र० वि० म० संघ/दिनांक 25-10-94 जो महाप्रबन्धक, अनपरा "अ" तापीय परियोजना व अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो बिन्दुवार समस्याएं क्या हैं तथा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इन सभी पत्रों में ठेकेदार के श्रमिकों ने यह अनुरोध किया है कि जिन पदों पर वे कार्य कर रहे हैं उन्ही पदों पर कार्य करने वाले परिषदीय कर्मचारियों को जो वेतन आज दिया जा रहा है वह उनको भी दिया जाय तथा वर्ष 1980 से बकाया भी भुगतान किया जाय । साथ ही उन्हीं की भांति अन्य सुविधाएं भी दी जाय ।

इस संबंध में परिषद् के विरुद्ध कतिपय रिट याचिकाएं मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी हैं, जो विचाराधीन हैं । अतः माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण अभी इस विषय में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम जौनपुर डिपो में कार्यरत परिचालकों में से कुछ परिचालिकों से काम न लेने के कारणों की जानकारी

68–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, जौनपुर डिपो के अन्तर्गत कुल कितने परिचालक कार्यरत हैं इनमें से कितने कर्मचारियों से पद के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि कुछ परिचालकों से कार्य बिल्कुल ही नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या है तथा उनसे कार्य न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नन्दलाल पटेल–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जौनपुर डिपो के अन्तर्गत कुल 138 परिचालक कार्यरत हैं तथा 137 परिचालकों से उनके पद के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है । शारीरिक रूप से अक्षम एक परिचालक से लिपिक का कार्य लिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम जौनपुर डिपो में वर्ष 1990 से अब तक स्थानान्तरित व कार्यमुक्त कर्मचारियों के कार्यरत रहने के औचित्य की जानकारी

69–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम जौनपुर डिपो के अन्तर्गत वर्ष 1990 से अब तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके अन्यत्र स्थानान्तरण व कार्यमुक्त किये जाने के बाद भी उनके स्थानान्तरण निरस्त कर वर्तमान समय में उनसे पूर्व स्थान पर ही कार्य लिया जा रहा है ? उनके नाम व पदनाम तथा तैनाती स्थान क्या है ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जी नहीं, केवल एक चालक को समय-समय पर अन्यत्र किये गये स्थानान्तरण आदेश को अन्त में संशोधित करके बादशाहपुर डिपो (वाराणसी क्षेत्र) में तैनात किया गया, जहां आवश्यकता से अधिक चालक होने के कारण वह वर्तमान में जौनपुर डिपो में कार्यरत है ।

नाम–ओम प्रकाश सिंह

पदनाम–चालक

तैनाती का स्थान–बादशाहपुर डिपो ।

हरीनगर दुगांवा लखनऊ स्थित मकान नं० 190 के पास के लटके पोल को ठीक कराये जाने की मांग

70–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित हरीनगर (दुगावां) मोहल्ले में मकान नं०–190 (श्री हरबिलास अवस्थी) से लगा विद्युत पोल जिस पर चार फेस हैं और जो गिराऊ हो गया है, को ठीक कराये जाने हेतु मोहल्ले के सभासद तथा जनता का कोई पत्र रेजीडेन्ट इंजीनियर लेसू को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आज तक उक्त विद्युत पोल, जिससे आस-पास के छः सात घरों तथा जनता के लिये खतरा बना हुआ है, ठीक न कराये जाने का क्या कारण है ? इसे कब तक ठीक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मकान नं० 190 (श्री हर बिलास अवस्थी) के पास लगे विद्युत पोल के गिराऊ हो जाने के संबंध में कोई पत्र सभासद तथा जनता का रेजीडेन्ट इंजीनियर, लेसू को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

मकान नं० 190 (श्री हरबिलास अवस्थी) के पास लगा विद्युत पोल मोहल्ले के अधिवासियों द्वारा "स्टे" उखाड़ देने तथा जंग लग जाने के कारण टेढ़ा हो गया था जिसे चैनल गाड़कर एवं क्लैम्प बांधकर ठीक कर दिया गया है ।

हरीनगर दुगावां लखनऊ मोहल्ले की सड़क नगर निगम द्वारा बनायी जाने की मांग

71–श्री तीरथ राज–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित हरीनगर मोहल्ले की सड़क जो नगर निगम द्वारा बनाई गयी है, में पूरी सड़क न बनाकर मात्र दो चार घरों के आगे ठेकेदार द्वारा मरम्मत कार्य करके खानापूरी कर दी गयी है ? क्या सरकार हरीनगर दुगावां पुलिस चौकी से लेकर मैकूलाल तेल वाले के मन्दिर तक सड़क को बनाये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं । रोड कटिंग की मरम्मत तथा जगह-जगह पैच वर्क कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ।

नया सब विद्युत स्टेशन गजोखर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के निर्माण कार्य में लगे मटेरियल आदि की जांच की मांग

72–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नया 132 के० वी० ए० सब विद्युत स्टेशन गजोखर ब्लाक पिंडरा जिला–वाराणसी का निर्माण कार्य जो वर्ष 1992 से शुरू हुआ है उसमें सिविल कार्य हेतु 20 लाख रु० के ईंटों को लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सभी ईंटें नम्बर 2, 3 व 4 के लगाये गये हैं जिसमें लोना लग गया है ? वे ईंटें किसके भट्ठे व कहां से मंगाये गये हैं ? क्या सरकार उसकी जांच करायेगी और यह भी बतायेगी कि भट्ठे का मालिक का नाम क्या है और उसका पता क्या है ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । 132 के० वी० उपकेन्द्र गजोखर के विभिन्न सिविल कार्यों पर अब तक रु० 14.80 लाख का व्यय किया गया है । प्रत्येक कार्य में प्रथम श्रेणी की ईंटों को लगाये जाने का प्राविधान है, जो ठेकेदार द्वारा अनुबन्धों के आयटम के अन्तर्गत उपयोग की गयी है । जिस स्थल पर उक्त उपकेन्द्र निर्माणाधीन है वह क्षेत्र पूरा रेह का क्षेत्र है । जमीन में अधिक मात्रा में रेह होने के कारण ईंटों में लोना लगना सामान्य प्रक्रिया है ।

उक्त उपकेन्द्र पर सिविल कार्यों के लिए ईंटों की खरीदारी राज्य विद्युत परिषद् द्वारा नहीं की गयी हैं। विभिन्न सिविल कार्यों में लगने वाली ईंटों का प्रबन्ध सम्पूर्ण कार्य के लिए किये गये अनुबन्ध के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा स्वयं ही किया गया है। अतः भट्ठों के मालिक के नाम व पते की विभाग को जानकारी नहीं है।

उ० प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को सांसद व विधायक का प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्री नसीम तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संसद सदस्य (राजस्थान श्री अयूब खां) एवं विधान परिषद् सदस्य, उ० प्र० कानपुर श्री सुखराम सिंह का कोई पत्र (अलग-अलग) माह जून, 1992 में उ० प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को चार पृष्ठों के संलग्नक के साथ प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों का विवरण क्या है ? उसमें किस बात की मांग की गयी है तथा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां।

जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दोनों पत्रों में जल निगम में कार्यरत श्री शमीम अहमद, अवर अभियन्ता के कार्यों की प्रशंसा करते हुये विभाग के अधिकारियों पर श्री शमीम अहमद का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुये जांच कराने तथा इस मामले की जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री शमीम अहमद, अवर अभियन्ता के दिनांक 28-4-81 से 10-6-86 तक निर्माण शाखा, जल निगम, रामपुर में कार्यरत अवधि में हुई अनियमितताओं एवं फर्जी भुगतान आदि के प्रकाश में आये प्रतिकूल तथ्यों के फलस्वरूप इनके विरुद्ध निगम स्तर से नियमानुसार आरोप पत्र देकर अनुशासनिक जांच के उपरान्त दिनांक 15-5-1992 को दण्डादेश निर्गत किया गया था, जिसके विरुद्ध श्री अहमद ने मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। श्री शमीम अहमद के विरुद्ध अभियोजन का भी औचित्य पाया गया है, जिसके लिये पुलिस अधीक्षक, रामपुर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु भी अनुरोध किया गया है।

श्री शमीम अहमद के उत्पीड़न का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। मा० सांसद तथा मा० विधायक के सन्दर्भित पत्रों में श्री शमीम अहमद द्वारा कराये गये जिन कार्यों के सन्दर्भ में इनको प्रशंसा की गयी है, वे इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही से प्रासंगिक नही है। अतः इन पत्रों पर अग्रेतर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

लेसू लखनऊ द्वारा माह अगस्त, 1993 में सी०सी० 42 के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा फर्जी बिल बनाकर भुगतान कराये जाने की शिकायत

74–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ के अधीन माह अगस्त, 1993 में सी०सी० 42 के माध्यम से कम्प्यूटर की फर्जी भुगतान के आंकड़े भेजकर गबन करने का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में कितने उपभोक्ता एवं कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित थे ? गबन की धनराशि एवं अवधि क्या थी ? क्या इस गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गबन की धनराशि वसूली जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि अभी तक चार्जशीट दोषी अधिकारियों को नहीं दी गई है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

गबन का सर्वप्रथम अगस्त, 93 में जो मामला प्रकाश में आया था उसमें प्रथम दृष्टया 52 उपभोक्ता और कम से कम एक अधिकारी एवं एक सहायक लेखाधिकारी की सहभागिता लग रही थी । विशेष सम्प्रेक्षा की अन्तरिम आख्यानुसार कुल 368 उपभोक्ता, 3 अधिकारी एवं 3 कर्मचारी उपरोक्त गबन हेतु अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं । इसके अतिरिक्त 9 सहायक अभियन्ता वाणिज्य पर्यवेक्षीय असफलता के लिये उत्तरदायी पाये गये हैं ।

विशेष सम्प्रेक्षा की अन्तरिम आख्यानुसार रु० 12,98,122.72 का फर्जी क्रेडिट देकर 3/93 से 8/93 के मध्य गबन किया गया है ।

जी नहीं ।

गबन करने वाले व्यक्तियों का ठीक ठीक चिन्हित न हो पाने के कारण थाने में प्रथम सूचना दर्ज नहीं करायी गयी थी ।

दो अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जा चुका है और उन्हें निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है। सहायक लेखाकार का स्थानान्तरण किया गया है ।

जी नहीं ।

विशेष आडिट की औपचारिक आख्या प्राप्त होने पर ही कार्यवाही किया जाना सम्भव है ।

जी हां ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव द्वारा करोड़ों रुपये के गबन से सम्बन्धित मा० सदस्य की शिकायत

75–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव द्वारा करोड़ों रुपये की राजस्व हानि की वसूली विषयक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 15-7-92 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ

है ? यदि हां, तो किन-किन बिन्दुओं की जांच की जा रही है ? जांच किस अवधि तक पूर्ण हो जायगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच सम्पादित की गयी :–

(1) मे० मोहन स्टील्स, उन्नाव से सांठ गांठ करके प्रति माह लाखों रुपये की विद्युत चोरी करवाई गयी, जिसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ।

(2) 33 के० वी० कुन्दन रोड, सोनिक लिंक लाइन लम्बाई लगभग 12 किलोमीटर का पैन्थर कण्डक्टर मिली भगत से चोरी करवाया गया और कोतवाली में कुल 1.5 लाख रु० की दर्ज की गयी, जबकि लाइन की कीमत 40 लाख रुपये है ।

(3) मे० सोमानी स्टील्स, उन्नाव की लाइन कुल दो कि० मी० लम्बी है जबकि लाइन लास 27 प्रतिशत प्रति माह आ रहा है । जिसको 5/92 में ए० जी० आडिट ने प्वाइंट आउट किया है, और यह अनुशंसा की है कि लगभग 2.5 करोड़ का एसेसमेन्ट मे० सोमानी स्टील्स पर किया जाय ।

लम्बित बिन्दु पर जांच शीघ्र पूर्ण कराई जाएगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ एवं डी० आर० ई० इन्दिरा नगर लखनऊ के कम्प्यूटर बिलिंग रिपोर्ट के विरोधाभास रिपोर्ट की जानकारी

76–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ एवं डी० आर० ई०, इन्दिरा नगर लखनऊ के कम्पयूटर विलिंग के रिपोर्ट नम्बर 21, 22 एवं 23 के आधार पर 11/93 माह (नवम्बर, 93) के अन्त तक कितना बकाया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाणिज्यिक प्रपत्र 04 (सी० एस० 4) में दिखाये गये बकाये कम्प्यूटर बिलिंग के मद में दिखाया गया बकाया 11/93 माह नवम्बर, 93 के अन्त में क्या है ? क्या इन दोनों के आंकड़ों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों और क्या अन्तर है ?

सुश्री मायावती–

कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट 22 में बिलिंग से संबंधित सारांश दर्शाया जाता है । इस रिपोर्ट में बकाये के आंकड़े नहीं दर्शाये जाते हैं, इसी प्रकार रिपोर्ट 23 में पूर्व निर्धारित सीमा तक के बकायेदारों की सूची एवं उनकी सारांश दर्शाया जाता है ।

केवल रिपोर्ट 21 में राजस्व निर्धारण एवं राजस्व बकाये का पुनरीक्षित सारांश तथा राजस्व वसूली का एक निश्चित तिथि एवं सारांश दिखाया जाता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ एवं डी० आर० ई०, इन्दिरा नगर, लखनऊ के कम्प्यूटर बिलिंग की अद्यतन रिपोर्ट नवम्बर 21 के आधार पर 11/93 के अन्त तक बकाये की स्थिति निम्नवत है :–

लेसू रु० 6285.00 लाख

डी० आर० ई० रु० 1176.55 लाख
(इन्दिरा नगर)

जी हां।

वाणिज्य प्रपत्र सी० एस०–4 के अनुसार कम्पयूटर बिलिंग के मद में माह 11/93 के अन्त में दिखाये गये बकाये की स्थिति निम्नवत है :

लेसू रु० 2914.49 लाख
डी० आर० ई० रु० 502.45 लाख
(इन्दिरा नगर)

जी हां।

सी० एस०–4 में दर्शित श्रेणीवार राजस्व निर्धारण के सापेक्ष उस माह के अन्त तक हुयी कुल श्रेणीवार वास्तविक वसूली (कैश बुक के अनुसार) दर्शायी जाती है। बिलिंग सायकिल में अन्तराल के कारण सी० एस०–4 में ग्रुप विशेष का राजस्व निर्धारण एवं सापेक्ष वसूली के आंकड़े देना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार कम्पयूटर द्वारा सूचित रिपोर्ट 21 में संशोधित राजस्व निर्धारण/वसूली के आंकड़े एक तिथि विशेष तक के ही दर्शाये जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से सी० एस०–4 में इंगित आंकड़े से भिन्न होते हैं।

कम्पयूटर द्वारा सृजित बकाये एवं सी० एस०–4 में दर्शित बकाये में अन्तर निम्नवत है :

	बकाया रिपोर्ट 21 के अनुसार	बकाया सी० एस०–4 के अनुसार	अन्तर
लेसू (डी० आर० ई०) (इन्दिरा नगर)	6285.00	2914.00	3371.00
	1176.55	502.45	674.10

77–डा० सरजीत सिंह डंग–

[दिनांक 28-7-95 को अता प्र० सं० 115 द्वारा उत्तरित]

कानपुर जल संस्थान में स्व० श्री भुनेश्वर मिश्र की विधवा पत्नी को पेंशन आदि के भुगतान किये जाने की मांग

78–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय भुनेश्वर मिश्र पम्प अटेंडेन्ट भैरों घाट कानपुर जिनका स्वर्गवास 26-6-87 में हो गया था उनकी विधवा पत्नी ने पेंशन आदि के बारे में भुगतान हेतु कितने प्रार्थना पत्र महाप्रबन्धक अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान कानपुर को दिये हैं ? उन पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 3-12-94 को मुख्य मंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था जिसे उन्होंने उसे लोक शिकायत को सौंप दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? भुगतान न करने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी तत्काल

सभी पावनों का भुगतान कराते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

कानपुर जल संस्थान से प्राप्त सूचनानुसार स्वर्गीय श्री भुनेश्वर मिश्र की विधवा पत्नी ने पेंशन आदि के भुगतान के लिये पिछले तीन चार वर्षों में कोई भी आवेदन पत्र नहीं दिया है और इसके पूर्व कितने पत्र उनके द्वारा दिये गये हैं, इसका रिकार्ड विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० विधायक का संदर्भित पत्र दिनांक 3-12-94 को लोक शिकायत के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिस पर महाप्रबन्धक, कानपुर जल संस्थान से आख्या मांगी गई । उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वर्गीय श्री भुनेश्वर मिश्र की विधवा पत्नी/आश्रिता को "उ० प्र० नगर महापालिका के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था" जो कानपुर जल संस्थान में भी लागू है, के अनुसार सेवानिवृत्त वेतन/पेंशन देय नहीं है, क्योंकि कर्मचारी की नियुक्ति अस्थाई थी और सेवा अवधि 10 वर्ष से कम थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, सिटी बोर्ड जौनपुर की अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद् जौनपुर को भेजी गयी समस्याओं पर हुई कार्यवाही की जानकारी

79–श्री वासुदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न समस्याओं से संबंधित स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ सिटी बोर्ड जौनपुर का पत्र दिनांक 6-9-94 व भारतीय मजदूर संघ, जौनपुर का पत्रांक 1105/दिनांक 11-7-95 तथा पत्रांक 1017/दिनांक 15-10-94 पत्रांक 1155/दिनांक 22-10-94 पत्रांक 1156/दिनांक 24-10-94 जो उन्हें और अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद्, जौनपुर तथा प्रशासक नगर परिषद् जौनपुर को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो समस्यायें क्या हैं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

प्राप्त हुए पत्रों में नगर पालिका परिषद्, जौनपुर के कर्मचारियों की निम्नलिखित तीन प्रकार की समस्याओं का उल्लेख है :—

(1) विभागीय समस्यायें ।

(2) प्रशासनिक एवं कर्मचारी सम्पत्ति व्यवहरण ।

(3) वित्तीय समस्यायें ।

कर्मचारियों की विभागीय समस्याओं का निदान कर दिया गया है । प्रशासनिक एक कर्मचारी सम्पत्ति व्यवहरण व साम्प्रदायिक उन्माद संबंधित समस्यायें मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिस पर कार्यवाही की जा रही है, अन्तिम निर्णय होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा । वित्तीय समस्याओं का निदान पालिका की वित्तीय स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के कारण नहीं किया जा सका है ।

हरदुआगंज तापीय परियोजना, परीच्छा तापीय परियोजना व अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत मस्टररोल/संविदा श्रमिकों/जलापूर्ति व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतनमान

80–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज तापीय परियोजना, परीच्छा तापीय परियोजना व अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत मस्टररोल/संविदा श्रमिकों/जल आपूर्ति व्यवस्था में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को किस दर से वेतनमान का भुगतान और कितना किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उसकी प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के प्रतिनिधियों तथा मंत्री के बीच हुई वार्ता एवं लिये गये निर्णयों की जानकारी

81–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-11-92 को उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री जी की कोई वार्ता हुई थी ? क्या इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्रांक 325/दिनांक 5-6-93 प्रमुख सचिव (ऊर्जा), लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त वार्ता में किन-किन बिन्दुओं पर वार्ता की गयी थी और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की कार्यवाही की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्युत चोरी के मामले के सम्बन्ध में जानकारी

82–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थानों द्वारा की गयी चोरी के संबंध में अलग से कोई सूचना तैयार की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? घरेलू तथा वाणिज्यिक विद्युत चोरी के मामले को एक ही रिपोर्ट में रखने के क्या कारण हैं ? वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्युत चोरी के कितने मामले पकड़े गये ? उन संस्थानों के नाम क्या हैं ? एसेसमेन्ट की राशि एवं उपभोक्ता को जो बिल भेजा गया उसमें कितना अन्तर था ? अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ? ऐसे कितने मामले में जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखायी गयी तथा किस अधिकारी द्वारा ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

वाणिज्यिक विद्युत चोरी तथा अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के मामले विद्युत अधिनियम की एक ही धारा के अन्तर्गत आते हैं।

वर्ष 91-92, 92-93 एवं 93-94 में क्रमशः 6121, 418 तथा 8098 चोरी के मामले पकड़े गये जिनमें औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्युत चोरी के पकड़े गये मामलों की संख्या भी शामिल है। इन औद्योगिक संस्थानों के नाम का विवरण मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहता है इसे क्षेत्र से प्राप्त करना होगा।

निर्धारण की राशि एवं उपभोक्ता को भेजे गये बिल में सामान्यतः अन्तर होता है जिसका कारण है कि चेकिंग के समय किया गया निर्धारण केवल प्रस्तावित निर्धारण होता है जिसे नियमानुसार खण्डीय कार्यालय द्वारा सभी अभिलेखों की जांच कर उपभोक्ता पर निर्धारण किया जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट उन मामलों में तो तुरन्त लिखा दी जाती है जिनमें चोरी से सम्बन्धित अभिलेख तथा नाम पता वगैरह तुरन्त उपलब्ध होते हैं परन्तु ऐसे मामलों में जहां नाम पते तथा सम्बन्धित अभिलेख भ्रामक दिखते हैं तो उन केसों में प्रथम सूचना रिपोर्ट इसकी पुष्टि करने के पश्चात् ही लिखाई जाती है। वर्ष 91-92, 92-93 एवं 93-94 में क्रमशः 4478, 6319 एवं 7635 चोरी के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गयी जिसमे 24 घंटे के बाद लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या सम्मिलित है। यह रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा लिखाई जाती है।

दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ के अधीन अस्थाई कनेक्शनों की बिलिंग व्यवस्था

83–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ के अधीन अस्थाई कनेक्शन के बिलिंग की क्या व्यवस्था है ? क्या इनकी बिलिंग अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) के माध्यम से कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसे अस्थाई कनेक्शन के बिलिंग का भुगतान हेतु उपभोक्ताओं को परिषद् की रसीद जारी की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकार के बिलिंग का उत्तरदायित्व किसका है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1985 के अनुपात में आगामी वर्षों में कम राजस्व क्यों आया है ? क्या यह सत्य है कि अधिकतर सार्वजनिक स्थल/नगर महापालिका के स्कूल/अन्य विद्यालयों में जहां विवाह व अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं वहां सीधे कनेक्शन जोड़कर अवैध धन वसूल किया जाता है ?

सुश्री मायावती–

मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ के अधीन अस्थाई कनेक्शनों की बिलिंग द्विमासिक मैनुअली की जा रही है।

जी नहीं।

परिषद् के नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन की स्वीकृति एवं उसकी बिलिंग का दायित्व अधिशासी अभियन्ता, वितरण का है जिसके द्वारा कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

बिलिंग का उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता, वितरण का है।

अस्थाई संयोजन के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति उस वर्ष में हुए कनेक्शनों की संख्या, अवधि एवं विधा आदि पर निर्भर करती है। इसलिये इसकी तुलना नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि 1985 में राजस्व 24.75 लाख था जबकि 1991 में राजस्व 27.12 लाख रहा जो 1985 के राजस्व से अधिक है।

जी नहीं। इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ के अधीन डी० आर० ई० रेजिडेन्सी द्वारा स्टाक आर्डर के तहत खरीदी गयी सामग्रियों का विवरण

84–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ के अधीन डी० आर० ई० रेजिडेन्सी द्वारा स्टाक आर्डर के तहत क्या-क्या सामग्रियां किस दर से और कितने एवं वर्क आर्डर के तहत कौन-कौन से कार्य वर्ष 1993 से मार्च, 1995 तक कराये गये तथा किस फर्म से? क्या यह सत्य है कि विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन के नाम पर खरीदे गये आइटम बाजार मूल्य से कई गुने अधिक दाम पर हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ?

सुश्री मायावती–

वांछित विवरण जो निम्नवत् है, सदन के पटल पर रख दिया गया है :—

(1) वर्क आर्डर द्वारा कराये गये कार्य–प्रपत्र "क"

(2) क्रय की गई सामग्रियां :–

(i) सीमित निविदाओं के आधार पर–प्रपत्र "ख"

(ii) खुली निविदाओं के आधार पर–प्रपत्र "ग"

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत डेलीवेजेज लिपिकीय कर्मचारियों को नियमित न करने तथा अवहेलना किये जाने के कारणों की जानकारी

85–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के अन्तर्गत कुल कितने डेलीवेजेज लिपिकीय कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनके नाम एवं पते व कार्यरत अवधि क्या है ? उन्हें अब तक नियमित न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कार्यरत कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सत्य है कि नियमों की अवहेलना करते हुए वरिष्ठता सूची के अनुसार नियमित न करके कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या मंत्री जी शासन के पत्र सं० 5357/9आ-5-93-340ई० डी०ए०/90, दिनांक 27-12-93 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? दैनिक वेतन भोगी लिपिकीय कर्मचारियों को कब तक नियमित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कुल 55 डेलीवेजेज लिपिकीय कर्मचारी कार्यरत हैं ।

मा० सदस्य उक्त विवरण की सूची मा० अध्यक्ष के कक्ष में देख सकते हैं । शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 11-10-89 तक 3 वर्ष लगातार कार्यरत और प्रत्येक वर्ष में 240 दिन सेवा अवधि पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया गया है । उक्त मापदण्ड के अन्तर्गत न आने वाले दैनिक वेतनभोगी संदर्भित कर्मियों को फिलहाल नियमित किये जाने की शासन की कोई नीति नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । मा० सदस्य उक्त शासनादेश मा० अध्यक्ष के कक्ष में देख सकते हैं ।

उपरोक्त की पृष्ठभूमि में प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स रामचन्द्र कोल्ड स्टोरेज कन्नौज द्वारा विद्युत चोरी का मामला

86–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज, फर्रुखाबाद के उपखण्ड अधिकारी प्रथम के कार्यक्षेत्र मकदूमापुर में वर्ष 1991 एवं 1992 के मध्य अवैध विद्युतीकरण एवं विद्युत चोरी का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो इस मामले में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? परिषद् को इस चोरी से कितने रुपये राजस्व की हानि हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मेसर्स रामचन्द्र कोल्ड स्टोरेज कन्नौज द्वारा विद्युत चोरी के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी विस्तृत जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस प्रकरण में निम्न 12 अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये । इन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को "निन्दा प्रविष्टि" एवं वर्ष 1990-91 की सत्यनिष्ठा रोके जाने का दण्ड दिया गया है :––

सर्वश्री

1–एन० एन० श्रीवास्तव, अधि० अभियन्ता,

2–के० सी० शर्मा, उपखण्ड अधिकारी,

3–जगदीश गुप्त, सहायक अभियन्ता,

4–एस० के० यादव, अवर अभियन्ता,

5–बलराम सिंह, अवर अभियन्ता,

6–श्री कृष्ण यादव, जूनियर इलेक्ट्रीशियन,

7–निजामुद्दीन, लाइन मैन,

8–जलील अहमद, लाईनमैन,

9–श्रीराम यादव, पेट्रोल मैन,

10–गंगा राम, पेट्रोल मैन,

11–मोती लाल, ड्राफ्ट्समैन,

12–एस० पी० सक्सेना, नोटर एवं ड्राफ्टर ।

इस चोरी से हुई हानि की क्षति पूर्ति के लिये उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार रुपया 8306.40 का राजस्व निर्धारण किया गया है ।

इस प्रकरण में प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य विद्युत परिषद् की जांच समिति के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभी विस्तृत जांच/विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है । अतः जांच रिपोर्ट अभी सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।

आर० जी० सी० एवार्ड लागू करने के लिये शासन द्वारा तैयार किये गये मिनिट्स की जानकारी

87–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-1-92 को आर० जी० सी० एवार्ड लागू करने के लिये तत्कालीन ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय वार्ता शक्ति भवन, लखनऊ में हुई थी ? यदि हां, तो बैठक में किन-किन बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी ? क्या इस संबंध में शासन द्वारा कोई मिनिट्स तैयार किये गये थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मिनिट्स की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लाइन लासेज को कम करने के उपाय की जानकारी

88–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लाइन लासेज को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? पिछले तीन वर्षों में वर्षवार उत्पादित यूनिट की कितनी प्रतिशत खपत कृषि कार्य में दिखायी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लाइन लासेज का उत्तरदायित्व केवल अवर अभियन्ताओं पर डाला गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या मंत्री जी सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु कोई आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? परिषद् ने इस संबंध में क्या नीति निर्धारित की है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रशासक, नगर निगम, कानपुर को जनसमस्याओं एवं कर्मचारी समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-12-93 से लेकर 21-4-95 तक विभिन्न जनसमस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रशासक, नगर निगम, कानपुर को प्रश्नकर्ता के कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों में उल्लिखित कितनी समस्याओं का निराकरण किया गया तथा कितनी

समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है ? लम्बित समस्याओं के विलम्ब से निराकरण के लिये कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

दिनांक 4 दिसम्बर, 1993 से 21 अप्रैल, 1994 तक जनसमस्याओं एवं कर्मचारी समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के कुल 103 पत्र प्राप्त हुए ?

उक्त पत्रों में से 54 पत्रों में उल्लिखित जनसमस्याओं का यथोचित निराकरण कर दिया गया है तथा कर्मचारियों के अधिष्ठान कार्यों से सम्बन्धित शेष 49 पत्रों पर कार्यवाही गतिमान है ।

लम्बित पत्रों में व्यक्तियों को सेवायोजित करने, विभागीय कर्मियों को स्थानान्तरित/पदोन्नत तथा विनियमित करने से संबंधित समस्याओं का उल्लेख है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है । प्रकरण में विलम्ब के लिये अभी तक किसी कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं पाया गया ।

महाप्रबन्धक, जल संस्थान, कानपुर को जनसमस्याओं के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

90–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-12-93 से लेकर 21-4-95 तक विभिन्न जनसमस्याओं के निराकरण के संबंध में महाप्रबन्धक, जल संस्थान, कानपुर को प्रश्नकर्ता के कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों में उल्लिखित कितनी समस्याओं का निराकरण किया गया तथा कितनी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है ? लम्बित समस्याओं के विलम्ब से निराकरण के लिये कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

दिनांक 4-12-93 से लेकर 21-4-95 तक विभिनन जन समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के 12 पत्र महाप्रबन्धक, जल संस्थान, कानपुर को प्राप्त हुए ।

उल्लिखित 12 पत्रों की समस्याओं में से 10 पत्रों पर कार्यवाही कराई गई है तथा 2 पत्रों पर कार्य प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र, कानपुर में हैण्ड पम्प एवं मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करने की मांग

91–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-12-93 के उपरान्त आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र, कानपुर में कितने हैण्ड पम्प लगाये गये, कितने हैण्ड पम्पों की रिबोरिंग की गई, कितने स्थानों पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की गई तथा इसके अलावा और कौन-कौन सी नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई गईं ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की नवनिर्मित तहसील इटवा सोहना उपनगर से मुख्यालय तक बस सेवा प्रारम्भ किये जाने की मांग

92–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की नवनिर्मित तहसील इटवा सोहना उपनगर से मुख्यालय तक बस सेवा प्रारम्भ न किये जाने के कारण क्या हैं ? कब तक वहां आवागमन हेतु बस सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जनपद सिद्धार्थनगर से तहसील इटवा सोहना उपनगर की दूरी 77 कि०मी० है, जिसमें से अराष्ट्रीयकृत मार्गांश 55 कि०मी० है । चूंकि शासन की वर्तमान नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गांश पर निगम की बस सेवा का विस्तार नहीं किया जाना है, अतएव प्रश्नगत मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्नगत मार्ग के राष्ट्रीयकृत मार्गांश पर निगम की बस सेवा तथा अराष्ट्रीयकृत मार्गांश पर निजी बस सेवा उपलब्ध है ।

जिला प्रबन्धक पी० सी० एफ० श्री प्रमोद यादव द्वारा सोयाबीन फैक्ट्री, हल्द्वानी, नैनीताल में किये गये गबन का आरोप

93–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जिला प्रबन्धक पी० सी० एफ० श्री प्रमोद यादव का चयन सोयाबीन फैक्ट्री, हल्द्वानी, नैनीताल में किस पद पर किया गया था ? उन्हें जिला प्रबन्धक पी० सी० एफ० हल्द्वानी में तैनात करने का आधार क्या है जबकि उनके द्वारा उर्वरक में चार लाख रुपये का स्टाक गबन/आहरण कर लिया गया है ?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

श्री प्रमोद कुमार यादव की नियुक्ति डिप्टी मैनेजर (मार्के०) के पद पर पत्रांक पीसीएफ/प्रशा०/21327, दि० 24-4-91 द्वारा पी० सी० एफ० मुख्यालय पर की गई थी । तत्पश्चात् श्री यादव को आदेशांक 51442-56, दि० 01-06-91 द्वारा सोयाबीन एवं वनस्पति इंडस्ट्रीज काम्पलेक्स हल्दूचौड़, जिला नैनीताल में तैनात किया गया ।

संघ एवं व्यवसाय हित में प्रशासनिक आधार पर श्री प्रमोद कुमार यादव को जिला प्रबन्धक हल्द्वानी के पद पर प्रबन्ध निदेशक, पी० सी० एफ० के आदेश दि० 30-04-94 द्वारा तैनात किया गया ।

गबन/आहरण के प्रकरण पर जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

94–श्री ऊदल–

[3सरे बुधवार में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मेसर्स नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड से विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी किये गये अनुबन्ध की शर्तों की जानकारी

95–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे उ० प्र० विद्युत परिषद् द्वारा मेसर्स नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड से विद्युत आपूर्ति संबंधी कोई अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या थीं ? परिषद्

द्वारा नोयडा कम्पनी को किस दर पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? माह दिसम्बर, 1993 से आज तक कुल कितना भुगतान नोयडा को करना है ? क्या यह सत्य है कि निजी कम्पनी ने परिषदीय सम्पत्ति का मूल्यांकन किया था ? यदि हां, तो परिषद् की कुल कितनी सम्पत्ति विद्युत उपकेन्द्रों आदि पर लगी है ? नोयडा कम्पनी ने कुल कितना भुगतान किस आधार पर किया है ? क्या नोयडा कम्पनी ने शर्तों के मुताबिक अपना विद्युत गृह बना लिया है ? यदि नहीं, तो समझौता के मुताबिक कार्य न करने के कारण क्या शासन समझौता रद्द करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ परिसर में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं बिल्डिंग एडवांस लेकर भी किराया भत्ता लेने की शिकायत

96–श्री वासुदेव सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ के परिसर में कुल कितने प्रकार के आवास हैं तथा उनमें रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के क्या नाम हैं ? उनमें से कितनों ने हाउस बिल्डिंग एडवांस के मद में ऋण प्राप्त किया है ? क्या उनसे पिछले तीन वर्षों से मकान किराया भत्ता के मद में कटौती की गई है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों से ? क्या यह सत्य है कि मकान किराया भत्ता की कटौती उनके वेतन से नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० (पी० सी० एफ०) 32, स्टेशन रोड, लखनऊ के परिसर में निर्मित आवासों की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है । ये सभी साधारण प्रकार के आवास हैं । उनमें रहने वाले अड़सठ (68) अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की सूची मेरे कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

इनमें से हाउस बिल्डिंग एडवांस के मद में 33 (तैंतीस) कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है । इन सभी से मकान किराया भत्ता के मद में कटौती की जा रही है । इनके नामों की सूची मेरे कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के कतिपय गांवों में उत्पन्न जल संकट के निदान हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

97–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गांव कठिरांव, तरसड़ा, फत्तूपुर, जंगलपुर, बरजी, बचेउरा, नथईपुर-छेड़ापुर, ठठरा, बीनापुर, बराई ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में पेयजल का संकट है और कुयें सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त गांवों के लिये हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जायगी ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1995-96 में हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

प्रश्नगत कठिरांव, तरसड़ा, बरजी, बचेउरा, नथईपुर, छोड़ापुर, ठठरा व बराई में क्रमशः 37, 2, 14, 6, 2, 4, 4 व 4 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं । ग्राम बीनापुर पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित है ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है ।

आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगर योजना के अन्तर्गत सेक्टर २२ में अवैध निर्माण को हटाने की मांग

98–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सुरेश संगल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री गोपाल काली, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में अवैध निर्माण हटाने हेतु नोटिस परिषद् के किस अधिकारी द्वारा तथा किस दिनांक को जारी की गई और अब तक अवैध निर्माण न हटाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त अवैध निर्माण शीघ्र हटवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मामले में अवैध निर्माण के विरूद्ध परिषद् के सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) निर्माण खण्ड–3, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा दिनांक 10-8-94 व 26-8-94 को परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 83 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस तथा दिनांक 31-12-94 को अनाधिकृत निर्माण गिरवाने की नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेक्टर–22 इन्दिरा नगर, लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवंटित भवनों का मानचित्र के अनुसार कार्य न होने तथा लोगों द्वारा की गयी मनमानी की जानकारी

99–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत सेक्टर 22, इन्दिरा नगर, लखनऊ के दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवंटित भवनों का मानचित्र के अनुसार कार्य किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से रोड निकालने और सीवर लाइन बिछाने हेतु जबरदस्ती कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस संबंध में श्री हृदय नारायण दीक्षित, विधायक का पत्र दिनांक 21-4-94 जो आयुक्त, आवास विकास परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संबंधित जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से कराई गई जिसके अनुसार प्रश्नगत अभियन्ता का कोई दोष नहीं पाया गया । अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ के वितरण क्षेत्रों के कार्यालय के भवनों में अधिकांश भवन वहीं के अधिकारी/कर्मचारी के होने तथा किराये में मनमानी करने की शिकायत

100–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ के वितरण क्षेत्रों में कुल कितने कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं ? प्रत्येक भवनों का कारपेट क्षेत्रफल किराया एवं कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या यह सत्य है कि अनेकों कार्यालय परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके रिश्तेदारों के हैं और किराया निर्धारण में परिषद् के नियमों का उल्लंघन कर धांधलेबाजी की गई है ? यदि हां, तो ऐसे उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर किशनपुर विधान सभा के धाता कस्बे में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की स्वीकृत योजना की जानकारी

101–श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में किशनपुर विधान सभा के धाता कस्बे में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है तथा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है और कितने समय में उक्त विद्युत उपकेन्द्र तैयार हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में तहसील रुदौली के ग्राम टेर में विद्युत करने की मांग

102–श्री इश्तियाक अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में तहसील रुदौली के ग्राम टेर में, जिसमें लगभग दस हजार से भी अधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं, में आज तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? क्या सरकार ग्राम टेर में बिजली शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

ग्राम टेर का विद्युतीकरण जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन किये जाने पर निर्भर करेगा, जिसके लिये किसी समय-सीमा का निर्धारण किया जाना अभी सम्भव नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के खण्ड–2 में कार्यरत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध उनके अधीन कार्यरत अवर अभियन्ता (वर्कचार्ज) द्वारा दी गई धमकी की जांच हेतु की गयी कार्यवाही

103–श्री छब्बू पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के खण्ड–2 में कार्यरत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध उनके अधीन कार्यरत अवर अभियन्ता (वर्कचार्ज) द्वारा स्वयं जान से मरवा देने तथा अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के संबंध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ का दिनांक 3-10-94 को एक शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सही है कि उपाध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपने पत्रांक संख्या–166/मेमो/एस०टी०/94-95, दिनांक 5 अक्टूबर, 1994 के द्वारा जांच कर जांच आख्या संयुक्त सचिव एम (अधिष्ठान) को यथाशीघ्र प्रेषित करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो जांच आख्या शासन को कब प्राप्त हुई ? जांच से कौन-कौन से बिन्दु प्रकाश में आये ? यदि जांच आख्या अभी तक नहीं प्राप्त हुई है तो उसका विवरण क्या है ? विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दि० 13 जून, 1995 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 7-7-95, 10-7-95 तथा 25-7-95 द्वारा यह निर्देशित किया गया है वे शिकायतकर्ता से शिकायत सुनने के बाद पूरी जांच आख्या पुनः प्रस्तुत करें जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही मामले में यथोचित कार्यवाही की जायेगी ?

लखनऊ विकास प्राधिकरण के खण्ड–2 में कार्यरत श्री धन्नीराम अवर अभियन्ता के वेतन भुगतान की जानकारी

104–श्री छब्बू पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्कचार्ज अवर अभियन्ताओं को प्रतिमाह नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खण्ड–2 में कार्यरत श्री धन्नीराम अवर अभियन्ता को दिनांक 25-8-94 से 26-9-94 तक के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इनके उक्त अवधि के वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां । वर्कचार्ज हेतु निर्धारित दैनिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से विस्तृत जांच आख्या मांगी गयी है जिसके प्राप्त हो जाने के बाद ही आलोच्य अवधि के वेतन भुगतान के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

इन्दिरा नगर, लखनऊ के डी० ब्लाक में स्थित कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर घरेलू विद्युत पावर को ठीक कराने की मांग

105–श्री अमित अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के डी० ब्लाक में स्थित कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर घरेलू विद्युत लाइन से क्षमता से अधिक पावर कनेक्शन होने के कारण घरेलू उपभोक्ता लो-बोल्टेज तथा हैवी फ्लक्चुएशन की समस्या से ग्रस्त है ? क्या इस समस्या के निराकरण हेतु पावर कनेक्शनों को विद्युत आपूर्ति हेतु अलग से विद्युत लाइन डालने पर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान हेतु अन्य क्या उपाय किया जायेगा और कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड पर लो-वोल्टेज अथवा हैवी फ्लक्चुएशन की कोई समस्या नहीं है ।

कानपुर स्थित चुन्नीगंज डिपो में श्री श्याम कुमार पाण्डेय क्लीनर के लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत एवं उनके पुत्र को सर्विस में लिये जाने की मांग

106–श्री सतीश महाना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित ''चुन्नीगंज डिपो'' कानपुर में इलेक्ट्रीशियन पद पर श्री श्याम कुमार पाण्डेय कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त श्री पाण्डेय ने वर्ष 1983-84 से उक्त डिपो में कार्य करना छोड़ दिया और कहीं बिना सूचना के लापता हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य कर्मचारी नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान है कि सेवा में कई वर्षों अर्थात् लगभग 7 वर्षों तक लापता रहने पर उसे मृतक मान लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उनके पुत्र श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय आश्रित ने नौकरी हेतु कोई आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उक्त आवेदन-पत्र पर अब तक क्या कोई निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द लाल पटेल–

कानपुर स्थित चुन्नी गंज डिपो में श्री श्याम कुमार पाण्डेय इलेक्ट्रिशियन के पद पर नहीं बल्कि क्लीनर के पद पर कार्यरत थे ।

श्री पाण्डेय 12 अप्रैल, 1984 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं ।

राज्य कर्मचारी नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री संतोष कुमार पाण्डेय आश्रित ने नौकरी हेतु दिनांक 1-12-1994 को आवेदन पत्र दिया था । नियुक्ति पर विचार हेतु कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता, लेसु, लखनऊ के अधीन विभिन्न उपखण्डों में मेसर्स जे० सी० इण्टर प्राइजेज, मेसर्स महादेव इण्टर प्राइजेज, मेसर्स महेश ट्रेडर्स एवं मेसर्स बी० के० इण्टर प्राइजेज द्वारा कराये गये फर्जी कार्य कराये जाने एवं उनका मालिक श्री जगदीश चन्द्र का नगर पालिका में कार्यरत की जानकारी

107–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, लेसु, लखनऊ के अधीन विभिन्न उपखण्डों में मेसर्स जे० सी० इण्टर प्राइजेज, मेसर्स महादेवा इण्टर प्राइजेज, मेसर्स महेश ट्रेडर्स एवं मेसर्स बी० के० इण्टरप्राइजेज को पिछले तीन वर्षों में कितने पेपर आर्डर/वर्क आर्डर/टेण्डर के द्वारा कार्य कराये गये अथवा सप्लाई करायी गयी ? क्या इनके पास तकनीकी कार्यों का अनुभव है ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि इनके द्वारा किये गये समस्त कार्य फर्जी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में इनको उपखण्डवार प्रतिवर्ष कुल कितना भुगतान किन-किन मदों में किया गया ? क्या यह भी सही है कि इन फर्मों के मालिक श्री जगदीश चन्द्र नगर महापालिका, लखनऊ के कर्मचारी हैं ।

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर पालिका उतरौला जिला गोण्डा में जलकल व्यवस्था में हुई धांधली

108–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला गोण्डा को जलकल व्यवस्था हेतु वर्ष 1993-94 में चार लाख रुपया दिया गया था ? क्या इस संबंध में हरिशरण सिंह, अधिशासी अधिकारी को नकली पाइप खरीदने के विरुद्ध कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

शिकायत की जांच प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/नगर मजिस्ट्रेट, गोण्डा से कराई जा रही है ।

जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् विकास नगर, लखनऊ की कालोनी में सड़क एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था को ठीक करने की मांग

109–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् विकास नगर, लखनऊ की कालोनी में सड़क एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

आन्तरिक मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों का सुधार कार्य कराया गया है, किन्तु कतिपय सड़कों एवं कुछ क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था अभी भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है।

सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण लखनऊ महानगर की समस्त सड़कों एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था का अनुरक्षण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। धन की उपलब्धता के आधार पर अनुरक्षण कार्य कराये जाते हैं।

गोरखपुर एवं मेरठ मण्डल में कार्यरत भण्डारपालों की संख्या की जानकारी एवं उनके विरुद्ध लगे गबन के आरोपों की जानकारी

110–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत भण्डार मण्डल गोरखपुर एवं मेरठ में कुल कितने खण्ड हैं ? इनमें कुल कितने भण्डारपाल/सहायक भण्डारपाल निमुक्त हैं ? कितनों के विरुद्ध गबन/मिसलेनियस एडवान्स के मामले लम्बित हैं तथा उनकी राशि क्या है ? क्या इनके पास वर्तमान में भी भण्डार का चार्ज हैं ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे कितने भण्डारपाल/,सहायक भण्डारपाल हैं जिनके विरुद्ध गबन आदि के कोई आरोप नहीं हैं ? उनके नाम पदनाम तैनाती स्थान क्या हैं ? इनको भण्डार का चार्ज न देने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

गोरखपुर में कोई विद्युत भण्डार मण्डल नहीं है। विद्युत भण्डार मंडल मेरठ के नियंत्रणाधीन कुल 6 खण्ड हैं। विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ के अन्तर्गत कुल 18 भण्डारपाल तथा 147 सहायक भण्डारपाल हैं।

उक्त क्र० सं०–2 के अन्तर्गत सूचित किया भण्डार पाल/सहायक भण्डारपाल में से 4 भंडारपाल तथा 18 सहायक भण्डारपाल के विरुद्ध विविध अग्रिम के मामले हैं जिनकी कुल धनराशि लगभग रु० 44,51,433.84 है।

उक्त क्रम सं०–3 के अन्तर्गत सूचित भण्डारपाल/सहायक भण्डारपाल में से केवल 3 भण्डारपाल तथा 3 सहायक भण्डारपाल के पास चार्ज है। विद्यमान आदेशों में से ऐसे कर्मचारियों से, जिनके विरुद्ध विविध अग्रिम (मिसलेनियस एडवान्स) के मामले हैं, चार्ज हटा लेने का प्राविधान नहीं है।

ऐसे 14 भण्डारपालों तथा 129 सहायक भण्डारपाल हैं जिनके विरुद्ध गबन/विविध अग्रिम के मामले नहीं हैं। इनमें से 7 भण्डारपालों तथा 43 सहायक भण्डारपालों के पास भण्डारों का चार्ज नहीं है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। भण्डार सामग्री के आदान-प्रदान से संबंधित स्टाक रजिस्टरों की पोस्टिंग, मिलान, अभिलेख, लेखा आदि तैयार करना एवं भण्डार सामग्री की ढुलाई कराने के कार्य भी भण्डारपालों एवं सहायक भण्डारपालों द्वारा ही किये जाते हैं, अतः सबको भण्डार का चार्ज देना सम्भव नहीं है।

उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड 32, स्टेशन रोड, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों को प्रदत्त वाहन तथा उनके रखरखाव में हुए व्यय की जानकारी

111–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ के अन्तर्गत किस स्तर के अधिकारियों को चार पहिया वाहन उपलब्ध कराया गया है ? वर्तमान में किस प्रकार के कितने वाहन उपलब्ध हैं और उनके नम्बर क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि विगत तीन वर्षों से अधिक समय से ये वाहन संस्था के बाहर के अधिकारियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो किसके

आदेश से ? पिछले दो वर्षों में प्रति गाड़ी नम्बर सहित अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि में वर्षवार कुल कितना व्यय ही आया है ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, लखनऊ के अर्न्तगत मा० अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, परियोजना प्रबन्धक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाकार, समस्त सामान्य प्रबन्धक, जिला प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर के अधिकारियों को चार पहिया वाहन उपलब्ध कराये गये हैं ।

वर्तमान में संघ के पास 51 वाहन उपलब्ध हैं । जिसका विवरण मेरे कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ महानगर की सफाई हेतु विश्व बैंक से प्राप्त धन के उपयोग की जानकारी

112–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ महानगर के विकास/सफाई आदि के लिये विश्व बैंक से अब तक कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ? उससे कौन-कौन सी मशीनें आदि खरीदी गयी हैं ? वर्तमान में कुल कितने चार पहिया वाहन/ट्रैक्टर आदि खराब पड़े हुए है और कब से ? क्या यह सत्य है कि खराब पड़े हुए सामानों का केवल ढांचा पड़ा हुआ है ? क्या अधिकतर मशीनें बाजार में बेच दी गयी हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्लेग आदि संक्रामक रोगों से जनसाधारण की रक्षा के लिये कुल कितना धन केन्द्र सरकार ने दिया था तथा बचाव के लिये क्या-क्या सामान खरीदे गये ?

श्री राम किशोर बिन्द–

विश्व बैंक से सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं मेन्टीनेन्स कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत क्रमशः रु० 205.32 लाख एवं रु० 338.88 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है ।

उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के नाम संलग्नक–एक में उल्लिखित हैं ।

कुल 61 चार पहिया-वाहन/ट्रैक्टर आदि खराब पड़े हैं । वे वाहन वर्ष 1989 से लेकर अब तक की अवधि में खराब हुए हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्लेग आदि संक्रामक रोगों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नगर निगम, लखनऊ को कोई भी धनराशि नहीं दी गई थी । अतः उससे सामान क्रय किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 244 पर)

अधिशासी अभियन्ता जनपद देवरिया (नगर पालिका) के विरुद्ध चल रहे जांच प्रकरण के विवरण की जानकारी

113–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अधिकारी, देवरिया (नगरपालिका) के विरुद्ध कुल कितने जांच के प्रकरण लम्बित हैं ? उनमें से कितने वित्तीय अनियमितता/नियुक्ति/भ्रष्टाचार के हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सड़कों की सफाई/नालियों की सफाई पर कुल कितना धन व्यय हो रहा है तथा सफाई के मद में कुल कितने आइटम बाजार से खरीदे गये ? उसकी दरें क्या हैं ? नालियों में मच्छर न उत्पन्न हों उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? इन्सेफिलाइटिस/मलेरिया आदि के बचाव की आगामी योजना क्या है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् देवरिया के विरुद्ध जांच के कुल 5 प्रकरण लम्बित हैं उनमें से 3 वित्तीय अनियमितता, एक अनियमित नियुक्तियों/वित्तीय अनियमितता तथा एक भ्रष्टाचार से संबंधित है ।

सड़कों/नालियों की सफाई पर वर्ष 1994-95 में कुल रु० 51,28,974/- व्यय हुआ है । सफाई के मद में कुल 10 आइटम बाजार से खरीदे गये, उनकी दरें निम्नवत् हैं :–

1–झाड़ू	रु० 11-10	प्रति	कि० ग्रा०
2–भरका चूना	रु० 02-20	,,	,,
3–गैमेक्सीन 10%	रु० 03-50	,,	,,
4–बी० एच० सी० 50%	रु० 24-00	,,	,,
5–स्माईटास्क	रु० 35-50	,,	ली०
6–क्लोरिन टैबलेट	रु० 120-00	,,	हजार
7–बेलचा	रु० 80-00	,,	नग
8–पंजा	रु० 40-00	,,	नग
9–हाथठेला	रु० 1640	,,	नग
10–कुदाल	रु० 83-00	,,	नग

नालियों में मच्छर उत्पन्न न हों इसके लिये जिलाधिकारी द्वारा नालियों में स्माईटास्क का छिड़काव कराया गया है तथा आगे भी कराया जायेगा । फागिंग (धुंवा) भी कराया गया है और आगे भी कराया जाना है । इन्सेफिलईटिस/मलेरिया आदि से बचाव हेतु विशेष सफाई अभियान चलाकर बृहद सफाई करायी गयी है तथा चूना एवं गैमेक्सीन के मिश्रण का छिड़काव भी कराया जा रहा है ।

इण्डस्ट्रियल एरिया नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग

114–श्री बच्चा पाठक–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि इण्डस्ट्रियल एरिया नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में मात्र 6 घण्टे की विद्युत आपूर्ति होती है ? क्या इससे लघु औद्योगिक इकाई बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां कम से कम 20 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मे० नीतू प्लास्टिक उद्योग नन्दगंज गाजीपुर से स्वीकृत से अधिक विद्युत बिल के भुगतान का मामला

115–श्री बच्चा पाठक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे० नीतू प्लास्टिक उद्योग नन्दगंज गाजीपुर को 40 हार्सपावर का कनेक्शन स्वीकृत है ? क्या उसका बिल 60 हार्स पावर के आधार पर भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं ? क्या मंत्री जी इसमें सुधार कर स्वीकृत कनेक्शन पर ही बिल प्रेषण सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मेसर्स नीतू प्लास्टिक उद्योग का कनेक्शन 40 अ० श० का ही स्वीकृत है ।

सहायक अभियन्ता (परीक्षण) की रिपोर्ट पर 62 हा० पा० के हिसाब से बिल जारी किया गया है जो पुनः परिषद् द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 40 अ० श० के अनुसार संशोधित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव नुरखापुर नगर पालिका जनपद व तहसील भदोही में एक बड़ी पोखरी के जल की निकासी का मामला

116–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गांव नुरखापुर नगर पालिका भदोही तहसील व जिला भदोही में एक बहुत बड़ी पोखरी गहरी है इसका पानी नुरखापुर रोड पर आकर बारहो महीने भरा रहता

है ? क्या इस जल जमाव को निकालने हेतु पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका भदोही श्री सईद अहमद अन्सारी के प्रार्थना-पत्र को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ दिनांक 7-3-94 को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पानी निकासी की योजना बनायेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

नुरखापुर नगर पालिका भदोही तहसील व जिला भदोही में एक पोखरी है जिसका पानी प्रायः बारहों महीने नुरखापुर रोड के आंशिक भाग पर बहता रहता है।

जी हां।

जल निकासी हेतु नगर पालिका परिषद् द्वारा रुपया 355000.00 का आकलन तैयार किया गया है और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासक के आदेश से रुपया 100000 का अग्रिम भुगतान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वाराणसी को कर दिया गया है। कार्य अतिशीघ्र संपादित कराने के लिये पालिका प्रयत्नशील है।

नगर पालिका परिषद् द्वारा योजना पहले ही बना ली गयी है केवल कार्य सम्पादित होना अवशेष है जिसे शीघ्र सम्पादित करने हेतु नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 व 1995-96 हेतु जनपद देवरिया में वरीयता क्रम में चयनित ग्रामों की सूची की जानकारी

117–श्री विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) देवरिया द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 व 1995-96 के लिये किन-किन ग्रामों को वरीयता के क्रम में सांसद एवं विधायक कोटे से विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है ? उनमें से पूर्व में चयनित कुछ ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु सामान निर्गत कर दिये गये हैं तथा उन अतिक्रमित चयनित ग्रामों में पहले विद्युतीकरण हेतु शासन स्तर से क्या आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जल संस्थान में विभिन्न पदों पर विभागीय प्रोन्नति/नियुक्ति के मामले में मोटर मैकेनिक के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

118–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या–25/ई० ई०एच०क्यू०/94-95, दिनांक 16-4-94 द्वारा जल संस्थान में विभिन्न पदों पर विभागीय कर्मचारियों की प्रोन्नति/नियुक्ति हेतु कोई नोटिस जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या क्रम संख्या–3

पर मोटर मैकेनिक के 3 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित थे ? यदि हां, तो आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को प्रोन्नति दी गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

लखनऊ जल संस्थान से प्राप्त सूचनानुसार उक्त नोटिस के क्रम सं०–3 पर मोटर मैकेनिक के 3 पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्शाये गये थे, जो त्रुटिवश अंकित हो गया था । इस नोटिस का शुद्धि पत्र दिनांक 20-4-95 को जारी कर दिया गया, जिसके अनुसार उक्त मोटर मैकेनिक के 3 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित न होकर सामान्य श्रेणी के पद थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली की विधान सभा बछरांवा में लगे तथा खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

119–श्री राजाराम त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में अब तक कुल कितने इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ? उनमें से बछरांवा विधान सभा के अन्तर्गत कितने लगे हैं ? क्या सभी ठीक से चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो खराब कितने हैं ? क्या खराब पड़े नलों को ठीक कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां,तो यह कब तक ठीक हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

दिनांक 24-7-95 तक रायबरेली जनपद में 9062 नग हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं ।

1111 नग हैण्डपम्प लगे हैं ।

जी नहीं ।

दिनांक 24-7-95 को रायबरेली जनपद में 255 तथा बछरांवा विधान सभा क्षेत्र में 15 हैण्ड पम्प खराब थे इनमें से क्रमशः 148 व शून्य हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे जी हां, धन की उपलब्धता के अनुसार । अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को उनकी सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र ठीक कराया जाता है । जनपद में इस वर्ष स्थाई रूप से खराब 19 हैण्डपम्पों को ठीक कराया गया है था प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में 22 स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराया गया है । इस वर्ष जनपद के 103 विधान सभा क्षेत्र के 3 और स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प ठीक कराये जाने प्रस्तावित हैं । स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों से 122 हैण्डपम्पों को रिबोर करके ठीक करने का वर्ष 95-96 में प्रस्तावित एक्शन प्लान में लक्ष्य रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील के मुख्यालय पर स्थित जायस क्रय विक्रय समिति द्वारा चलाये जा रहे कोल्ड स्टोरेज को बन्द किये जाने की शिकायत

120–श्री राजाराम त्यागी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर स्थित जायस क्रय-विक्रय समिति द्वारा चलाये जा रहे कोल्ड स्टोरेज को विगत वर्षों से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कोल्ड स्टोरेज किन परिस्थितियों में बन्द किया गया ? क्या उसे पुनः चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

जी हां ।

उक्त कोल्ड स्टोरेज बन्द होने के मुख्य कारण विद्युत बिलों की अदायगी न होने के कारण विद्युत विच्छेदन, लगे हुए बैंक ऋण का समिति द्वारा भुगतान न किया जाना, निरन्तर हानि पर संचालन तथा पूर्ण क्षमता तक आलू भण्डारण न हो पाना है ।

जी नहीं ।

उक्त वर्णित परिस्थितियां, जिनके कारण कोल्ड स्टोरेज बन्द किया गया, का निराकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद लखनऊ की पारा कालोनी के राजाजीपुरम् में विद्युत लाइन एवं ट्रान्सफार्मर के निर्माण कार्य न होने की जानकारी

121–श्री कुंवर अखिलेश सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–106 के उत्तर के संबंध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पारा कालोनी राजाजीपुरम् लखनऊ में 11 के० वी० ए० लाइन को बनाये जाने के संबंध में रेलवे के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई शासकीय पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह सही है कि पारा गांव के पश्चिम में गुजर रही निर्माणाधीन लाइन में पूर्व में लगे हुए 11 पोलों को गांव से बाहर मोड़कर उत्तर दिशा में गुजर रही जलालपुर पारा रोड से लाइन बिछाकर 250 के० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने में क्या कठिनाई है ? यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों से अधूरी पड़ी निर्माणाधीन लाइन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर लाइन जनपद सुल्तानपुर से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव

122–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र की विद्युत लाइन को सुल्तानपुर जनपद औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर लाइन से सम्बद्ध करके विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर लाइन से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अमेठी टाऊन एरिया जनपद सुल्तानपुर में पेयजल समस्या

123–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अमेठी टाउन एरिया (जनपद सुल्तानपुर) की पेयजल आपूर्ति जल निगम एवं टाउन एरिया अमेठी के आपसी टकराव के कारण बाधित है, जिससे गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न है ? यदि हां, तो पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी किस विभाग पर हैं ? क्या टाउन एरिया की पेयजल समस्या जल निगम को सौंप कर सुनिश्चित पेयजल करायेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

अमेठी टाउन एरिया (जनपद सुल्तानपुर) की पेयजल योजना के अन्तर्गत एक नलकूप राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली एवं तत्संबंधी कार्य अमेठी टाऊन एरिया कमेटी को वर्ष 1984 में स्थानान्तरित किये जा चुके हैं, जिसके रखरखाव व जलकर/जलमूल्य की वसूली वर्ष 1984 से अमेठी टाऊन एरिया कमेटी द्वारा की जा रही है । उक्त पेयजल योजना के अर्न्तगत वर्ष 1984 के बाद पूर्ण किये गये शेष कार्य अर्थात् तीन नलकूप, राइजिंगमेन, शिरोपरि जलाशय एवं तत्संबंधी कार्य अमेठी टाउन एरिया कमेटी द्वारा हस्तगत न किये जाने के फलस्वरूप उनका रखरखाव जलनिगम द्वारा किया जा रहा है एवं उपलब्ध पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है । इसके अतिरिक्त टाउन एरिया कमेटी के अन्तर्गत 10 इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं जो वर्तमान में चालू हालत में है ।

पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी अमेठी टाउन एरिया कमेटी (जनपद सुल्तानपुर) की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के अमेठी विधान सभा के ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने की योजना की जानकारी

124–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अमेठी विधान सभा में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है तथा कितने पुरवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? कितने पुरवे ऐसे हैं जहां कई वर्षों से विद्युत खम्भे खड़े हैं, परन्तु कण्डक्टर के अभाव में उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या उन पुरवों के विद्युतीकरण की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रायबरेली डिपो की परिवहन निगम की गाड़ियों के संचालन को व्यवस्थित किये जाने की मांग

125–श्री राजाराम त्यागी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली डिपो में परिवहन निगम की कितनी बसें हैं ? उनके संचालन का नियम क्या है ? कितनी बसों का संचालन रोड पर हो रहा है ? कितनी खराब पड़ी है ? क्या यह सच है कि वर्ष 1987 में रायबरेली डिपो की नई मरसरी बसें कानपुर व फैजाबाद भेजकर वहां से पुरानी लीलैण्ड बसें भेज दी गयी हैं जो कि अधिकतर खराब रहती हैं ? उनके स्थान पर क्या रायबरेली डिपो को नई बसें दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द लाल पटेल–

रायबरेली डिपो में परिवहन निगम की 76 बसें हैं ।

सामान्यतः कुल बसों की संख्या के 90 प्रतिशत तक का दैनिक संचालन निर्धारित किया जाता है ।

वर्तमान में लगभग 60 बसों का दैनिक संचालन हो पा रहा है ।

दिनांक 31-7-95 को रायबरेली की कुल 15 बसें आफ रोड थी ।

जी नहीं ।

निगम की नीति के अनुसार जर्जर तथा निष्प्रयोज्य घोषित होने योग्य बसों को समय-समय पर बस बेड़े से पृथक किया जाता है तथा उनके स्थान पर नई बसें दी जाती हैं । रायबरेली डिपो को इस वर्ष अब तक 7 नई बसें दी जा चुकी हैं ।

जनपद गाजियाबाद, सिटी बोर्ड द्वारा राजीव कालोनी, इन्दिरा कालोनी व शहीद प्यारे लाल कालोनी के अतिरिक्त निजी भूमि पर बसी मलिन बस्तियों की सुधार योजना की जानकारी

126–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिन बस्ती सुधार योजना के लिये बस्ती के चयन के क्या-क्या मानक हैं ? क्या यह सही है कि जनपद गाजियाबाद सिटी बोर्ड द्वारा राजीव कालोनी, इन्दिरा कालोनी व शहीद प्यारे लाल कालोनी में मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य कराये गये हैं ? यदि हां,तो क्या यह सही है कि राजीव कालोनी, यू० पी० एस० आई० डी० सी० के पार्क, इन्दिरा कालोनी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व शहीद प्यारे लाल कालोनी रेलवे की भूमि में बसी है ? यदि हां, तो क्या ऐसी अन्य कालोनियों में भी कार्य कराये जायेंगे जो निजी भूमि में नहीं बसी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत केवल वे ही बस्तियां चयनित की जाती हैं, जो सार्वजनिक/नगर पालिका परिषद/नगर निगम/राज्य सरकार की भूमि पर स्थित हों एवं अनधिकृत रूप से बसी न हों । इसके अतिरिक्त बस्ती में नाली, खडंजा, पीने का पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव हो । बस्ती की दशा अत्यन्त शोचनीय हो तथा जिनमें अधिकतर समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्ति निवास करते हों । बस्ती के चयन में उन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति निवास करते हों ।

जी नहीं ।

राजीव कालोनी एवं इन्दिरा कालोनी में विश्व बैंक पोषित योजनान्तर्गत सुधार कार्य कराये गये हैं, जबकि शहीद प्यारे लाल शर्मा कालोनी में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य कराये गये हैं ।

इंगित कालोनियों में से केवल शहीद प्यारे लाल शर्मा कालोनी नगर निगम की भूमि पर बसी है ।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उन बस्तियों में सुधार कार्य कराये जाते हैं, जो निर्धारित मानकों की पूर्ति करती हों ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जड़ी-बूटी उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री के स्थानान्तरित करने के कारणों की जानकारी

127–श्री बची सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1954 में स्थानीय जनता को रोजगार प्रदान करने और जड़ी-बूटी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की स्थापना की गयी थी ? क्या सरकार इस फैक्ट्री को बन्द करने का अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय ले चुकी है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री कृपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्य मंडल देहरादून के विरुद्ध लम्बित जांचें के बावजूद भी संवेदनशील स्थान पर तैनात करने के कारणों की जानकारी

128–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री कृपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल देहरादून के विरुद्ध अब तक कितनी जांचें लम्बित हैं ? उसका विवरण क्या है ?इनके द्वारा परिषद् को कितनी वित्तीय हानि अब तक पहुंची है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषद् को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाने के बाद भी इनको संवेदनशील स्थान पर रखा गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? इनको अब तक परियोजना पर न रखने के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि जमैकेनिकल इन्जीनियर है ? यदि हां, तो इनको वितरण खण्डों में पोस्ट करने के क्या आधार है ? अपने परिषदीय कार्यकाल में इन्होंने कहां-कहां कार्य किया है ?

सुश्री मायावती–

श्री कृपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, देहरादून के विरुद्ध उनकी नोएडा तथा गाजियाबाद की तैनाती की अवधि की विभिन्न आरोपों से संबंधित मुख्य रूप से तीन जांचें लम्बित हैं ।

उक्त जांचें का विवरण निम्नवत् हैं :–

1–वर्ष 1989-90 में नोएडा में तैनाती की अवधि में विभिन्न उपभोक्ताओं को परेशान करने, भ्रष्टाचार तथा परिषद् को वित्तीय क्षति हुंचाने के आरोपों के संबंध में ।

2–गाजियाबाद के एक भारी औद्योगिक संयोजन में विद्युत चोरी के प्रकरण में लिप्तता के संबंध में ।

3–गाजियाबाद के विभिन्न उपभोक्ताओं के संयोजन के निरीक्षण, विद्युत विच्छेदन, संयोजन, असेसमेन्ट, बिलिंग, प्राक्कलन की स्वीकृति आदि में कथित अनियमितताओं आदि के आरोपों के संबंध में । अभी तक की गयी जांच के परिणामस्वरूप आरोपों/अनियमितताओं की प्रकृति के आधार पर इनके विरुद्ध वित्तीय हानि का आंकलन प्रत्यक्ष रूप से किया जाना अभी सम्भव नहीं हो पाया है ।

उक्त अधिकारी के विरुद्ध चल रही जांचों में अंतिम निष्कर्ष तक अभी न पहुंच पाने की स्थिति में प्रशासनिक विवेक एवं परिषद् की आवश्यकताओं के अनुसार इनके तैनाती संबंधी निर्णय लिये गये हैं ।

श्री सिंह अप्रैल, 1971 से जुलाई 1973 तक परियोजना पर भी तैनात रह चुके हैं ।

जी हां ।

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल अभियन्ताओं का संयुक्त संवर्ग होने की स्थिति में वितरण खण्डों में तैनाती किये जाने में नियमानुसार कोई रोक नहीं है । परिषदीय कार्यकाल में इन्होंने हरदुआगंज, बड़ौत, मवाना, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर एवं देहरादून में कार्य किया है ।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अन्तर्गत जलापूर्ति व्यवस्था में संलग्न श्रमिकों के वेतन भुगतान का मामला

129–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा सोनभद्र के अन्तर्गत जल आपूर्ति व्यवस्था में लगे संविदा श्रमिकों को कई माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या इस संबंध में उक्त संविदा श्रमिकों द्वारा महाप्रबन्धक, अनपरा ''अ'' तापीय परियोजना, अनपरा व उपश्रमायुक्त पिपरी सोनभद्र को दिनांक 16-1-94, 2-11-94 व दिनांक 21-11-94 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त श्रमिकों के नियमित मासिक भुगतान की कोई व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । श्रमिकों को नियमित भुगतान किया जा रहा है ।

मात्र दिनांक 2-11-94 एवं 21-11-94 के प्रार्थना-पत्र महाप्रबन्धक को प्राप्त हुए हैं तथा दिनांक 16-1-94 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । परिषद् द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था में कार्यरत संविदाकारों को विगत एक वर्ष से नियमित रूप से मासिक भुगतान किया जा रहा है, परन्तु ठेकेदारों एवं संविदा श्रमिकों के बीच वेतन संबंधी विवाद के कारण संविदा श्रमिकों द्वारा सितम्बर, 1994 से भुगतान नहीं लिया गया । उपरोक्त तिथियों के सामूहिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् परिषद् ने हस्तक्षेप करके शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान संविदाकारों द्वारा दिसम्बर, 94 में करा दिया था । इसके उपरान्त संविदाकारों द्वारा श्रमिकों का नियमित मासिक भुगतान न्यूनतम दर पर विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है ।

विद्युत बिलों के भुगतान में हो रही कठिनाइयों के निवारण की मांग

130–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत बिलों के भुगतान में विद्युत उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और जिला मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रत्येक 33/11 के० वी० ए० उप केन्द्र पर तथा मुख्य कस्बों आदि स्थानों पर विद्युत बिलों के 16 घण्टे भुगतान की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विभिन्न कार्यालयों तथा 33/11 के० वी० उपकेन्द्रों पर विद्युत बिलों का भुगतान किये जाने का प्रबन्ध है । इसके अलावा शहरों/कस्बों में भी जमा केन्द्र बनाये जाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध होने की दशा में इन केन्द्रों पर भी विद्युत बिलों के भुगतान स्वीकार किये जाते हैं । उपरोक्त व्यवस्था वहां उपलब्ध करायी गयी है जहां आस-पास किसी बैंक की शाखा कार्य कर रही हो ।

साधारणतया उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे के अन्दर विद्युत बिलों का भुगतान स्वीकृत किया जाता है । ताकि 12 बजे के पश्चात् जमा किये गये धनराशि का लेखा मिलान कर बैंकों में जमा किया जा सके । अतएव उपरोक्त वर्णित कार्यपद्धति को ध्यान में रखते हुए विद्युत बिलों के भुगतान हेतु 16 घंटे की सुविधा प्रदान कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के लसड़ा न्याय पंचायत के अन्तर्गत ग्राम कोहरौली के सहकारी समिति के सदस्य किसानों को पुनः ऋण भुगतान करने की मांग

131–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त ऋणों के भुगतान के बाद भी किसानों को पुनः ऋण भुगतान नहीं किया जा रहा है ? सहकारी समितियों से वर्तमान समय में किसानों को ऋण भुगतान की क्या प्रक्रिया है ? क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के लसड़ा न्याय पंचायत के अन्तर्गत ग्राम कोहरौली के सहकारी समिति के सदस्य किसानों को पुनः ऋण का भुगतान व उनके बकायों के जमा करने के बाद भी खातों को मोजरा नहीं किया गया और न ही संबंधित किसानों को चेक बुक ही प्रदान की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम के संबंधित किसानों को चेक बुक आदि प्रदान कर कब तक ऋण वितरित कर दिया जायेगा ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

जी नहीं ।

किसानों को सहकारी समितियों के सदस्य बनाये जाने एवं बैंक से उनकी ऋण सीमा स्वीकृति के पश्चात् ऋण वितरण की प्रक्रिया है ।

जी नहीं । खातों को मोजरा दिया गया है और पात्र किसानों को चेक बुक दी गई है ।

सम्बन्धित सदस्यों द्वारा चेकबुक के लिये आवेदन करने पर चेकबुक देकर ऋण वितरण कर दिया जायेगा ।

देवरिया, आजमगढ़ व जौनपुर जनपद अन्तर्गत विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों पर हुई विद्युत उपकरणों की चोरी का मामला

132–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, आजमगढ़ व जौनपुर जनपद अन्तर्गत विभिन्न विद्युत उप केन्द्रों पर विगत माह मार्च, 1990 से 1993 तक किन-किन विद्युत उपकरणों यथा तार आदि अन्य की कुल कितनी चोरी की घटनायें घटी और कितनी राजस्व की हानि हुई ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अब तक कुल घटी चोरी की घटनाओं पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और कितनी अवशेष है ? प्राथमिकी दर्ज न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विद्युत चोरी व विद्युत उपकरणों की चोरी रोकने का प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेक्टर–ओ, कुर्सी रोड योजना, अलीगंज, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पानी की टंकी को पेयजल हेतु संचालित करने की मांग

133–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर-ओ, कुर्सी रोड योजना, अलीगंज, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पानी की टंकी का निर्माण होने के उपरान्त क्या उस टैंक से क्षेत्रीय जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या टैंक का स्थानान्तरण लखनऊ जल संस्थान को किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

पूर्व निर्मित नलकूपों की क्षमता पेयजल की डायरेक्ट सप्लाई हेतु थी । उन नलकूपों की क्षमता कम होने के कारण टंकी नहीं भरी जा सकी ।

जी नहीं ।

उक्त जलाशय में पानी न पहुंचने से, टंकी की टेस्टिंग न हो पाने के कारण टैंक का स्थानान्तरण जल संस्थान को नहीं किया जा सका है ।

जनपद हरदोई के ग्राम तेन्दुआ को विद्युत आपूर्ति माधोगंज सब स्टेशन से करने के कारणों की जानकारी

134–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ग्राम तेन्दुआ को विद्युत आपूर्ति माधोगंज सब-स्टेशन जो लगभग 20 कि०मी० की दूरी पर है, से कराये जाने का क्या आधार है, जबकि मल्लावां सब स्टेशन मात्र तीन कि०मी० की दूरी पर स्थित है ? क्या यह भी सही है कि उपभोक्ताओं को बिजली देहाती पोषक के अनुसार आपूर्ति होती है और बिल शहरी शिड्यूल द्वारा वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्राम तेन्दुआ की विद्युत आपूर्ति 11 के० वी० पोषक द्वारा माधोगंज 33/11 के० वी० सब-स्टेशन से की जा रही है। मल्लावां उपकेन्द्र का निर्माण बाद में हुआ है। मल्लावा सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति के लिये लाइन बनायी जा रही है।

जी नहीं। विद्युत आपूर्ति ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार की जा रही है एवं उसी के अनुसार विद्युत बिल निर्गत कर वसूली की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कोइलार, सरावां रसुलहा, कूंडी, चिलबिला, बलुआ, महिमापुर ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी के ग्रामों के कुओं का पानी सूखने की दशा में हैण्ड पम्प की व्यवस्था किये जाने की मांग

135–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कोइलार, सरावां, रसुलहा, कूंडी, चिलबिला, बलुआ, महिमापुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी जो वरुणा नदी व वसूही नदी के किनारे पर है, के कुओं का पानी सूख गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों के लिये कम से कम चार-चार हैण्ड पम्प स्वीकृत करने की कृपा करेगी।

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां। यह स्थिति प्रत्येक ग्रीष्म काल में हो सकती है।

प्रश्नगत ग्राम विरांवकोट पेयजल योजना के अन्तिम छोर पर होने के कारण पाइप से पेयजल आंशिक रूप से ही उपलब्ध हो पाता है। इन ग्रामों में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ग्राम कोइलार, में 1, सरावां में 12, रसुलहा में 4, कूडी में 8, चिलबिला में 2, बुलाआ में 6 तथा महिमापुर में 6 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। मानक के अनुसार ग्राम सरावां पेयजल से संतृप्त है। ग्रामों में और हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लखनऊ तहसील कार्यालय एवं उनमें स्थित आवासों में विद्युत मद में बकाये की वसूली का मामला

136–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ तहसील के कार्यालय एवं उनमें स्थित आवासों में विद्युत मद में पिछले दस वर्षों से कोई भी धन प्राप्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो राजस्व प्राप्ति के लिये परिषद् क्या उपाय करेगी तथा पिछले दस वर्षों का भुगतान प्राप्त करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लखनऊ स्थित उपकेन्द्रोंवार कितने कार्यालय और कालोनियां ऐसी हैं जिनसे विद्युत के मद में पिछले दो वर्षों से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई है।

सुश्री मायावती–

अप्रैल, 1995 में पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा नहीं है। कालोनियों से बिलों के भुगतान की सतत् प्रक्रिया है।

गोरखपुर वितरण क्षेत्र में 400 वोल्ट के वितरण लाइनों हेतु कुल बिछाई गयी लाइनों के बीच की दूरी तथा कनेक्शन देने के नियमों के अनुरूप कार्य न होने की जांच

137–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में 400 वोल्ट के वितरण लाइनों हेतु कुल कितनी लम्बी लाइन बिछाई गयी है ? उनमें कितने खम्भे इन्सुलेटर एवं क्लैम्प लगाये गये हैं ? क्या राज्य विद्युत परिषद् में इन खम्भों एवं लाइनों की भौतिक जांच कराने की कोई संस्था है ? यदि हां, तो वह कौन सी संस्था है एवं उसके द्वारा प्रस्तुत रपट तथा अधिकारियों द्वारा दर्शायी गयी लाइनों की लम्बाई आदि में कितना अन्तर पाया गया है ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों द्वारा परिषद् को हानि पहुंचाने हेतु 35 मीटर से अधिक दूरी के केबिल बिछाकर कनेक्शन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया जनपद के विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों पर टू फेसिंग विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

138–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांवों में पंखा बत्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को सायंकाल विद्युत आपूर्ति की कोई व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया जनपद के विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों पर टू फेसिंग विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है ? क्या सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे पंखा बत्ती के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गांवों में सायंकाल से रात्रि तक पंखा बत्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं। आजमगढ़, जौनपुर व देवरिया जनपद के अधिकतर विद्युत उपकेन्द्रों पर दो फेसिंग विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है।

जी हां।

जी हां।

पीक आवर्स में विद्युत आपूर्ति देने के लिये मांग के सापेक्ष उपलब्धता में सुधार होना आवश्यक है। वित्तीय संसाधनों की अनिश्चित स्थिति के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

स्थानीय निकाय जौनपुर के कर्मियों की समस्याओं से सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ का अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड, जौनपुर को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

139–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ, जौनपुर का पत्रांक 1105/दिनांक 11-7-94 व पत्रांक 1150/दिनांक 10-10-94 और श्री रवीन्द्र

प्रताप मल्ल, विधायक का पत्रांक दिनांक 20-10-94 अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी एवं वस्तु विषय की अद्यतन क्या स्थिति है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां, पत्रांक–1105 दिनांक 11-7-94 प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र में कर्मचारियों के वित्तीय समस्याओं का निदान करने हेतु अनुरोध किया गया था । स्थानीय निकाय कर्मियों के बकाये वेतन आदि का दायित्व संबंधित निकाय का है । राज्य सरकार इसके लिये वचनबद्ध नहीं है । संबंधित निकाय को चाहिए कि वह अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करके कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें । बकाये वेतन के संबंध में शासन द्वारा देय अनुदान हेतु आय-व्ययक में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कोई धनराशि उक्त निकाय को उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

पंखा बत्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को निजी नलकूपों की भांति पास बुक देने की मांग

140–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंखा बत्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को निजी नलकूपों की भांति अभी तक पास बुक जारी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो संबंधित पंखा बत्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को कब तक पास बुक जारी कर दिये जायगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पंखा बत्ती के विद्युत उपभोक्ताओं को पास बुक जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पंखा बत्ती के उपभोक्ताओं के बिल कम्प्यूटर द्वारा बनाये जा रहे हैं । विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्जेज हैं, कुछ के मीटर रीडिंग के अनुसार बिलिंग की जा रही है, इस कारण पास बुक निर्गत किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित जानकीपुरम् ''पायनियर इन्क्लेव'' कुर्सी रोड योजना के तहत सेक्टर एच की सड़क बनाये जाने की मांग

141–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित जानकीपुरम् ''पायनियर एनक्लेव'' कुर्सी रोड योजना के सेक्टर-एच में स्थित भवन संख्या–एल० आई० जी० एच० 2/304 से लेकर एल० आई० जी० एच 2/349 के मध्य की सड़क को अभी तक नहीं बनाया गया है ? क्या उस क्षेत्र की सड़क में गहरे गड्ढे हैं जिससे बरसात का पानी भर जाने से दल दल की स्थिति आ जाती है ? क्या नालियों व सीवरों को मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है ? क्या यह सही है कि सीवर व नालियां जाम होने के कारण गन्दा पानी सड़कों पर बहता रहता है जिससे वहां के रहने वाले निवासियों के सामने संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? क्या सरकार तत्काल उक्त क्षेत्र की सड़क व नालियां बनवाकर सीवर को मेन लाइन से जुड़वायेगी एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सड़क का निर्माण किया जा चुका है ।

सड़क के बन जाने से गड्ढे एवं दल-दल की स्थिति समाप्त हो गई है ।

सीवर को मेन लाइन से एवं नालियों को मुख्य नाले से जोड़ा जा चुका है ।

जी नहीं ।

सीवर को मेन लाइन से एवं नालियों को मुख्य नाले से जोड़ा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगंज से टेढ़ीपुलिया रिंग रोड चौराहा से स्पोर्ट्स कालेज जाने वाली रोड पर बिजली की व्यवस्था करने की मांग

142–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित अलीगंज में जो रोड टेढ़ी पुलिया रिंग रोड चौराहा होती हुई स्पोर्ट्स कालेज जाती है, वहां अभी तक सड़कों पर बिजली के खम्भे नहीं लगाये हैं जिससे उक्त मार्ग पर रात्रि में घोर अन्धकार रहता और जिस कारण आये दिन वहां ट्रक, टैम्पों एवं बस आदि की दुर्घटनायें होती रहती हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर तुरन्त बिजली की प्रकाश व्यवस्था करेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है । ऐसे मार्गों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पोलों की व्यवस्था करने पर नगर निगम द्वारा प्रकाश व्यवस्था की जाती है ।

श्री श्याम बाजपेई, विकलांग निवासी मोहल्ला सैय्यद बाड़ा कस्बा सांडी, जिला हरदोई की सड़क निर्माण में की गयी अनियमितता में दोषी अभियन्ता एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

143–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम बाजपेई, विकलांग निवासी मोहल्ला सैय्यद बाड़ा कस्बा सांडी, जिला हरदोई द्वारा दिनांक 14-12-93 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–35 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी नगर पालिका सांडी, आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रेषित निवेदक पर क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि नाला का क्रास सेक्शन एवं रिटर्निंग वाल्स तकनीकी सिद्धान्तों पर आधारित मापदण्डों के अनुकूल है तथा रास्ता इन्क्रोचमेन्ट्स रहित रिक्शा वाहन तक के जाने के लिये पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इन्क्रोचमेन्ट्स हटाकर नाला तोड़कर तकनीकी सिद्धान्तों पर आधारित मापदण्डों के अनुकूल नाला और सड़क का निर्माण कब तक कर लिया जायेगा ? इस हेतु दोषी अभियन्ता एवं कर्मचारी कब तक दण्डित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद में ॐ गायत्री नगर एवं सुभाषनगर (ममफोर्डगंज) में स्वीकृत नलकूप लगाने की मांग

144–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु ॐ गायत्री नगर एवं सुभाषनगर (ममफोर्डगंज) में दो बड़े नलकूप स्वीकृत करने हेतु दिनांक 23-11-94 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर के ममफोर्डगंज एवं ॐ गायत्री नगर क्षेत्र में एक-एक नलकूप के निर्माण हेतु 27.00 लाख की धनराशि दिनांक 28-6-95 को आवंटित कर दी गई है ।

शाहजहांपुर नगर परिषद् में वार्डों का परिसीमन नियमानुसार करने की मांग

145–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय के चुनावों के संबंध में जो नगरों में परिसीमन हुआ उसका क्या मानक/आधार था ? किसी नगर परिषद् को कितने वार्डों में बांटा जा सकता है ? क्या उसकी जनसंख्या में विषमता करने की अनुमति शासन द्वारा दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि शाहजहांपुर नगर परिषद् वार्डों में कहीं मतदाता 3000 हैं और कहीं 8000 हैं ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ? क्या जनहित में विषमता को देखते हुए नगर परिषद् का पुनर्परिसीमन करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में नगरों में जो परिसीमन हुआ उसका मानक आधार शासनादेश दिनांक 24-5-94 सपठित 26-8-94 में निर्धारित किया गया था । यू० पी० नगर निगम अधिनियम, 1959 की संशोधित धारा 6(1) (क) के अनुसार नगर निगम में जनसंख्या के अनुपात में 60 से 110 वार्ड हो सकते हैं । यू० पी० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की संशोधित धारा 9(1) (क) (दो) के अनुसार नगरपालिका परिषद् में 25 से 55 तक तथा नगर पंचायत में 10 से 24 कक्ष हो सकते हैं । विभिन्न कक्षों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है न कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर । विभिन्न कक्षों की जनसंख्या के संबंध में शासनादेश संख्या–2949/9-1-94-53सा/94, दिनांक 24 मई, 1994 में यह निर्देश दिये गये हैं कि औसत प्रतिनिधित्व से प्रस्तावित कक्ष की जनसंख्या का अन्तर 15% तक अधिक या कम ही रखा जाये और यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यथासम्भव भौगोलिक सीमा, पक्की सड़क, रेलवे लाइन या मोहल्लों के नाम से सीमा विस्तार स्पष्ट किया जायगा । कक्षों के परिसीमन में आवश्यतानुसार आपत्तियां एवं सुझाव भी प्राप्त किये जायेंगे और अन्ततः कक्षों के परिसीमन प्रकाशित किये जायेंगे । शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के वार्डों के परिसीमन के लिये उक्त आशय से अधिसूचना संख्या–5328/9-1-94-1परि०/94, दिनांक 7-10-1994 द्वारा प्रकाशन किया गया था जिसके उपरान्त अधिसूचना संख्या–2587/9-1-95-1परि०/94, दिनांक 31-3-95 के अन्तर्गत वार्डों की सीमा का अन्तिम रूप से निर्धारण किया जा चुका है । नगरपालिका

परिषद शाहजहांपुर में उपरोक्तानुसार जनसंख्या के आधार पर कक्षों के निर्धारण में अधिकतम जनसंख्या के कक्ष में 8886 तथा न्यूनतम जनसंख्या के कक्ष में 6475 जनसंख्या है । इस प्रकार अधिकतम अन्तर मात्र 2411 है । शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के कक्षों की सीमा के संबंध में परिसीमन अन्तिम हो चुका है । पुनर्परिसीमन का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बरेली में विद्युत परिषद् के कई-कई वर्ष से अवकाश प्राप्त अवर अभियन्ताओं के पेंशन भुगतान का मामला

146–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में विद्युत परिषद् के कई-कई वर्ष से अवकाश प्राप्त अवर अभियन्ताओं के पेंशन का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसी जनपद में पू० पी० एस० ई० पी० (जल) के अधीनस्थ दोहना पावर हाउस से माह जुलाई, 1989 में सेवानिवृत्त श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह अवर अभियन्ता के पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनके पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बरेली जनपद से सेवानिवृत्त ऐसे अवर अभियन्ता जिन्होंने पेंशन प्रपत्र पूर्ण नहीं किये हैं, उनके मामले लम्बित हैं ।

जी हां, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह, अवर अभियन्ता, 132 के० वी० दोहना विद्युत उपगृह, बरेली पर कार्यरत थे एवं वे दिनांक 31-7-89 से परिषद् की सेवा से निवृत्त हुए थे । उन्हें दिनांक 31-7-89 से रु० 25,000 प्राविजनल ग्रेच्युटी एवं रु० 850 प्रतिमाह की दर से छः माह के लिये अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी थी । चूंकि श्री राजेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता ने पेंशन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं समस्त औपचारिकतायें पूरी करते हुए उपलब्ध नहीं कराये हैं अतः उन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

श्री राजेन्द्र सिंह से पूर्ण रूप से पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर ही उन्हें पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान करना सम्भव हो सकेगा ।

शाहजहांपुर नगरपालिका (परिषद्) में नियुक्ति किये गये सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी तथा लिपिकों को स्थाई किये जाने की मांग

147–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 में शाहजहांपुर नगर पालिका (परिषद्) में कितने सफाई कर्मचारी, कितने चतुर्थ श्रेणी व कितने लिपिकों की नियुक्तियां की गयीं ? क्या इनकी सेवायें स्थाई की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

वर्ष 1993 में नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर में कुल मिलाकर 31 नियुक्तियां की गयीं जिनका ब्योरा निम्नवत् है :––

1–सफाई कर्मचारी–18. समस्त नियुक्तियां सृजित पदों पर की गयी ।

2–मुख्य विभाग–9

3–चुंगी विभाग–4

नियुक्त किये गये 18 सफाई कर्मचारियों में से 2 को स्थाई किया जा चुका है। शेष 16 कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण की समीक्षा करके स्थाईकरण की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य विभाग में नियुक्त किये गये 9 कर्मचारियों में से 5 पद उपलब्ध नहीं थे, फलतः एक लिपिक, एक मोहर्रिर, एक चपरासी और दो बेलदार की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं।

चुंगी विभाग में नियुक्त किये गये 4 कर्मचारियों में एक नियुक्ति आश्रित के रूप में शेष तीन नियुक्तियां प्रोन्नति व सेवानिवृत्त के आधार पर की गई।

शाहजहांपुर नगर में खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराने की मांग

148–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में कितने इण्डिया मार्क–2 नल खराब पड़े हैं ? क्या पेयजल सुविधा हेतु इन नलों को अविलम्ब ठीक कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

15 स्थायी रूप से तथा 3 अस्थाई रूप से खराब हैं।

अस्थायी रूप से खराब नलों की मरम्मत करायी जा रही है। स्थायी रूप से खराब नलों की मरम्मत वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० रा० स० प० राज्य सड़क परिवहन निगम से अनुबन्धित बसों में विधायकों/सांसदों को बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

149–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगेकि उ० प्र० रा० स० प० राज्य सड़क परिवहन निगम से अनुबन्धित बसों में विधायकों/सांसदों को बैठने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्दलाल पटेल–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी के कठिरांव ब्लाक बड़ागांव व भदेउली ब्लक पिण्डरा के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

150–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, नवम्बर, 1993 में गांव नटवां, दल्लीपुर व फत्तूपुर, कठिरांव ब्लाक बड़ागांव व भदेउली ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी के विद्युतीकरण के लिये विद्युत के खम्भे गिराये गये थे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है ?

यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच करायेगी कि जो करीब 50 खम्भे गिराये गये थे वे कहां गये ? उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

151–श्री अनिल कुमार–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के अन्दर प्रवेश हेतु मा० सदस्य विधान सभा व अन्य विशेष व्यक्तियों को वाहन ले जाने की सुविधा प्रदान करने की मांग

152–श्री अनिल कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने मा० विधायकगणों को मुख्यालय के अन्दर प्रवेश हेतु अपने साथ हुए वाहन को अन्दर प्रवेश के साथ नहीं ले जा सकते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या कर्मचारीगण अपने वाहन के साथ अन्दर प्रवेश करेंगे इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसी असमानता क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी मा० जनप्रतिनिधि/मा० विधायक/मा० सांसद सभी को अपने साथ लाये वाहन को अन्दर ले जाने के आदेश जारी करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

मा० विधायकगणों एवं विशेष व्यक्तियों के लिये वाहन सहित परिषद् प्रांगण में प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

कर्मचारीगण के वाहनों के लिये स्टैण्ड का प्रबन्ध कार्यालय परिसर में ही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा बजहीं, खम्हौरा, लोकरौली, विकास खण्ड निचलौल, जिला महराजगंज में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

153–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बजहीं, खम्हौरा, लोकरौली, विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज में वर्ष 1972 में अनुसूचित जाति की बस्तियों की विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पोल पर तार खींचकर ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति की गयी थी ? क्या उपरोक्त गांवों में खम्भों पर खींचे गये तारों को विभाग बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही वर्ष 1974 में उतार कर दूसरे गांव के विद्युतीकरण में लगा दिया गया है ? क्या ग्राम सभा खम्हौरा में लगे ट्रांसफार्मर को वर्ष 1994 में विभाग के खण्डूला इंजीनियर ने उतारकर लालपुर में लगाकर अनुसूचित जाति की बस्तियों को प्रकाश विहीन कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं । उक्त ग्राम सभाओं की अनुसूचित जाति बस्तियों की बल्लियों के सड़ कर गिर जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है । इन अनुसूचित जाति की बस्तियों में किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत कनेक्शन न लिये जाने की स्थिति में पुनः विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी ।

जी नहीं । उक्त ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाने पर उतरवाया गया था, तथा ग्राम की अनुसूचित जाति बस्ती में किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत कनेक्शन न लिये जाने की स्थिति में दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है ।

ग्राम सभा खम्हौरा की अनुसूचित जाति बस्ती में किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत कनेक्शन न लिये जाने की स्थिति में पुनः विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी ।

ग्राम सभा मधवलीया सोपड़ा, मटियरिया, कम्हरिया, विकास खण्ड सिसवा एवं ग्राम सभा मटरा धमऊर, विकास खण्ड निचलौल, जिला महराजगंज के ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने का मामला

154–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा मधवलीया, सोपड़ा, मटयरिया कम्हरिया, विकास खंड सिसवा एवं ग्राम सभा मटरा धमऊर, विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के गांवों में एक दशक पूर्व विद्युतीकरण करने के लिये पोल खड़े किये गये हैं ? क्या ट्रांसफार्मर मटियरियां में रखे गये हैं? क्या जनता से कनेक्शन देने के लिये आवेदन शुल्क जमा है किन्तु आज तक उपरोक्त गांवों को तार खींचकर विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

केवल मटियारिया गांव के निवासियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

संबंधित योजना के वित्तीय प्राविधान समाप्त हो जाने के कारण स्टोर सामग्री एवं अन्य व्यय-राशि प्राप्त न होने की स्थिति में शेष कार्य पूर्ण नहीं कराये जा सके हैं ।

जनपद सिद्धार्थनगर की नगरपालिका तेतरी बाजार परिक्षेत्र में पोल टकराने से लगी आग से बरबाद हुए लोगों को अहेतुक सहायता देने की मांग

155–श्री धनराज यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की नगरपालिका तेतरी बाजार के परिक्षेत्र में दिनांक 25-4-95 को 11000 वोल्ट के पोल से व 440 वोल्ट की लाइनों के आपस में टकरा जाने से लगी आग में सर्वश्री बंशराज भगत, जगपत, जगई मुंशी, सरदार अजीत सिंह, मुरली आदि 12 लोगों का मकान तथा सामान जलकर नष्ट हो गया था ? यदि हां, तो विद्युत तार से लगी आग से बरबाद हुए परिवार को अहेतुक सहायता तथा उनकी क्षति की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद सिद्धार्थनगर की नगर पालिका तेतरी बाजार के परिक्षेत्र में दिनांक 25-4-95 को तेज हवा के कारण राज्य विद्युत परिषद् की 400 वोल्ट लाइन के जीवन्त ढीले तार हिलकर 11000 वोल्ट के पोल से टकराये जिससे निकली चिंगारी से सर्वश्री बंशराज, त्रिवेणी, जगपत, मुरली, भल्लू, रामदीन, कन्हई, जगईराम एवं तुलसी के छप्पर तथा अन्य सामान जलकर नष्ट हो गये व श्री अजीत सिंह के आरा मशीन की लकड़ी जलकर नष्ट हो गयी ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जांचोपरान्त यह संस्तुति की गयी है कि राज्य विद्युत परिषद् अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों की उचित क्षतिपूर्ति करे ।

क्षति पूर्ति के मामले में आवश्यक कार्यवाही राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही है ।

जनपद गढ़वाल के वीरोखाल विकास खण्ड की विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति ठीक न होने की शिकायत

156–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गढ़वाल के वीरोंखाल विकास खण्ड की विद्युत व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित पड़ी है ? यदि हां, तो कहां-कहां विगत 6 माह से बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है? विभाग की निष्क्रियता का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड वीरोखाल की विद्युतआपूर्ति सामान्यतः ठीक चल रही है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल के पट्टी चौथान के गांव में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

157–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पट्टी चौथान (जनपद गढ़वाल) में वर्ष 1972 से विद्युत के पोल खड़े हैं किन्तु अभी तक चौथान के 72 गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक विद्युतीकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार चौथान पट्टी का विद्युतीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । लाइन के रास्ते में वन होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका ।

उक्त क्षेत्र ग्रिड लाइन से अत्यधिक दूरी पर होने तथा वनों से घिरा होने के कारण राज्य विद्युत परिषद् के विद्युतीकरण के मापदण्डों के अनुसार विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है । इस पट्टी के 72 गांवों के गैर परम्परागत साधनों से विद्युतीकरण के लिये "नेडा" को सूची भेजी जा चुकी है ।

रायबरेली जनपद में वर्ष 1994-95 में लगे इण्डिया मार्क हैण्ड पाइप की संख्या तथा अधिकांश के खराब होने की शिकायत

158–श्री राजाराम त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में समस्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने इण्डिया मार्क हैण्ड पाइप लगाये जाने की स्वीकृति दी गयी है? क्या जनपद में लगाये गये हैण्डपाइपों की सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां। जनपद रायबरेली में नगरीय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कुल 628 नग इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

रायबरेली जनपद के अन्तर्गत बछरावां तथा महराजगंज नगर पंचायतों में सुलभ शौचालय बनाये जाने की मांग

159–श्री राजाराम त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत बछरावां तथा महराजगंज नगर पंचायतों में सुलभ शौचालयों को बनाने की कोई कार्ययोजना है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी नहीं।

धनाभाव के कारण।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में झिमार आदि स्थानों पर खराब पड़े अनेक ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग

160–श्री बची सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में झिमार आदि स्थानों पर बिजली के अनेक ट्रान्सफार्मर महीनों से जले हुए बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो इन ट्रांसफार्मरों को कब तक बदला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में झिमार का क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर दिनांक 15-6-95 को बदला जा चुका है। जून, 1995 के अन्त तक क्षतिग्रस्त हुए पांच ट्रान्सफार्मर अभी बदले जाने हैं।

उक्त ट्रान्सफार्मरों को माह अगस्त, 1995 के अन्त तक बदल दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के मोहल्ला अछूती गली निकट पुल गुलाम हुसैन वार्ड मंसूर नगर मकान नं० 337/82 के मालिक द्वारा रास्ता बन्द करके किये गये अवैध निर्माण की जांच हेतु प्राप्त शिकायती पत्र

161–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुं० वीरेन्द्र प्रताप सिंह एम० एल० सी० शिकायती पत्र दिनांक 24-3-95 लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को प्राप्त हुआ था, जो लखनऊ नगर के मोहल्ला अछूती गली निकट पुल गुलाम हुसैन, वार्ड मंसूर नगर, मकान नम्बर 337/82 के मालिक द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बन्द करके अनाधिकृत निर्माण कराये जाने के संबंध में था ? यदि हां, तो जांच कब और किस-अधिकारी से करवाई गई है ? उक्त जांच का परिणाम क्या हुआ है ? यदि जांच नहीं हुई है, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जांच जनवरी, 1995 में नजूल अधिकारी व विशेष नजूल अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराई गई। जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पर उपलब्ध निर्माण नजूल भूमि पर न होकर व्यक्तिगत भूमि पर है।

आई० टी० क्रासिंग के पास स्थित नजूल भूमि को बाजार दर से कम में बेचे जाने की शिकायत

162–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० टी० क्रासिंग के पास स्थित नजूल भूमि की बाजार दर क्या है ? इस भूमि का महायोजना में भूमि उपयोग क्या है ? क्या ल० वि० प्रा० के कुछ अधिकारियों द्वारा 1974 की दरों पर उक्त जमीन को वर्ष 1994 में बेंच दिया गया ? यदि हां,तो उक्त जमीन को अवैध तरीके से बेचने से सरकार को कितने रुपये की राजस्व की क्षति हुई है ? क्या सरकार राजस्व क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिये उक्त अधिकारियों से वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आई० टी० क्रासिंग लखनऊ के पास स्थित नजूल भूमि का विवरण जैसे खसरा नम्बर/गाटा संख्या/भूखण्ड संख्या मोहल्ला आदि का उल्लेख न होने के कारण यह बताया जाना सम्भव नहीं है प्रश्नगत भमि की बाजार दर/भू-उपयोग क्या है ?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर की समुचित सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु सफाई कर्मियों का बढ़ाया जाना

163–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे वर्तमान में कानपुर महानगर की समुचित सफाई व्यवस्था हेतु नियुक्त सफाई कर्मचारियों की संख्या क्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या जनहित में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक शासनादेश निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

द्वारिकापुरी बाजार, चूना भटिया हाता कानपुर को मलिन बस्ती में शामिल करने का प्रस्ताव

164–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने मलिन बस्ती घोषित किये जाने के संबंध में मापदण्ड निर्धारित कर रखा है ? क्या इन्हीं मापदण्डों को शिथिल करते हुए 107/3 द्वारिकापुरी बाजार, 107/364. 107/365 चूना भटिया हाता कानपुर को भी मलिन बस्ती घोषित किये जाने के आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत केवल वही बस्तियां चयनित की जाती है, जो सार्वजनिक/नगर पालिका परिषद्/नगर निगम/राज्य सरकार की भूमि पर स्थित हों एवं अनधिकृत रूप से बसी न हों । इसके अतिरिक्त बस्ती में नाली, खड़ंजा, पीने का पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव हो । बस्ती की दशा अत्यन्त शोचनीय हो तथा उसमें अधिकतर समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्ति निवास करते हों । बस्ती के चयन में उन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति निवास करते हों ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त मापदण्ड केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता के पद पर अभियंत्रण खण्ड–2 के विरुद्ध तमाम भ्रष्टाचार के लम्बित मामलों की जांच की मांग

165–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता के पद पर अभियंत्रण खण्ड–2 में कार्यरत एवं पूर्व में अभियंत्रण खण्ड–4 में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष में उनके सहायक अभियन्ता के कार्यकाल के दौरान उनसे अधिशासी अभियन्ता का कार्य लिया गया ? क्या उनसे भुगतानों एवं अनुबंधों पर अधिशासी अभियन्ता के रूप में हस्ताक्षर करवाये गये ? क्या इन अनियमित कार्यवाही किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्राधिकरण में निहित है ? क्या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पहले नेहरू इन्क्लेव फिर विराट खण्ड व फिर विपुल खण्ड, विनीत खण्ड में कार्य किया गया है ? क्या उक्त ए० ई० के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के मामले लम्बित हैं ? क्या उक्त ए० ई० को प्रमोशन देकर वही पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्ति कर दिया गया है जो कि शासन के नियमों के विपरीत है ? क्या सरकार उक्त सारे प्रकरण की जांच कराकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

कार्यहित में उपाध्यक्ष द्वारा उक्त व्यवस्था की गई थी । शासन के आदेश दिनांक 19-8-93 व 4-6-94 द्वारा यूनिट इंचार्ज या पद इंचार्ज की व्यवस्था को तत्काल समाप्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उक्त कार्य नहीं किया गया है वरन् अधिशासी अभियन्ता श्री एस० बी० मिश्रा द्वारा नेहरू इन्कलेव का केवल एक भाग देखा जा रहा था, बाद में विराट खण्ड व विपुल खण्ड का कार्य किया गया । इनके द्वारा विनीत खण्ड का कोई कार्य नहीं किया गया है ।

श्री एस० बी० मिश्रा के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई है जिस पर जांच कराई जा रही है ।

जी हां । लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता के पद रिक्त होने के कारण श्री मिश्रा तथा अन्य प्रोन्नत हुए अधिशासी अभियन्ताओं को शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में ही तैनात किया गया है ।

जी हां । जांच कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण करा ली जायेगी ।

आई० टी० क्रासिंग लखनऊ के पास स्थित नजूल भूमि को रियायती दरों में बेचे जाने की शिकायत

166–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० टी० क्रासिंग लखनऊ के पास स्थित नजूल भूमि का भूमि उपयोग व्यवसायिक है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का भूमि उपयोग परिवर्तित कर इन्टीट्यूशनल करते हुए ल० वि० प्रा० के सचिव, डा० एम० ए० खान द्वारा अपने रिश्तेदारों के हाथों वर्ष 1974 में रियायती दरों पर बेच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैधानिक तरीके से उक्त भूमि को बेचने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार को इससे कितने राजस्व की क्षति हुयी ? क्या क्षतिपूर्ति के लिये उक्त अधिकारियों से वसूली करेगी ?

सुश्री मायावती–

आई० टी० क्रासिंग लखनऊ के पास स्थित नजूल भूमि का विवरण जैसे खसरा नम्बर/गाटा संख्या/भूखण्ड संख्या/मोहल्ला आदि का उल्लेख न होने के कारण प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग बताया जाना सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दिरा नगर लखनऊ आवास विकास योजना के अन्तर्गत ए० ब्लाक में तथा सेक्टर–22 में अवैध निर्माण को हटाने की मांग

167–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर लखनऊ आवास विकास योजना के अन्तर्गत ए० ब्लाक में भवन संख्या–1403/10, 1405/1, 1407/11, 1499/2, 1499/12 व सेक्टर–22 के भवन संख्या–(680), (618), (641), (661) के बीच की भूखण्ड सं० क्या है ? उक्त भूमि पर किन-किन लोगों के मकान बने हैं, उनके नाम क्या हैं तथा किसके या किस विभाग द्वारा कितने-कितने वर्ग फुट भूमि प्राप्त हुई और वर्तमान समय में बने भवनों के क्या क्षेत्रफल हैं ? क्या उक्त भवनों के मानचित्र पास हैं ? यदि हां, तो किस दिनांक को किस विभाग द्वारा ? यदि नहीं, तो क्या अवैध निर्माण कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत ए० ब्लाक में भवन संख्या–1403/10, 1405/1, 1407/11, 1499/2, 1499/12 व सेक्टर–22 के भवन संख्या–680, 618, 641, व 661 के बीच स्थित प्रश्नगत भूमि का कोई नम्बर परिषद् द्वारा अपने ले-आउट प्लान में नहीं दिया गया है, न ही इन भूखण्डों का विकास किया गया है कथित क्षेत्र में श्री डी० पी० चौधरी, श्री एस० एन० सिंह, श्री गनेशराम चौरसिया तथा श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता के परिषद् योजना की विज्ञप्ति के पूर्व निजी मकान बने हैं । उनके भवन/भूखण्ड का परिषद् ने कोई नम्बर निर्धारित नहीं किया है ।

उक्त निजी भवन ग्राम–बस्तौली, जनपद–लखनऊ के खसरा सं०–129 के अन्तर्गत हैं । परिग्रह पत्र के अनुसार खसरा सं०–129 का कब्जा परिषद् को दिनांक 7-9-73 से 27-7-84 के मध्य विभिन्न तिथियों में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा 46 बीघा 12 बिस्वा 14 विस्वांसी अर्थात् कुल 12,60,517.50 वर्ग फीट हस्तान्तरित किया गया है । श्री डी० पी० चौधरी श्री एस० एन० सिंह, श्री गनेशराम चौरसिया एवं श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता के भवन क्रमशः लगभग 1200 वर्गमीटर, 450 वर्गमीटर, 540 वर्गमीटर तथा 570 वर्गमीटर के भूखण्ड पर निर्मित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत अवैध निर्माणों को हटाने के विरुद्ध परिषद् के सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 10-8-94 व 26-8-94 को परिषद् अधिनियम–1965 की धारा 83 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस तथा दिनांक 31-12-94 को अनधिकृत निर्माण गिरवाने का नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश की अधिकांश नगर पंचायतों एवं नगर परिषदों द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन न देने होने की शिकायत एवं निदान की मांग

168–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकांश नगर पचायतें एवं नगर परिषदें अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं दे पा रही है ? यदि हां, तो सरकार इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु क्या योजना बनाने जा रही है ? क्या सरकार नगर पंचायतों एवं नगर परिषदों की आय के श्रोतों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं । यह सम्बन्धित स्थानीय निकाय का दायित्व है शासन द्वारा देय वेतन अंशदान, चुंगी व पथकर क्षतिपूर्ति बराबर दिया जा रहा है ।

निकाय स्वयं अपनी आय के श्रोतों में वृद्धि करने के लिए सक्षम है साथ ही इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है ।

रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन बनाये जाने की मांग

169–श्री राजाराम त्यागी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन बनाये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्टेशन भवन के अब तक न बनने के कारण क्या हैं ? क्या शासन द्वारा भूमि भी प्राप्त की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री नन्दलाल पटेल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

170–श्री बची सिंह रावत–

[3सरे बुधवार में अता० प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विगत पांच वर्षों में वर्षवार उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद प्रदत्त की गयी धनराशि एवं उसके प्रयोग के संबंध में जानकारी

171–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में वर्षवार उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कितने गांवों के लिये कुल कितनी धनराशि प्रदान

की गई और कुल कितनी प्रस्तावित थी ? अवमुक्त धन में कुल कितनी धनराशि पर्वतीय क्षेत्र में लगी और उससे कौन-कौन से गांव पूरी तरह विद्युतीकृत किये गये ? क्या यह सही है कि इस अवमुक्त राशि का बहुत बड़ा हिस्सा परिषद् ने अपने अन्य दूसरे कार्यों में लगाया जिसके कारण पहाड़ की विद्युत व्यवस्था खराब होती जा रही है ? क्या इससे प्रभावित पौड़ी जनपद का थलीसैंण ब्लाक, वीरोखाल ब्लाक तथा पोखड़ा ब्लाक एवं जनपद चमोली का गैरसैंण ब्लाक एवं कर्णप्रयाग ब्लाक भी हुआ है ? यदि नहीं, तो इन विकास खण्डों में विद्युत विभाग की उपेक्षा का क्या कारण है ? क्या उदासीन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के उपलब्ध न रहने के कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में हो रही लापरवाही एवं उदासीनता की शिकायत

172–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी में विद्युत विभाग के न कोई अवर अभियन्ता उपस्थित रहते हैं और न ही कोई सहायक अभियन्ता वहां जाते हैं जिसके कारण विकास खण्ड के अन्तर्गत मल्ली बीणा, तल्ली बीणा एवं गाड की बीणा में विगत अनेक माह से लापरवाही एवं उदासीनता के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है ? क्या विद्युत लाइन के सड़े पोलों को बदला जाना था ? क्या यह सही है कि पोल अधिकांश स्थान पर खड़े भी कर दिये गये हैं ? क्या उन पर तार नहीं खींचा गया ? यदि हां, तो क्यों गांव को विद्युत न मिल पाने के लिये दोषी कौन है ? क्या पोखड़ा विकास खण्ड के अन्तर्गत बीणा, झलपाड़ी सहित अनेक जले हुए ट्रान्सफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलकर विद्युत व्यवस्था सुचारु की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या ?

सुश्री मायावती–

यह सत्य है कि विकास खण्ड पोखड़ा के लिये अवर अभियन्ताओं की कमी के कारण अवर अभियन्ता नहीं है । अतः कार्यानुसार अवर अभियन्ता जाते हैं । सहायक अभियन्ता भी विकास क्षेत्र का भ्रमण करते हैं । विकास खण्ड के अन्तर्गत मल्ली बीणा, तल्ली बीणा एवं गाड की बीणा की विद्युत व्यवस्था लकड़ी के पोलों के सड़े होने के कारण अव्यवस्थित है । यह सही है कि विद्युत लाइन के सड़े पोलों को बदला जाना था जिसके लिये निविदायें आमंत्रित की गयी थीं परन्तु निविदायें न आने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है । अतः उक्त कार्य सम्पन्न न कराये जा सकने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

विकास खण्ड झलपाड़ी सहित पांच ट्रान्सफार्मर बदल दिये गये हैं और विद्युत व्यवस्था में सुधार हो गया है । बीणा का ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त लकड़ी के खम्भों के बदले जाने पर लगाया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994–95 में लगाये इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों के तहत शाहजहांपुर नगर में लगे हैण्ड पम्पों की जानकारी

173–श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994–95 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कुल कितने इण्डिया मार्क नल लगना स्वीकृत हुए? इसमें से शाहजहांपुर नगर परिषद में कुल कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए? उसमें से कितने हैण्ड पाइप लगे व कितने लगना बाकी है? क्या जनहित में इनको शीघ्र लगवाया जयेगा?

श्री रामकिशोर बिन्द–

वर्ष 1994-95 में प्रदेश के नगर क्षेत्रों हेतु 430 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए।

उपरोक्त के अर्न्तगत शाहजहांपुर नगर परिषद हेतु कोई हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर तथा जिले में लगाये जाने वाले हैण्डपम्पों में जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक की राय जानने के प्राविधान किये जाने की मांग

174–श्री राम कुमार शुक्ला

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर तथा जिलों में जो भी हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं, उनमें जिला प्रशासन द्वारा मा० सदस्य विधान सभा की राय ली जानी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में मंत्री जी द्वारा कोई आदेश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिये गये है? यदि नहीं, तो क्या?

श्री राम किशोर बिन्द–

माननीय नगर विकास मंत्री जी के अनुमोदन से हैण्डपम्पों के लगाने हेतु स्थल चयन के संबंध में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों की संस्तुति प्राप्त करने के संबंध में शासनादेश दिनांक 8 अगस्त 1992 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये जा चुके हैं। प्रश्न नहीं उठता.

175– श्री श्याम देव राय चौधरी (दिनांक 1–8–95 को अता० प्र० सं० 162 द्वारा उत्तरित)

जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी बनाने की मांग

176–श्री परशुराम यादव

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिये पेयजल आपूर्ति संरचना वर्तमान आबादी के अनुसार पाइप लाइन बिछाने पानी की टंकी बनाये जाने तथा नये नलकूपों का निर्माण कराने आदि की संरचना का पुनर्गठन किये जाने की कोई कार्यवाही गत दो दशक में नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या शहरी क्षेत्र के लोगों से निर्धारित राशि के अनुसार जलकर लिये जाने के बाद भी पेयजल न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में शासन स्तर से व्यवस्था कराने की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी नहीं।

जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने को लिए गत दो दशक में वर्ष 1975 के पश्चात उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर परिषद फैजाबाद द्वितीय पुनर्गठन योजना पेयजल योजना की संरचना की गयी जिसके अर्न्तगत तीन नलकूपों तथा एक शीर्ष जलाशय एवं पाइप लाइन विस्तार का कार्य किया गया। वर्ष 1982 में त्वरित राहत योजना के अर्न्तगत 2 नलकूप तथा वर्ष 1986 में 5 नलकूप एवं वर्ष 1990 में एक नलकूप का निर्माण कराया गया। वर्ष 1992 में पेयजल की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य नरेन्द्र देव रेलवे स्टेशन के निकट सीवेज डायलूशन हेतु बने नलकूप को पेय जलापूर्ति हेतु उ० प्र० जलनिगम द्वारा चालू किया गया। इस प्रकार पिछले दो दशक में 12 नलकूप तथा एक शीर्ष जलाशय का निर्माण नगर की जलापूर्ति व्यवस्था हेतु की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद से मिर्जापुर जाने वाले राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट सवारी गाड़ियों की जांच हेतु प्राप्त शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही।

177–श्री परशुराम यादव–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश (स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी) के मेम्बर श्री सईद खान एडवोकेट द्वारा जिला इलाहाबाद से मिर्जापुर जाने वाले राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट सवारी गाड़ियों की जांच दिनांक 12–3–95 को की गयी थी? क्या जांच के बाद उपरोक्त मार्ग पर बसों के अवैध परिचालन के बारे में ब्यौरा देते हुए उन्होने पंजीकृत शिकायती पत्र संख्या 1209 दिनांक 15–3–95 मंत्री जी को भजा है? यदि हां तो पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है? उक्त मामलें में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नन्दलाल पटेल-

राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी के मेम्बर श्री सईद खान, एडवोकेट का शिकायती-पत्र दि० 13-3-95 परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होने उल्लेख किया था कि जब वे दिनाक 12-3-95 को दिन मे इलाहाबाद से मिर्जापुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग पर छोटी बड़ी सवारी गाड़ियां अवैध रूप से चलती हुयी दिखायी पड़ी उपरोक्त शिकायत के परिपेक्ष्य में उक्त मार्ग पर अवैध रूप से चलने वाली छोटी बड़ी प्राइवेट सवारी गाड़ियों की प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चेकिंग कराई गयी जिसके परिणामस्वरूप उक्त राष्ट्रीयकृत मार्ग पर 24 वाहनों को विभिन्न थानों में बन्द किया गया। बन्द वाहनों मे 20 बसें /मिनी बसें एवं 4 जीपे थी।

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 15.3.95 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण को संबोधित तथा मा० परिवहन मंत्री जी को पृष्ठांकित उनका 13.3.95 का पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र की प्रति संलग्न है?

उक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु परिवहन आयुक्त को भेजा गया जिस पर उनके द्वारा कृत कार्यवाही की ब्योरा ऊपर दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृ० 245-246 पर।)

मढ़वा या लालपुर तथा अन्य कई गांवों के किसानो की परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी में कृषि योग्य भूमि को महानगर योजना में अवैध रूप से खरीदने की जांच

178-श्री ऊदल

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-एस० सी० एम० 2193-9-आ०-3-93 दिनांक 10-1-94 द्वारा विकास प्राधिकरण वाराणसी को निर्देश दिया गया था कि सीलिंग सीमा के अन्दर की कृषि भूमि किसी कार्य के लिये न ली जाय? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मढ़वा या लालपुर तथा अन्य कई गांवों के किसानों, परगना शिवपुर त० व जिला वारणसी में कृषि योग्य भूमि को महानगर योजना नम्बर दो के लिये जा रहा है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि शासनादेश का उल्लंघन वाराणसी विकास प्रधिकरण वाराणसी ने क्यो किया है? क्या उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी?

सुश्री मायावती

जी नहीं। शासनादेश संख्या-2193/9-आ-3-93-, दिनांक 10-01-94 में वाराणसी महायोजना तथा विनियमित क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित किया गया है।

ग्राम मढ़वा परगना शिवपुर जनपद, वाराणसी की भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत नहीं की गयी है। ग्राम लालपुर की भूमि प्राधिकरण द्वारा लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण हेतु अधिग्रहीत की गयी है जो वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत है तथा जिसका भू-उपयोग वर्तमान में आवासीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भण्डारागारों में विद्युत उपकरणों व अन्य वस्तुओं की डम्प होने की शिकायत तथा उसके उपयोग न होने की जानकारी

179-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भण्डारागारों में फिजिकल वेरीफिकेशन के अनुसार किन-किन स्थानों पर विद्युत उपकरण सहित अन्य वस्तुएं कितनी मात्रा में और कब से डम्प पड़ी हुई हैं? इनको क्रय करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं? कितना धन उक्त क्रय में अन्य मदों में से परिषद् का व्यय किया गया है? क्या यह सत्य है कि विद्युत संबंधी उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं के क्रय में अनियमितता बरती गयी है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनमें से कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत सामानों एवं उपकरणों के खरीद में क्वालिटी कन्ट्रोल पर ध्यान दिया जाता है? क्या घटिया स्तर का सामान भी ऊंचे दामों पर खरीदा गया है? यदि हां, तो ऐसे

मामले किन-किन स्थानों के लम्बित हैं तथा यह सामान/उपकरण क्या हैं ? इन पर कितनी धनराशि अब तक व्यय की गयी है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

180–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अधीक्षण अभियन्ता (तृतीय) श्री आर० डी० एस० मौर्य द्वारा उनके कार्यकाल में कौन सा कार्य किस फर्म से और कब-कब कराया गया और कितना भुगतान हुआ ? क्या उक्त फर्म से इन कार्यों के कराने के आदेश अपने उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-1-94 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या परिषद् को हुई हानि की क्षतिपूर्ति कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इंजी० आर० डी० एस० मौर्य, अधीक्षण अभियन्ता (तृतीय) "ब" ताप विद्युत गृह, विद्युत अनुरक्षण मण्डल के अधीन विभिन्न खण्डों द्वारा मुख्यतः जो कार्य कराये गये, फर्म का नाम, समय एवं कार्य का मूल्य विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर की आवासीय कालोनी में बने भवनों में रह रहे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के नामों की जानकारी

181–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 220 के० वी० एवं 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर की आवासीय कालोनी में किन-किन श्रेणी के कुल कितने आवासीय भवन निर्मित हैं तथा उनमें कब से कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी रह रहे हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थल, खण्ड का नाम एवं मकान नं० क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि उनके वेतन से एच० आर० ए० की कटौती नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन आवासों में रहने वालों से

उनके वेतन से कटौती नहीं की जा रही है ? क्या एक समान नीति के अनुसार जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से एच० आर० ए० की कटौती की जा चुकी है उसे वापस कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में शिकायती -पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

182–श्री परशुराम यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 26-4-1994 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या शासन द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजियाबाद में विद्युत उपभोक्ताओं से सांठ-गांठ करके विद्युत परिषद् को प्रत्येक माह करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने की शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

183–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 7-3-94 जो कि मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा को संबोधित था और जिसमें गाजियाबाद में विद्युत उपभोक्ताओं से सांठ-गांठ करके विद्युत परिषद् को प्रत्येक माह करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने का उल्लेख था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी जी० पी० एफ० के लम्बित मामलों के निराकरण हेतु प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

184–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, जी० पी० एफ० के कितने मामले सितम्बर, 1994 तक लम्बित हैं ? क्या इस संबंध में प्रान्तीय मंत्री श्री नन्द लाल जायसवाल, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र सं० 1233/उ० प्र० वि० म० स०, दिनांक 16-6-94 जो कि मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत) एवं अनुसचिव पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अलग-अलग मामलों में अलग-अलग विविध कारणों से वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न हो पाने के कारण सितम्बर, 1994 तक पारिवारिक पेंशन के 242, ग्रेच्युटी के 949 और जी० पी० एफ० के 604 मामले लम्बित थे, जिनके निस्तारण के लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

जी हां। यह पत्र स्वर्गीय श्री राणाप्रताप सिंह, अवर अभियन्ता के जी० पी० एफ० और ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान करने और उनकी पत्नी श्रीमती फूलवासिनी देवी की पारिवारिक पेंशन देने के संबंध में है। स्व० श्री राणा प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता की पत्नी श्रीमती फूलवासिनी देवी को उनके स्व० पति श्री सिंह के जी० पी० एफ० खाते में जमा अवशेष धनराशि रुपया 53,000-00 का भुगतान कर दिया गया है उनके अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। स्व० श्री राणा प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण अग्रिम धन की प्रत्यापि लंबित होने के कारण श्रीमती फूलवासिनी देवी को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाया है।

गोरखपुर स्थित विद्युत परिषदीय आवासों में स्थानान्तरण के बाद अनधिकृत रूप से रह रहे अधिकारियों के नामों की जानकारी

185–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित विद्युत परिषदीय आवासों में वर्ष 1988 से 6-10-94 तक अनधिकृत रूप से कौन-कौन अधिकारी स्थानान्तरण के उपरान्त भी आवंटित आवासों में कितनी अवधि तक रहते रहे हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितनों से पेनल रेंट से कितनी कटौती की गयी तथा कितनों से नहीं की जा रही है ? इस भेदभाव का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

ग्यारह अधिकारी।

(विवरण संलग्न है)

उपर्युक्त सभी ग्यारह अधिकारियों से कुल रु० 8,87,524.31 पैनल रेन्ट के रूप में प्रत्यापि किये जाने हेतु आदेश किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी तथा अन्य ग्राम समूहों में पेयजल की सुविधा को उपलब्ध कराये जाने की मांग

186–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी तथा अन्य ग्रामों के समूह को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 1994 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें इंगित तथ्य क्या हैं ? उक्त पत्र में उल्लिखित सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां ।

माननीय विधायक द्वारा जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी तथा 1 कि० मी० की परिधि में कोहरी, तंगारी, बबेड़ी, सुराहा आदि ग्रामों में पेयजल समस्या के निदान हेतु एक पाइप्ड पेयजल योजना के साथ शिरोपरि जलाशय के निर्माण की अपेक्षा की गयी है ।

ग्राम ग्योड़ी तथा उसके पास के अन्य 5 ग्राम क्रमशः तगाड़ी सुरहा, बबेड़ी, कोहारी एवं बरायं को हैण्ड पम्प लगाकर संतृप्त किये जा चुके हैं । पेयजल संबंधी अन्य कार्यों का कार्यान्वयन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत इन्दिरानगर योजना लखनऊ में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु डाली गयी पाइप लाइनों की जानकारी देने की मांग

187–श्री विश्राम सिंह यादव तथा श्री राज कुमार शिवहरे–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 169 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा नगर लखनऊ योजना के अन्तर्गत सेक्टर 4 ए, ब्लाक भवन संख्या 1407/1 से 1407–11 तक आवास एवं विकास परिषद् के एलाट भवन स्वामियों के प्रयोग के लिये 2 इंच की वाटर लाइन डाली गई थी ? यदि हां, तो क्या प्राइवेट भू–स्वामियों को कनेक्शन देने के लिये पाइप दो इंच की जगह मोटा पाइप डाला गया है ? यदि हां, तो किस दिनांक को क्या श्री गनेश राम चौरसिया व श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता को कनेक्शन दिया गया ? यदि हां, तो किस प्लम्बर द्वारा तथा उसका नाम क्या है ? लाइसेन्स नम्बर क्या और किस अवर अभियन्ता द्वारा कितने धन का इस्टीमेट दिया गया, किस दिनांक को किस रसीद संख्या पर स्टेटमेंट जमा कराया गया, तथा किस अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृति दी गयी, उसका डिस्पैच नम्बर क्या है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण की जानकारी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेश राम चौरसिया को दिनांक 12-3-91 एवं श्री त्रिलोकीनाथ गुप्ता को दिनांक 24-7-90 को जल संयोजन दिये गये ।

क्रमशः मै० आर० के० इंडस्ट्रीज एवं मै० गोपाल इंजीनियरिंग ।

प्लम्बरों के लाइसेन्स नंबर क्रमशः 2293/39 दिनांक 28-6-90 तथा 2293/28 दिनांक 5-6-90 है । उक्त दोनों संयोजनों हेतु क्रमशः रु० 1125.00 एवं रु० 505.00 का स्टीमेट तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री महेन्द्र कुमार चावला द्वारा दिये गये । क्रमशः रसीद सं०–985 दिनांक 12-3-91 एवं 34928 दिनांक

24-7-90 द्वारा जमा कराया गया । उक्त दोनों संयोजन श्री नरेश चन्द्र अति० अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्रमशः 12-3-91 एवं 24-7-90 को स्वीकृत किया गया ।

सम्पूर्ण आवश्यक जानकारी ऊपर प्रस्तुत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टी० एम० टी० उद्योग व उसके चारों सिस्टरकन्सनर्स द्वारा किये गये निर्माण का विवरण

188–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टी० एम० सी० उद्योग व उसके चारों सिस्टरकन्सनर्स ने कितना निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया है ? उक्त उद्योग द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की है ? क्या उक्त कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

गाजियाबाद की राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टी० एम० सी० उद्योग की तीन सिस्टर कन्सर्नस की जानकारी प्राप्त हुई है । टी०एम०सी० उद्योग व उसकी तीन सिस्टर कन्सर्नस द्वारा कराये गये निर्माण की स्थित निम्नवत् है :–

उद्योग का नाम	कुल निर्माण (वर्ग मी० में)	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार (वर्ग मी० में)	अनाधिकृत निर्माण निर्माण (वर्ग मी० में)
टी०एम०सी०	1869.14	1811.52	57.62
गोयल टिन उद्योग	506.79	506.83	——
भारत टिन उद्योग	460.79	388.79	172.00
डोलफिन केनपैक्टस प्रा० लि०	1756.00	——	1756.00
कुल	4592.76	2707.17	1985.60

डोलफिन केनपैक्टस प्रा० लि० के द्वारा 1756 वर्गमीटर अनधिकृत निर्माण किए जाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26.27 एवं 28 के अन्तर्गत दिनांक 23-12-92 को कार्यवाही की गई है । टी०एम०सी० उद्योग द्वारा 57.62 वर्ग मी० एवं भारत टिन उद्योग द्वारा 172 वर्गमीटर अनधिकृत निर्माण किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही का विवरण मा० सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं ।

आवास सं०–ए–1163/1 से ए–1163/13 सचिवालय कालोनी इन्दिरा नगर लखनऊ के सामने की नाली की उचित व्यवस्था करने की मांग

189–श्री मंजूर अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि आवास संख्या–ए1163/1 से ए–1163/13, सचिवालय कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ के सामने नाली निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण वहां पर गन्दा पानी भरा रहता है ? क्या मंत्री जी उक्त पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था हेतु आगामी बरसात से पूर्व समुचित व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां, कही-कहीं कुछ अन्तराल के वर्षाकाल में पानी भर जाता है । आवास सं ए०–1163/1 से ए–1163/13, सचिवालय कालोनी, इन्दिरा नगर के सामने पानी की निकासी हेतु नालियां निर्मित है । कालोनी के रहने वाले कुछ भवन स्वामियों के द्वारा नालियों एवं क्रासिंग में मिट्टी डालकर पानी का निकास अवरुद्ध कर दिया गया है जिसके कारण वर्षाकाल में कहीं-कहीं पर नालियों में कुछ अन्तराल के लिए पानी भर जाता है ।

जी हां, नालियों एवं क्रासिंग की सफाई आमतौर पर की जाती रहती है । क्षेत्रीय नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पुनः सफाई कार्य हेतु आदेशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा 'अ' तापगृह में लोहे के इन्सर्ट बनाने हेतु आपूर्ति से अधिक लोहा खरीदने के कारणों की जानकारी

190–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत "अनपरा" "अ" तापगृह में लोहे का इन्सर्ट बनाने हेतु वर्ष 1980 से 84 के बीच कुल कितने अनुबन्ध किस ठेकेदार के साथ किये गये थे एवं इस मद में कुल कितना भुगतान किया गया तथा ठेकेदार से कितना टन लोहे की आपूर्ति करायी गयी थी ? क्या यह सत्य है कि तापगृह के परिसर में स्थित परिपर्दाय भण्डारों में हजारों टन लोहा उपलब्ध होते हुए भी ठेकेदार के साथ लोहा आपूर्ति सहित ठेका तय किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार की लोहे की आपूर्ति करवाने हेतु संबंधित अभियन्ता सक्षम थे ? यदि नहीं, तो उन अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के गोपाल गंज में 33 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण को पूर्ण न किये जाने के कारणों की जानकारी

191–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के गोपालगंज में 33 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था ? इस कार्य में कुल कितना धन व्यय हो चुका है ? इसके पूरा न होने का

क्या कारण है ? इस उपकेन्द्र को पूरा किये बिना इसी जनपद में अनेकों अन्य उपकेन्द्र का कार्य क्यों प्रारम्भ हुआ ? उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान कराये जाने की मांग

192–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर पालिका के कितने सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं ? इनमें से सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन प्राप्त करने के लिए कितने कर्मचारी पेंशन के विधिक रूप से हकदार है और कितनों को वास्तव में प्रतिमास पेंशन प्राप्त हो रही है ? क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश को बैंक में नगर पालिका के खातों में पैसा न होने के कारण पेंशन नहीं प्राप्त हो पा रही है ? यदि हां, तो इनको नियमित पेंशन प्राप्त हो, क्या इसका प्रबन्ध उ० प्र० सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां, वर्तमान में नगर पालिका परिषद् मिर्जापुर में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की संख्या–97 है ।

विधिक रूप से 47 कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं ।

पालिका परिषद् की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण छः कर्मचारी ही पेंशन पा रहे हैं ।

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि निकाय के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान का दायित्व संबंधित निकाय का है । राज्य सरकार इसके लिये वचनबद्ध नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अनेकों अधिकारियों के सरकारी आवास में रहते हुए किराया न कटवाने की शिकायत

193–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री एस० एन० अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता कानपुर किस अवधि में गोरखपुर जनपद में किस पद पर तैनात रहे ? क्या उस अवधि में सरकारी आवास में रहते थे ? यदि हां, तो इनके द्वारा अपने वेतन से कितने किराये की कटौती करायी गयी ? क्या यह सत्य है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अनेकों अधिकारी सरकारी आवास में रहते हुए भी या तो कोई किराया नहीं कटवाते हैं या निर्धारित किराये से कम किराया कटवाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत परिषद् के मकान किराये वसूली की आडिट किस संस्था द्वारा कितने अन्तराल में कराया जाता है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के कार्यालयों की कारपेट एरिया से अधिक किराये पर भवन लेने के कारणों की जानकारी

194–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–89 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है ? परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यालयों का कारपेट एरिया कितना होना चाहिए था ? क्या यह सत्य है कि सूची में संलग्न क्रम सं० 3, 5, 6, 7, 8, 11,13, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, व 64 के कार्यालयों का कारपेट क्षेत्रफल वहां तैनात कर्मचारियों हेतु निर्धारित क्षेत्रफल से कई गुना अधिक है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ओबरा तापीय परियोजना में ठेकेदारों से कराये गये कार्यों का विवरण

195–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना में कौन-कौन सा कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है ? वर्ष 1991 से 1994 के बीच कौन-कौन से ठेकेदारों को कितना-कितना रुपयों का भुगतान किया गया ?

सुश्री मायावती–

ओबरा तापीय परियोजना में सफाई तथा अनुरक्षण प्रकृति के कुछ कार्यों को ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है । वर्ष 1991 से 1994 के बीच विभिन्न ठेकेदारों को किये गये भुगतान के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(देखिए नत्थी ''छ'' आगे पृष्ठ 247–248 पर)

विद्युत प्रेषण खण्ड फैजाबाद में की जा रही गंभीर अनियमितताओं से संबंधित शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

196–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र संख्या–एम–4/425–148/फ०/194, दि० 26-10-94, जो रा० वि० प० के अन्तर्गत कार्यरत विद्युत प्रेषण खण्ड फैजाबाद में की जा रही

गंभीर अनियमितताओं से संबंधित है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं ? जांच कार्यवाही से अभी तक क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पत्र के साथ श्री राज नारायण यादव, खण्डीय सचिव, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज, यूनियन, पाण्डेय ग्रुप, फैजाबाद का संख्याहीन एवं दिनांक रहित परिवाद का एक पत्र नत्थी किया गया है जिसमें विद्युत प्रेषण खण्ड, फैजाबाद के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी व अन्य के विरुद्ध सरकारी धन की लूट व भ्रष्टाचार आदि के विभिन्न आरोप लगाये गये हैं । प्राप्त शिकायतों की जांच करायी जा रही है एवं दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम सेखपुर कसैला थाना गोमतीनगर लखनऊ में खसरा संख्या–223 कब्रिस्तान की जमीन की अवैध बिक्री

197–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सेखपुर कसैला थाना–गोमतीनगर, लखनऊ में खसरा सं०–223 कब्रिस्तान की जमीन की अवैध बिक्री व नाजायज कब्जों की शिकायत के संबंध में बड़े मियां मजार उर्स कमेटी के अध्यक्ष का पत्र माह जनवरी, 1995 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण तथा मुस्लिम वक्फ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बशीरुद्दीन)–

श्री बन्ने खां का सचिव, राजस्व एवं मुस्लिम वक्फ को संबोधित पत्र जनवरी, 1995 में प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र में यह शिकायत की गयी थी कि संदर्भगत कब्रिस्तान खसरा सं० 223 रकबा 18 विस्वा मोहल्ला शेखपुर कसैला कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। इसके मुतवल्ली श्री शमशेर अली उर्फ मैना इस सारी भूमि को प्लाटों में बनाकर दो प्लाट व आधी जमीन कौड़ियों के मोल बेच दी है । उन्होंने वक्फ बोर्ड के दफ्तर से वर्ष 1986 में 540 नंबर रजिस्टर संख्या में अपने नाम मुतवल्ली दर्ज कराकर सारी साजिश की है । श्री शमशेर अली को मुतवल्ली पद से हटाते हुए श्री बन्ने खां या किसी अन्य को मुतवल्ली बनाया जाय ।

प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर उपयुक्त कार्यवाही हेतु सुन्नी वक्फ बोर्ड को निर्देशित कर दिया गया है ।

[12 बजकर 25 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए 7 सूचनायें स्वीकार की गई । श्री देवेन्द्र कुमार सिंह ।

(श्री देवेन्द्र कुमार सिंह के अनुपस्थित रहने पर उनकी सूचना नहीं ली गयी)

जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बांध बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के खादर का क्षेत्र पड़ता है जिसमें प्रतिवर्ष वर्षाकाल में बाढ़ आ जाती है लगभग 30-40 गांव पानी में डूब जाते हैं फसलें बरबाद हो जाती हैं पशुओं को चारा तक उपलब्ध नहीं हो पाता है । मकानों के गिरने के कारण आवास तक की समस्या तथा रोजी रोटी की समस्या क्षेत्रवासियों के सम्मुख उत्पन्न हो जाती है इस वर्ष भी कई गांव में अभी भी बाढ़ का पानी भरा है फसलें जल मग्न हैं जबकि इस वर्ष तो वर्षा भी अति न्यून मात्रा में है ।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण जनहित की समस्या को माननीय सदन के सामने रखकर सरकार से मांग करता हूं कि कृपया इस समस्या के स्थायी निराकरण हेतु गंगा नदी के किनारे-किनारे बांध बनवाने की कृपा करें मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस संबंध में सर्वे आदि होगी तथा योजना बनकर शासन में विचाराधीन है । कृपया शीघ्र से शीघ्र कार्य प्रारभ कराने की कृपा करें ।

आगरा के कस्बा किरावली में अछनेरा और फतेहपुर सीकरी में विद्युत आपूर्ति ठप्प होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह–

महोदय, जनपद आगरा के कस्बा किरावली में 33 के० वी० ए० सब स्टेशन से किरावली अछनेरा और फतेहपुर सीकरी तीनों नगरों को विद्युत आपूर्ति की जाती है । लेकिन बस स्टेशन की ओ० सी० वी० खराब होने के कारण तीनों नगरों की विद्युत आपूर्ति एक माह से ठप्प पड़ी है । तीनों नगरों में इस विद्युत आपूर्ति ठप्प होने से घोर पेयजल संकट पैदा हो गया है । वहां के उद्योग बन्द पड़े हैं । छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है । फतेहपुर सीकरी में आने वाली देशी विदेशी पर्यटक अंधेरे में गुजरने के कारण देश की छवि को विदेशों में बदनाम करने का मौका पा रहे हैं । इस विद्युत आपूर्ति के ठप्प होने का दूसरा कारण जर्जर विद्युत तारों व खम्भों का टूटना भी है । तीनों नगरों की लगभग एक लाख की जनता में विद्युत आपूर्ति ठप्प होने के कारण हाय-हाय और त्राहि-त्राहि मची हुई है । आगरे का विद्युत आपूर्ति प्रशासन मूकदर्शी बनकर इस दुर्दशा को देख रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर किरावली के सब स्टेशन की ओ० सी० वी० बदलने जर्जर फतेहपुर सीकरी के टूटे हुए खम्भे को पुनः लगवाने तथा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अछनेरा में के० वी० ए० सब स्टेशन की स्थापना की मांग करता हूं और लापरवाह विद्युत इंजीनियरों को दण्डित करवाने की अपेक्षा समझता हूं।

(श्री अक्षयवर भारती के अनुपस्थित रहने पर अगली सूचना ली गई)

ग्राम कमासिन, जनपद बांदा की भूदान समिति की भूमि को भूमाफियाओं द्वारा हड़पने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री उदय प्रकाश–

मान्यवर, विनम्र अनुरोध है कि ग्राम कमासिन, तहसील बबेरू, जनपद बांदा में भूदान समिति के चेयरमैन द्वारा नियम एवं कानून को ताक में रखकर 460 बीघे शेष बची भूमि को काल्पनिक एवं अवैध नामों से आवंटन दिखाकर भू-माफियाओं के नाम सस्ते दर पर बेच दिया है। इसके पूर्व लगभग 750 बीघे भूदान समिति की भूमि और हड़पी गयी है। भूतपूर्व ग्राम प्रधान ने बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के अपने नाम व पत्नी, भाई, भतीजों के नाम तथा ग्राम सभा सदस्यों के नाम आवंटन दिखाकर कब्जा कर लिया है। प्रश्नगत गांव में सैकड़ों भूमिहीन होने के बाद भी गांव के अलावा अन्य ग्रामों एवं मध्य प्रदेश के लोगों के नाम भी उक्त भूमि आवंटित दिखाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। विगत 7 वर्षों से लम्बित चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत भू-माफियाओं ने चकबन्दी कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके अपने नाम दाखिल खारिज भी करा लिया है। भविष्य में भूमिहीन व निर्बल वर्ग के लोगों की कंगाल बने रहने के लिये यह सुनियोजित चाल है। जांच दसियों बार कराई गयी है, किन्तु लाख-दो लाख लेकर परिणाम व निर्णय निर्गत करने की हिम्मत नहीं पड़ती है।

अतः इस सन्दर्भित लोक महत्व के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।

वाराणसी में सिंचाई तथा अन्य विभागों द्वारा अधिग्रहीत की गयी आबादी भूमि के विभिन्न प्रकरणों को सिविल जज वाराणसी को रिफर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल–

सिंचाई तथा अन्य विभागों द्वारा अधिग्रहीत की गयी आबादी भूमि के विभिन्न प्रकरणों में कहा जा रहा है कि आबादी भूमि का प्रतिकर नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि आबादी वर्ग 6 की भूमि पर अभिलेखों मेंकिसी का नाम दर्ज नहीं है। उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–9 में आबादी में स्थित पेड़, कुओं, आबादी स्थल आदि को जमींदारी विनाश के पूर्व काबिज व्यक्ति चाहे वह जमींदार ही क्यों न रहा हो, उसके साथ सेटिल्ड माना गया है। आबादी वर्ग को 6 की भूमि पर मकान बनाकर रहने और उसे बेचने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति की ऐसी भूमि से बेदखल करके नहर निर्माण या किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत किये जाने पर प्रतिकर दिया जाना चाहिए यदि सरकार आबादी वर्ग–6 की भूमि का प्रतिकर दिया जाना नियमानुसार नहीं मानती है तो प्रकरण को सम्बन्धित जिला जज को निपटारे के लिये रिफर किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप सिंचाई खण्ड जौनपुर, बावतपुर राजवाहा के लिये ग्राम बरहीनेवादा में मोतीलाल वगैरह की अधिग्रहीत भूमि सं०–649 से 0.086 एकड़ भूमि के संबंध में धारा 4(1) व धारा 6(1) के प्रकाश के बाद भी एवार्ड घोषित नहीं किया गया और राजस्व मंत्री, सिंचाई मंत्री को दिये गये आवेदनों के बाद भी प्रकरण को सिविल जज वाराणसी को नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भेजा गया । मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त प्रकरण को सिविल जज वाराणसी को रिफर करने की मांग करता हूं ।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी प्रक्रियण एवं तिलहन विकास समिति लखनऊ द्वारा लाखों रुपये के घपले सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट पर निर्णय न लिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती रेखा छागला–

मान्यवर, विनम्रता के साथ अवगत कराना है कि उ० प्र० सहकारी प्रक्रियण एवं तिलहन विकास संघ लि०, लखनऊ के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री वी० एन० बोस द्वारा सरकारी धन को फर्जी बिल वाउचर एवं अभिलेखों में हेरा-फेरी किये जाने सम्बन्धित आलेख विशिष्ट प्रतिवेदन रुपये 4,45,423.72 विगत समय प्रस्तुत किया जा चुका है । वर्ष 92-93 में रुपये 1,15,631.01 का अनावश्यक डेड स्टाक क्रय किया गया है । जिसमें लगभग 95,561.66 के शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है । डेड स्टाक आमद की जी० आर० नम्बर 14, 15, 16, 17, 18, 23 दिनांक 31-3-93 के अनुसार सण्डीला इकाई को निर्गत करना दिखाया गया है । स्टाक रजिस्टर में दर्ज कोई भी सामान लखनऊ से उक्त इकाई को नहीं भेजा गया, शासनादेश संख्या–जी–1-3-4/दस–534(48)-76, दिनांक 22-5-82 के संलग्नक–1 के प्रस्तर–4(ख) के अनुसार प्रति नियुक्ति की अवधि में किसी सरकारी सेवक को बिना शासन की अथवा विभाग की स्वीकृति के निःशुल्क मकान की सुविधा अनुमन्य नहीं है, किन्तु प्रश्नगत प्रबन्ध निदेशक के निर्देशन पर संडीला मिल के तत्कालीन सचिव द्वारा निःशुल्क मिल आवास का उपभोग किया गया है, अभी तक आडिट रिपोर्ट द्वारा यह सिद्ध किया गया गबन श्री बी० एन० बोस, द्वारा वसूल नहीं किया गया है, यह अति महत्वपूर्ण प्रकरण है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उल्लिखित प्रबन्ध निदेशक द्वारा सरकारी गबन धनराशि रुपये 4,45,423.72 पैसे बकाये राजस्व की भांति एक मुश्त वसूल करने एवं दोषी प्रबन्ध निदेशक के वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट एवं प्रभावी आदेश पारित करने की कृपा करें ।

(प्रतीक्षा सूची की निम्नलिखित दो सूचनायें ली गई)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैंण, अल्मोड़ा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना प्रस्तुत कर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :—

जनपद अल्मोड़ा की तहसील भिकियासैण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्मित होकर स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 1992 में हस्तान्तरित हो चुका है । इस भवन में एक्सरे मशीन तथा चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध हैं तथा दिनांक 16-10-1994 को इस स्वास्थ्य केन्द्र के लिये पदों के सृजन की राजाज्ञा भी जारी हो चुकी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परन्तु उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई भी चिकित्सा संबंधी कार्य नहीं हो पा रहा है। बल्कि इस भवन में राजकीय हाईस्कूल की कक्षायें चल रही हैं और इसमें परगनाधिकारी भिकियासैंण तथा जल निगम के अधिशासी अभियन्ता आदि का आवास बना हुआ है।

अतः अनुरोध है कि शासन को निर्देश देकर उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैंण हसे अनधिकृत आवास खाली करा कर आम जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय।

बाराबंकी के हैदरगढ़ औसेश्वर मार्ग पर गोमती नदी पर पुल बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

महोदय, हैदरगढ़ क्षेत्र जन साधारण को बाराबंकी जिला मुख्यालय पर आने जाने के लिये हैदरगढ़ औसेश्वर मार्ग स्थित गोमती नदी में पुल न होने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उतना गोमती नदी में पुल बनाने की आवश्यकता है इस जनहित कार्य को शासन द्वारा उपेक्षा पूर्ण नीति से क्षेत्र के नागरिकों में और असन्तोष व्याप्त है सम्पूर्ण क्षेत्र शासन एवं प्रशासन की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण पुल निर्माण न किये जाने से घोर असन्तोष व्याप्त है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता आन्दोलित है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

सत्र के दौरान सदन से बाहर ऊर्जा क्षेत्र में प्रबन्ध सुधार तथा पूंजी निवेश के बारे में मुख्य मंत्री द्वारा नीतिगत घोषणा किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

आज दिनांक 4-8-95 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री हरिशंकर तिवारी की है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

इनकी पहली सूचना है फिर भी यह शिकायत करते हैं कि इनके प्रश्न नहीं आते।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मैं आपसे चाहता हूं कि इनकी सूचनाओं को पीछे रखा करें, क्योंकि सबसे बवाली यह लोग ही हैं।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के अनुसार यह मंत्रि परिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जितने भी नियम कानून बनते हैं जितनी भी नीतियां निर्धारित होती हैं विधान सभा के अनुमोदन के बगैर उनका कोई औचित्य नहीं होता है। यह लगातार देखा जा रहा है कि नई सरकार की मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश विधान सभा में आने से पता नहीं क्यों कतरा रही हैं? वह विधान सभा में नहीं आना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में उनके न आने से जहां हमारे आदरणीय सदस्यगण उनसे कुछ जिज्ञासा शांत नहीं कर पाते हैं वहीं सरकार की तरफ से अक्सर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। कई ऐसे विषय होते हैं जो मुख्य मंत्री से सम्बन्धित होते हैं उनका उत्तर देने में मंत्रीगण कठिनाई का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुभव करते हैं । मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं वह सीधे-सीधे औचित्य का प्रश्न बनता है । अनुच्छेद 164(2) का उल्लंघन है । कल सदन चल रहा था सदन की बैठक कल रात तक चली । मुख्य मंत्री जी लखनऊ में उपस्थित थीं । लखनऊ में ही एनेक्सी में बैठक उन्होंने की । बिजली का जो संकट है उसके संबंध में विषय था । ऊर्जा क्षेत्र में प्रबन्ध सुधार तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करना । उन्होंने अधिकारियों की बैटक करते हुए यह घोषणा की कि जब तक विद्युत विभाग के तीन खण्ड नहीं किये जायेंगे–पारेषण, उत्पादन और वितरण तब तक कल्याण नहीं हो सकता है । उनके विचारों से हम सहमत हों या न हों यह अलग विषय है । यह महत्वपूर्ण विषय था इसकी घोषणा सदन के अन्दर करनी चाहिए थी । इस तरह से सदन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी । उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। मंत्रि-परिषद् ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया । यहां से केवल 200 गज की दूरी पर अधिकारियों की बैठक करके घोषणा करना क्या उचित होगा ? इससे दो बातें स्पष्ट होकर सामने आती हैं । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । आपको मुख्य मंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए कि जब सदन की बैठक चल रही हो तो उस समय नीति गत घोषणाएं सदन के अन्दर करनी चाहिए । अगर वह लखनऊ से बाहर होती तो मुझे इतनी आपत्ति नहीं होती । लेकिन जब लखनऊ में हैं और सदन चल रहा है, सदन की बैठक चल रही है और उसी समय एक पैरेलल बैठक करके इसकी घोषणा करें तो मैं समझता हूं कि यह सदन की अवमानना है और सदन का अपमान है । इसके पूर्व भी यह परम्परा रही है कि जब मंत्रिगण या मुख्य मंत्री ने इस तरह की नीतिगत घोषणा सदन के बाहर की है तो सदन ने गम्भीर रुख अपनाया है और आपकी पीठ से भी कई बार निर्देश दिये गये हैं कि जब सदन की बैठक चल रही हो तो नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर नहीं होनी चाहिए । इसलिये मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दें ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी कई दिनों से सदन में नहीं आ रही हैं [illegible] में ही हैं । उनको सदन में आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना दूसरी है, जब आपकी सूचना आयेगी तो उसको सुना जायगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, समय-समय पर प्रमोद तिवारी जी ने और तमाम अन्य अगली पंक्ति के नेताओं ने इस आदरणीय सदन में राज्य विद्युत परिषद् के क्रियाकलापों के बारे में अपनी तथ्यात्मक बातों को कहा है कि परिषद् की कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए । माननीय सदस्यों के सुझावों का लाभ उठाकर सरकार ने राज्य विद्युत परिषद् के कार्यों की गहन समीक्षा की और जैसा कि उल्लेख किया गया, तिवारी जी ने जैसा कहा कि एक बैठक करके कुछ बातें मुख्य मंत्री जी ने कही है जिन्हें मैं अभी बताऊंगा । इसके पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि एक कम्पनी मेसर्स पैटनल हेज ने राज्य विद्युत परिषद् का गहन अध्ययन किया था और इस आशय की रिपोर्ट दी थी कि विद्युत बोर्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया जाय । मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार ने अभी इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है । जो पुरानी सरकार थी उसने एक राय बनायी थी और कुछ खरीद फरोख्त के लिये टेंडर की बात चली थी । लेकिन जिस वक्त नयी सरकार आयी उसने आते ही उसको निरस्त कर दिया ।

जगह-जगह से शिकायतें आ रही हैं और सदन में रोजाना विद्युत आपूर्ति को लेकर शिकायतें होती हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने अपने कार्यालय में बैठक बुलायी थी, और बैठक में मुख्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अगर विद्युत आपूर्ति में सुधार नहीं किया जाता है, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है, तो जो रिपोर्ट आयी है उस पर विचार करना होगा और सरकार विभाजन भी कर सकती है, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की कि विभाजन करूंगी, उन्होंने कहा कि अगर उतनी सुविधायें आदरणीय जनता को नहीं दे सकते हैं, जितनी अपेक्षायें हैं तो विभाजन किया जा सकता है। तिवारी जी ने मार्ग दर्शन किया, उसका लाभ होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाहर घोषणा नहीं की है। आज अगर कोई मामला आये कि सुरक्षा ठीक नहीं है और मुख्य मंत्री जी कोई इस संबंध में बैठक कर लें, और उसमें कहें कि अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम एक एडीशनल डी० जी० बनायेंगे। तो मान्यवर, जो नीतियां हैं उनके पालन के लिये कोई बैठक करती हैं तो नीयत साफ है। अगर काम ठीक नहीं होगा तो उनको चेतावनी देना सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है, इसलिये मान्यवर, यह नियम 300 में नहीं आता है। उसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

नेता सदन सदन, में नहीं आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो दूसरा प्रकरण हो गया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर मुख्य मंत्री जी के आने की बात करते हैं, मैं खबर करवा दूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी को बुलवा लेते हैं।

श्री ऊदल–

उनके आने से सदन की गरिमा बढ़ेगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस पर समाधान हो गया, नीतियां घोषित करेंगी, बाहर चेतावनी देंगी, अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उनको धमकायेंगी भी।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं। जब सदन चल रहा हो, उस समय मुख्य मंत्री को बाहर कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए, अगर घोषणा करनी है तो सदन में करनी चाहिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह नीतिगत घोषणा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने इसको अग्राह्य किया है।

आय-व्ययक की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु 24 से अनधिक दिवस नियत होने के बावजूद मात्र 16 दिन नियत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री बदन सिंह की है।

* श्री बदन सिंह–

श्रीमन्, आज मैं इस माननीय सदन के सामने एक ऐसा औचित्य का प्रश्न रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा यह सिद्ध होगा कि हम माननीय सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों के निर्वहन करने में बड़ी बाधा आ रही है और माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों एवं क्षेत्र की जनता के कार्यों को सम्पादित करने के लिये सदन में आये हैं और मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–188-ए के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि "अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिये 24 दिनों से अनधिक के दिन नियत करेंगे ।" यह विधान सभा का बजट सत्र है और इसमें विभिन्न विभागों के ऊपर विचार करने के लिये और मतदान करने के लिये केवल 16 दिन रखे गये हैं । 16 दिनों में 425 माननीय सदस्य अपना विचार रखने के लिये और मतदान करने के लिये समय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । समय प्राप्त न करने के कारण यह हैं कि एक-एक दिन में पांच-पांच और 6-6 विभागों के अनुदान लिये जा रहे हैं । इतने अनुदान लेने पर अपने विचार रखने के लिये पर्याप्त और यथासम्भव समय माननीय सदस्यों को नहीं मिल रहा है और इसके साथ ही साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि विधायिका का जो आय-व्ययक पर नियंत्रण करने का अधिकार है उस पर भी अंकुश लग रहा है और अरबों, खरबों की विभिन्न विभागों की अनुदानों पर माननीय सदस्यों को विचार करने के लिये सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं । मान्यवर, यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि तीन माह का लेखानुदान भी स्वीकृत कर दिया गया है । फिर समझ में नहीं आता कि इस माननीय सदन को चलाने के लिये सरकार काहे की कंजूसी कर रही है, 90 दिन तक सदन चलाने का प्राविधान है । 90 दिन तक सदन चलाने में अधिक से अधिक विधायकों को अपने विभिन्न विभागों के बजट पर अपने विचार रखने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिये जब समय नहीं मिलेगा तो किस प्रकार अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । मेरी यह औचित्य की सूचना संवैधानिक है और यह मौजूदा सत्र के कार्य क्यों प्रभावित करने में अविलम्ब स्थान रखती है, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में और विभिन्न विभागों पर अपने विचार रखने के लिये और पर्याप्त समय दें तथा विधान सभा का समय और बढ़ाया जाय इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप सरकार को यह निर्देशित करें कि मौजूदा बजट सत्र के दिनों को बढ़ाये ताकि सभी विधायकों को अपने विचार रखने के लिये और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिये अधिक से अधिक अपने अधिकार का प्रयोग करने का समय मिल सके ।

*डा० राम बाबू हरित

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 188 के उप नियम (1) और उप नियम (2) की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस धारा के उप नियम (1) के अनुसार अध्यक्ष, नेता सदन के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार तथा मतदान के लिये अधिक से अधिक 24 दिन नियत कर सकते हैं इसके साथ ही उपनियम (2) के अन्तर्गत अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेंगी जैसा कि नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करने के बाद निर्णय आये । मान्यवर, इस बजट सत्र में माननीय नेता विरोधी दल उपस्थित हो नहीं रहे हैं । इस बजट सत्र को 24 दिन तक चलाने के लिये अपना महत्वपूर्ण सुझाव रख सकते थे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं अपने को माननीय विधायक जो हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, इस सदन के काफी अनुभवी लोगों में आते हैं, उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और इस महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर सरकार से जानना चाहता हूं कि मात्र दो तिहाई दिन इस बजट सत्र के लिये नियत किया गया। यह जो बजट 95-96 का चल रहा है इसमें यदि हम 24 अगस्त की बात को ध्यान करें तो पायेंगे कि उस दिन ऊर्जा, पर्यटन, पर्यावरण, सहकारिता और मुस्लिम वक्फ विभाग के बजट रखे गये यदि इतने मुख्य-मुख्य विभागों का बजट एक ही समय में रखा जायेगा और इन महत्वपूर्ण विभागों को एक ही दिन सुना जायेगा तो यह प्रदेश की 16 करोड़ जनता के साथ अन्याय होगा। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्यावरण के ऊपर उस दिन की मिनिट्स को आप देखें तो एक भी सुझाव माननीय सदस्यों का इसमें नहीं आया है। जबकि पर्यावरण विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। अगर ओजोन की लेयर ब्रेक हो गयी या खराब हो गयी तो इस पृथ्वी से पूरा जन मानस ही खत्म हो जायेगा। मान्यवर, आपकी आदरणीय सम्मानित पीठ से यह बार-बार निर्देश दिया जाता है कि समय का अभाव है जल्दी से अपना वक्तव्य खत्म करें उससे जो भी सदस्य कुछ कहना चाहते हैं वह अपनी बात को पूर्ण रूप से नहीं कह पाते हैं। एक मानसिक दबाव एक मानसिक कष्ट उनके ऊपर आता है और जो बात वे कहना चाहते हैं उससे कभी-कभी वे भटक जाते हैं। नये सदस्य अपनी बात को अच्छी तरह नहीं रख पाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

डा० रमेश पोखरियाल जी तथ्य पूरे आ चुके हैं अगर कोई नई बात कहना चाहते हैं तो संक्षेप में कहें।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह व डा० राम बाबू हरित के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का एक मात्र यही वह समय होता है जब विभिन्न विभागों पर हो रही चर्चा में न केवल वे अपने विचार व्यक्त करते हैं अपितु शासन की जो कमजोरियां हैं विभाग में जो कमियां हैं और जो उनके सुझाव हैं, उन सबको सदन के माध्यम से विभागों तक पहुंचाते हैं। मान्यवर, सारे सदन में इस 425 सदस्यों के माननीय सदन में मुझे ऐसा लगता है कि 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे सदस्य होंगे जिनको अभी तक एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला होगा। किसी भी सदस्य के लिये यह महत्वपूर्ण क्षण है कि लाखों-लाख जनता ने सदन में चुनकर इसलिये भेजा है कि वहां की भावनाओं से सदन के माध्यम से शासन को अवगत करायें। मान्यवर, इस स्थिति में जितना समय मिलता है 2 मिनट में कौन सी समस्या हम सदन में रख लेंगे। यह अपर्याप्त समय है इससे सीधे-सीधे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है।

मान्यवर, 20 तारीख को माननीय मल्ल साहब ने इस बिन्दु को उठाया था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा था कि इसमें शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें निश्चित रूप से 90 दिन कम से कम दिये जायेंगे, इतने दिन सदन चलेगा। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अपनी बात रखने का प र्याप्त समय मिलना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, तीन सम्मानित साथियों ने हमारी नियमावली के नियम 188 की उपधारा (1) का हवाला देते हुए बजट के लिये चर्चा दिन कम हैं यह मामला उठाया । श्रीमन्, सम्मानित विधायक गण यह जानते हैं कि केवल विधायक ही एक ऐसी संस्था है जिनके कार्य परिभाषित नहीं हैं और जिनके कार्य के घंटे तथा समय परिभाषित नहीं हैं । हम लोगों से आम जनता की उम्मीदें इस सीमा तक जुड़ी हुई हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी समय, जैसे मान्यवर, अन्य कार्यालयों में 10 से 5 का समय रहता है, लेकिन विधायक के घर का कार्यालय का, न दिन का कोई भी समय परिभाषित नहीं किया गया कि कितने बजे से कितने बजे तक और कौन-कौन सा काम करेंगे ? इस प्रकार से जब पूरा दिन ही कर्तव्यों से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे में हमारे जितने सम्मानित सदस्य यहां विराजमान हैं, उनका समय से कार्य का समन्वय स्थापित करने की एक दिक्कत आती है कि किस प्रकार से हम क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करें, किस प्रकार से इस आदरणीय सदन में जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करें ?

इन सब को देखते हुए यह नियमावली बनाने वाले लोगों ने यह व्यवस्था की थी कि जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है जिस प्रकार हम लोगों का बाहर का कोई भी कार्य परिभाषित नहीं है, हमारे कार्य के समय परिभाषित नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इस आदरणीय सदन के भी कार्य के घंटे परिभाषित नहीं हैं । हम लोगों के यहां 11 बजे से बैठने का समय तो परिभाषित है लेकिन रात में कितने बजे उठेंगे यह परिभाषित नहीं है ? बहस के लिये कम समय मिल रहा है, सदन गवाह है, माननीय सदस्य सहमत होंगे कि सामान्य सूचनाओं पर भी दिन में 23 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, उनमें भी आपने किसी-किसी में 40 सदस्यों को सुना है ? और बजट चर्चा में भी कभी-कभी रात के 9.00 बजे और उसके बाद भी उठते हैं । तो इस तरह से न तो बाहर का घंटा तय है और न ही कर्तव्य है और न ही विधान सभा में कितनी देर तक बैठेंगे यह तय है ? श्रीमन्, अबकी बार जो विधान सभा चल रही है, इसके पूर्व भी जब विधान सभा चली थी तो कुछ अप्रिय बातें हो जाती थीं और माहौल गर्म व कटु हो जाता था लेकन इस बार जो विधान सभा चली है उसमें यह स्थिति नहीं आने पायी है, जो कुछ भी हुआ वह पारिवारिक माहौल में हुआ, खूब बहसें हुई, तर्क-वितर्क हुए और यदि कभी कुछ हुआ भी तो वह हंसी-खुशी में ही निपट गया कोई कटुता नहीं आने पायी । मान्यवर, आज हम विधायकों के पास बहुत काम है ।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि सन् 1987 में 12 दिन, 1988 में 13 दिन विधान सभा में चर्चा हुई । तिवारी जी आप नाराज मत होना मैं सिर्फ आंकड़े गिना रहा हूं । 1989 में 14 दिन, 1990 में 16 दिन और 1991 में 1 दिन चर्चा हुई ।

श्री प्रमोद तिवारी–

1991 में किसकी सरकार थी यह बता दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

तिवारी जी, आप तो भिज्ञ हैं । यह जो आंकड़े हम बता रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार की गलती थी । हमारे पास बहुत काम है । तो मान्यवर, 1993 में तो राष्ट्रपति शासन लागू था और 1994 में 16 दिन चर्चा हुई । तो इस लिहाज से इस आदरणीय सदन में गहन चर्चा हो रही है और काफी समस्यायें हैं । सरकार हाउस के लिये उत्तरदायी है । आपने कृपापूर्वक सुना । यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता है इसको आप निरस्त करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय बदन सिंह जी, माननीय डा० राम बाबू हरित जी और माननीय डा० रमेश पोखरियाल जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को भी सुना । यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

वाराणसी में श्रृंगार गौरी पर कथित जलाभिषेक के सम्बन्ध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा दिये गये बयान विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना श्री माननीय किरन पाल सिंह जी की है, को ले रहा हूं

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, विगत दिनों माननीय सदन में ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा के संबंध में और मस्जिद की दिवालों के ऊपर जल चढ़ाने की चर्चा हुई । सभी माननीय सदस्यों ने मस्जिद की सुरक्षा से संबंधित विषय पर चिन्ता व्यक्त की और उसके जवाब में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया । मैं उसकी तफसील पर नहीं जाना चाहता हूं । मैं बहुत ही सूक्ष्म बातें रखूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पहले दिन की चर्चा का जो जवाब दिया वह यह था कि जो मेरे पास फैक्स से और अधिकारियों ने जो सूचनायें मुझे दी हैं मैंने उसका पढ़ दिया है । मान्यवर, जो प्रशासन सूचना देता है उसे माननीय मंत्री पढ़ देते हैं यह बात सही है । दूसरे दिन फिर उसी विषय को उठाया गया कि मस्जिद की दिवाल पर जलाभिषेक किया गया और वहां पर मार-पीट हुई, लाठीचार्ज हुआ और कई लोग उसमें घायल हुए । किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि वहां पर बम विस्फोट हुआ और लोग घायल हुए।

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि माननीय ऊदल जी ने कहा था कि आई० जी० कार्मिक से जांच करा लेंगे मैं उससे सहमत हूं । फिर माननीय तिवारी जी ने कहा कि इसकी जांच आप रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन या सदस्य से करा लें, मैं उससे सहमत हूं यह आश्वासन आपने दिया । मान्यवर, गम्भीर स्थिति कल से सामने आयी है । माननीय सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना पर छानबीन के बाद जवाब दिया और यह कहा कि हम जांच करायेंगे, जो भी घटना घटी है। लेकिन जो आज तक सामने आया है, यह कार्यक्रम विश्व हिन्दू परिषद् का था और उसके सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जलाभिषेक का कार्यक्रम इस प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय मायावती जी की सहमति से तय हुआ था ।

मान्यवर, उन्होंने यह भी कहा कि जल चढ़ाने का ही कार्यक्रम तय हुआ था, उसके आगे कोई बात तय नहीं हुई थी तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह की अनुमति दी गई है तो क्या यह सम्भावना नहीं हो सकती थी, जैसा कि पहले हो चुका है कि कोर्ट में कहने के बाद मुकर जाय, आगे मस्जिद की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा नहीं हो सकता था । आगे आने वाले समय में फिर जल चढ़ाने की सुविधा दी जाय, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा और माननीय कल्याण सिंह अश्वासन ले लें कि वहां पर भीड़ जो इकट्ठी होगी, उस पर गोली नहीं चलेगी, उसे वहां से हटाया नहीं जायेगा तो क्या 6 दिसम्बर वाली घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है ? सदन में जो बताया गया, उसके संबंध में हम अपेक्षा करते थे कि माननीय मंत्री जी यह कहते कि हमारी सरकार ने इस तरह की अनुमति दी थी और इस बात के लिये भरोसा दिया था कि वहां दीवार पर केवल जल चढ़ाया जायेगा, इससे आगे कुछ

नहीं होगा, लेकिन मान्यवर, जब वहां पर लोगों ने इससे आगे करने की कोशिश की और उनको रोकना चाहा गया तो लाठीचार्ज हुआ ।

मान्यवर, सरकार के मंत्री, जो सामूहिक जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व निभाते हुए जवाब दे रहे थे, क्या हम अपेक्षा करें कि इसके खिलाफ कार्यवाही होगी जो सहमति से कार्य हुआ है । मैं स्पष्ट रूप से औचित्य का प्रश्न उठाता हूं, यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है । माननीय मंत्री जी का जबाब है और सरकार की तरफ से आया हूं जो बात अन्दर तय हो चुकी थी, उसको छिपाकर माननीय मंत्री जी द्वारा गलत बात सदन के सामने रखी गयी है, मुझे इस औचित्य प्रश्न को उठाने की अनुमति दें ।

* श्री धर्मपाल यादव–

मान्यवर, हमारे मुल्क का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सरकार की प्रतिबद्धता और सरकार का स्वरूप भी धर्मनिरपेक्ष है । मान्यवर, अभी पिछले दिनों ज्ञानवापी मस्जिद के प्रकरण से पूरा वातावरण निजात भी नहीं पाया था और पूरे वातावरण में, समाज में एक तनाव की स्थिति व्याप्त थी, जो अभी तक है, अभी आज सुबह जैसा कि समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक तनावपूर्ण बयान देकर इस पूरे समाज में, पूरे वातावरण में एक तनाव की स्थिति पुनः पैदा कर दी है । मान्यवर, यह कहना कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सुरक्षा कामों के लिये उनकी ड्यूटी किसी जगह नहीं लगनी चाहिए, यह धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को चुनौती देता है और मैं समझता हूं कि ऐसा बयान कि यह कहना, कि हम हज पर यात्रियों को जाने नहीं देंगे, उचित नहीं है । मान्यवर, आज यह प्रदेश विकास के पथ पर है और इसका स्वरूप यह होना चाहिए था कि हम सब लोगों को मिलकर, ऐसी व्यवस्था, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जिसमें सब लोगों की, उनके विचारों की, किसी की भावनायें आहत न हों एक ऐसा वातावरण सभी लोगों को मिलकर पैदा करना चाहिए लेकिन मुझे दुख है, इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न के द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि ऐसे बयानों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगना चाहिए क्योंकि ऐसे बयानों से समाज और वातावरण में तनाव पैदा होता है । उस तनाव से महज किसी एक वर्ग विशेष या जाति विशेष या सम्प्रदाय विशेष के लोगों को ही आहत नहीं होना पड़ता है, बल्कि सभी लोगों को चाहे डाक्टर हो, वकील हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, सभी को इससे तकलीफ होती है । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सरकार अपने स्वरूप को कायम रखते हुए और धर्मनिरपेक्षता को कायम रखते हुए ऐसे लोगों के बयान के खिलाफ कार्यवाही करे ।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊदल जी सूचना तो केवल दो माननीय सदस्यों की थी, उनको सुन चुका हूं । अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षेप में कहें ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं बनारस का रहने वाला हूं इसलिये इस पर मेरा बोलना जरूरी है । मैं केवल दो बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं, पहला बिन्दु तो यह है कि एक तारीख को माननीय मंत्री जी ने दोबारा बयान दिया, जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था और 50–60 लोगों को चोट लगी, वे लोग शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में भर्ती किये गये और जो सूचना अधिकारियों ने भेजी थी उसमें बहुत सी बातें सत्यता से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परे थी, सही रिपोर्ट प्रशासन के अधिकारियों ने नहीं दिया । दूसरी बात यह कह रहा हूं कि अभी भारत सरकार ने एक मीटिंग इस मसले पर बुलायी थी और उसमें लोक सभा में विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा कि काशी और मथुरा यह हमारे एजेन्डे में नहीं है ।

लेकिन माननीय कलराज मिश्र जी, जो विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने इसके विपरीत बयान दे दिया जबकि भा०ज०पा० का उच्च नेतृत्व यह कहता है कि ये दोनों हमारे एजेन्डे में नहीं हैं। यह जो जलाभिषेक का कार्यक्रम था वह विश्व हिन्दू परिषद् एवं बजरंग दल का था यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें सहयोग रहा हो । लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्र जी ने कानपुर में एक बयान जारी किया और कहा कि बनारस में जो कुछ हुआ है, उसकी अनुमति माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी थी और इस प्रकरण में प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्री जी को भी लपेटा गया है । क्या सही है, क्या गलत है यह तो वह जाने लेकिन यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बैठी हैं इसलिये इसकी सफाई हो जानी चाहिए । भारतीय जनता पार्टी जो कि सहयोगी दल है, उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाया गया और हिन्दुस्तान और बनारस की जो साम्प्रदायिक एकता और धर्म निरपेक्षता है, उसको बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया गया । अगर इसको आगे इजाजत दी गयी तो पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया होगी और साम्प्रदायिक एकता नष्ट होगी, इसलिये मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर माननीय किरन पाल सिंह एवं श्री डी० पी०यादव तथा सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री ऊदल जी को सुना । चूंकि नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, इसलिये सभी सदस्यों की जिज्ञासा होगी कि इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दें, इससे स्थिति स्पष्ट हो जायगी । कदाचित यही चाहत प्रमोद तिवारी जी की भी होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस विषय पर हमारी पार्टी का नाम लिया गया है, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का नाम लिया गया है, कलराज मिश्र जी का नाम लिया गया है, इसलिये मुझे भी सुन लें, यह मेरी प्रार्थना है ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी एवं तिवारी जी बैठ जायं । अगर आप लोगों को सुनूगां तो औरों को भी सुनना पड़ेगा ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े रहने से–व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, आपने मानीनय नेता सदन को बोलने की अनुज्ञा दे दी और वह खड़ी भी हो गई । मान्यवर, जब नेता सदन बोलने के लिये खड़े हो जायं तोफिर बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए । यह काई संसदीय परम्परा नहीं है कि बीच में खड़े होकर बोलना शुरू कर दें । कोई संसदीय परम्परा नहीं है कि बीच में खड़े होकर बोलना शुरू कर दें ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों तथा श्री प्रमोद तिवारी के एक साथ खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, श्री किरनपाल सिंह जी व श्री डी० पी० यादव जी ने इस औचित्य के प्रश्न को उठाया था । चूंकि श्री ऊदल जी बनारस के रहने वाले हैं, इसलिये उन्होंने अनुरोध किया कि मेरे कहने से स्थिति और स्पष्ट हो जायगी । इसलिये मैंने श्री ऊदल जी को अवसर दिया । इसके बाद मैंने आप माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को देखते हुए, जबकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि चूंकि इसमें मुख्य मंत्री जी का जिक्र है और वह इस समय सदन में उपस्थित भी हैं, इसलिये वह स्वयं सुस्पष्ट उत्तर आप लोगों को दे देंगे, जिससे आप लोगों की जिज्ञासा शान्त हो जायगी । माननीया मुख्य मंत्री जी खड़ी हो गयी हैं और यह परम्परा भी रही है कि जब नेता विरोधी दल व माननीय नेता सदन बोलने के लिये खड़े होते हैं तो अन्य सभी माननीय सदस्य बैठ जाते हैं । इसलिये आप लोग शान्ति से माननीय नेता सदन को सुनें ।

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री किरनपाल सिंह जी ने नियम 300 के अन्तर्गत इस सदन का ध्यान दिनांक 31 जुलाई, 1995 को काशी विश्वनाथ मन्दिर/ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी पर कथित जलाभिषेक के प्रकरण को लेकर फैल रही भ्रान्ति की ओर आकर्षित किया है, कई माननीय सदस्यगण ने अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा शासन की ओर से सदन में जवाब भी दिया गया है । मैं आवश्यक समझती हूं कि इस प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति सदन के समक्ष रखी जाय । दिनांक 31 जुलाई, 1995 को सावन का तीसरा सोमवार था । विश्व हिन्दू परिषद् तथा बजरंग दल आदि हिन्दु संगठनों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त उक्त दिनांक को श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक करने की घोषणा की थी । दोनों सम्प्रदायों के मध्य वर्ष 1942 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में उन्हें दिये गये अधिकार अभी भी लागू हैं ।

श्रृंगार गौरी पर वर्ष में केवल एक बार चैत के महीने में पूजा, अर्चना, एवं जलाभिषेक का कार्यक्रम परम्परागत तरीके से आयोजित होता रहा है । अतः हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूर्व में प्रचलित परम्पराओं एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जायगी और इस संबंध में कोई नई परम्परा किसी भी परिस्थिति में शुरू नहीं करने दी जायेगी । मान्यवर, आप अवगत होंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर/ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पूर्ण सुरक्षा हेतु अक्टूबर, 1994 में भारत सरकार को सूचित सुरक्षा योजना के अनुसार व्यवस्था की गयी है । इसकी जिम्मेदारी अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा को दी गयी है । दिनांक 31 जुलाई, 1995 को विश्व हिन्दू परिषद् आदि के उक्त घोषित कार्यक्रम को देखते हुए इस अवसर पर प्रश्नगत परिसर की सुरक्षा हेतु कुल मिला कर पी० ए० सी० एवं केन्द्रीय बल की 15 कम्पनियां और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था ।

काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम प्रातः 2.30 बजे से प्रारम्भ हुआ । प्रातः 9.00 बजे से श्री अशोक सिंघल तथा श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित, सांसद 3000 कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञानवापी परिसर में जुलूस के साथ प्रवेश किये तथा श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजा, अर्चना एवं जलाभिषेक करने की इच्छा प्रकट की । उन्हें स्पष्ट किया गया कि श्रृंगार गौरी की पूजा, अर्चना तथा जलाभिषेक परम्परागत ढंग से प्रत्येक वर्ष चैत के महीने में किये जाने की व्यवस्था है । अतः गौरी पर पूजा, अर्चना व जलाभिषेक की अनुमति नहीं दी गयी । श्री अशोक सिंघल तथा उनके साथियों ने श्रृंगार गौरी के दर्शन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की आज्ञा चाही । परिसर की सुरक्षा हेतु लगाये गये बैरिकेटिंग के अन्दर श्रृंगार गौरी से लगभग 10-15 फिट की दूरी से सिंघल सहित 32 व्यक्तियों को श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति दी गयी । बैरीकेटिंग के अन्दर आने पर उन्होंने पुनः श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया । उनके साथ एक साधू ने बैरीकेट के अन्दर जमीन पर जल गिरा दिया किन्तु यह सुनिश्चित है कि किसी को भी श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक नहीं करने दिया गया ।

माननीय सदस्य ने माननीय कलराज मिश्र जी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कहा है कि श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक शासन की अनुमति से हुआ है । मैं यह पुनः स्पष्ट करना चाहती हूं कि श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक हुआ ही नहीं । जहां तक सरकार से अनुमति का प्रश्न है इस बारे में अवगत कराना चाहती हूं कि आदरणीय मिश्र जी या अन्य किसी नेता ने हमसे कोई अनुमति मांगी ही नहीं, और यदि अनुमति मांगते तो भी अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि सरकार का मत इस मामले में पूर्णतया स्पष्ट है जिसका मैंने उल्लेख किया है । इस संदर्भ में मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगी कि जन्माष्टमी के अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा मथुरा में विष्णु महायज्ञ व विराट हिन्दू सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम बनाया गया है तथा परिसर की परिक्रमा का भी कार्यक्रम है । इस संबंध में भी राज्य सरकार का दृढ़ निश्चय है कि श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही मस्जिद परिसर के अन्दर किसी भी नई परम्परा को कायम नहीं होने दिया जायगा । इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश देकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के प्रबन्ध कर दिये गये हैं ।

हाल ही में श्री अशोक सिंघल द्वारा अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में यह बयान दिया गया है कि यदि अमरनाथ यात्रा में कोई व्यवधान पड़ती है तो हज यात्रा में भी व्यवधान डाला जायगा । इस विषय में भी राज्य सरकार ने सभी जिलों को सख्त आदेश दिये हैं कि हज यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न होने पाये ।

बनारस के इस समूचे प्रकरण में हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं की अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिये तीन स्थानों–खत्री मेडिकल स्टोर, ज्ञानवापी मस्जिद के प्रवेश द्वार व नन्दी की मूर्ति पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा । फलस्वरूप 15 पुलिसकर्मियों व 51 कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आयीं ।

मान्यवर, यह उल्लेखनीय है कि बनारस के समूचे प्रकरण में राजनीतिक लाभ उठाने के लिये समाजवादी पार्टी व समता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया । इन पार्टियों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने जुलूस बना कर श्री अशोक सिंघल के कार्यक्रम के प्रति अपना विरोध ज्ञानवापी परिसर में जाकर प्रदर्शित करने की चेष्टा की, जो निश्चित रूप से अनावश्यक तथा गैर जिम्मेदाराना बात थी । उन्हें ऐसा करने से मना किया गया क्योंकि इससे आपसी टकराव की आशंका थी, जिसका लाभ असामाजिक तत्व भी उठा सकते थे । उनके न मानने पर श्री पारसनाथ मौर्य, सदस्य, विधान परिषद् को सम्मिलित करते हुए कुल 85 व्यक्तियों को धारा 151 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और बाद में मजिस्ट्रेट के आदेश से रिहा कर दिया गया । इसके अतिरिक्त ज्ञानवापी मस्जिद के पास बैरीकेटिंग को हटा कर आगे बढ़ने वालों में समाजवादी पार्टी के लोग सम्मिलित थे जिन्होंने जानबूझकर गड़बड़ी फैला कर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जिससे राज्य सरकार को बदनामी मिली । इतने संवेदनशील मामले में इस प्रकार की अनुचित हस्तक्षेप करके उनके द्वारा हमारी सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी कोशिश की गयी थी जो प्रशासन की जागरुकता के कारण नाकाम कर दी गयी ।

हमारी सरकार द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1995 को वाराणसी में जिस निर्भीकता एवं सुदृढ़ता से स्थिति का सामना करते हुए प्रश्नगत परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी और पूजा अर्चना में किसी

प्रकार की नई परम्परा स्थापित नहीं होने दी गई, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है अंजुमन इन्तजामियां मस्जिद कमेटी के सदर तथा मुफ्तिये बनारस मुहम्मद अब्दुल बासित ने भी जिला [1 बजकर 25 मिनट] प्रशासन की मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था के चलते नई रवायत (परम्परा) कायम न होने के बारे में बयान दिये हैं।

मान्यवर, हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी सरकार साम्प्रदायिक सद्भावना की स्थापना के लिये कृत संकल्प है और काशी विश्वनाथ मंदिर/ज्ञानवापी परिसर तथा उससे जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता के बारे में पूर्ण सजग है हम इस ओर कड़ी दृष्टि रखे रहेंगे और ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं होने देंगे जो संविधान, विधिक प्राविधानों अथवा परम्पराओं के विपरीत हो तथा जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हो।

यह सूचना नियम 300 में कहीं से नहीं आती है क्यों कि इसका सदन के कार्य संचालन से कहीं दूर का संबंध भी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि आप इसे फिर से करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में यह सूचना बिल्कुल नहीं आती है, इसलिये मैं इसको निरस्त करता हूं।

अब दूसरी सूचना है श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की

श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक से सम्बन्धित औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे आप पहले सुन लें।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि नियम 300 में हम लोगों की सूचनाएं हैं.....

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं अगली सूचनाओं को ले रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। तिवारी जी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, औचित्य के प्रश्न पर भी उनका औचित्य का प्रश्न है। वैसे तिवारी जी सदन व्यवस्थित है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझ से आप कुछ न कहियेगा। मैं शान्तिपूर्वक हूं और सहयोग भी कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं.....

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

अभी माननीय मुख्य मंत्री ने.....

(व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण और मंत्रिगण से मेरा अनुरोध है कि सदन के संचालन में मेरा सहयोग करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी का औचित्य के प्रश्न पर एक बयान आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण शांति बनाये रखें। अगर माननीय मंत्रियों को पत्र लेना हो तो जिस तरह का प्रदर्शन यहां पर होता है, न तो सदन के लिये शोभाजनक है और न ही माननीय सदस्यों के आचरण और गरिमा के अनुकूल है। जो भी सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको सुनना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। जिसको कहा जाय, उसको बोलने दिया जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय किरन पाल सिंह, श्री डी०पी० यादव और श्री ऊदल जी ने जो बात उठायी उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ गया और उस प्रश्न को निरस्त भी कर दिया गया लेकिन उसके तुरन्त बाद व्यवस्था का कैसा प्रश्न खड़ा हो गया।

(व्यवधान)

श्री ऊदल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति तो आप देंगे। अगर नियमावली के अनुरूप न हो तो आप कह सकते हैं कि नहीं सुनेंगे। लेकिन व्यवस्था का प्रश्न तो आपके अनुमति देने पर ही उठाया जायेगा, अनुमति के बिना नहीं उठाया जायेगा। तिवारी जी को आपने अनुमति दी है, इसलिये वह खड़े हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कैसी व्यवस्था का प्रश्न है ? मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। कोई इजाजत नहीं है, नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपकी पीठ के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल के नेता.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किस नियम का यहां उल्लंघन होगया है, मुझे बता दें ?

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप शांत हो जायं तो मैं बताऊंगा। मुझे तो बोलने दें। मेरा यह कहना है चाहे आप अग्राह्य कर दीजिये, अस्वीकार कर दीजिये लेकिन व्यवस्था न कहने दें, यह अजीब परम्परा हो गई है।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय तिवारी जी बता दें किस नियम का उल्लंघन हो गया अभी थोड़ी देर पहले।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164(2) में है कि मंत्रि परिषद् सदन का उत्तरदायी होता है। बी० जे० पी० और बी० एस० पी० की मिली जुली सरकार है। [× × ×]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने भी अनुमति ली थी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इन्होंने नियमों का उल्लेख किया है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह बैठ जायें । माननीय तिवारी जी ने जिस अनुच्छेद का अभी जिक्र किया है 164(2) उसको मैं देख रहा हूं व्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर सदन को अव्यवस्थित करने की कोई इजाजत नहीं है । चाहे वह कोई सदस्य हो ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

जो प्रमोद तिवारी जी व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था कह रहे हैं उसको लिखा नहीं जाएगा । उसको छापा नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल–

अब राजेन्द्र कुमार गुप्त जी खड़े होकर कौन सी व्यवस्था उठा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

अब फिर उसको संज्ञान में लाया जा रहा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह आरोप सदन के दूसरे माननीय सदस्य के विरुद्ध लाया गया है । माननीय कलराज मिश्र जी विधान परिषद् के सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

यह परिपाटी रही है कि किसी दूसरे सदन के सदस्य के ऊपर आरोप न लगाये जायं । क्योंकि वह यहां पर जवाब देने के लिये उपस्थित नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा जो आपत्तिजनक शब्द होंगे उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री किरनपाल सिंह–

जो भी लोग बोल रहे हैं उन सबकी बातों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाए । केवल प्रमोद तिवारी का ही क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमारी नियमावली में यह प्राविधान है कि अगर किसी दल के नेता के बारे में कोई आरोप लगाया गया है तो उसकी पार्टी के नेता को उसके बारे में जवाब देने का अधिकार है । श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो बातें कही हैं उसका मैंने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि उन्होंने अखबार के आधार पर अपनी बात कही । ऊदल जी जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने ग्राह्यता पर बोलते समय दो बातें कहीं जिसमें एक हमारे दल के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी के बारे में और एक बात श्री कलराज मिश्र के बारे में कह दी ।

श्री अध्यक्ष–

श्री गुप्त जी क्या आप व्यवस्था पर बोल रहे हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री ऊदल जी ने जो बातें कही हैं उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मथुरा काशी के बारे में हमारी नीति क्या है ? मेरी यह सोच है कि मथुरा और काशी यह मूल रूप में हिन्दू मंदिर थे और तोड़कर मस्जिद बनायी गयी है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

लेकिन यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एजेण्डे में शामिल नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, [× × ×]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, [× × ×]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल को बुलाया है । मेरी अनुमति के बिना जो बोला जायगा वह लिखा नहीं जायगा ।

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, जिनको सिनेमा देखना है या सरकस देखना है वह जायं, यहां पर सदन का समय बरबाद न करें।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह बैठ जायं।

आदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है कि सदन का बहुमूल्य समय नष्ट न किया जाय। आगे बहुत सारी मदें हैं और आज नियम 300 में जो सूचनायें माननीय सदस्यों ने दी हैं वह काफी महत्वपूर्ण हैं। नियम 300 में माननीय सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित सूचनायें आयी हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर मैं आप लोगों को सुनूं। लेकिन इस तरह से हो-हल्ला में सदन का समय खर्च करेंगे तो यह उचित नहीं है और न ऐसी परम्परा या परिपाटी रही है। जिसको मैं कहूं वह बोलें एक अच्छी वस्थ परम्परा डालें और सदन संचालन में पूरा सहयोग करें। अगली सूचना माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल की है, जिसको मैं अनुमति दूंगा वही माननीय सदस्य बोलेंगे, जो मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे वह न लिखा जायगा और न कहीं प्रकाशित किया जायगा।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, विधान सभा की समस्त कार्यवाही का संचालन संविधान के आदेशों और विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अनुसार होता है। विधान सभा और आपको सहयोग देने के लिये शासन ने अनेक समितियों का गठन किया है। विधान सभा की अनेक समितियां जैसे विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति आदि ऐसी समितियां हैं जिनके पदेन सभापति, विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष होते हैं। विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव पिछली बार किया गया था और अभी तक नहीं किया गया है। इस नाते अनेक कठिनाइयां हमारे सामने खड़ी होती हैं। मान्यवर, जो समितियां बनायी गयी हैं वह सरकार के कामकाज की समीक्षा करती हैं और जो जनप्रतिनिधियों के अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करती हैं। ऐसे तमाम सारे बिन्दुओं को कार्यान्वित करने के लिये विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। मैंने इस ओर आप का ध्यान इसलिये आकृष्ट किया है कि उपाध्यक्ष का चुनाव तत्काल कराया जाये।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष के चुनाव का विषय आता है। पिछली बार भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ जिसके कारण अनेक समितियां जिनकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष स्वयं करते हैं, वह निष्प्रभावी रहीं। इसीलिये मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है कि उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाये, जिससे समितियां निष्प्रभावी न हों और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

यह सही है कि इस आदरणीय सदन का एक उपाध्यक्ष होना चाहिए और यह संविधान में और हमारे नियमों में व्यवस्था है और परम्परा है कि मुख्य विरोधी दल के सदस्य को इस पद पर आसीन किया जाता है, लेकिन इस बार जो मुख्य विपक्षी दल है वह विधान सभा में आ नहीं रहा है और जब आपने नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया था, तो उनसे अनुरोध किया गया था, तो उनसे सम्पर्क का प्रयास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा रहा है, जिससे उपाध्यक्ष के चुनाव में उनकी परामर्श का सरकार लाभ उठा सके और उपाध्यक्ष का चुनाव करवा दिया जायेगा । यह नियम 300 का विषय नहीं है, इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली के नियम 19 में उपाध्यक्ष के चुनाव का अधिकार मुझे है इसकी शक्ति मुझे दी गयी है, यथा शीघ्र इस पर मैं निर्णय लूंगा । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसको मैं अग्राह्य करता हूं ।

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–155 का त्रुटिपूर्ण उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की है ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम सभी माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन में अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में प्रश्न करते हैं और चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी जो उत्तर दें, वह सही हो और उस उत्तर के आधार पर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, जो आपने कहा है कि गलत उत्तर आया है, तो मेरी व्यवस्था को सुन लें, प्रश्न सं० 155 के संबंध में जो आपने बात कही है, उस संबंध में अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निर्देश सं० 165 में यह व्यवस्था है कि अगर कोई त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहें तो उस विषय का निदेश सदन में करने से पूर्व वे अध्यक्ष को पत्र लिखकर उस त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे, तो आप लिखकर दे दें उसका परीक्षण करा लिया जायेगा ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

इस विषय पर तीन बार प्रश्न कर चुका हूं लेकिन उत्तर सही नहीं मिल रहा है.....

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप जो कह रहे हैं, उसे लिखकर दे दें, मैं परीक्षण करा लूंगा । अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों को आप देखें उसमें है 165-66 में यह व्यवस्था है । अगर कोई गलत उत्तर देता है तो लिखकर दें, मैं उसका परीक्षण करा लेता हूं और जो भी कार्यवाही हो सकती है वह करूंगा । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं ।

विधायकों की सुरक्षा में लगे गनर का टी० ए० डी० ए० एक निर्धारित धनराशि में दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री रंग नाथ मिश्र–

मान्यवर, विधायकों के लिये सुरक्षा गार्ड और गनर दिये जाते रहे हैं । पिछली सरकार में कुछ ऐसे लोगों को, विधायक के अतिरिक्त, लोगों को सुरक्षा गार्ड और गनर उपलब्ध करा दिये गये थे, उसमें कुछ अनियमिततायें भी पायी गयी थी इसलिये सभी गनर के टी० ए० डी० ए० पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया मान्यवर, विधायक दिन भर अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं और लखनऊ में भी विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये उनको आना पड़ता है, पार्टी की अन्य बैठकों में प्रदेश के बाहर दिल्ली आदि प्रदेशों में भी जाना पड़ता है इसलिये उनके गनर को अगर टी०ए० डी० ए० की व्यवस्था नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की जायेगी तो उनकी सुरक्षा में परेशानी होगी । इसके बाद शासन से एक आदेश हुआ कि प्रत्येक विधायक को जो गनर और शैडो मिले हुए हैं उनको 1500 रुपया प्रतिमाह निर्धारित टी० ए० डी० ए० दिया जायगा लेकिन 25 अप्रैल, 1995 को फिर एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें कुछ लोगों को छूट दी गयी ।

मान्यवर, 1500 रुपये में क्या होगा ? जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि विधायकों के कार्य करने की सीमा असीमित होती है, बहुत कार्य करना पड़ता है । 24 घण्टा दौड़ना और कई-कई कि०मी० चलना होता है । विधायक के गनर को 50 रुपये प्रतिदिन दिये जा रहे हैं जो बहुत कम है । हम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है इतने पैसे में सभी गनर आने जाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं । अभी 25 अप्रैल, 1995 को एक शासनादेश निकला था कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय [× × ×] के सुरक्षा गार्ड के लिये यात्रा भत्ता में कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय, उनके बिल पास कर दिये जायं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन के सदस्य भी बहुत महत्वपूर्ण कामों में लगे रहते हैं उनके सुरक्षा गार्ड और गनर को 1500 रुपये में परेशानी होती है उनके भत्ते को बढ़ाया जाय । जो भी माननीय मुख्य मंत्री भूतपूर्व हो गये हैं उन्होंने अपने परिवार के लिये सुरक्षा गार्ड ले रखे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो विषय है उसी पर बोलें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, जो सुरक्षा गार्ड दिये गये हैं उनको वास्तव में परेशानी होती है और वह आये दिन शिकायत करते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय [× × ×] के लिये और माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये.....

श्री अध्यक्ष–

जो विषय वस्तु हो उसी पर बोलें । विधायकों की सुरक्षा में लगे गनर के टी० ए० डी० ए० के लिये है तो उसमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहां से आ गये ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैंने उदाहरण दिया । मान्यवर, मैं कह रहा था कि इसमें कुछ छूट होनी चाहिए जिससे कि उनको आने जाने में हम लोगों के साथ दिक्कत न हो ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय [× × ×] सम्मानित हैं और इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लूंगा और देखकर आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

नोट :— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, यह विषय बिल्कुल सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। यदि माननीय विधायक के गनर जाने से इंकार करते हैं तो गनर बदल दिया जायेगा, कठोर कार्यवाही की जायगी, अगर वे कहीं नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह जो माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने गनर और शैडो की बात कही तो उन्होंने बदलने की बात नहीं की बल्कि माननीय विधायकों के पास जो शैडो गनर लगे हुए हैं उनका एक टी० ए० डी० ए० कर दिया गया है। जब माननीय सदस्य कहीं बाहर जाते हैं उस समय के लिये वे शैडो जो लगे हुए हैं, कहते हैं कि वे जाने में असमर्थ हैं कहते हैं कि उन्हें टी० ए० डी० ए० मिलना नहीं है। माननीय विधायकों की सुरक्षा के लिये इस पर मैं चाहूंगा कि अपनी बात स्पष्ट करें।

श्री राजबली यादव–

मान्यवर, 12 बजे लखनऊ आना है दल के नेता का संदेश आया है अब वे कहते हैं कि एस० पी० के यहां जाकर परमिशन ले लें वह अव्यावहारिक बात है।

अब बताया जा रहा है वह बात खत्म हो गयी है, वह बात खत्म हुई। अब कर दिया है कि 15 सौ रुपया ही मिलेगा, मान्यवर, यह जो बाधा है, वह हटनी चाहिए।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इसमें एक समस्या है, जो गनर शैडो हैं जिनके पास, वह एक जैसी व्यवस्था चाहते हैं जिन-जिन को गनर शैडो दिये जा रहे हैं सरकार की तरफ से सबके लिये टी० ए० डी० ए० का एक ही नियम हो। चाहे 15 सौ हो चाहे 1 हजार हो या 2 हजार हो या खुला रख दिया जाय। उनकी शिकायत है कि कुछ विशेष लोगों के साथ जो हैं उनको पूरी छूट है और जो सामान्य विधायकों के साथ हैं उनका बंधा हुआ है। सबको एक जैसा रखें, यह वे चाहते हैं।

श्री ऊदल–

श्रीमन्, यह बिल्कुल एक दम बेकार है, सारे बजट का रुपया इसमें जा रहा है, दो शैडो गनर के साथ उछलते हुए एक साहब चले आ रहे थे। श्रीमन्, मुझे दो बार, एक बार कल्याण सिंह जी ने भेजा जब उनकी सरकार थी दिन भर बैठा रहा शाम को उसको किराया दिया और मैंने कहा कि मैं लिख देता हूं कि अपनी सुरक्षा की गारंटी हम अपने आप ले लेते हैं तुम्हारी भइया जरूरत नहीं है उसने कहा कि एस० एस० पी० को लिख दीजिये नहीं तो वह मार डालेगा तो मैंने कहा कि मैं एस० एस० पी० को लिख देता हूं। फिर दूसरी बार इस सरकार ने भेजा वह दिन भर बैठा रहा कहा मुझसे कि एस० एस० पी० ने भेजा है हमने कहा कि हमको कतई जरूरत नहीं है इंदिरा गांधी मार दी गयीं, राजीव गांधी मार दिये गये, जिनकी तो विशेष सुरक्षा थी, और बहुत से लोग मारे गये, रोडवेज का मुझसे किराया लो और भइया जाओ, एस० एस० पी० को लिखे देता हूं। सब बेकार है। हम सचमुच में जनप्रतिनिधि हैं तो खुद हमें अपनी रक्षा करनी चाहिये इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर रुपया खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें। ऊदल जी आदर्श हैं।

श्री ऊदल–

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई अपनी सुरक्षा के लिये शेडो न ले अगर सरकार ने प्राविधान किया है तो वह ले उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई उसको ले । कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि 15 सौ उनका टी० ए० डी० ए० कम है यह एक सा कैसे हो सकता है विशेष सुविधा माननीय कल्याण सिंह जी को मिली है मुलायम सिंह जी को काले वस्त्रधारी मिले हुए हैं, जब वे भाषण देते हैं तो भी उनके साथ देखे जाते हैं । तो उसकी सुरक्षा एक जैसी नहीं हो सकती । एक ही काम हो सकता है यदि टी० ए० डी० ए० कम है तो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को छोड़ते हुए बाकी जो विधायकों के साथ शैडो या गनर लगे हुए हैं उन सबके लिये एक सा टी० ए० डी० ए० कर दें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सुरक्षा नितान्त ही व्यक्तिगत मसला है । किसी को आवश्यकता हो सकती है और किसी को आवश्यकता नहीं हो सकती है । माननीय ऊदल जी उस पीढ़ी के हैं जिन्हें यह आवश्यकता न हो । अभी कल ही मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा था कि बिहार के एक माननीय सदस्य यात्रा कर रहे थे तो उन्हें गोली मार दी गयी । माननीय ऊदल जी के बगल के क्षेत्र के एक भूतपूर्व विधायक हमारे दल के हैं उन्हें भी गोली मार दी गयी, तो मान्यवर, सुरक्षा एक नितान्त ही व्यक्तिगत मसला है । चाहे काशी राम जी हों या फिर चुनाव में हारे हुए भूतपूर्व मंत्री हों, विधायक हों सबको इसकी जरूरत है । कल्याण सिंह जी को विशेष सुरक्षा है इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है । मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि आप शैडो या गनर देने के पहले जितनी चाहें उतनी जांच करवा लें और तब उसको गनर या शैडो दें । विधायक का कार्य क्षेत्र मान्यवर, उसका निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं होता बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होता है । इसके साथ ही साथ उन्हें बहुत यात्रायें करनी पड़ती हैं । समितियां हैं वह प्रदेश के बाहर भी दौरे पर जाती हैं तो उसमें पन्द्रह सौ रुपये की सीमा बांधी जाये यह उचित नहीं होगा और यह नितान्त अव्यवहारिक भी है और इसका पालन भी नहीं हो सकता ।

मेरा अनुरोध है मान्यवर, विधान परिषद् के सदस्यों व विधान सभा के सदस्यों को जो शैडो या गनर दिये जाते हैं उसके टी० ए० डी० ए० को बढ़ाया जाये । अगर किसी ने गलत टी० ए० डी० ए० चार्ज कर लिया है, अगर विधायक भी ले लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है उसी तरह से अगर कर्मचारी भी टी० ए० डी० ए० ले रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये और उसे रोका जाये लेकिन उसकी सीमा आप न बांधे यह अनुचित है । दो चार लोगों की लापरवाही का दण्ड सारे विधायकों को मिले यह अनुचित होगा । आप घोषणा करें और उसकी सीमा को समाप्त करें ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं इस बात से सहमत हूं कि सुरक्षा का विषय नितान्त ही व्यक्तिगत मसला है । कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें सुरक्षा की जरूरत महसूस न होती हो और कुछ लोग यह समझते हैं कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है । भिन्न-भिन्न कारण होते हैं जिससे जान माल को खतरा पैदा होता है और उन खतरे के आयाम को देखते हुए सुरक्षा के उसी प्रकार के प्रबन्ध किये जाते हैं । माननीय तिवारी जी ने जो बात कही जो सुरक्षा के प्रबन्ध है । खतरे के आयाम को देखते हुए इस पर कोई प्रश्न-चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है । अगर कोई घटना घटित हो जाये तो फिर जीवन को वापस लाने में कोई सक्षम नहीं है । इस नाते सुरक्षा के आयाम को देखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, जो माननीय विधायकों को शैडो या गनर मिले हैं, कई बार उन्हें कार्य के लिये जनपद से बाहर आना जाना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा का प्रश्न केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता खतरा सभी जगह है जहां-जहां पर वे जायेंगे गनर और शैडो को भी जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता कि उन्हें एक निश्चित धनराशि पन्द्रह सौ की बांध दी जाये। विधायक का अगर दौरा कम होगा तो उसका काम पन्द्रह सौ रुपये में हो जायेगा अगर विधायक का दौरा ज्यादा है तो उसे ज्यादा भी रकम लगानी होगी। इसलिये मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा और यह मांग भी करूंगा कि इसकी सीमा को बढ़ाया जाये। हां अगर कहीं कोई फर्जी केस पाया जाये तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक भी जब अपने साथ चलने वाले शैडो या गनर के बिल को अनुमोदित करते होंगे तो बहुत सोच-समझकर छानबीन करके करते होंगे। इतने पर भी कही कोई त्रुटि या गलती पायी जाय या ऐसा लगता हो कि जानबूझ कर टी० ए०, डी० ए० बनाने के लिये फर्जी यात्रा दिखायी गयी हो तो निश्चित रूप से उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। यदि 2-4-6 के मामले में इस तरह की कार्यवाही हो जायेगी तो दुरुपयोग का प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मान लो, तर्क के लिये कह रहा हूं कि 2-4-6 ने दुरुपयोग किया भी, तो बाकी के 90 फीसदी से भी ज्यादा जो गनर हैं, शैडो हैं, उनका यात्रा भत्ता सीमित कर दिया जाय, उचित नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि जो भी माननीय सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों के साथ गनर व शैडो लगे हुए हैं, उनको यात्रा के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा। यह निर्धारित 1500 रुपया प्रतिमास की जो धनराशि है, इस प्रतिबन्ध को हटा लें, यह मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, पहले यह व्यवस्था थी कि यात्रा के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता था। श्रीमन्, कई ऐसे अवसर आये, जिनका मैं इस समय में उल्लेख नहीं करूंगा, शायद वह विधायकों के ही मसले थे, साल सवा साल पहले की बात होगी, जब शैडो और गनर ने गलत यात्रा भत्ता के बिल बनाये और श्रीमन्, जैसा कि अभी मानीनय कल्याण सिंह कह रहे थे कि माननीय विधायक शैडो और गनर द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्ता के बिल को बहुत सोच-समझ कर ही प्रमाणित करते होंगे। चूंकि विधायकों के पास बहुत व्यस्ततायें रहती हैं, 24 घंटे काम रहता है, तो अक्सर ऐसे अवसर आ जाते हैं कि बगैर उस पर, चूंकि अंगरक्षक पर विश्वास भी होता है, तो कभी-कभी बगैर पूरा पढ़े 3-4 पेज, हस्ताक्षर हो जाते हैं। ऐसे निष्कर्ष गृह विभाग को मिले कि जिनके साथ गनर और शैडो था, अगर वह यात्रा भत्ता देखे जाते, तो उस अवधि में उतनी यात्रा सम्भव ही नहीं थी। श्रीमन्, पिछली दफा जब बजट पेश होने वाला था, गृह विभाग का और परम्परा के अनुसार तत्कालीन गृह मंत्री, जो मुख्य मंत्री भी थे, उनके साथ हम लोग बैठे थे। वहां पर यह बात विस्तार से अनेक विधायकों के बीच तर्क का विषय बनी थी कि आखिर इसका क्या किया जाय, बहुत ज्यादा धनराशि के यात्रा भत्ता बिल हो रहे हैं।

श्रीमन्, तब यह निर्णय माननीय सदस्यगणों के बीच सुझाव रूप में आया था कि एकमुश्त धनराशि शैडो और गनर के यात्रा भत्ता के रूप में स्वीकृत कर दिया जाय और तभी मान्यवर, एक छोटा सा निर्णय लिया गया था। वैसे यह बात सही है कि जितनी यात्रा की जाय, उतना यात्रा भत्ता दिया जाय। पहले विधायकों को दवाइयों के लिये, जितनी दवा की जरूरत होती थी, उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन फिर ऐसे केसज हुए, जो बहुत बदनामी का कारण बने और एकमुश्त चिकित्सा भत्ता स्वीकृत कर दिया गया। अगर कहीं कम प्रतीत होता है तो वह विचार का विषय हो सकता है लेकिन इस समय सरकार उस नीति का अनुसरण नहीं करने जा रही है कि जितना यात्रा भत्ता का बिल बनाया जाय,

तद्नुरूप उन्हें भुगतान किया जाय । जो वर्तमान व्यवस्था है, सरकार उसी पर अभी अमल कर रही है और मान्यवर, यह औचित्य के रूप में आता नहीं, अतः इसे निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को यह निर्देशित करता हूं कि सभी दल के नेताओं से विचार करके इस पर जो समुचित कदम हो वह उनको उठाना चाहिए ।

वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायकों की सुविधाओं को बढ़ाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, यहां पर सरकार ने कई बार यह घोषणा की है कि जनप्रतिनिधियों को पूर्ण सुविधा और सम्मान दिया जायेगा लेकिन कुछ नियमों के कारण जनप्रतिनिधियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । एक दिन सभी को, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हों या अन्य मंत्रीगण हों या हमारे विधायक साथी हों, पूर्व विधायक होना है । प्रमोद तिवारी जी शायद जल्दी हो जायेंगे । मान्यवर, ऐसा देखने में आया है कि जो एक बार विधायक बनकर आते हैं उनको 500 रुपया पेंशन के रूप में मिलता है और इस महंगाई के युग में 500 रुपया कुछ भी नहीं है । अगर वह सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक कार्यों में लगा है तो केवल डाक टिकट और कागज में ही खर्च हो जाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पेंशन की राशि बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपया प्रतिमाह कर दिया जाना चाहिए ।

दूसरी बात मान्यवर, जैसा कि नियम है और यह देखने में आता है कि परिवहन निगम की बसों में पूर्व विधायकों को अकेले चलने की सुविधा मिली है, पूर्व विधायक ज्यादातर काफी वृद्ध होते हैं और सदैव उनको सहायता की आवश्यकता रहती है, सुरक्षा की दृष्टि से भी यह जरूरी है कि उनके साथ कोई सहवर्ती हो यदि कोई सहवर्ती नहीं होता है तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब मैं विधायक नहीं था तब की घटना है, एक पूर्व विधायक बस से जा रहे थे, वह इतने वृद्ध थे कि बिना किसी की सहायता के वह बस पर चढ़ उतर नहीं सकते थे । इसलिये मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्व विधायकों को एक सहवर्ती की सुविधा उपलब्ध करायी जाये ।

तीसरी बात जैसा कि बिहार सरकार ने पूर्व विधायकों को रेल यात्रा की सुविधा के लिये 15,000 का कूपन उपलब्ध कराया है ताकि वह रेल में यात्रा कर सकें । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सम्मानित जनप्रतिनिधियों को यह सुविधा दी गयी है, उनको फर्स्ट क्लास के पास दिये जाते हैं और वे कहीं भी एक सहवर्ती के साथ यात्रा कर सकते हैं । हमारे यहां के पूर्व विधायकों को यह सुविधा नहीं है । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह पूर्व विधायकों को भी पास की सुविधा एक सहवर्ती के साथ प्रथम श्रेणी की दी जाये अथवा कूपन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये । हमारा प्रदेश एक विशाल प्रदेश है इसलिये उसको दृष्टिगत रखते हुए 25,000/- रुपये का कूपन पूर्व विधायकों को देने की घोषणा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।

मान्यवर, देखने में आया है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनको 250 कॉल टेलीफोन की, दो महीने में छूट है जबकि 250 कॉल केवल 2 दिन में हो जाते हैं । हमारे मंत्रीगण जो कि विधायक रहे हैं, वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी इस बात को जानते हैं और हमारे साथीगण भी इसको जानते हैं। माननीय विधायकों को जो पैसा मिलता है, पूरे वेतन का पैसा टेलीफोन बिलों में चला जाता है। मैं चाहूंगा कि सांसदों की भांति 50 हजार रुपये साल, जैसा कि हमारे साथीगण बता रहे हैं, मेरी जानकारी में 10.000 काल प्रतिवर्ष की सुविधा मिली है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, घोषणा करने वाले हैं, वह इन बातों की ओर ध्यान देंगे। एक और बात कहना चाहता हूं कि विधायकों को गाड़ियां खरीदने के लिये सरकार जो कर्जा देती है उसे बढ़ाया जाय ताकि उस धनराशि से वह वाहन क्रय कर सकें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, आप जो निर्देश देंगे वह शिरोधार्य होगा। मगर वह दो दिन तीन दिन पूर्व की बात है जब इस आदरणीय सदन में माननीय विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिये एक निश्चित धनराशि की मांग यहां पर की गयी थी और उस पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे। उस वक्त के बारे में आपकी आज्ञा से इस सदन में यह स्पष्ट घोषणा की थी कि हम विभिन्न दलों के नेताओं के साथ उस विषय पर अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि माननीय विधायकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी उन पर विस्तार से बैठकर बात करेंगे। यह भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया जायेगा कि वह भी उस बैठक में उपस्थित रहें। उस वक्त यह बात साफ हो गयी थी। बार-बार अपनी सुविधाएं उठाना कोई उचित बात नहीं है। बाहर सन्देश जायेगा कि विधान सभा में यह केवल अपनी सुविधाओं के बारे में ही बहस किया करते हैं। कदाचित यह उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं साथ ही नियम 300 की शेष सूचनाओं को भी अग्राह्य करता हूं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, पड़रौना जिले के तमकुहीराज तहसील में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई के सम्बन्ध में एक मेरी भी महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित करता हूं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों की दुर्दशा के सम्बन्ध में सूचना मैं चार दिन से दे रहा हूं लखनऊ की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

यू० पी० स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1982-83

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू० पी० स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1982-83 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के वर्ष 1993-94 का स्थिति पत्रक और लाभ हानि का लेखा

सहकारिता मंत्री (चौधरी जगवीर सिंह गूजर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के वर्ष 1993-94 का स्थिति पत्रक और लाभ हानि का लेखा को भण्डारण अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (II) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

[2 बजकर 25 मिनट]

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। 25 जनवरी, 1980 को विधान सभा के पटल पर यह रखा गया था। मैं भी डी० एल० सी० का मेम्बर हूं। स्थिति यह है कि इस प्रकार से 10–10 व 15–15 साल तक अधिकारी अपने पास रखे रहते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप मद सं० तीन के बारे में यह बात कह रहे हैं या मद सं० चार के बारे में ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मद सं० 5 के बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी मद सं०-5 रखी ही नहीं गयी है।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 से सम्बन्धित शुद्धि पत्र

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना सं० 302/2-1(7)-76, उ० प्र० अधि०–17–60–नियम-65 (संशो) (4)–79, दिनांक 13 अगस्त, 1979 के साथ प्रकाशित कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 जो दिनांक 25 जनवरी, 1980 को विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी से सम्बन्धित शुद्धि पत्र सं० 302/2-1(7)–76-रा०–1, दिनांक 8 नवम्बर, 1980 को विलम्ब के कारणों सहित कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा–56 के उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ल जी, माननीय राजस्व मंत्री जी ने विलम्ब के कारणों सहित इसको रखा है। यदि विलम्ब के कारणों से आप संतुष्ट न हों तो आप इसे लिखकर दे सकते हैं।

लोक आयुक्त उ० प्र० का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त उ० प्र० का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989 को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत रायबरेली मुख्य मार्ग से लिंक रोड तक बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, रायबरेली जनपद के मुख्य मार्ग में जहां छोटे-छोटे गड्ढे.....

श्री अध्यक्ष–

रावत जी मद संख्या–8 पर जो लिखा है उसी को आप पढ़ें।

श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत रायबरेली मुख्य मार्ग से लिंक रोड (सुहानी खेड़ा से मोहनीबाग होकर घोसियाना) खरिका वार्ड (तक) बनवाये जाने के संबंध में श्री नारायण दत्त व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा में मुस्फा क्वार्टर के पीछे गड्ढे में बसी जनता कालोनी में व्याप्त गन्दगी से मुक्ति दिलाये जाने विषयक श्री राजाराम दुबे आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डाक्टर राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आगरा में मुस्फा क्वार्ट के पीछे गड्ढे में बसी जनता कालोनी में व्याप्त गन्दगी से मुक्ति दिलाये जाने के संबंध में श्री राजाराम दुबे व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4-8-95 को नियम 56 के अन्तर्गत 39 सूचनाएं प्राप्त हुईं उनमें दिनांक 3-8-95 को आश्वासित 4 सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है। शेष सूचनाओं को शलाका के आधार पर चयनित किया गया है। प्रथम पांच सूचनाओं को जो ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। पहली सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, जगदम्बिका पाल, नरेश अग्रवाल, हरिशंकर तिवारी व श्री राम विशुन आजाद जी की है। आजाद जी अपने विचार रखें ग्राह्यता पर।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

कल की सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण सुन लें, कल 4 सूचनायें सुननी थी। एक सूचना ले ली गयी थी एक सूचना जो मुझे अधिकार है चयनित करने का उसको सुनने के बाद मैं सुनूंगा।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, हम लोगों को मंत्रियों की सूची तक नहीं मिली है, सूची तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप कार्यालय में सम्पर्क कर लें।

---

† छापी नहीं गई।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं सब को अपने धर्म का सम्मान करने का अधिकार अभी विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री श्री अशोक सिंघल ने अल्पसंख्यकों को धमकाया है और चेतावनी दी है कि अगर यह लोग हज करने जायेंगे तो उनको रोका जायेगा, जबरदस्ती रोका जायेगा, बसों से खींचा जायेगा, तो विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री की धमकी से अल्पसंख्यक समुदाय में घोर असंतोष व्याप्त है, वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि इस प्रदेश और देश में जहां धर्मनिरपेक्षता की बात होती है वहां पर हमारे धार्मिक स्थल हज जाने से रोका जा रहा है तो (इस समय 2 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए) ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि यह सरकार सुनिश्चित करे कि जो प्रदेश में अल्पसंख्यकों के अन्दर भय व्याप्त है कि उनको हज यात्रा करने से विश्व हिन्दू परिषद् के लोग गाड़ियों से उतार देंगे यह उनके साथ घोर अन्याय है। इससे देश की अखंडता और एकता को खतरा हो सकता है। यह हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाने की एक साजिश की गयी है। तो इस पर सदन का कार्य रोक कर चर्चा कराई जाय।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत एक विशाल देश है यहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और विभिन्न सम्प्रदायों के लोग यहां मिल कर रहते हैं और विभिन्न धर्मों के धर्मस्थल देश के कोने कोने में हैं। हमारे देश का मुसलमान भाई जो अपने धर्म में विश्वास कर हज के लिये यात्रा करता है। अभी महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है उनके प्रमुख ने हज करने वालों को धमकी दी थी क्योंकि यह विषय हमारा नहीं है इसलिये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इस प्रदेश में विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोगों ने भी इस प्रकार की धमकी दी है कि हज यात्रा नहीं करने दी जायेगी क्योंकि हमारे देश में अमरनाथ यात्रा करने वालों को धमकी दे डाली है यह धमकी हरकतुल अंसार संगठन ने दी है, यह दोनों संगठन एक ही श्रेणी के हैं और विदेशी हथियारों से और विदेशी विचारों से लैश हैं यदि हरकतुल अंसार अमरनाथ यात्रियों को धमकी देता है तो बजरंग दल विश्व हिन्दू परिषद् हज यात्रियों को धमकी दे रहा है। अगर हरकतुल अंसार संगठन देश द्रोही है तो यह लोग भी देश द्रोही और देश के दुश्मन हैं। मान्यवर, आज नेता सदन ने यहां भाषण देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने [x x x] यह आज्ञा नहीं दी कि वह कहीं जाकर श्रृंगार गौरी की पूजा कर सकें। तो मुझे लगता है कि सरकार की कमजोरी, उसके संख्या बल्कि कमजोरी का यह नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। चूंकि यह सरकार उनके समर्थन पर टिकी है, इसलिये उसमें यह ताकत नहीं है जैसी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रदेश में दिखायी दी थी। उनके संगठन के अध्यक्ष विचारों के संदर्भ में सदन में यह साबित है कि वह सत्य से परे बोल रहे हैं। इससे उनके चेहरे पर नकाब हट गया है। यह लोग यह संगठन जो समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत और कटुता फैला रहे हैं उनको गिरफ्तार करके उनको दण्डित किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि सरकार यह आश्वासन दे, कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की यात्रा सुरक्षित करने के लिये केन्द्र सरकार से वह अनुरोध करेगी तथा हज यात्रा पर जाने वालों के संबंध में जो धमकी देने वाले हैं, जिन्होंने धमकी पूर्ण वक्तव्य दिये हैं उनकी जगह उत्तर प्रदेश में विचरण करने की नहीं है। उनको उनकी जगह कारागार में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनको गिरफ्तार किया जाय और उनको प्रदेश तथा देश की शान्ति व्यवस्था के वातावरण को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये ।

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है प्रमोद तिवारी जी ने यह बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के संदर्भ में नेता सदन ने कुछ शब्द व्यक्त किया है, मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवा कर दिखवा लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी बात समझ गया । अगर उसमें कोई असंसदीय बात होगी तो मैं निकलवा दूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

नेता सदन ने जो कहा है उसी को मैंने कहा है । अगर मेरी बात निकलवायेंगे तो उनकी बात को निकालना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

जो असंसदीय होगा वही तो निकलवाऊंगा । और कुछ थोड़े ।

श्री किरन पाल सिंह–

यह जो विषय है पिछले कुछ दिनों से जब से नई सरकार बनी है.....

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी आपके बगल में 5-5 लोग खड़े हैं, इसको आप व्यवस्थित कीजिये ।

श्री किरनपाल सिंह–

इस दौरान प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहाद्र का वातावरण बिगाड़ने के लिये पूरी कोशिश हो रही है । ठीक है भारतीय जनता पार्टी एक राजनैतिक दल है, पार्लियामेन्ट में भी और इस सदन में भी । कई जो इनसे जुड़ी शाखायें हैं वे आज उत्तर प्रदेश में इस अल्पमत की सरकार की मजबूरी का फायदा उठा कर तरह-तरह का आचरण करके अपने साम्प्रदायिकता को फैलाने का उद्देश्य पूरा करना चाहती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप की बात आ गयी है । अब आप समाप्त करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

इस सरकार की मुख्य मंत्री कटिबद्ध हैं कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया जायगा और दूसरी तरफ जो दल सहयोग कर रहे हैं वह साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिये कटिबद्ध हैं । जैसा प्रमोद तिवारी जी ने कहा, सुचारु रूप से बिना बाधा के यह तीर्थ यात्राएं पूरी होनी चाहिए इसी तरह से अभी श्री बाल ठाकरे के कदम पर चलने के लिये अशोक सिंघल जी ने कहा कि जो हज यात्रा करने जा रहे हैं उनको जाने नहीं देंगे । आतंकवाद केवल हथियार से नहीं होता है बातों से और आचरण से भी यह पैदा होता है । जो मान्यवर, इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको आतंकवादियों के दर्जे में रखकर ऐसे कानूनों के साथ निपटा जाय जो कि हथियारबन्द आतंकवादियों के लिये हैं । रासुका, टाडा के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार करके उनकी गतिविधियों पर रोक लगायी जाय ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, जब से यह नई सरकार सत्ता में आयी है तब से श्रीमन् न तो अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना है, न कमजोर वर्गों के मन में, न अनुसूचित जाति के लोगों के मन में और न ही ऐसे लोगों के मन में जो कानून का आदर करते हैं। असुरक्षा की भावना अगर किसी के मन में है तो वह कानून तोड़ने वालों के मन में हो सकती है। अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना, यह नितान्त काल्पनिक है। हज यात्रा के बारे मे तिवारी जी, किरन पाल जी और अन्य सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं। बड़े आश्चर्य का विषय है अभी 15-20 मिनट पहले मुख्य मंत्री जी ने हज यात्रा के संबंध में एक स्पष्ट बात यहां आदरणीय सदन में कही। 20 मिनट में कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो इन सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव में यहां इस पर इतने विचार रखे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हज यात्रा के संबंध में कहा था कि कोई व्यवधान नहीं डालने दिया जायगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

अमरनाथ के बारे में नहीं कहा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अमरनाथ हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। मान्यवर, हज यात्रा के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा था वह आपकी अनुमति से फिर बता देना चाहता हूं। इस विषय में राज्य सरकार ने सभी जिलों को सख्त आदेश दिये हैं कि हज यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो ?

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने एक आपत्ति दर्ज कर दी कि 20 मिनट पहले तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने हज यात्रा के सम्बन्ध में कुछ कहा। माननीय मंत्री जी आजकल काम करते करते बहुत थक जाते हैं इसलिये इन्हें ध्यान नहीं रहता। मान्यवर, सूचना मैंने 9 बजे के पहले दी थी उस समय मैं यह कहां जानता था कि मुख्य मंत्री एक दल के नेता की पोल खोलेंगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

भाषण के दौरान तो याद आ जाता और इस सूचना को वापस ले लेते।

(श्री श्याम देव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, बनारस जिले में चार शेर पिंजड़े से निकल गये हैं जिससे जनपद के निवासियों में दहशत पैदा हो गयी है। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है और लोक महत्व की भी है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने चौधरी जी को बुला लिया है। आप बैठ जायं।

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, कार्य स्थगन के माध्यम से एक गम्भीर प्रश्न की ओर आदरणीय सदन का और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर बिजली की स्थान-स्थान पर बहुत कमी है चाहे वह कृषकों का क्षेत्र हो, चाहे वह शहरों में कल कारखाने हों, छोटे-बड़े दुकानदार हों,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आम आदमी के जीवन से संबंधित विद्युत आपूर्ति हो, इस सम्बन्ध में आदरणीय सदन में विभिन्न नियमों के तहत काफी चर्चा हो गयी और सदस्यों ने शासन का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट कराया । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अपने क्षेत्र में विद्युत उत्पादन करता है और उसके अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों से बिजली खरीदता है जिसमें से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भी एक संस्था है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत परिषद् विद्युत खरीदता है ।

मान्यवर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पर बहुत बड़ी धनराशि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया है उन्होंने यह आदेश निर्गत किया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से राज्य को बिजली की आपूर्ति की जाती है अगर वह राज्य अपने बकाये का भुगतान नहीं करेंगे तो उनको बिजली की आपूर्ति बन्द कर दी जाएगी । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् उनके बकायेदारों की सूची में सबसे पहले हैं । बहुत बड़ी रकम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया है । उनकी घोषणा के मुताबिक हो सकता है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् बकाया अदा न करे और विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी जाए । इससे पूरे प्रदेश में गम्भीर विद्युत संकट पैदा हो जाएगा । विद्युत परिषद् एक सफेद हाथी बनकर रह गया है । विद्युत परिषद् की माली हालत है वहां प्रबन्धन भ्रष्ट है । इसका कारण है कि जगह-जगह विद्युत की चोरी हो रही है । लोग कटिया लगा लेते हैं कल-कारखानों में बिजली की चोरी हो रही है ।

विद्युत विभाग के इंजीनियर जूनियर इंजीनियर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । विद्युत परिषद् में घाटा हो रहा है । घाटे के लिये चोरी को बन्द न करके वह हमेशा विद्युत में वृद्धि का प्रस्ताव करते हैं जो वृद्धि विद्युत में होती है उसका कोई फायदा नहीं होता है । खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जो ईमानदारी से बिजली जलाते हैं और बिल देते हैं बोझ उन पर पड़ता है । विद्युत विभाग की इस स्थिति के लिये कोई कठोर प्रणाली विकसित की जानी चाहिए । जो अपव्यय है, चोरियां हैं उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए । अन्तिम बात मान्यवर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने धमकी दी है कि हमारा जो बकाया है वह चुकता नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम उन राज्यों की बिजली काट देंगे । विद्युत काटने के नम्बर में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् नम्बर एक पर आयेगा । इससे प्रदेश में एक गम्भीर संकट पैदा हो जाएगा । उद्योग और व्यापार चौपट हो जायेंगे इसलिये मैं इस गम्भीर मामले पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह सही है कि राज्य विद्युत परिषद् घाटे में रही है और यह भी सही है कि वह सफेद हाथी है लेकिन इन दिनों असली हाथी की पकड़ में आया है । उस पर नियंत्रण की पूरी कोशिश की जा रही है । चोरियां और अनियमिततायें तमाम जगह पर हो रही हैं जो विचार व्यक्त किये गयें हैं उससे सरकार सहमत है । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकायेदारी इस सरकार पर है । आपके माध्यम से बताना चाहूंगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को 99.53 करोड़ रुपये का भुगतान करना है । प्रतिमाह लगभग 84 करोड़ रुपये का भुगतान लेटर आफ क्रेडिट बैंक में खाता खोलकर राष्ट्रीय ताप विद्युत परिषद् को किया गया है । 10 करोड़ रुपया नगद एन० टी० पी० सी० को भुगतान किया जा रहा है । ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं देंगे । भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं । ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बड़ा जनान्दोलन हो, या आक्रोश हो इसलिये इसकी अविलम्बनीयता बढ़ गयी है । यह नियम 56 में नहीं आता है इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह जो ताप विद्युत निगम ने बन्द करने की धमकी दी है। ऐसी स्थिति न आने पाये इसलिये सरकार को इस पर गम्भीरता का रुख अपनाना चाहिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, यह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। यह नियम 56 की परिधि में नहीं आता है इसलिये इसको अग्राह्य किया जाता है।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

अधिष्ठाता महोदय, पेयजल के सन्दर्भ में मैंने एक सूचना दी है कि पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की त्रासदी से लोग गुजर रहे हैं। यों तो पहले से ही पहाड़ में पेयजल के भीषण संकट से लोग गुजर रहे थे लेकिन पिछले दो-तीन महीनों में जो भीषण अग्निकाण्ड हुआ उसके कारण सारे स्रोत सूख गये तथा स्थिति विकट हो गयी। स्थिति यहां तक आ गयी कि लोगों को 15-15 कि०मी० दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा है। 40–50 रुपये में एक कनस्टर पानी मिल रहा है। लोगों ने अपने पालतू पशुओं को बेच दिया है। पशु मरने के कगार पर आ गये थे। स्थिति यहां तक आ गयी कि गांव छोड़ने पर लोग मजबूर हो गये हैं। डुमैला मल्ला के निवासी 18 कि०मी० दूर से पानी ला रहे हैं। बूंद-बूंद पानी के लिये लोग वहां तरस रहे हैं। यदि वहां तत्काल पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ जायेगा। लोग ऐसी स्थिति में हैं कि गांव भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे तो जायेंगे कहां ?

डुमैला, वीरोखाल, मासौ, उडेली, बाटुआ, नीगांव न्याणगढ़ ऐरोजी, वीणा, उवीला, दानकोट, खाड़पली, कनाकोट, नौना, मलसारी, ढौर-बरसुड़ी, ऋषि वल्यों आदि गांव हैं जहां पर पेयजल की भारी त्रासदी से लोग गुजर रहे हैं। दुख की वजह यह है कि गंगा और यमुना को जन्म देने वाला पहाड़ जो पूरे प्रदेश को पेयजल उपलब्ध कराता है, वह क्षेत्र बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रहा है। तमाम योजनाएं बन सकती थी। पम्पिंग द्वारा पानी ऊपर ले जाया जा सकता था लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठाए हैं। मान्यवर, 1991 में एक शासनादेश इस तरह का हुआ था जिसके अन्तर्गत हजारों योजनायें एक रात में जल निगम से जल संस्थान में स्थानान्तरित कर दी गयी थीं। जो अधूरी योजनाएं थी वह उसी तरह से जल संस्थान को स्थानान्तरित कर दी गयी। वह योजनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हैं। ऐसी भी योजनायें हैं जो न तो जल निगम के पास हैं और न जल संस्थान के पास हैं। कुछ योजनायें एकल गांवों को दे दी गयी हैं। वहां पर पेयजल की भयंकर समस्या है। ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति बहुत ही खराब हैं और पूरे पहाड़ में आज पेयजल की त्रासदी है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिये युद्धस्तर पर प्रयास किया जाय तथा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का काम रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, हमारे रमेश पोखरियाल पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं। नियम 56 के विषय को भी उन्होंने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा के साथ उठाया है। श्रीमन्, जहां तक यह कहना कि वहां पानी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये त्राहि-त्राहि हो रही है ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं कि कुछ क्षेत्रों में पानी का संकट हो सकता है। पूरे प्रदेश में जहां कहीं पेयजल का संकट है सरकार कोशिश कर रही है। उसके लिये सरकार प्रयास कर रही है। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र की समस्यायें भिन्न हैं इसलिये पर्वतीय विकास की मद से और दूसरी मदों से उनके द्वारा उठाये गये क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मिले इसके लिये सरकार प्रबन्ध करवा देगी। यह श्रीमन्, नियम 56 में नहीं आता है।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय नियम 56 में नहीं आता है इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, इलाहाबाद मेडिकल कालेज में गत 17 जुलाई को 55 छात्रों द्वारा मेडिकल कालेज की छात्राओं के हास्टल में शराब पीकर नशे में धुत होकर रात्रि को 2 से 4 बजे के बीच सीढ़ी लगाकर चढ़ गये और छात्राओं के कक्ष के दरवाजों को तोड़ दिया और उनके साथ अपना मुंह काला किया। इतना ही नहीं इन छात्रों ने छात्राओं के कमरों में मल मूत्र विष्ठा का त्याग किया। इन छात्राओं में 2 दलित वर्ग की छात्रायें भी थी जो एम० बी० बी० एस० (प्रथम वर्ष) की छात्रायें थीं इनके साथ मुंह काला किया गया और वह छात्रायें 17 जुलाई से लापता हैं। इलाहाबाद मेडिकल कालेज से सम्बन्धित पहले भी इस तरह की एक घटना हो चुकी है और डाक्टर अनिल गुप्ता की हत्या हुई थी जो मामला सदन के संज्ञान में है। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। मैं समझता हूं कि विधायक बहनें बैठी हैं, इस घटना से सभी सम्पूर्ण सदन क्षुब्ध होगा। जब छात्राओं के साथ मुंह काला किया जा रहा था तो छात्राओं ने चीख पुकार लगायी जिससे एक चपरासी दौड़कर आया और उसने भी आवाज लगायी। वहां पर रहने वाले वार्डेन प्रधानाचार्य तथा 2 दर्जन डाक्टर रात्रि में बाहर नहीं निकले। मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार तत्काल किसी वरिष्ठ अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच कराये और दोषी डाक्टरों और छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर घटना है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें अगर माननीय सदस्यों का समाधान न हो तो आप माननीय सदस्यों को अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिशंकर तिवारी जी, अन्य माननीय सदस्यगण, इस सूचना पर हस्ताक्षर केवल माननीय लक्ष्मी नारायण पांडेय जी के हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पहले संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें। मैं समझता हूं कि आप संतुष्ट हो जायेंगे। यदि आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी तो मैं स्पष्टीकरण की इजाजत दे दूंगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जिस विषय को माननीय पाण्डेय जी ने उठाया और छात्राओं से दुर्व्यवहार की बात उन्होंने कही तो मैं निवेदन करूंगा कि इस देश में लड़कियों की बाबत कोई वार्तालाप करते समय सतर्कता की आवश्यकता होती है। यह जो विषय उठाया गया है इसमें मेरे पास जो सूचना आयी है उसके हिसाब से 16-7-95 को मेडिकल कालेज के कुछ छात्र लड़कियों के हास्टल पहुंचे। इन छात्रों ने छात्राओं के साथ गाली गलौज की थी। छात्राओं की शिकायत पर प्रधानाचार्य ने दिनांक 16-7-95 को 5 छात्रों को हास्टल से निकाल दिया, जिनको निकाला है उनके नाम है अनिल कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार सिंह, केशरी चन्द्र शर्मा, क्षितिज श्रीवास्तव और देवेन्द्र कुमार वाधवानी। इनमें क्रम सं० 3, 4, व 5 पर अंकित यानी केशरी चन्द्र शर्मा, क्षितिज श्रीवास्तव और देवेन्द्र कुमार वाधवानी को कक्षा से डिबार कर दिया गया है। इस घटना की कोई भी सूचना स्थानीय पुलिस को न तो छात्राओं द्वारा और न ही उनके परिवारजन द्वारा दी गयी। कोई भी लड़की गायब नहीं है। छात्राओं ने बाद में 31-7-95 को जब सब कार्यवाही हो गयी तो यह लिखकर दिया कि यह कार्यवाही बहुत है, उन्हें क्षमा कर दिया जाय। मान्यवर, यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री हरि शंकर तिवारी–

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना भविष्य में न हो, उन लड़कियों के छात्रावास की कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, इसी प्रकार की व्यवस्था सभी मेडिकल कालेजों में करेंगे, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित कराया जायगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस पर कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। प्रधानाचार्य की ओर से अलग से लिखकर अगर आता है, तो तत्काल व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

17 जुलाई को घटना हुई। वहां पर छात्रावास की जो अधीक्षिका थीं उनके संज्ञान में आने के बीच के समय में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिम्मेदारी के फलस्वरूप ही वहां के छात्रों को डिबार किया गया है और जब छात्राओं ने लिखकर दे दिया, कि यह कार्यवाही बहुत है तो यह मामला समाप्त कर दिया गया। मैं अनुरोध करूंगा, कि यह लड़कियों से सम्बन्धित मामला है, इस पर ज्यादा देर तक चर्चा करना अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 56 में नहीं आता है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और आगे की सूचना को ले रहा हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय–

यह जो सूचना आयी है, वह गलत सूचना आयी है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है।

(व्यवधान)

आज की 5 सूचनायें सुनी गयी हैं, एक और सूचना श्री किरन पाल सिंह की सुन रहा हूं। माननीय सदस्यगण जो व्यवस्था है जो परम्परा है उसका निर्वहन करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूं उसका

निर्वहन करने के लिये । पांच सूचनाओं को मैंने सुन लिया एक सूचना मैं और सुन रहा हूं आप लोगों की जो सूचना है यह क्रमशः नीचे लगी हुई है माननीय सदस्य समय का भी ध्यान रखें दोनों चीजों का सामंजस्य लेकर चले तो सुविधा होगी । आज दो विभागों का बजट है सिंचाई विभाग और कारागार विभाग, बहुत से माननीय सदस्य सिंचाई की समस्या पर बोलना चाहेंगे आप उस समय भी ज्यादा से ज्यादा समय चाहते हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मैंने किरन पाल सिंह को बुलाया है और माननीय सदस्य बैठें, किरन पाल जी के अतिरिक्त कोई माननीय सदस्य बोलेगा तो लिखा नहीं जायगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

प्रदेश में किसानों को अपनी फसल में लगाने के लिये यूरिया खाद की बहुत आवश्यकता है और मान्यवर, प्रदेश के अधिसंख्य किसान कोआपरेटिव संस्थाओं से कर्ज लेकर यूरिया खाद है या और कोई खाद है लेकर उसको लगाते हैं आज यूरिया खाद की आवश्यकता है लेकिन प्रदेश भर में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां कि मुझे ज्यादा जानकारी है किसी भी कोआपरेटिव संस्था या संघ पर यूरिया खाद नहीं पहुंच रहा है । मान्यवर, किसानों ने अपनी फसल बेचकर जो पहले से सोसाइटी से खाद कर्ज से ले रखी थी उसकी अदायगी कर दिया अब किसान पर यूरिया खरीदने के लिये पैसा नहीं है और इनकी सोसाइटी पर यूरिया खाद नहीं आ रही है । मान्यवर, न जाने कितने किसान सोसाइटी पर रोज जाते हैं और वापिस लौट कर चले जाते हैं अधिकारी कहते हैं कि कल आयेगी, परसों आयेगी कभी कहते हैं कि रेलवे वैगन्स उपलब्ध नहीं हैं इसलिये नहीं आ पा रही है कभी इनके पी० सी० एफ० के एम० डी० बदल जाते हैं कभी कोई बदल जाता है । इनकी कोई व्यवस्था नहीं है कोई इंतजाम नहीं है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । अगर इस समय यूरिया खाद का बन्दोबस्त नहीं किया गया तो किसानों को खरीफ की फसल से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और प्रदेश की उपज में बड़ी कमी आ जायेगी । मैं मांग करता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य अवश्य दे यूरिया खाद आयी नहीं है, कब तक आयेगी कितनी आ जायेगी इस पर भी सरकार को निर्देशित करें कि वह वक्तव्य दे ।

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के तहत आज जो सूचनायें माननीय सदस्यों ने रखी उसमें शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना यह है । मान्यवर, अभी माननीय ऊदल जी बता रहे हैं कि पूर्वांचल में भी खाद नहीं है । मान्यवर, नेता जनता दल ने बताया, सहकारी समितियों में यूरिया खाद ही नहीं पोटाश और सल्फेट जैसी खाद भी आज सहकारी सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है जिंक भी उपलब्ध नहीं है किसान के घर पर जो पैसा आया था वह उसने पूरा ऋण देने में खत्म कर दिया यह ए० आर० के घर का चक्कर लगाता है लेकिन खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पायी । इस सम्मानित सदन में सहकारिता के बजट पर बोलते हुए मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई । मान्यवर, इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बिना खाद के रह जायेगा । इससे एक तरफ जहां नेशनल लास होगा वहीं दूसरी तरफ मिलावटी खाद बेचने वाले मिट्टी तौल कर किसान को दे देंगे तो उसकी फसल तबाह होगी और उसका श्रम भी बेकार होगा । मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि तत्काल उपलब्धता की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था सुनिश्चित कराये कमीशन बीज खाद की बिक्री से सोसाइटी को नहीं मिलता है तो जो कल सहकारिता आन्दोलन कह रहे थे वह समाप्त हो जायेगा। इस पर चर्चा एक घंटे की अवश्य करायें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के काम के लिये जरूरी इनपुट्स कृषि कार्य के लिये बीज, खाद, कीटनाशक दवायें उन सबकी व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करायें। सरकार खाद, पानी, बिजली सब सुविधायें उपलब्ध कराने के उपाय भी कर रही है। जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है चूंकि आपके यहां व्यवस्था है कि आप केवल 5 सूचनाएं सुनते हैं और उन 5 सूचनाओं के बारे में पूरी तरह से तैयारी कर लेती है।

श्री ऊदल–

सूचना महत्वपूर्ण थी इसलिये उस पर माननीय अध्यक्ष ने बुलाया।

श्री अध्यक्ष–

उसी के महत्व को देखते हुए ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह कतई मैं नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों पर ही यहां चर्चा लगती है। मेरे पास इस समय तो सूचना उपलध नहीं है। अब मैं यह देखूंगा कि जिन-जिन क्षेत्रों की बाबत माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद की कमी और जो खादें हैं उनकी कमी न होने पाये, किसानों को कठिनाई न हो, खाद के बारे में श्रीमन्, सरकार आज भी इस बारे में निर्देश सभी सक्षम अधिकारी जो हैं, उनको जारी करवा देगी कि कहीं भी खाद की और दूसरी कठिनाइयां हैं कृषि इनपुट्स की उसमें कठिनाइयां न हों। यह विषय चूंकि उसमें नहीं आता है इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे निरस्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दें चूंकि सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, इसमें वक्तव्य दिला दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इससे बड़ा भी कोई आश्वासन हो सकता है कि आज ही इस विषय पर आदेश चले जायेंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य में सारी बातें आ जायेंगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

हम आप तो लगातार बैठे हुए हैं यहां, इसमें वक्तव्य की कोई आवश्यकता है नहीं, इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर माननीय श्री किरनपाल सिंह, माननीय श्री हरेन्द्र सिंह मलिक व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद.....

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद इसमें क्या बात रह जाती है ?

श्री अध्यक्ष–

उनको सुनने के बाद इस सूचना को मैं अस्वीकृत करता हूं।

अगली सूचना सर्वश्री महेन्द्र सिंह माहरा, प्रीतम सिंह, गोविन्द सिंह कुंजवाल, राम प्रसाद टम्टा तथा शूरवीर सजवाण की, उत्तराखण्ड के आठों जनपदों में पंचायत चुनावों के लिये ग्राम पंचायतों में हुए परिसीमन के सम्बन्ध में है,. इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना सर्वश्री नन्द किशोर मिश्र व रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की है, जंगल पार्टी के डाकुओं द्वारा जनपद पडरौना में की गयी हत्या, बलात्कार एवं लूटपाट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना सर्वश्री रंगनाथ मिश्र व श्री प्रमोद तिवारी, श्री रंजीत सिंह जूदेव, श्री कामेश्वर उपाध्याय की, जौनपुर से वाराणसी ट्रक द्वारा ले जाये जा रहे शेरों के पिंजड़ों से निकल भागने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री बदन सिंह की प्रदेश में राजकीय आस्थान (नजूल) की भूमि को जिलाधिकारियों, वित्त अपर जिलाधिकारियों द्वारा अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री शिव प्रताप शुक्ल की पंचायत राज विभाग द्वारा बिना चयन के अवर अभियन्ता तथा कर अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में है, में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, एक सूचना हमने भी दी थी। मान्यवर, पूर्वांचल में हैजे और पीलिया से सैकड़ों लोगों की जानें चली गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें। मैंने मद संख्या–14 पुकार ली है। एक अनुरोध मैं आप माननीय सदस्यों से करूंगा कि नियम–56 के अन्तर्गत एक सूचना दें अगर एक से अधिक आयेंगी तो मैं दोनों को निरस्त कर दूंगा।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

कारागार, होमगार्ड तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अकबर अली)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93–सिचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,63,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94–सिचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,71,13,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल 294.4 लाख हेक्टेयर में कृषि योग्य क्षेत्रफल 203.0 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में 80.0 लाख हेक्टेयर दो फसली क्षेत्रफल है। सिंचाई

विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 के अन्त तक 74,000 कि०मी० नहरों तथा 28.626 राजकीय नलकूपों द्वारा 107.22 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है । इसमें 69.14 लाख हेक्टेयर वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से तथा 38.0 लाख हेक्टेयर राजकीय लघु सिंचाई साधनों से है । मान्यवर, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 337 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । इसमें सबसे पहले हम उस परियोजना पर काम प्रारम्भ करेंगे जिनका नाम प्राप्त में दिया जा चुका है । जिन पर 70 से 75 फीसदी काम हो चुका है । इसमें सबसे पहले हम नारायणपुर पर काम शुरू करेंगे उसके बाद 8 परियोजनायें शुरू करेंगे और उसके बाद 27 परियोजनाओं को आने वाले साल में पूरा करते हुए सिंचाई साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे । मान्यवर, 337 करोड़ रुपया का जो परिव्यय है उसमें से निर्माणाधीन परियोजनाओं से 1995-96 में 53.360 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है । इसी तरह से दूसरी राजकीय लघु सिंचाई योजना में 46 करोड़ 32 लाख प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 45 करोड़ 32 लाख का परिव्यय जिला योजना के अन्तर्गत ले रहे हैं और एक करोड़ का परिव्यय स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत लघु डालब नहरों के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तावित है । 15 करोड़ की धनराशि नये राजकीय नलकूपों के लिये प्रस्तावित है इस धनराशि से 72 नये नलकूपों का निर्माण किया जायेगा 22 प्रतिशत नलकूप अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में लगाये जायेंगे ।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इस बार 30 करोड़ 72 लाख नये नलकूपों के लगाने के लिये रखा गया है और 15 लाख रुपया इसलिये रखा गया है कि 198 फेल नलकूप हैं, उनको पुनः स्थापित करके सिंचन क्षमता पुनः स्थापित की जायेगी, इस प्रकार नई सिंचन क्षमता का क्षेत्रफल 19.800 हेक्टेयर हो जायेगा ।

इसी प्रकार मान्यवर, बाढ़ सुरक्षा के लिये वर्ष 1995-96 में 10 करोड़ 73 लाख का प्रस्ताव है । हमने पूरी-पूरी तैयारी की है और जिला सेक्टर में जो अधिकारी हैं, उनको हिदायत कर दी गई है, मंडल में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं और उनसे कहा गया है कि समय-समय पर मीटिंग कर बाढ़ से संबंधित स्थिति की समीक्षा करते रहें और पूरी तैयारी रखें और मान्यवर, आपको बताना चाहूंगा कि समय-समय पर ऐसी मीटिंगों का आयोजन हो भी रहा है । यह निर्देश दिये गये हैं कि हर तरह से लोगों को बाढ़ के संभावित खतरों से बचाया जाय, इस तरह से मान्यवर, हमारी प्रतिबद्धता है, इसके अतिरिक्त सिंचाई के जो साधन हैं, उनको हम पूरा-पूरा लागू करने के लिये समय-समय से काम कराने के लिये कटिबद्ध हैं ।

इसके साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि अपना देश/प्रदेश कृषि प्रधान है और यहां निरन्तर पापुलेशन बढ़ रही है, उसके लिये यह आवश्यक है कि कृषि के लिये पैदावार बढ़ाई जाये, इसके लिये समय-समय पर जो जरूरी है, जो सामग्री आवश्यक है जैसे खाद, कीटनाशक दवायें, उनकी उचित व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार सिंचाई के साधन बढ़ाना भी आवश्यक होता है तो मान्यवर, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सिंचाई आखिरी खेत तक पहुंचे, पानी नहरों की टेल तक पहुंचे और किसी भी व्यक्ति को सिंचाई हेतु पानी की शिकायत न होने पाये, इसलिये नहरों के संबंध में एक योजना चलाई है उनको सरकार बैटवार के नाम से कहती है । अभी तक जनप्रतिनिधियों को शिकायत रहती थी कि नहरों की सफाई के नाम पर घपला होता है या पानी रुका रह गया, टेल तक नहीं पहुंचता । मान्यवर, यह जो योजना चलाई गई है, इससे वहां पर बैटवार लगाई जाती है, जिससे पता चल जाता है कि माईनर की सफाई हुई है अथवा नहीं, इसके संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेजा जा रहा है । मान्यवर, यह हमारी प्रतिबद्धता है कि सिंचाई हेतु कृषकों को पानी उपलब्ध हो, चाहे नहरों के जरिये हो अथवा ट्यूबवेल के जरिये हो ।

मान्यवर, इसी प्रकार नहरों में होने वाली अवैध कटिंग को रोकने के लिये हमने व्यवस्था की है, इसके लिये दो बातें हैं। मान्यवर, यदि हम चाहते हैं कि हमको सिंचाई मिले, हमको पानी मिले, हमारी नहरों में सही रूप से पानी आये, हमारे माईनर सही रहें तो जहां हमारे अधिकार हैं, वहीं कुछ कर्तव्य भी हैं, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा और हमें जनता से कहना पड़ेगा कि नहरें, नलकूप, पम्प सभी हमारी धरोहर हैं। अक्सर देखा जाता है कि ट्यूबवेल की असफलता के पीछे कारण होता है कि विद्युत के तार चोरी चले जाते हैं, तार कौन ले जाता है, हमारे ही लोग चोरी करके तार ले जाते हैं, कृषक तार ले जाते हैं, महीनों तक उसकी रिपोर्ट नहीं होती है और उसमें ऐसे लोगों की साजिश रहती है कि महीनों तक वह उसकी सुनवाई नहीं होने देते।

इस प्रकार विद्युत की व्यवस्था में बड़ी दिक्कते हैं, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अगर कहीं तार चला गया है तो आप 4 तार नहीं लगवा सकते। पहले उसकी रिपोर्ट होनी चाहिये, फिर इस्टीमेट बनेगा, उसके बाद स्टाक में जाना चाहिये, वहां से पास हो जाय, फिर कहा जायेगा कि कानपुर में मिलेगा, इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में 4-5 महीने हो जाते हैं और ट्यूबवेल नहीं चल पाता है। हमें याद रखना होगा कि हमारी जो सम्पत्तियां हैं, उसके हम प्रहरी हैं, चाहे ट्यूबवेल हो, नहरें हो, उसकी पटरियां हों, उनके रखरखाव में हम सहयोग दें [3 बजकर 25 मिनट] तभी फसल का प्रोडक्शन बढ़ पायेगा। इस तरह से हमने जो बजट रखा है, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सहयोग करेंगे ताकि हमारे प्रदेश का हित हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जो बजट रखा गया है, उसको स्वीकार करते हुए माननीय तिवारी जी जो कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, उसको वापस ले लेंगे।

* श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जब माननीया मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ा था तो बड़ी आशा जगी थी कि जब सिंचाई मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तो उन भावनाओं के अनुरूप होगा जो बजट भाषण के पृष्ठ–13 पर है जिसमें कहा गया है कि सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किये जाने के लिये शासन वचनबद्ध है। राजकीय स्रोतों से प्रदेश के 107 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जा रही है जो कुल क्षेत्र का 42 प्रतिशत है। जब उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा व्यय की नई मदें जिनमें 1995-96 का ब्यौरेवार विवरण है उसमें आयोजनागत और आयोजनेत्तर मदों में, योजनाओं की मदों में सिंचाई का कहीं नामोल्लेख न देखकर मुझे घोर निराशा हुई। आयोजनेत्तर मदों में सिंचाई को रखा गया। जो कार्य-पूर्ति नामक पुस्तक है उसमें लिखा है कि "सिंचेन समृद्धि भवति" लेकिन बजट में बड़ी निराशा हुई है।

भारत वर्ष गांवों का देश है और 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, यह कृषि पर आधारित देश है और सम्पूर्ण बजट का 72 प्रतिशत राशि गांवों के विकास के लिये खर्च करने की चर्चा की गयी थी तो अभिलाषा जगी थी कि हर खेत को पानी मिलेगा, लेकिन घोर निराशा हुई है। कांग्रेस शासन काल में सिंचाई विभाग का जो बजट रखा जाता था, उसमें सम्पूर्ण बजट राशि का 20 प्रतिशत सिंचाई पर खर्च किया जाता था। लेकिन इस सरकार ने मात्र पांच-साढ़े पांच प्रतिशत राशि ही बजट का सिंचाई पर रखा है, यह उद्देश्य कैसे पूरा होगा कि "सिंचेन समृद्धि भवति" भगवान ही मालिक है। जब आप उत्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण देंगे तो बताने की कृपा करेंगे कि आपने प्रदेश की 14 करोड़ जनता के साथ ही नहीं बल्कि नेता सदन को भी धोखा दिया है क्योंकि नेता सदन के बजट भाषण के अनुरूप बजट नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में पिछली सरकार ने जो बजट पेश किया था उससे मात्र 8 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है तो इससे यह कैसे साकार हो पायेगा कि "सिंचेन समृद्धि भवति"।

अभी माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में कह रहे थे कि हम नहरों के टेल तक पानी पहुंचायेंगे लेकिन मान्यवर, अगर आप समाचार पत्रों का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा। मान्यवर, समाचार पत्रों में यह पहले ही निकल चुका था कि नहरों के टेल तक पानी पहुंचाना टेढ़ी खीर है। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी यह साफ परिलक्षित हो रहा है। मैं अब सरयू नहर योजना के तहत माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जो यह दिग्दर्शिका वाली पुस्तक दी है इसके पृष्ठ 10 में आप देखें। जिसमें यह कहा गया है कि जिन योजनाओं पर 70 प्रतिशत धन खर्च हो गया है, उन्हें पूरा किया जायेगा। इस योजना के पूरा होने से लगभग 12 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को लाभ होता। परन्तु योजना के अधूरे पड़े रहने से आज इससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज चरणबद्ध ढंग से इसे बांटा गया है। गोला पम्प नहर, डुमरियागंज पम्प नहर और अयोध्या पम्प नहर, कोई भी नहर आज पूरी नहीं हुई है। जिस कारण यह हो रहा है कि इस पर अधिभार बढ़ता जा रहा है। लोगों की जमीनें भी चली गई परन्तु जो लाभ उससे उसको मिलने वाला था, वह भी नहीं मिल रहा है। कोई नीति स्पष्ट न होने के कारण यह सब हुआ है और जो बजट रखा भी गया है, उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है।

माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो 72 प्रतिशत गांवों को देने की बात कही थी और यह भी कहा था कि हर खेत को पानी देंगे, इस बजट को देखकर हम लोगों को घोर निराशा हुई है। नलकूपों की बात कही गई। वैज्ञानिकों की रिपोर्टें आ चुकी हैं। भारत सरकार ने एक हाथी आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट को भी मैंने पढ़ा। जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि 24 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। यह एक विभीषिका है। इस 24 परसेन्ट में से भी सबसे अधिक पूर्वांचल का क्षेत्र है। लाभ तो ऊपर के लोग ले जाते हैं परन्तु पूर्वांचल के लोगों को इस विभीषिका को झेलना पड़ता है। सभी नदियां पूर्वांचल से होकर जाती हैं। परन्तु इसके नियंत्रण के लिये भी सरकार ने कोई परियोजना नहीं बनायी है। सिर्फ 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मेरा कहना है कि जब तक मानवता के आधार पर लम्बी परियोजना आप नहीं बनायेंगे, तब तक आप इस विभीषिका पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके विभागीय अधिकारी केन्द्र सरकार को फ्लड प्रूफ स्कीम भेजते हैं। केन्द्र सरकार से ही आपको करोड़ों रुपये इस प्रयोजन हेतु मिल जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में यह है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यालय केन्द्र सरकार का नहीं है, जिसके कारण अधिकारियों को पटना जाना पड़ता है। यदि इसका कार्यालय लखनऊ में होता तो आपके अधिकारियों की भाग-दौड़ बच जाती। जिससे काम समय से कराया जा सकता है लेकिन उसका हेड क्वार्टर यहां न होने से काम समय पर नहीं होता है और हमारे विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण बाढ़ बचाव काम के लिये जो सैकड़ों रुपया भारत सरकार देती है उससे वंचित रह जाता है। यहां पर तमाम योजनाओं का माननीय मंत्री जी ने नाम लिया लेकिन इस पुस्तिका को देखने से स्पष्ट है कि शारदा सहायक गण्डक कमाण्ड योजना, सरजू योजना जो हमारे लिये वरदान साबित होती उससे आज तमाम जिले वंचित हो रहे हैं और योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरजू योजना के लिये हमेशा जो बजट गवर्नमेन्ट का होता है वह सब तनख्वाह में ही खर्च हो जाता है, रहा-सहा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है।

दस वर्ष पहले इसकी जो स्थिति थी वही आज है । अयोध्या पम्प नहर जो हमारे क्षेत्र में जाती है उसके लिये भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी लेकिन किसानों को मुआवजे का अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है । अयोध्या कैनाल घाघरा नदी से 4–5 कि०मी० अन्दर चली गयी है उसका कोई उपाय नहीं किया है उससे होने वाले लाभ की कोई विवेचना नहीं की गयी है प्रस्तुत बजट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि इन योजनाओं का लाभ कैसे किसानों तक पहुंचेगा ? गोला पम्प अयोध्या पम्प कैनाल, अपने स्थान से बहुत दूर चले गये हैं । इसके रखरखाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसी लिये मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है क्योंकि चार सौ करोड़ रुपया लगभग खर्च किया जा रहा है, न तो कोई सिंचाई नीति बनायी गयी है और न ही बाढ़ रोकथाम के लिये कोई काम किया गया है । मेन्टीनेन्स में सिर्फ 7 हजार रुपया प्रति वर्ष नलकूपों के मेन्टीनेन्स के लिये दिया गया है । माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि नलकूप खराब हैं उनको ठीक किया जायगा लेकिन इतनी कम राशि में कैसे काम होगा ? करीब 75 प्रतिशत ट्यूबवेल प्रदेश में व्यर्थ पड़े हुए हैं माननीय मंत्री जी जब दौरे पर जायें तो किसी सड़क पर रुक कर आस पास बने ट्यूबवेल को चेक कर सकते हैं कि वह कितना काम कर रहे हैं ? तो उन्हें मालूम हो जायगा कि मेन्टीनेन्स का काम सही है या नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया था उससे अभिलाषा थी काम होगा । लेकिन इस बजट में उसकी चर्चा न होने के कारण घोर निराशा ही है आपने कहा कि प्रत्येक मण्डल में एक नोडल अधिकारी दिया गया है । पता नहीं वह नोट भेजता है या नहीं । गण्डक नदी महराजगंज, देवरिया, पड़रौना आदि में जहां एक तरफ प्रदेश में सूखे की स्थिति है वहां इन क्षेत्रों में बाढ़ की विभीषिका आयी है कितने ही बांध टूट गये और गांव बर्बाद हो गये हैं लेकिन उस नोडल अधिकारी ने सूचित किया या नहीं यह आप अपने उत्तर भाषण में जब जवाब दें तो बता दें हमारा विधान सभा क्षेत्र घाघरा और राप्ती नदियों के कटान से प्रभावित है और सैकड़ों दर्जन गांव तबाह हो गये हैं और प्रत्येक वर्ष यह समस्या होती है, दर्जनों नाले बहते हैं और वे सब विकराल रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट नीति न होने कारण ग्राम वासियों को कोई राहत नहीं मिल पाती है । आप की कोई फ्लड स्कीम नहीं बनती है जिसमें भारत सरकार बाढ़ राहत के लिये पैसा देती है जिससे क्षतिग्रस्त गांवों का बचाव किया जाता है । जब तक मंत्री जी बाढ़ से बचाव नलकूपों के रखरखाव आदि की समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उनका सर्वे भवन्ति सुखिनः वाला सपना पूरा नहीं हो सकेगा । मैं बजट भाषण के अनुरूप अपेक्षा करता था और पुस्तिका में भी अपेक्षा करता था कि उसमें उन तमाम बातों का उल्लेख होगा जिससे इस प्रदेश की जनता को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसे देखकर घोर निराशा हुई है ।

जैसा कि समय-समय पर समाचार पत्रों में छपा, आज नहरें पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अभिशाप का रूप धारण करती जा रही हैं । भारी सीपेज उनसे हो रहा है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने के स्थान पर कृषि योग्य जमीन भी उनकी ऊसर होती जा रही है । इस तरह ऊसर जमीन की सीमा अपने प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है । यह प्रदेश में भयावह स्थिति है । इसमें समय रहते कोशिश न की गयी तो यह विभीषिका का रूप धारण कर लेगी मैं चाहूंगा कि इन पर मंत्री जी ब्योरेवार स्पष्ट उल्लेख करें ताकि जनता और हम सब लोग स्थिति से अवगत हो जायें । आज सम्माननीय सदस्य इस आशा से आये थे कि सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया जायेगा तो इसमें नई-नई योजनाओं का उल्लेख किया जायेगा । यह इसमें नहीं किया गया और न पुरानी योजनाओं के सुधार या अनुरक्षण की बात ही इसमें कही गयी है । योजनाओं के बारे में जो यह कहा कि 70 प्रतिशत जो योजनायें पूरी हो चुकी हैं उनका कार्य पूरा किया जायेगा, लेकिन एक भी ऐसी परियोजना का नाम उन्होंने नहीं लिया है और न उसके लिये स्पष्ट धनराशि की उपलब्धता बजट पुस्तिका में दर्शायी गयी है । सिंचाई, बाढ़

बचाव, नये नलकूपों का लगना और पुराने खराब नलकूपों को सही करने के लिये स्पष्ट उल्लेख वह करेंगे, ऐसी मैं उनसे आशा करता हूं। 4 अरब रुपया प्रदेश का व्यर्थ न जाये इसलिये चाहता हूं कि इसे किसान को बाट दिया जाता तो वह अपने मन से छोटे नलकूप लगा लेता। उसका कमाण्ड एरिया कम होता और वह अपने मन से पानी देता और उसका मेन्टीनेन्स करता और उसकी लागत भी कम आती। मैं इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं और पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सिंचाई पर अपना बजट प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कृषि इस देश का महत्वपूर्ण.....

श्री अधिष्ठाता–

पांच-पांच मिनट का समय प्रत्येक व्यक्ति के लिये है। कृपया आप लोग समय का ध्यान रखें।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, आप समय निर्धारित करके पहले ही बोलना बन्द करा रहे हैं। पांच मिनट में क्या-क्या कह लेंगे। मान्यवर, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और प्रदेशों में उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है और आज माननीय मंत्री जी ने कृषि को बढ़ाने के लिये, उत्पादन को बढ़ाने के लिये 336 करोड़ रुपये का जो बजट प्रस्तुत किया है, वास्तव में देखा जाय तो यह 336 करोड़ रुपये इस विशाल प्रदेश की कृषि के लिये सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इतने बड़े प्रदेश के लिये मात्र 72 नलकूपों से क्या होगा। 72 नलकूप तो आज एक जनपद के लिये पर्याप्त नहीं हैं। 72 नलकूपों के लिये जो 15 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है उसको बढ़ाया जाय। मैं समझता हूं कि शायद मंत्री जी संख्या भूल गये हों तो इसे सात हजार बीस (7,020) नलकूप कर दें जिससे गरीब किसानों के खेतों की सिंचित क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

इसी तरह से इन्होंने घोषणा की है कि 30 करोड़ रुपये असफल नलकूपों पर खर्च किया जायेगा। यह भी बहुत कम धनराशि है। 30 करोड़ रुपये में तो शायद दो एक कमिश्नरी के नलकूप और उसका रिपेयर नहीं हो पायेगा। तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के नलकूप असफल पड़े हैं, उनके स्टार्टर नहीं हैं, मोटर ठीक नहीं हैं। 30 करोड़ रुपये की जो असफल नलकूपों पर खर्च करने की योजना है, उसमें और वृद्धि करनी की जरूरत है। इसमें और धन मुहैया कराया जाय तो अच्छा होगा। नहरों के विषय में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि नहरों की सफाई में धांधली को रोकने के लिये बैडवार योजना लागू की गयी है। मान्यवर, बैडवार योजना चला लें या और कोई इससे काम नहीं चलेगा जब तक कि शासन की पकड़ प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिये कृत संकल्प नहीं होंगे। बैडवार योजना में करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है। अधिकारी नहरों की सफाई करवाते नहीं हैं अन्तिम समय में जो प्रारूप दिखाई पड़ता है उसे जुलाई अगस्त में तैयार करते हैं। जनप्रतिनिधियों की बैठक में हम जाते हैं तब यह अधिकारी जून के लास्ट में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बरसात शुरू हो जाती है और नहरों की सफाई के नाम पर लीपा पोती हो जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नहरों की सफाई के बारे में जितनी भी धनराशि जाय सभी जनप्रतिनिधियों को उसकी सूचना पहले से हो और इसमें त्वरित कार्यवाही करा कर मई तक नहर सफाई का कार्य हो जाय। दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने कही है, मुझे दुख है। माननीय मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इधर ध्यान दें अच्छा होगा । आपने एक गम्भीर बात अपने बजट में कही है कि नहर नलकूप सबकी सम्पत्ति है, सबको इसको देखना चाहिए । मैं इसका स्वागत करता हूं कि आपने कहा वह सबकी सम्पत्ति है लेकिन जो आपने कहा है कि उसका तार स्वतः वही लोग काट ले जाते हैं जिनके उपयोग में वह आती हैं । जो भी किसान हैं, वह नलकूप का तार नहीं काटेगा । जहां भी चोर और बेईमान हैं उनके साथ मिलकर अधिकारी तार कटवा देते हैं । नहरों की गुल काट देते हैं ताकि बाद में टेण्डर खुलवाकर अपने चहेतों को काम दिलाया जाय । कोई किसान नहीं चाहेगा कि गुल काट दिया जाय क्योंकि इससे किसानों को परेशानी होगी । भदोही और बनारस में ऐसी अनेकों घटनाएं आयी हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है । बगैर तार और मेन स्विच के नलकूप चलाये जाते हैं । मान्यवर, स्टार्टर के बगैर नलकूप चलाये जाते हैं । जितने नलकूप हैं 90 प्रतिशत नलकूप बगैर स्टार्टर के चलाये जाते हैं । जो अधिकारी जाते हैं स्टार्टर को बेच देते हैं या नलकूप में लगवा दिया फिर अगले दिन चोरी करवा लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

ज्ञानपुर नहर 78 से चल रही है उसके बारे में कहा गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

स्थान ग्रहण करें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

आज तक करोड़ों रुपया बकाया है किसान बेरोजगार हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मैं चाहूंगा कि उससे निकलने वाली माइनर रजबहों में जो अधिग्रहीत भूमि की गयी है लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया है उसका मुआवजा उपलब्ध करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें । जो मिश्रा जी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

लिखा नहीं जायगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं । मैंने बजट भाषण पर बोलने के लिये समय दिया है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आभारी हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। माननीय मंत्री जी ने इस पर बोलने के लिये तीन-चार मिनट का समय दिया। तो उनको जो घंटे भर बोलने का समय होता है उसमें से थोड़ा समय मुझे और दे दें। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सम्मानित सदन के बीच में भाषण करें कि बढ़ी हुई आबपासी की दर, हमारा और आपका विरोध पहले से रहा है, उसको पेश करने की घोषणा करेंगे हमारे अपर हाउस में जहां आर० के० चौधरी जी नेता सदन है वहां सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका है। दूसरी बात मान्यवर जहां विभाग को चुस्त रखना है वहां विभाग की कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा।

मान्यवर, 131 जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर का आदेश 30 तारीख को निकाल दिया गया। मंत्री जी बैठे हैं 31 तारीख को हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं पता नहीं आपका कार्यालय क्या कर रहा है। ट्रांसफर करने के लिए मोटी रकम ले ली गयी पैसा लेकर ट्रांसफर किया गया। प्रमुख अभियन्ता का नो-चार्ज है इस तरह से खेल खेला जा रहा है। मान्यवर दूसरी बात कहना चाहूंगा कि पश्चिम को ताजे वाले बांध से हिस्सा मिलना चाहिये। 25 करोड़ की धनराशि व्यय करनी है इसको शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाए। यमुना नदी से जो पानी दिया है उत्तर प्रदेश में चाहे मध्य उत्तर प्रदेश में देंगे लाभ होगा ताजे वाला बांध है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि ताजे वाले बांध का सुदृढ़ीकरण करवाया जाय। इसके साथ मैं सबसे पहले अपने जनपद में चल रही हिण्डन कृष्णा दोआवा परियोजना की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह परियोजना चोगांवा क्षेत्र में जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के उद्देश्य से स्व० चौधरी चरण सिंह जी की प्रार्थना पर बनाई गयी थी। परन्तु अब इसकी स्वीकृति हुई कि हिण्डन नदी पर से लिफ्ट करके पानी डालने की व्यवस्था की गयी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हिण्डन कृष्णा नदियों में पानी नहीं रहता है। बुढ़ाना में पानी रहता ही नहीं है। ऐसे में जब पानी नहीं होगा तो लिफ्ट क्या करेगी। और बरसात में जब पानी होगा उस समय क्षेत्र के लिये सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी।

मेरा अनुरोध है यदि इसको किसान हित में इसको दोआबा परियोजना को चलाते हैं तो इसके लिये रजबहा कल्लरपुर में सुखदेवन से गंगा के पानी को डालकर रजबहा भोरा के चोगाम नहर को लिया जाय। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि गंगा में पानी की प्रचुर मात्रा है। यदि गंगा अपर गंगा के पैरलल कोई दूसरी नहर बनाकर पानी लिया जाय तो निश्चित रूप से मुजफ्फर नगर और मेरठ के सघन कृषि क्षेत्र बन जाएगा। अन्यथा वहां रेगिस्तान बन जाएगा। किसान बरबाद हो जाएगा। मैंने सुना है कि जब अंग्रेजों का राज था तब स्वतंत्रता सेनानी कहा करते थे उनका यह नारा होता था कि नहर हमारी है, पानी हमारा है तो हम आबपासी क्यों दें ? आज आजादी के बाद हम इस तरह की दरों को क्यों दें ? पिछली सरकार में एक काला कानून पास हुआ था कि आबपासी की दरों का चार गुना कर दिया गया था। इसे विधान परिषद् में वापस लेने का प्रस्ताव भी पास हो चुका हैं। इसके संबंध में चरण सिंह वादी जनता दल व आप भी आन्दोलन करते रहे हैं। अभी 10 जुलाई को मुजफ्फरनगर में भी जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर हजारों किसानों ने मांग की थी कि आपके दल में भी इस पर धरना व प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किये थे। नैतिक रूप से आप भी इसके लिये बाध्य है। मेरी मांग है कि आबपासी दरों को वापस लिया जाय। जहां तक नहरों की सफाई का मामला है सफाई आज लुटाई बन गयी है। अपने अभियन्ता से पूछो मार्च के अंतिम तीन दिन में सफाई का पैसा दिखा देते हैं व पूरा पैसा रख लेते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । यह निश्चित रूप से लुटाई का धन्धा बन गया है । पटरियों के सुदृढ़ीकरण का काम आप नहीं कर रहे हैं । अगर पटरियों के सुदृढ़ीकरण का काम आप करेंगे तो टेल तक पानी पहुंचेगा । व कास्तकार को फायदा पहुंचेगा । नहरों में वैडवार नहर को बनवाया जाय । जिसके कारण कुलावे में पानी का दबाव कम हो रहा है और नहरें गहरी होती जा रही हैं ।

जहां तक नलकूपें का मामला है मंत्री जी द्वारा मात्र 72 नलकूपों का बजट भाषण में उल्लेख किया गया है । इससे क्या होगा । हमारा जो छोटा सा गांव है वहां 150 निजी नलकूप लगे हुए हैं । हमारे जिले में 497 नलकूप हैं ।अगर मंत्री जी एक एक विधायक के क्षेत्र में एक-एक नलकूप लगवायेंगे तो भी 425 नलकूप लगवाने पड़ेगे । पानी नहीं मिलेगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा । इसको आप हल्केपन से न लें । सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, व अधीक्षण अभियन्ता के स्थानान्तरण करने का जो कार्यक्रम चल रहा है व इसको आप उद्योग की तरह चला रहे हैं इसको बन्द किया जाय । इसे जीरो स्थानान्तरण घोषित किया जाय । हमारा पश्चिमी क्षेत्र सघन कृषि क्षेत्र है अगर उसको आप फलते फूलते देखना चाहते हैं तो हिण्डन कृष्णा नदियों पर जगह-जगह पर छोटे-छोटे बांध बनायें जाय । व पत्थर डालकर जलस्तर ऊपर उठाया जाय । अन्यथा निश्चित रूप से वहां पर रेगिस्तान बन जायेंगा । जो यह कहा जाता है कि छोटे-छोटे बांध से गांव की सुरक्षा को नहीं बनाया जा सकता हैं । मैं मांग करता हूं कि गांव में भी आदमी रहते हैं । गांव में छोटे छोटे बांध बनना आवश्यक है । मेरे क्षेत्र सेनटा, रसूलपुर, रायपुर में बांध बनाये जाने की मांग करता हूं । इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि सब अधिकारी बेईमानी नहीं करते हैं । जो डाक बंगलों में लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं । डाक बंगलें बेकार रहते हैं मैं चाहूंगा कि उन डाक बंगलों से अवैध लोगों को हटाकर उनको सही करवाया जाय ताकि अधिकारी लोग वहां पर रुककर गांव वालों की समस्याओं को ध्यान से हल करें । इससे समय व पैसे की बचत होगी । अन्त में मैं आबपासी दरों को समाप्त करने की मांग करता हूं । नहरों की सीपेज की समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसको पक्का कराया जाय । सीपेज से पानी के किनारे-किनारे खेत बरबाद हो जाते हैं । इन शब्दों के साथ मैं श्री हरीशंकर तिवारी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामजीत भारद्वाज—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी आपकी मंशा को पूरा कर दूंगा । मान्यवर, 70 के दशक में इस देश में और प्रदेश में हरित क्रांति जो हुयी और नहरों का जाल बिछाया गया उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सिंचाई सुविधा के साथ साथ जमीन की उर्वरक शक्ति नष्ट हो गयी और बैरन हो गयी । हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और यह समस्या पैदा हुयी । मैं बताना चाहता हूं कि तीन साल से इस देश का ग्रेन प्रोडक्शन उसी जगह पर स्टैंड स्टिल है और पापुलेशन का रेशियो 2:5 के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है । नहरों में पानी जब सप्लाई किया गया तो नहरों के किनारे किनारे पानी रिसाव हुआ और सीपेज के कारण जो भूमि में लवण थे वह जमीन की सतह पर आ गये और नहरों के किनारे की जमीन बैरन हो गयी ।

जहां-जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है वहां की जमीन बैरन होती जा रही है । हमारे प्रदेश की सरकार आज ऊसर सुधार कार्यक्रम चला रही है और मिलियन्स, बिलियन्स मनी खर्च कर रही है लेकिन ऊसर की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है । हमारे पास ऐसे सुझाव है जिससे आपकी बैरन लैंड धीरे धीरे सुधरेगी और प्रोडक्शन बढ़ता नजर आयेगा । व्हाट, व्हेयर, हाऊ आप कैसे इसको कर पायेंगे जब आप इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं । आप सामूहिक पानी दे रहे हैं । कोई किसान फसल जल्दी बोता

है और कोई किसान देर में बोता है। आप पानी एक साथ देते हैं तो सब किसान सिंचाई नहीं कर पायेंगे नतीजा यह होगा कि प्रोडक्शन घटता रहेगा। मान्यवर, बिडम्बना क्या है, मान्यवर, रामायण में तुलसीदास जी ने जो लिखा है– सहमि सूखि सुनि शीतल वानी, जिम जवास पर पावस पानी। यदि समय पर पानी किसान को नहीं मिलता है तो उसका फायदा क्या है ? इसी तरह से महाकवि कालिदास ने लिखा है। तपे लौह पर पड़कर जल का नाम रूप मिट जाता, कमल पत्र पर पड़ वही जल मोती सा दिखलाता, स्वाती में सागर की सीपी में बन पड़ना मोती, प्राय ऊंच, नीच, मध्यम गति संगति से ही होती। तो मान्यवर, यह जो बैरन लैण्ड पैदा हो रही है इसमें नहर का बड़ा योगदान है। नहरों को बढ़ाकर आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते चाहे आप प्रेक्टिकली यह देख लीजिये। जहां पर ट्यूबवेल हैं वहां पर प्रोडक्शन आज बढ़ता जा रहा है और जहां नहरें हैं वहां पर नहीं बढ़ रहा है। अब मैं आपके संज्ञान में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने नहरों की सफाई की बात कही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र चंदौली, धानापुर में एक इंच भी नहरों की सफाई नहीं हुयी है और करोड़ों रुपया अधिकारियों की पाकेट में चला जाता है। इसलिये आप भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश जब तक नहीं लगायेंगे तब तक क्षेत्र का किसान कराहता रहेगा।

हमारे क्षेत्र में एक नहर खरखोलिया–नेकनामपुर की सफाई केवल कागज पर हुयी है और सफाई के नाम पैसा ले लिया गया। इसी तरह से बिरना माइनर की टेल की खुदाई नहीं की गयी है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र के 10 पुल टूटे पड़े हैं जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। आखिर, में यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं–

जब नीर अपनी ही नमी से डरता हो,
जब प्यार अपनी ही कमी से डरता हो
तो जिन्दगी मुस्कराये कैसे,
जब आदमी से आदमी ही डरता हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिये समय दिया।

(श्री राजाराम त्यागी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह सर्व मान्य परम्परा है और बहुत पुरानी परम्परा है कि एक सदस्य सत्ता पक्ष का बोलता है, तो दूसरा विपक्ष का बोलता है। माननीय सदस्य बहुत ही अच्छा भाषण दे रहे थे, शायद आप उसी में खो गये और विपक्ष के एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए लेकिन उनको आपने समय नहीं दिया तो आप कम से कम पुरानी परिपाटी को तो न तोड़े और एक सत्ता पक्ष का और एक विरोधी पक्ष सदस्य बोले, और आप इसी तरह से उसका समय दें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राजाराम त्यागी को बुला लिया है।

श्री राजाराम त्यागी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। इस बजट में बहुत से ऐसे प्राविधान किये गये हैं, जो सराहनीय हैं। इस बजट में नये

नलकूपों को लगाने की योजना है, सर्विस रोड बनाने की योजना है और नहरों की सफाई की योजना रखी गयी है । मान्यवर, मैं और कुछ न कहकर मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जो पुस्तिका हमें दी गयी है, उसमें लिखा है कि 97 प्रतिशत पानी नहरों का उनके टेल तक पहुंच जायेगा, तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात पूर्णतया असत्य है । मान्यवर, मैं बछरांवा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां पर एक ऐसे अधिशासी अभियन्ता हैं, जिनका चेहरा किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं देखा है, वह डी० आर० डी० ए० की बैठक में भी नहीं जाते हैं, वह जन प्रतिनिधियों से मिलते हीं नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि रायबरेली जिले को सर्वाधिक पैसा गया है, लेकिन सिंचाई के नाम पर वहां पर नहरों में सफाई नहीं की गयी है । मैं अपने क्षेत्र का दौड़ा कर रहा था, तो पाया कि ट्रैक्टर से काम किया जा रहा था और उससे लेवलिंग की जा रही थी । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 8 नलकूप हैं और वह सारे के सारे खराब पड़े हैं, पम्प नहर जो है वह भी खराब पड़ी है । केवल डलमऊ पम्प नहर नियोजित ढंग से चलती है और वह भी मजबूरी में चलती है । मान्यवर, जिन नहरों का किसानों से सीधा सम्पर्क रहता है, वह ज्यादातर खराब रहती है, उनकी सफाई नहीं होती है और उनमें पानी नहीं जाता है ।

मान्यवर, हमारे यहां पर शारदा नहर है, इसके कारण इस नहर के किनारे किनारे सीपेज की बड़ी समस्या रहती है, किनारे के खेतों में हमेशा हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण उन खेतों में कोई पैदावार नहीं होती है और किसान बहुत परेशान है, तो सीपेज की बड़ी समस्या है, माननीय मंत्री जी को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और कोई न कोई ठोस हल निकालना चाहिये ।तमाम योजनायें हैं, उनके लिये पैसा आया है लेकिन उनका सही कार्यान्वियन नहीं किया जाता है । बार बार अधिकारियों से कहा जाता है कि नहरों की सफाई नहीं हुई और जिसके कारण किसानों को पानी मिलने में दिक्कत हो रही है लेकिन अधिकारी जन प्रतिनिधियों की सुनते नहीं हैं और वह अपने मन से धन की सफाई करते हैं । इस मामले में यहां से ऐसे आदेश जाने चाहिये कि विधायकों से राय ली जानी चाहिये और जब तक जन प्रतिनिधि इसको प्रमाणित न करें तब तक उसका भुगतान नहीं होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और जिस प्रकार से मनुष्य के लिये रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है उसी प्रकार से खेती के लिये सिंचाई की आवश्यकता है । आज सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण बजट है और यह विभाग माननीया मुख्य मंत्री जी के पास है और मैं समझता हूं कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा । हमें तो ऐसा लगता था कि कुछ दिशा निर्देशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है । इस विशाल प्रदेश में 72 नलकूपों का प्राविधान किया गया है । मेरा कहना है कि कम से कम 52 नलकूपों की घोषणा किये होते तो कम से कम एक एक नलकूप एक एक विधायक को मिल जाता और वह अपने क्षेत्र में एक नलकूप तो लगवा सकता ।

मान्यवर, जहां तक खराब नलकूपों को सही करने की बात है, उनमें 10-10 और 15-15 हजार रुपये लग जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो बिजली की लाइन है वह बहुत पुरानी हो गयी है, इसको बदलने की आवश्यकता है । इस कार्य को वरीयता से पूरा किया जाना चाहिये । लेकिन एक कमी है कि सारे कार्य मार्च के महीने में पूरे हो जाते हैं और 11 महीने में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होती है । आप इस बात का विशेष ध्यान रखें । जहां तक नहरों के कटने की बात है, इसमें एक टेक्निकल कमी है, नहरों की सफाई तब होती है जब रबी की फसल की सिंचाई होने को होती है, उसमें बहुत बड़ा

घपला होने की आशंका रहती है। मेन्टीनेंस पर 3600 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है, इस धनराशि में कुछ बढ़ोत्तरी होनी चाहिये, इस समय बहुत महंगाई हो गयी है, यह पुरानी नहरें हैं और उनके पुल टूट चुके हैं। जीर्णोद्धार की आपके विभाग में कोई योजना नहीं है मैं यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि टूटे हुए पुलों के लिये जब हमारे सभी एम० एल० ए० कहते हैं तो आपके विभाग के लोग कहते हैं कि हमारे पास इसके लिये कोई हेड नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब आपकी नहरें निकली थी तो जनसंख्या कम थी उसके बाद नये नये गांव बसें हैं, आबादी बढ़ी हैं इसलिये मैं नई जगहों पर पुल की मांग को उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण से इसका सर्वे करा कर पुलों की योजना अवश्य लाई जाय। मान्यवर, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी ने बजट को बढ़ाया है वहीं दूसरी तरफ दो गुना से तीन गुना सिंचाई की दर बढ़ी है तो मैं चाहता हूं कि जिस रेशियो में सिंचाई की दरों को बढ़ाया गया है उसी रेशियों में बजट का भी प्राविधान होना चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि कृषि प्रधान देश में जहां हम दलितों के उत्थान की बात करते हैं वहां पर कम से कम सिंचाई को तो कम किया जाय। किसान गरीब है और गरीब है तो दलित है। दलित की कोई जाति नहीं है तो यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। मैंने सागर जी को बुला लिया है।

श्री बिजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं मुआवजे के बारे में कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

जब माननीय सदस्य खड़े नहीं होते हैं तो मेरे मन में शंका होती है कि शायद पार्टी ने नाम दिया है लेकिन वह बोलना नहीं चाहते हैं।

* श्री योगेन्द्र कुमार सागर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बदायूं जनपद में एक भी नहर योजना नहीं है। माननीय सदस्य जब नहर की बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहर क्या होती है मैं जानता ही नहीं हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में 72 नलकूप रखे गये हैं। मैं आपसे केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि या तो मेरे जनपद में मात्र एक नहर योजना दे दें या बदायूं जनपद में अगर सिंचाई की अच्छी सुविधा रखना चाहते हैं तो जो 72 नलकूप पूरे प्रदेश के लिये दिये हैं यह सब के सब हमारे जनपद में दे दिये जायं तो काफी होंगे और पूरे जनपद की जनता संतुष्ट हो जायेगी। मेरे जनपद में सिंचाई की बड़ी परेशानी है बहुत कम नलकूप हैं अधिकांश खराब रहते हैं जिसके कारण सिंचाई व्यवस्था ठप्प हो चुकी है। पिछली बार नियम 51 में मैंने सूचना दी थी कि हमारे यहां 125 नलकूप हैं जिसमें से 51 नलकूप खराब हैं लेकिन आज तक उन नलकूपों को ठीक नहीं कराया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है । मैं चाहता हूं कि उनको शीघ्र ठीक कराया जाय अधिकांश नलकूप बदायूं जनपद के खराब हैं उनको ठीक कराया जाय ।

हमारे जनपद में एक-एक नलकूप चालक को तीन-तीन नलकूप दिये गये हैं जिसके कारण रखरखाव नहीं हो पाता है । अतः मैं चाहता हूं कि जो खाली पड़े हुए नलकूप हैं उन पर अंशकालिक नलकूप चालकों की नियुक्ति कर दी जाय । यह नियुक्ति विभागीय स्तर पर लगी रोक को हटाकर की जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अधिकांश नलकूपों की गूलें हमारे यहां जीर्ण-शीर्ण हैं, खराब हैं जिसके कारण 20 प्रतिशत भी पानी खेतों में नहीं पहुंच पाता है । मैं चाहता हूं उसके लिये अधिक से अधिक मरम्मत के लिये बजट में प्राविधान रखा जाय । मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष 1994-95 में इस गूल मरम्मत के लिये डी० आर० डी० ए० की बैठक में दस लाख कूप योजना से 5 लाख रुपये सिंचाई विभाग को दिये गये थे । एक वर्ष बाद उस पैसे को ज्यों का त्यों यह कहकर वापिस कर दिया कि दस लाख कूप योजना के मापक के अनुसार हम काम नहीं करा पायेंगे । क्योंकि यहां मस्टर रोल के हिसाब से काम कराने का प्राविधान है। इसमें अवर अभियन्ता को दस्तखत करने पड़ते हैं जिसके कारण बेईमानी नहीं हो पाती है । अतः मैं चाहता हूं कि इनके विभाग में जो कार्य कराया जाता है उसका मापक भी दस लाख कूप योजना जैसा कर दिया जाय ताकि इनकी बेईमानी करने की आदत कम हो सके । उसका मापक ही बदल दिया जाय, जो सरकार से जाता है मरम्मत के लिये उसका भी मापक 10 लाख कूप की तरह मस्टर रोल से कर दिया जाय ताकि उनमें बेईमानी करने की आदत कुछ कम हो ।

हमारे जनपद में जो राजकीय नलकूप हैं उन पर आधे से ज्यादा नलकूप ऐसे हैं जिन पर नलकूप चालक नहीं हैं । चालक न होने के कारण वहां की व्यवस्था ठप रहती है । एक-एक चालकों पर तीन-तीन नलकूपों का चार्ज दे रखा है । अगर नलकूप चालक नहीं हैं तो अंशकालीन नलकूप चालक की नियुक्ति की जानी चाहिए । विभागीय स्तर पर रोक लगी हुई है व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये आप शीघ्र विभागीय रोक हटाकर अंशकालिक नलकूप चालकों की नियुक्ति की जाय इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और नलकूपों की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री दीनानाथ भास्कर–

मान्यवर, सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बजट का पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह एक ऐसा विभाग है । कहावत सदियों से सुनते चले आये हैं जहां पानी नहीं वहां जिन्दगानी नहीं । सिंचाई विभाग किसान की प्रत्येक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ विभाग है और चूंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि के लिये सिंचाई का होना नितान्त आवश्यक है । सिंचाई विभाग में जो लघु डाल हैं, माइनर रजवाहा हैं, नलकूप हैं जो छोटे-छोटे नलकूप हैं और छोटे-छोटे जो कैनाल लगाये गये हैं, इन कैनाल का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता । आश्वासन मिलते रहते हैं कि नहरों का पानी टेल तक पहुंचता है, पहुंचेगा, परन्तु यह सत्य से परे है । अधिकारियों को निर्देश देकर, चाहे वह लघु कैनाल हों या बड़ी कैनाल हो, उनका पानी नहर के टेल तक पहुंचाया जाना चाहिए । जो नलकूप हैं प्रत्येक जिलों में कम से कम 1/4 नलकूप बन्द पड़े हुए हैं चाहे वह विद्युत खराबी के कारण हों चाहे यांत्रिक खराबी के कारण हों इस समय जब कृषि को देखते हुए ज्यादा जरूरत है तो वह जो खराब पड़े नलकूप हैं, वह सही होने चाहिए जिससे किसानों को सिंचाई करने में किसी प्रकार की बाधा न पैदा हो । नाले हैं, राजवाहे हैं, उनमें पूरे दिन तक पानी नहीं मिलता है । जो रजवाहे हैं उनकी सफाई नहीं होती है । जो किसान पानी लगा कर, बीज लगा कर, खाद लगाकर, जो उसका धन खर्च हुआ है तो अगर फसल

तैयार हो जाती है और रजवाहे के कारण वह फसल नष्ट हो जाती है तो हमारा लगाया हुआ पैसा बरबाद हो जाता है। जो नाले हैं गांव में उनकी सफाई होनी आवश्यक है।

श्री प्रमोद तिवारी (बैठे-बैठे)–

अबकी बार आप मंत्री बनेंगे।

श्री दीनानाथ भास्कर–

[× × ×]

(हंसी)

[4 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मान्यवर, इकौनी माइनर है जो स्वीकृत कर ली गयी है परन्तु धन के अभाव में उसकी खुदाई नहीं हो रही है। गढई नदी पर पुल स्वीकृत कर लिया गया है तथा उसकी सफाई के लिये धन अवमुक्त नहीं किया गया है। मैं मा० मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन दोनों नालों की सफाई न होने के कारण पूरा का पूरा गांव बरसात में तबाह हो जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको स्टेट बैंक के पैसे से करवाया जाये। मान्यवर, चन्द्रप्रभा एक नदी है जो सिंचाई के लिये नारायणपुर कैनाल के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है उससे बनारस का पूर्वी हिस्सा सिंचित होता है, उसका पुल खराब हो गया है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चन्द्रप्रभा नदी पर जो पुल बना हुआ है काटा साइफन पुल जो कि चन्दौली से चकिया को जोड़ता है वह खराब हो गया है और उसके लिये धन स्वीकृत भी हो गया है लेकिन पैसा अवमुक्त नहीं किया गया है मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस पर अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें। मान्यवर, एक रायल ताल नाला है जो 18 किलोमीटर लम्बा है उसकी खुदाई के लिये धन स्वीकृत नहीं हुआ है उसे स्वीकृत कराने का निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। आपकी बहुत बातें आ गयी हैं।

श्री दीनानाथ भास्कर–

मान्यवर, नागनपुर सकलडीहा ब्लाक पर एक पुल और पिपरी पसाई गांव के बीच में एक पुल बनाने का कष्ट करें। मान्यवर, अरंगी के पास भी एक पुल नहीं है उसको भी बनवाने का कष्ट करें। नूरी से बकारपुर नहर के किनारे पटरी को पिच रोड बनवाने का कष्ट करें। चारी पम्प कैनाल हेतु ढाई लाख रुपये की आवश्यकता है उसे स्टेट फंड से दिलवाने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री दीनानाथ भास्कर–

मान्यवर, भूपाली पम्प कैनाल गंगा में डूब गया है करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है। मान्यवर, उसमें दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाय और माननीय मंत्री जी सदन के अन्दर इस बात का आश्वासन आज सदन उठने से पहले दें कि इसकी व्यवस्था की जायगी।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका लिखा नहीं जायेगा ।

श्री दीनानाथ भाष्कर–

[× × ×]

* श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट के मौके पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । मान्यवर, मैं अपने जिले और क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में सिंचाई की दरों में बहुत वृद्धि की गयी हैं । पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह की सरकार ने किसानों के ऊपर कुठाराघात किया था, जिसके कारण किसान अपनी सिंचाई की दरें अदा नहीं पा रहे हैं और सिंचाई के संबंध में उन्हें बड़ी परेशानी है । मान्यवर, सिंचाई की दरों में जो वृद्धि की गयी है, मैं वर्तमान सरकार के माननीय सिंचाई मंत्री, जो माननीय मुख्य मंत्री भी हैं, से अनुरोध करूंगा कि इस सदन में घोषणा करें कि सिंचाई की जो बढ़ी हुई दरें हैं, उनको वापस लिया जायेगा ।

मान्यवर, मेरे बांदा जिले में एक और कर थोपा गया है, जिसे वहां धानकाटपलेवा कहते हैं, मेरा अनुरोध है कि उसको भी वापस लेने की घोषणा करने की कृपा करें । मान्यवर, मेरे यहां सिंचाई के लिये पम्प हाउसेस हैं, और कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है । दो छोट-छोटे डैम हैं, ओहन और बरूवा लेकिन वहां पर भी पूरी क्षमता से पानी नहीं पहुंच पाता है । जैसा कि पूर्व सरकार घोषणा करती रही है कि टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा, लेकिन टेल तक तो क्या, मूंछ तक भी पानी नहीं पहुंचा, मूंछ तक की बात ही करना बेकार है । बरुवा और ओहन दोनों ही नहरों में बड़ी मुश्किल से आधी दूरी तक पानी पहुंच पाता है और नहरें खाली रहती हैं । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बजट में इन नहरों में पूरा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय और दोनों ही डैमों में पानी के संबंध में सर्वे कराया जाय ।

इसी प्रकार मान्यवर, मेरे यहां चिलीमल पम्प हाउस है, जो लघु डाल सिंचाई खण्ड के अन्तर्गत आता है, इसमें मरम्मत का कोई प्राविधान नहीं किया गया है । न जिला योजना से पैसा दिया जाता है और न प्रदेश सरकार की किसी योजना से इसमें पैसा जाता है, एक-दो और पम्प हाउस हैं पूर्व में कल्याण सिंह जी की सरकार ने वहां 35 लाख रुपया रिपेयरिंग के लिये मंजूर किया था, जिसमें से केवल 16 लाख ही अवमुक्त हुए हैं । अभी भी 19 लाख रुपया अवमुक्त नहीं हुआ है । माननीय राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि हम पैसा दिलायेंगे । हम सबने कई बार इसके लिये पत्र भी लिखे, लेकिन आज तक पूर्व सरकार, जो डेढ़ साल तक रही है, के कार्यकाल में पैसा अवमुक्त नहीं हुआ । यह मान्यवर, किसानों की हितैषी सरकार है, मैं आशा करता हूं कि सरकार अवश्य 19 लाख रुपया अवमुक्त करेगी, जिससे चिलीमल पम्प हाउस की व्यवस्था ठीक की जा सके ।

मान्यवर, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि नहरों की रिपेयरिंग के नाम पर तमाम पैसा खाया जाता है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें, जिससे इस तरह का भ्रष्टाचार दूर हो । मान्यवर, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि वहां अधिकारी कैम्प करें जो अधिशासी अभियन्ता हैं, एस० डी० ओज० हैं, वह हफ्ते में दो दिन तीन दिन नहरों में, गांव का दौरा करें और

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक दिन गांव में विश्राम करें, और यह देखें कि नहरों की कितनी सफाई हुई है और हुई भी है अथवा नहीं अन्यथा इसी तरह से नहरों की सफाई/रिपेयरिंग के नाम पर पैसा खाया जाता रहेगा। मान्यवर, मेरे यहां चिलीमल, राजापुर, ओहरा, लधियारी की स्थिति बहुत खराब है। राजापुर में तो हौज पाइप ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर हौज पाइप नहीं है, अन्य जो खराबियां हैं, उनको ठीक करने के लिये धन एलाट करने के आदेश देने की कृपा करें, यही मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए नहरों की सफाई और टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इसी संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, 1989 में जब इस विधान सभा में पहली बार चुनकर आया था तो उस समय माइनरों की सफाई के संदर्भ में एक शासनादेश था कि जब तक क्षेत्रीय विधायक माइनरों की सफाई का सत्यापन लिखकर न दे दें, तब तक सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान न किया जाये, उसी सत्र में वह व्यवस्था समाप्त की गयी थी कि जिसके कारण आज मनमाने ढंग से माइनरों की सफाई के नाम पर, नहरों की सफाई के नाम पर पैसा अधिकारी अपनी जेब में रख रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से जब हम लोग सूचना मांगते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अधिकारी केवल यह लिखकर देते हैं कि इतनी दूर तक, इतनी सफाई की गयी है, कभी-कभी धनराशि लिखकर नहीं देते हैं कि इतना खर्च हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो व्यवस्था पहले थी उसको लागू करने हेतु इस सदन में घोषणा करें।

अभी सूखे से पूरा प्रदेश जूझ रहा था और प्रत्येक सरकारों की भांति इस सरकार ने भी 10 जून से 15 जुलाई तक निःशुल्क सिंचाई की सुविधा दी थी। इस क्रम में अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इरमौली, विकास खण्ड बन्दी राय के अधिकांश राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं। मैंने अधिकारियों से यहां तक कहा कि आप मेरे साथ दौरा करिये और देख लीजिये कि नलकूप चालू हालत में हैं या नहीं। लेकिन समय नहीं मिला कि वह मेरे क्षेत्र में जा सकें। मान्यवर, केवल 72 नये नलकूपों की स्वीकृति दी गयी है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन 72 नलकूपों को भी आप न लगवायें और इसका पैसा और कुछ पैसा लेकर जितने भी पुराने नलकूप पड़े हुए हैं, उनको रिपेयर करवा दें जिससे सिंचाई की अहम समस्या का समाधान हो सके। अभी पूर्व साथियों ने कहा कि बड़ी नहरें बनी थी और एक-एक किलोमीटर पर पुल बने हुए हैं आज जब गांव की आबादी बढ़ी तो बहुत से गांव के छोटे-छोटे किसान जिनको बड़ी नहरों के उस पार जाना पड़ता है, कदम पुलिया के अभाव में सिर पर अपनी फसल को लेकर एक किलोमीटर चक्कर लगाकर अपने घर पहुंचते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां आवश्यकता है एक टीम भेजकर दिखवा लिया जाये।

सीपेज की गम्भीर समस्या के संबंध में अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस सदन के नेता सदन एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मेरे क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने सेमरौना, धोबिया भार और महमूदपुर के पास जल भराव को स्वयं देखा और अधिकारियों से प्रस्ताव बनाने की घोषणा की थी लेकिन आज भी जल भराव की समस्या बनी हुई है, उससे अधिकांश फसल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस पर ध्यान दिया जाये। मेरे क्षेत्र में दो राजकीय नलकूप पुराने होने के बाद फेल हो गये थे, उन्हें भी पुनः नोट करवाया जाये। एक अंतिम बात स्थानान्तरण नीति की कहना

चाहता हूं। कभी-कभी बड़ी चर्चा होती है कई साथियों ने जिक्र भी किया। मेरे जिले में एक अधीक्षण अभियन्ता के० पी० सिंह जो कि मात्र 8 महीने पहले लखनऊ में कार्यरत हुए थे, पता नहीं कौन सी नई नीति बनी है, उनको 8 महीने के बाद ही स्थानान्तरण मुरादाबाद कर दिया गया। अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ चाहे जो भी कार्यवाही की जाय लेकिन इस तरह से किसी स्वार्थवश या किसी कारण से अधिकारियों को इतने अल्प समय में स्थानान्तरित न किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

सिंह साहब अब आप समाप्त करें।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, जो बातें हमने उठायी हैं इस पर मंत्री जी ध्यान देंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* इन्जीनियर राम कृष्ण वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और बल देता हूं। यद्यपि अधिक धन का प्राविधान नहीं किया गया है परन्तु इस बात की कोशिश की गई है कि 8 परसेन्ट बजट को बढ़ाकर कुछ स्थिति को अच्छा किया जाय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 140 वर्ष पहले ऊपर गंगा नहर बनाई गई थी, जिससे उस क्षेत्र में क्रान्ति आ गई थी और सारा एरिया ससब्ज हो गया था और सबसे अधिक पैदावार होने लगी थी। अब यह नहर बहुत पुरानी हो गई है तथा इससे निकलने वाली ब्रांचें जैसे अनूपशहर ब्रांच आदि हैं, जिनमें जलाभाव हो गया है। इसलिये शासन से प्रार्थना है कि इन नहरों का पुनरूत्थान किया जाय। आज पहले के मुकाबले कमान्ड एरिया बढ़ गया है और जो यह कहा गया है कि 97 परसेन्ट पानी टेल तक पहुंचाया जायेगा, यह सम्भव नहीं है। क्योंकि जो कमान्ड एरिया पहले 500 एकड़ का था अब वह 1000 एकड़ का हो गया है।

लोग कुलाबों के माध्यम से और पाईप डालकर जो बीच से पानी चुरा लेते हैं, इसलिये भी 97 परसेन्ट पानी टेल तक नहीं पहुंच सकता है। एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि सिल्ट क्लीएरेन्स का पैसा विभाग को पूर्ण नहीं मिलता है, जिसके कारण आधी सफाई होती है। अगर नीचे से सिल्ट की सफाई होती है तो यह गलत है। ऊपर से हेड की ओर से सफाई होनी चाहिये। यदि ऊपर से अधिक पानी आयेगा तो वह टेल तक पहुंचेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ पुरानी नहरें, जैसे गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर तथा अनूपशहर ब्रांच नहरों के ऊपर जो पुल बने हुए थे, वे उस समय के हैं जब मोटर व बसें तथा ट्रक नहीं होती थी और वे पुल कम चौड़े हैं। आज इन पुलों की स्थिति जर-जर हो गई है। इन पुलों के जीर्णोद्धार के लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन पुलों का पुनर्निर्माण कराया जाय। नलकूपों की बात कही गई। यह सही है कि तार पुराने पड़ गये हैं, यह कोई बात नहीं है परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके लाईनमैन व पेट्रोल मैन हैं वह इतने पुराने तथा बूढ़े हो गये हैं कि खम्भे पर चढ़कर वे रिपेयर का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये वे नये-नये लड़कों को मस्टर रोल पर लेकर काम करवाते हैं और फिर यही लड़के तार की चोरी करते हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यमुना सेताजवाला बैराज से पानी कम निकलता है, इसका कारण वहां डिफेक्टिव हैडवर्क है। इसलिये शासन इसके लिये अधिक धन उपलब्ध करवाये जिससे वहां अधिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी प्राप्त हो सके। टिहरी बहुउद्देशीय योजना को राजनीति रंग न देकर शीघ्र पूर्ण किया जाय जिससे पूरे प्रदेश में विद्युत एवं सिंचाई आश्वस्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें तमाम समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। उसके लिये मैं बार-बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जितने अधिकारी हैं जिन्होंने इतना अच्छा बजट बनाने में योगदान दिया है वह उसके लिये धन्यवाद के पात्र है।

श्री अधिष्ठाता--

सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आप बोलें।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

यद्यपि इसमें सभी बिन्दुओं को छुआ गया है फिर भी मैं कुछ बिन्दुओं पर निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में रिंग बोरिंग के लिये 50 हजार रुपया दिया जाता है हमारा बुन्देलखण्ड का क्षेत्र पहाड़ी और पथरीला है वहां पर इतने कम धन में रिंग बोरिंग नहीं हो पाती है जिससे किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं इसलिये इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया जाय। साथ ही साथ कलस्टर ट्यूबवेल योजना है इसके तहत नहरों में ट्यूबवेल लगाकर चलाई जाती है इस ओर भी प्रयास किया जाय ताकि कलस्टर ट्यूबवेल प्लान लागू हों, इससे बड़े पैमाने पर सिंचाई समस्याओं का निदान होगा सरकार ने काफी प्रयास किया है कि सिंचाई समस्यायें हल हो उसके लिये वह बधाई के पात्र है इसी के साथ हमारी पूर्व सरकारों ने इस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या को हल करने के लिये राजघाट बांध का निर्माण हुआ लेकिन वह भी अधूरी है। मध्य प्रदेश सरकार के हिस्से की जो धनराशि है वह नहीं मिली है। इसको प्राप्त करने का मध्य प्रदेश सरकार से प्रयास किया जाय ताकि जो राजघाट योजना अधूरी पड़ी है वह पूरी हो सकें।

पंचनद परियोजना भी बहुत समय से शासन के विचाराधीन है यह अन्तर्राज्यीय परियोजना है इससे मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है, शासन इस ओर भी प्रयास करें। और अंतिम रूप से इसे हल किया जाय तो सिंचाई समस्याओं का निदान हो सकता है। (लाल बत्ती) मान्यवर सबको पांच मिनट का समय दिया मेरा तो अभी दो मिनट हुआ है हमारे जनपद की समस्याओं के निदान के लिये यद्यपि लगातार प्रयास होते रहे लेकिन दुःख की बात है कि वह अभी तक हल नहीं हो पाई। हमारे जनपद के माननीय मंत्री अकबर अली साहब कैबिनेट मंत्री है। हमारे विधान सभा क्षेत्र का 80 प्रतिशत किसान भूख से मर जाता है फसल सूख जाती है इस वर्ष भी किसान की फसल सूख गयी है, सरकार द्वारा प्रयास किया गया कि इस समस्या का निदान हो उसके लिये दो लिफ्ट कैनाल पथराई और पालस्वामी (जालौन) में बनाने के लिये चुने गये हैं इसके लिये मैं सरकार को बार-बार बधाई देता हूं और हमारी प्रमुख सचिव, सिंचाई भी बैठी हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया है वह वहां की समस्या से अवगत है। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह अपने स्तर से इन योजनाओं को पूरा कराने का प्रयास करें उनके मंत्री बनने से हमारे जनपद में लोगों में बड़ी आशा बधी है और लोग कहते हैं कि हमारी समस्या का स्थाई निदान होगा। लोगों में बड़ी खुशी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुशवाहा जी अब आप बैठे ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

अगर आप मा० मंत्री जी सिंचाई की समस्याओं का निदान नहीं कर सकेंगे तो हमारे जनपद के लिये शर्म की बात होगी और अगर आप सिंचाई समस्याओं का निदान करने में सफल हो गये तो लोग फूल-मालाओं से आपका सम्मान करेंगे । असफल होने पर आपको जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा । इसके साथ ही साथ मेरे जनपद में बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं उनको दूर करने का कष्ट करें । इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद में एक बड़ी शिकायत विभाग से यह है कि पर्ची समय पर नहीं दी जाती है । जिससे (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कुशवाहा जी मैं आपसे कई बार कह चुका हूं अब आप जिद न करें ... (व्यवधान) अब जो वह बोलेंगे वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

[x x x]

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसका समर्थन करता हूं । जो बजट है उसमें अपने संसाधनों के अनुसार मंत्री जी ने सिंचाई विभाग के हर स्तम्भ को मजबूत करने का प्रयास किया है । मेरा एक सुझाव है कि पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश के भोले-भाले किसानों के साथ सिंचाई दर में वृद्धि करके जो डाका डाला गया था उस काले कानून को वापस लेने की इस बजट में घोषणा की जानी चाहिए । उत्तर प्रदेश के अन्दर आज सिंचाई विभाग हर तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । हर काम में ट्रांसफर और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बड़ी गन्ध आ रही है । उसकी आप दृढ़तापूर्वक जांच करें और उससे निपटने के लिये आपको प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ।

मेरे क्षेत्र में हैदरगढ़ से सम्बन्धित लखनऊ डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल ने करोड़ों रुपये की जनता की गाढ़ी कमाई की निर्माण कार्यों में लूट की है । उन्होंने वहां हैदरगढ़ ब्रांच में लाइनिंग के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर, निर्माण के नाम पर लूट की है। इसके खिलाफ मैंने 1 जून को एक पत्र सचिव, प्रमुख अभियन्ता, और मुख्य मंत्री को लिखा था लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही है । माइनरों के लिये लोक निर्माण विभाग से जमीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । समस्त माइनरों में खड़न्जे लगा दिये जायं जिससे नहरें भी मजबूत बनें और खड़न्जे भी लग जाएं । पी० डब्लू० डी० के माध्यम से सड़कें न बनाई जायं बल्कि नहरों की समस्त पटरियों पर खड़न्जे बनाकर उनको मजबूत कर दिया जाए । इससे समस्या हल हो जायेगी । तीसरा सुझाव यह है कि मेरे क्षेत्र में कुछ असिंचित क्षेत्र है, जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है । आज वहां पर हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है जिससे किसानों का विकास नहीं हो रहा है । चकौरा, सरीफाबाद, हुसैनाबाद

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मल्लाहन पुरवा, शालपुर, नयपुरा, भिटौरा और बिटौली चन्दा आदि दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर राजकीय नलकूप का निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे वहां का सिंचाई का पिछड़ापन दूर किया जा सके। हर सरकार में यही होता है, कह दिया जाता है कि भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, किन्तु होता कुछ नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप व्यापक कार्यक्रम बनायें और ड्रेनों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हैदरगढ़ क्षेत्र में एक इन्हौना ड्रेन है जो 20 कि०मी० है।

श्री अधिष्ठाता–

दीक्षित जी, अब आप बैठ जायं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, जल भराव की स्थिति को समाप्त करने के लिये इन्हौना, फिरोजाबाद, हसनपुर ड्रेनों का निर्माण किया जाय। मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन को भी बता देना चाहता हूं और एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं। आज सिंचाई विभाग के कार्यालय में करीब 5 लाख फावड़ा, पांच लाख बाल्टियां और पांच लाख डोल धरे हुए हैं। न सिंचाई विभाग कहता है कि यह मेरी हैं और न जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेता है तो फिर यह पांच लाख फावड़ा, पांच लाख बाल्टियां और पांच लाख डोल आखिर क्यों रखे हैं? इन सब सामानों को गरीब किसानों में बांट दें मान्यवर, मैं इसकी जांच करवाये जाने की मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से करोड़ों रुपये का माल इन सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स ने अपने मकानों में छिपा रखा है, उसकी जांच कराई जाय और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल काली–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खादर में दो नदियां, गंगा और बूढ़ी गंगा निकलती हैं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1995-96 का बजट प्रस्तुत किया था तो उस पर चर्चा के दौरान मैंने मांग उठायी थी कि गंगा और बूढ़ी गंगा नदी के बीच में जो दूरी है वह घटकर मात्र एक किलोमीटर रह गयी है, इसको रोकने के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अभी करीब चार महीने पहले लखनऊ में एक उच्च स्तरीय मीटिंग सिंचाई विभाग की हुई थी। हमारे जिले से 93 लाख रुपये की परियोजना इस कटान को रोकने के लिये बनायी गयी थी लेकिन मेरठ के एस० ई० ने उस बैठक में जब अधिकारियों द्वारा यह कहे जाने पर कि आधी धनराशि अवमुक्त करा दी जायेगी, उसके आधार पर ही काम शुरू करवा लीजिये। एस० ई० ने उस आधी धनराशि पर कार्य करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया कि और कहा कि जब तक पूरी धनराशि नहीं मिलेगी तब तक कार्य नहीं शुरू किया जायेगा।

मान्यवर, यदि उस आधी धनराशि के आधार पर वहां काम शुरू कर दिया जाता तो आज जो गंगा और बूढ़ी गंगा नदी मिलने जा रही है बीच की दूरी बहुत कम रह गयी है उसे रोका जा सकता। आज कटान की स्थिति यह है कि कुछ समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ लगा क्षेत्र भी बह जायेगा और वहां की आबादी नहीं बचेगी, न कृषि की भूमि बचेगी। वहां पर जल के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आयेगी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने इस परियोजना के आधार पर उस गंगा कटान के काम को नहीं होने दिया उनको तुरन्त निलम्बित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना

चाहता हूं कि मेरे यहां मवाना नगर में दो नाले दक्षिण और पूर्व में हैं। इनमें संगल पेपर मिल और शुगर मिल का पिछले 20 वर्षों से अवशिष्ट पदार्थ बह रहा है। जिन सिंचाई विभाग के नालों से किसानों को लाभ मिलना चाहिए था उसका उपयोग यह मिल मालिक कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में बार-बार शासन के प्रमुख सचिव जो यहां मौजूद हैं, अनेकों पत्र इस संबंध में लिखे हैं और मांग की है कि यह नाले किसानों के लिये बने हैं, किसानों को उनका लाभ मिलना चाहिए लेकिन इनका उपयोग मिल मालिक कर रहे हैं। मान्यवर, प्रमुख सचिव के माध्यम से भी मिल मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लेते हुए मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कुछ तथ्यों की तरफ लाना चाहता हूं। एक कहावत है "दिये तले अन्धेरा"। यह मेरे क्षेत्र में सच है। पूर्वी गंगा नहर 60 किलोमीटर मेरे क्षेत्र में बनायी गयी है जिसमें दसियों हजार किसानों की जमीन उस नहर में आयी है लेकिन उससे सिंचाई नहीं होती है। इसमें दो माइनर बनाये गये हैं। 10 माइनर और बनाये जाने चाहिए। सिंचाई विभाग से अपील करता हूं कि 10 माइनर में से दो प्रीतमगढ़ गुलालवाली, गोढ़ा, रानीपुर, शान्तिपुर यहां दस माइनर बनाये जाय साथ ही जिन किसानें का धन सिंचाई विभाग पर पड़ा है उसका तुरन्त भुगतान कराया जाए। किसान परेशान है जमीन सिंचित नहीं हो पाती है। नलकूप विभाग में जाते हैं तो बात नहीं करते हैं। मेरी अपील है कि 40 नलकूप मेरे क्षेत्र में लगवाये जायें। 35 नलकूप पांच साल से बेकार पड़े हैं एक हजार हजार फिट नीचे पानी है, एक भी किसान हिम्मत नहीं कर सकता है कि नलकूप लगवायें इसके लिये सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मेरी अपील है कि मेरे क्षेत्र में चालीस नलकूप फौरन लगवाए जाएं। वरना मेरे क्षेत्र में किसान बरबाद हो जाएगा। तबाह हो जाएगा। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह दल के नेता हैं इनको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाये।

श्री राम स्वरूप सिंह–

दीनदयाल योजना लागू हुई थी अलीगढ़ के एक सदस्य ने भी इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया था लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

नजीबाबाद के बारे में दूसरी बार मंत्री जी से अपील करता हूं कि नजीबाबाद क्षेत्र में विशेष सिंचाई की व्यवस्था कराई जाये वहां पर 40 नलकूप लगवाये जायें।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, आपने इस सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं आज सिंचाई का बजट जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मेजा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारी सरकार की घोषणा एवं नीति है कि उत्तर प्रदेश के हर इलाके में हर जगह पानी टेल तक पहुंचेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेजा विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त क्षेत्र के नहर प्रणाली में पानी नहीं आता है 7-8 कि०मी० आता है। 22 किलोमीटर की लम्बी नहर है और 15 किलोमीटर तक पानी नहीं पहुंचता है यहां पर पानी पहुंचाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी मान्यवर, हमारी मेजा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है कृषि पर आधारित क्षेत्र है इस क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से नहर बनायी गयी है उसके पश्चात् भी पानी नहीं आता है। घनावल, हरदिया, माइनर, इटवा माइनर अभियन्ता के कारण आज खीरी माइनर बाढ़ से प्रभावित है। सिर्फ एक अधिशासी अभियन्ता के कारण मान्यवर, 423 गांव पूर्ण रूप से बह गये हैं आज तक नहरों की मरम्मत नहीं हो पायी है उसके लिये हमने कई बार कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई नहर तो कुछ जगह से, कईबार कहने के बावजूद बांध दिया गया पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। पूरा पठारी क्षेत्र है ऐसे क्षेत्र में जहां एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ है। हमारे मेजा विधान सभा क्षेत्र में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ है। वहां पर सिंचाई केवल नहरों पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि हमारे मेजा क्षेत्र में उपरोक्त रजवहा जो करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ है। उसमें 200 क्यूसेक पानी देने का प्राविधान है। मगर मात्र 75 क्यूसेक पानी किसानों को दिया जाता है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र पानी से वंचित रह जाता है लखनपुर पम्प कैनाल के खराब होने के कारण पानी नहीं दिया जा रहा है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री छोटे लाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। 75 फीसदी किसान कृषि पर निर्भर रहता है। हमारे क्षेत्र फतेहाबाद में नहर इण्ड हो जाती है। सिंचाई के लिये डाक क्षेत्र घोषित किया गया है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में 110 ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनमें से 51 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। जो सही हैं वह भी आज की तारीख में बन्द पड़े हुए हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि उन ट्यूबवेलों को चलाया जाए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें मैंने राजलक्ष्मी वर्मा को बुला लिया है।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

केवल पहले जो महत्वपूर्ण विषय है उसको पहले कह दें।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मेरे क्षेत्र में अशोकपुर ड्रेन, तटका ड्रेन, अमोली ड्रेनों की सफाई का कार्य नहीं हुआ है। तीनों ड्रेनें जाकर नामीपुर सिरौली पर जाकर मिलान करती हैं। जहां पर पुल न होने के कारण पूरा का पूरा क्षेत्र तिलोकपुर, चाटपुर एरिया जलमग्न हो जाता है। जिसके कारण किसानों की फसल गन्ना वगैरह चौपट हो जाती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन में अनेक बार लिखा पढ़ी भी की गयी लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हमारे यहां बहुत सा क्षेत्र असिंचित है। जैसे अहमदपुर, सरारा तिलोकपुर क्षेत्र हजारों बीघा क्षेत्र बिना सिंचन के रह जाता है। वहां पर जल स्तर इतना नीचा है कि या तो सरकारी बोरिंग सफल हो सकती है या किसी नहर से माइनर निकाल कर सिंचाई का कार्य हो सकता है। मैंने इस संबंध में प्रार्थना-पत्र भी दिया था लेकिन यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि नहर बनाने के लिये सरकार ने रोक लगा दी है। मान्यवर, गनेशपुर का नाम एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहां पर सन् 78 में लिफ्ट कैनाल बनायी गयी थी लेकिन घाघरा नदी द्वारा जलस्तर छोड़ देने के कारण वह लिफ्ट कैनाल बेकार हो गयी है और लाखों रुपयों का जो कार्य हुआ था वह बेकार हो गया है। मेरा निवेदन है कि वहां पर ट्यूबवेल स्थापित किये जायं और सिंचाई कार्य कराया जाय। इसी तरह से हमारे यहां जो नहरें हैं उनके टेल तक पानी नहीं जाता है और किसान को पानी न मिलने के कारण उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को सतर्क किया जाय ताकि नहरों के टेल तक पानी पहुंच सके।

श्री अधिष्ठाता–

कई सदस्यों ने यह खबर भेजी है कि उनका रिजर्वेशन है। अभी एक ग्रांट चल रही है और एक बाकी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपना भाषण मंत्री जी को लिखकर दे दें। यह भाषण कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा लेकिन उसका महत्व ऐसा होगा जैसे उसको उन्होंने सदन में बोला हो। यह कागजात मंत्री जी को सोमवार तक मिल जाने चाहिए। यह मुद्रित नहीं होगा लेकिन उसका महत्व वही होगा जैसे सदन में कहा गया हो।

(थोड़ा-थोड़ा समय दे दीजिये कई आवाजें–)

एक सदस्य–

मान्यवर, जिनका रिजर्वेशन है वह लिखकर दे दें और जायं। जो बोलना चाहते हैं उनको बुलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने एक रास्ता निकाला था। अध्यक्ष पीठ से ऐसे निर्णय इसके पहले भी हुए हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो रात 10 बजे तक बैठ सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजबली यादव–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सिंचाई विभाग के बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है। मान्यवर, कुछ चीजें तो पानी से परिष्कृत होती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी के बगैर पैदा ही नहीं हो सकती हैं। मैं सिंचाई के संबंध में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। इस समय हमारे आजमगढ़ में नहरों में पानी नहीं है वहां धूल उड़ रही है। क्षेत्र से लोग बराबर आ रहे हैं जिनसे जानकारी मिल रही है और मैं भी क्षेत्र से होकर आया हूं। सिंचाई विभाग पानी नहीं पहुंचा पा रहा है। पिछली सरकार के समय से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यह सरकार तो अभी गुंडाराज को खत्म करने में लगी है और करीब-करीब गुंडाराज खत्म हो गया है इसलिए अब अधिकारियों को कसना चाहिये। आप टेल की बात छोड़ दीजिए आज मेन नहर में पानी नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां घनश्याम दास गर्ग नाम के एक इक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। यह हमारे यहां सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ गये हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं।

एक लाख सत्तर हजार रुपया, जब मैं जीतकर आया उस समय जो पैसा डी० आर० डी० ए० का गया था वह दिया इतना कामचोर वह इंजीनियर है कि वह काम नहीं कराता। फिर 3 लाख 24 हजार दिया गया फिर भी काम नहीं किया फिर तीसरी बार 5 लाख 47 हजार रुपया दिया गया फिर भी वह चकिया दुबेरामपुर की पुलिया नहीं बन पाई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह सिंचाई विभाग के शारदा सहायक खण्ड 32 का इंजीनियर है उसको कहीं पर भेज दीजिये उसको सर पर बैठाइये लेकिन उसने कोई एक काम भी नहीं किया है। सारा सिंचाई विभाग चौपट है हमारे जिले में सिंचाई के नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए और सिंचाई विभाग में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव हरिशंकर तिवारी जी ने रखा है उसका विरोध करता हूं।

* श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ से हर वर्ष ग्रसित हो जाता है और कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि उसके पश्चात् सूखे को भी यहां झेलना पड़ता है इस वर्ष भी बरसात शुरू होते ही बाढ़ का प्रकोप हुआ जिसमें हमारे विधान सभा क्षेत्र का बैदौल, में बूढ़ी राप्ती द्वारा कटान हो गई। इसके अतिरिक्त गजहड़ा, नौदिहवा और नन्दवलिया गांव बानगंगा नदी द्वारा प्रभावित हुए हैं। मेरा निवेदन है कि बैदौला लखनापार बांध पूर्ण कराया जाय। मान्यवर, बानगंगा से निकली नहरों पर फर्जी सफाई दिखाकर केवल भुगतान कराया जाता है सफाई नहीं होती है। मान्यवर, गांव के काफी लोगों के घर उस कटान में चले गये हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो कटान हुआ है उसको जल्दी ठीक कराया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय । सिद्धार्थनगर में हमारे क्षेत्र में ही पूर्व जमींदारी व्यवस्था में ही सागर बन गये थे जिसमें सेमरा सागर, मछली सागर और सथुवानगर सागर और वटवासागर है । मान्यवर, सेमरा सागर टूटा है मछली सागर को तीन वर्ष टूटे हुए हो गया है और सतुआनगर सागर इसी वर्ष टूटा है । इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सरकार फण्ड देकर इन सागरों की मरम्मत कराये ताकि सिंचाई की सुविधा हो सके ।

श्री नन्द किशोर मिश्र–

मान्यवर, आपने सिंचाई विभाग जैसे प्रमुख विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो बजट का प्राविधान किया गया है जैसा माननीय पूर्व वक्ता साथियों ने भी कहा वह बहुत कम है । मान्यवर, इतना कम बजट में सिंचाई विभाग कैसे काम कर सकता है इसको बढ़ाया जाय ? मान्यवर, सीपेज और सिल्ट की जो समस्याएं है जो कृषि योग्य भूमि की सिंचन क्षमता एवं फसल को नुकसान पहुंचाती हैं ।

नहरों से वहीं सिल्ट से जितनी सिंचाई करनी है सिल्ट जमा होने की वजह से नहीं हो पाती है, हमारे क्षेत्र में कुटैण्डा माइनर और दुधई दो ऐसी नहरें हैं जिनमें टेल तक पानी नहीं पहुंचता है । सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया था लेकिन कुप्रबन्ध की वजह से जो 600 एकड़ सिंचाई होनी चाहिए उसमें से मात्र 16 एकड़ भूमि अभि तक सिंचित है। दुधई मानइर का टेल तक पानी पुहंचने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। मेरे क्षेत्र में से तटबन्ध है अमवाखास एवं ए.पी. तटबन्ध जिनमे ए.पी. तटबन्ध को नारायणी और बांसी नदी की बाढ़ से 3.5 कि०मी० पर खतरा पैदा हो गया है। मात्र 25 मीटर की दूरी पर पानी बह रहा है कटान जारी है विभाग ने एक 8000000 रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर स्वीकृति के लिए भेजा है लेकिन धन उपलब्ध नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता

आप समाप्त करें।

श्री नन्द किशोर मिश्र

अमवाखास बांध की सुरक्षा के लिए फ्लड प्रूफिंग स्कीम में 67 लाख रुपये का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ लेकिन धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे बांध का खतरा बना रहता है। जो 72ग नलकूपों का प्राविधान किया गया है वह बहुत कम है उसको बढ़ाऐ। तैरयाहरकेश, रामपुर धुरियाकोट,नरहवां के लिये स्वीकृत नलकूपो पर धन दें।

श्री अधिष्ठाता

आप लोग बैठे माननीय मुरलीधर जी बोले।

श्री मुरली धर

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने व उसका समर्थन करने का मौका दिया है। मान्यवर मै किशनपुर जनपद फतेहपुर से चुनकर आया हूं मान्यवर हमारे यहां जरौली पम्प कैनाल योजना सिंचाई के लिए सरकार के पास स्वीकृत हेतु है, 2 करोड़ रुपये आबंटित किए गऐ

है। कितनी बड़ी योजना है और इतनी कम धन राशि आबंटित की गयी है इसकी वजह से यह योजना बहुत समय तक लम्बित रहेगी जरौली पम्प कैनाल योजना एक मात्र योजना है जिससे जनपद सिंचित हो सकता है। मान्यवर, जो हमारे यहां अधिशाषी अभियंता नलकूप है और दूसरे जो (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता

आप समाप्त करें।

श्री मुरलीधर

अभियन्ता जैन हैं इनकी वजह से हमारे जनपद की सिंचाई नहीं हो रही है इनका तत्काल यहां से ट्रांसफर किया जाय। और इनके कार्यकाल की पूरी जांच करायी जाय। जो यह सिंचाई के नाम पर और सफाई के नाम पर खर्च रहता है उनकी पूरी जाच करायी जाय।मेरी यह मांग है.

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद का मीरापुर निर्वाचन क्षेत्र जहां से मै चुनकर आया हूं पुर्वाचल का सबसे उपेक्षित पिछड़ा और शोषित क्षेत्र हैं। यहां सिंचाई विभाग का कोई कार्य नहीं हुआ कन्धारी ड्रेन पर 8 महीने से पुलिया टूटी हुई है सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन पुलिया नहीं बन पायी, कयासिन ड्रेन की खुदाई अति आवश्यक है। राजकीय नलकूप 60 प्रतिशत खराब हैं. इनको ठीक कराये जाने की आवश्यकता है, प्रति विकास खण्ड एक नये नलकूप दिये जाने की व्यवस्था की जाय। गौरा विकास खण्ड में सैकड़ों किसानों की जो भूमि अधिग्रहीत की गयी है किसानो के मुआवजें के धन का भुगतान होना बाकी है मेरा कहना है कि असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। हमारे यहां ड्रेनो की खुदाई व सफाई की आवश्यकता है उस पर तत्काल ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता

माननीय श्री अमित अग्रवाल आप बोले।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय

मान्यवर भारत की आत्मा किसान है और किसान की आत्मा कृषि है तथा कृषि का मूल्य तब है जब खेतो को समुचित पानी की व्यवस्था की जाय। मा० मुख्य मंत्री जी के उत्साहवर्धन हेतु दो लाइन कहना चाहता हूं । लोग कहते है कि बदलता है जमाना अक्सर मर्द वे है जो जमाने को बदल देते हैं।

*श्री अमित अग्रवाल

मान्यवर बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग जब मात्र गांव के किसानो के लिए असुविधा व परेशानियों का कारण है। वहीं पर नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए भी सिंचाई विभाग कुछ परेशानी पैदा कर रहा है । मेरठ में नगर की सीमा से लगी काली नदी बहती है इसका बैड ऊंचा होता जा रहा है मवाना रोड पर लगी पेपर मिल उसमें अपनी वेस्ट को बहाती है । जो तलहटी पर बराबर जम कर सतह को ऊंचा कर रहा है । नगर के सारे नाले इसी नदी में गिरते हैं जिससे सारे नगर में जलप्लावन की स्थिति है । वहां आबू नाला एक व दो है आबू नाला प्रथम में दौराला शुगर मिल का वेस्ट गिरता है नाले की तली ग्राम डोरली रोशनपुर, पीएसी व रोशनपुर डिपोनो

कालोनी तक इतनी ऊंची हो गयी है कि पानी का बहाव नहीं हो रहा है । दौराला शुगर मिल से 5 लाख रुपया 10 वर्ष पहले सफाई के लिए मिला था लेकिन वह अभी तक खर्च नहीं हुआ है ।

[5 बजकर 25 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें आपका भाषण नहीं लिखा जायेगा । मैंने बंशीधर जी को पुकार लिया है ।

श्री बंशीधर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं अपने भाभर क्षेत्र की जो उत्तरांचल क्षेत्र में है इसकी कुछ प्रमुख बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, जमरौली बांध परियोजना काफी वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गयी थी । यह काफी बड़ी परियोजना है और इसके लिए 20 करोड़ रुपया खर्च किया गया लेकिन इसका दुर्भाग्य यह रहा कि शिलान्यास के लिए दो कांग्रेस के नेता लड़ पड़े और यह परियोजना मारी गयी । मान्यवर, मुलायम सिंह जी की सरकार आयी तो उन्होंने इस परियोजना को बन्द करने का प्रयास किया । मान्यवर, अगर यह परियोजना बन्द कर दी गयी तो भाभर का पूरा क्षेत्र वीरान हो जायेगा और वहां पर सिंचाई की कल्पना तो दूर लोग पानी पीने को तरस जायेंगे । मान्यवर, मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, भाभर क्षेत्र में नलकूपों के संबंध में सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है । पूरे प्रदेश के भीतर सात हजार रुपया प्रतिवर्ष है जबकि तराई क्षेत्र में चालीस से पचास फीट खोदने पर पानी मिल जाता है लेकिन पहाड़ों में एक हजार फीट तक खोदना पड़ता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें ।

श्री बंशीधर–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें । सभी की बातें महत्वपूर्ण होती हैं ।

श्री बंशीधर–

मान्यवर, वहां पर नलकूप लगाने की व्यवस्था की जाये अन्यथा वहां पर लोग पानी को तरसेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका भाषण लिखा नहीं जायेगा । आप समाप्त करें ।

* श्री राम सजीवन निर्मल–

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हुआ अपने क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू में दो माइनर नहरे हैं । एक कराली और दूसरी राम गंगा कैनाल । पिछली सरकार ने जो घोषणा की थी कि टेल तक नहरों से पानी पहुंचाया जायेगा लेकिन वह नहीं पहुंचा । मैंने कई बार इस संबंध में लिखा पढ़ी भी की लेकिन फायदा नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ । मेरे क्षेत्र में यह समस्या 15-20 वर्षों से बनी हुई है । वहां पर 20 वर्षों से आज तक पानी नहीं पहुंचा है । सन् 77 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उस जमाने में मेरे क्षेत्र में जब छोटे लाल यादव थे, तो उस समय पानी पहुंचा था उसके बाद से आज तक पानी नहीं पहुंचा है । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू मंजनपुर क्षेत्र जब चौधरी साहब थे, मुलायम सिंह वहां पर गये और उन्होंने आश्वासन भी दिया लेकिन तब से हम लोग बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं टेल तक पानी नहीं पहुंचा है । मैंने अधिकारियों को इस संबंध में लिखित में भी अवगत कराया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम सजीवन निर्मल–

मान्यवर, उन्होंने इसका कारण यह बताया कि जजौली कैनाल के लिए बजट दिया था । 27.55 करोड़ की लागत से कैनाल बननी थी लेकिन 2.5 करोड़ की लागत का कार्य हो पाया है और इसे अब स्थगित कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । मैंने और वक्ताओं को भी समय ज्यादा नहीं दिया है । ऊदल जी को मैं बुला रहा हूं ।

श्री राम सजीवन निर्मल–

मान्यवर, उन अधिकारियों ने यह सूचित किया कि जब तक यह कैनाल नहीं बन जायेगी तब तक सिराथू विधान सभा क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपका भाषण लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम सजीवन निर्मल–

मान्यवर, मैं इतना कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 10 नलकूप लगा दिये जायें ।

...मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा...

श्री अधिष्ठाता–

अब जिद करेंगे तो अन्याय होगा, मैंने आपका सम्मान किया अब आप बैठ जायें । मैंने ऊदल जी का नाम पुकार लिया है ।

(पुनः माननीय सदस्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

देखिये मुझे फिर यही कहना पड़ेगा कि अब आपका लिखा नहीं जायेगा । 2 मिनट की बात आपने स्वयं कही थी, आपको 5 मिनट हो गये हैं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि ऊदल जी को तो 40 साल बोलते हो गये, अब इनको नहीं बोलना चाहिये । मान्यवर, अगर जिस दिन बोलना बन्द हो जायेगा, उस दिन तो रामनाम सत्य हो जायेगा, इसलिये ऐसी बात माननीय सदस्य न कहें, बोलने पर प्रतिबन्ध न लगायें ।

श्री अधिष्ठाता–

वाणी का अवरोध नहीं था, आपकी वरिष्ठता को ध्यान में रखकर कहा गया था ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सिंचाई विभाग के बजट पर कुछ कहने का अवसर दिया । मान्यवर, सिंचाई विभाग की हालत बहुत खराब है । आज कम से कम 25 फीसदी ट्यूबवेल तो एकदम खराब हैं और कुछ तो एकदम विफल हो चुके हैं । सरकार के पास धन नहीं है, तो इसलिये नई कोई स्कीम चलाई नहीं जा रही है । लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि जो ट्यूबवेल खराब हो गये हैं, उनको सूखे के मौके पर तुरन्त ठीक कराकर चलवाना चाहिये । तो ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, उसका आंकलन कराकर उस जगह पर रिबोरिंग कराकर, क्योंकि नालियां तो बनी हुई हैं, खंभे लगे हुये हैं, बिजली लगी ही है, तो बहुत आसानी से इस काम को कराया जा सकता है । मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या के बारे में अवगत कराना चाहूंगा, मेरे अपने क्षेत्र में पिंडरा में विश्व बैंक का ट्यूबवेल नं० 1 है, वह आज कई वर्षों से फेल हो चुका है, मैं बहुत सी जगहों के नाम गिना सकता हूं, लेकिन समय जाया नहीं करना चाहता, इसलिये कहना यही चाहता हूं कि सरकार रीबोरिंग की तरफ ध्यान दे और जितने ट्यूबवेल खराब हैं, उनको ठीक करा दें । एक दिक्कत मान्यवर, किसानों के सामने और आती है, जहां तक मैंने देखा कि ट्यूबवेल तो बोर हो गये, पंप हाउस बन गया, बिजली विभाग को पैसा जमा हो गया, लेकिन दो-दो वर्ष तक कनेक्शन नहीं दिया जाता । आम आदमी को तो बिजली विभाग वाले परेशान करते ही हैं, सिंचाई विभाग जो सरकारी विभाग है, को भी परेशान करते हैं, इसलिये सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिये कि जब रुपया जमा हो गया तो कनेक्शन भी तुरन्त मिल जाय और इससे सरकार को भी सिंचाई की दर प्राप्त होती रहे ।

एक समस्या की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । बहुत से स्थान ऐसे हैं, जहां माईनर बननी हैं, जैसे बावनपुर राजबहा किराकत राजबहा के क्षेत्र में जो शारदा सहायक के अन्तर्गत हैं, कुछ माइनरें बनी हुई हैं, मुश्किल से 5 फीसदी, 10 फीसदी माइनरें बनी हुई हैं, लेकिन बाकी नहीं बनी हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये । मान्यवर, किसानों के ऊपर डबल से ज्यादा सिंचाई का रेट एक शासनादेश के जरिये लगा दिया गया, जिससे पूरे प्रदेश के किसान, चाहे नहर क्षेत्र के हों, चाहे ट्यूबवेल क्षेत्र के हों, सब दुखी हैं । आज सूखे के वक्त नहरें नहीं चल रही हैं और अभी धान की रोपाई बहुत ज्यादा बाकी है, मेरा अनुरोध है कि जहां-जहां नहरें हैं, जहां-जहां ट्यूबवेल हैं, उनको सही कराकर बड़े पैमाने पर रातों-दिन चलाया जाय । ताकि किसानों की धान की फसल हो सके। यदि पानी की व्यवस्था हो जायेगी तो धान की फसल भी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, अभी और कितना समय लेगें?

श्री ऊदल

आप कहेगें तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जहां तक मेरी जानकारी है, अधीक्षण अभियन्ता के 40-50 पद रिक्त है, इससे ज्यादा भी हो सकते है। मैं अपने यहां की बात जानता हूं। इलाहाबाद में बावतपुर रजबहा और किराकत माइनर है। वहां के तीन अधीक्षण अभियाता 31 जुलाई को रिटायर हो गये, एक का तो मैं नाम जानता हूं वीरेन्द्र सिंह नाम था। वह सब रिटायर हो गये लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं हो पायी है, कौन इतने बड़े क्षेत्र को देखेगा 50-60 पद रिक्त होगें, हो सकता है, इससे ऊपर भी हों, इसलिये सरकार से मांग करता हूं कि जो जगहें रिक्त हो रही हैं उन स्थानो को जल्दी से भर दें ताकि निगरानी ठीक से होती रहें। एक बात और कह कर खत्म करता हूं । सिंचाई विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसकी आलोचना ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन जो जिले के नीचे के स्तर के अधिकारी हैं, उनकी कार्यपद्धति ठीक नहीं है। इसलिये सरकार को जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए और ऐसे आदेश निर्गत करने चाहिए कि वह भी ठीक से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री हरि शंकर तिवारी के बुलाने पर)

श्री गजराज सिंह

मान्यवर, दो मिनट का समय मुझे भी दे दें।

श्री अधिष्ठाता

मैंने तिवारी जी को बुला लिया है। जब मैंने आपका नाम बुलाया था उस समय आप नहीं थे। आपको और शिवहरे जी को मौका दूंगा।

श्री हरि शंकर तिवारी

मान्यवर, मैं सभी सम्मानित विधायकों श्री रंगनाथ मिश्र, सुन्दर लाल दीक्षित, इन्द्र भद्र सिंह, शिव प्रसाद सिंह कुशवाहा, भैरों प्रसाद मिश्र, दीना नाथ भास्कर, राम जीत भारद्वाज, राजा राम त्यागी, विजेन्द्र सिंह, हरेन्द्र सिंह मलिक, राजबली जैसल, श्रीमति राज लक्ष्मी वर्मा, वंशीधर, मुरलीधर और माननीय ऊदल जी आदि माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होने अपनी भावनायें प्रस्तुत की हैं. मैं इस पर बल देता हूं। जो कटौती प्रस्ताव रखा है मैंने सोचा था कि कम से कम यह दलितों, किसानों और मजदूरों की हिमायती सरकार छोटे किसानो के लिये सिचाई की सुविधा के लिये कोई घोषणा करेगी। न नहरों की सफाई के बारे मे कोई सुनिश्चित योजना बतायी गयी है,न छोटे किसानों की सिंचाई सुविधा के लिये कोई बात कही गयी है। प्रदेश सरकार की सिंचाई नीति क्या है, कैसे सरकार सिंचाई को बढ़ाना चाहती है,यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सरकार ने किसानों की सिंचाई अधिभार को बढ़ा दिया है, 100 गुना बढ़ा दिया गया है इससे सिंचाई प्रभावित होगी, आने वाली उपज प्रभावित होगी, किसानों का भविष्य प्रभावित होगा। मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। माननीय मंत्री जी, आज अगर यह घोषणा

कर दें कि बढ़ा हुआ सिंचाई अधिभार समाप्त कर दिया जायगा तो मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि वह नहीं कर पायेगें। यह पूंजीपतियों की हिमायती सरकार है। आज पैसे की कमी से सिंचाई परियोजनायें ठप्प हैं। मैं चाहूंगा कि आप सरयू परियोजना को पूरा कराने की घोषणा कर दें, जो आप 72 नलकूप के ठिकाने में लगाए करेगें उससे कम लागत में सरयू नहर परियोजना को पूरा कर सकेगें।

जो गोलापुर पम्प केनाल है, अयोध्या पम्प केनाल है यदि आपने इन्हें अपने कार्यकाल में पूरा कर दिया तो यह आपकी बड़ी उपलब्धि होगी। सरयू नहर के पूरा होने से 12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। 19 हजार किलोमीटर की नालिये का निर्माण करा कर वहां के गरीबों की 24 हजार हैक्टेयर भूमि में गन्ने का उत्पादन का श्रेय आपको जायेगा। इसी तरह से बाण सागर योजना है। 72 ट्यूबवेल्स पर आपका जितना पैसा लगेगा, उससे कम पैसे पर आप अधिक कमाऊ एरिया की सिंचाई कर सकते है। आप यह निर्धारित कर दीजिए कि एक परियोजना का मानिटरिंग हम स्वयं करेगें। यदि आपने इनमें से एक भी योजना को पूरा कर दिया तो महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, उसे आप साकार कर पायेगें। 25 प्रतिशत ही नहरों से सिंचाई साधन उपलब्ध हो सकते हैं। नलकूपों के रख-रखाव के बारे में भी आपने कोई स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की है। जितने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, यदि आप उन्हीं को ठीक करवा दें तो भी मैं आपके प्रति आभार प्रकट करूंगा।

आपको तो केवल 72 प्रतिशत से प्रेम हो गया है। आज केवल 5 परसेन्ट ही बजट का सिंचाई में उपयोग किया जा रहा है। सिंचाई जो समाज का वर्तमान है और भविष्य भी है। जब तक आप इसका नियोजन सही रूप में नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है। अब बाढ़ की बात मैं करना चाहता हूं। भोगौलिक परिस्थितियों के हिसाब से लगभग 43.43 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होती है। अब इसे कैसे रोक पायेंगे ? आपने मात्र 20 प्रतिशत भूमि को ही बाढ़ से रोकने का काम किया है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि को भी बाढ़ से बचावें। 12.73 करोड़ रुपये का आपने जो प्राविधान किया है, यह बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिये। कम से कम जिन गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, उन्हीं को आप बचा लीजिए। कोठा, नेवादा, भेड़ी, रकहट, कालकेराय, असवनपार, दूरे, राहीराधार, झझवलिया, कंशाकुर, खुटभार, ददरी, सेमरू, बराहा एवं नरहरपुर एवं टेढ़ीयाठोकर नं०-1 आदि गांवों में जो आज कटान हो रहा हैं, इन गांवों को आप बचाने की कृपा करें। नहरों व नलकूपों से प्रत्येक वर्ष सीपेज होने से जोत की भूमि कम हो रही है।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इसे बचाइये। जो जोत सीमा घट रही है नहरें जो वरदान होने के लिये हमारे महान सपूतों ने बनाई थी वह आपके सिंचाई विभाग के अर्कमणय अधिकारियों के कारण उनकी लापरवाही से सीपेज की वजह से विभीषिका का रूप धारण कर रही है जिन महापुरुषों ने सपना देखा था कि नहरें वरदान होगी उन्होंने आज विभीषिका का रूप धारण कर ली है समय रहते इसका काम नहीं किया गया तो परेशानी हो जायेगी अन्यथा यह नहरें हमारे लिए वरदान हो सकती है। अन्य प्रदेशों में जहां चावल तीन रुपये किलो देने की बात कही है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की नियत अगर साफ हो तो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश ही देश को पूरा खाद्यान्न दे सकता है यदि उसे बाढ़ की विभिषिका से मुक्त कर दिया जाए और सिंचाई की पूरी सुविधा दी जाए तो समस्या का निदान हो जायेगा।

गण्डक, जमुना, सरजू आदि परियोजनायें ही अगर ठीक से चलाई गयी तो खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे और सारे देश को अन्न दे सकेंगे । आपने 72 ट्यूबवेल देने की बात कही है तो जहां 400 से ऊपर जन प्रतिनिधि हो उनको एक-एक ट्यूबवेल भी न दे तो कैसे आशा करते हैं कि समस्या का निदान होगा पुराने नलकूपों को ठीक करने की संतोषजनक योजना बजट में नहीं बताई है इससे निराशा हुई है । सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर पहले जहां दो-दो दिन लगातार चर्चा होती थी और बजट का 10 प्रतिशत जिस पर खर्च होता था उस पर आज सिर्फ दो घंटे ही चर्चा हो रही है और इस पर भी लाल बत्ती अध्यक्ष जी जला देते हैं । इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं । चार अरब रुपये की मांगों के लिए केवल इतना समय कम है इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो व्यवस्था है, जो परम्परा है उसका पालन होना चाहिए । माननीय सदस्य बैठ जाए अगले बजट पर आप बोल लें, कटौती के प्रस्ताव पर उत्तर भाषण देने के बाद माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण होता है ।

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री हरिशंकर तिवारी ने सरजू नहर परियोजना के बारे में पूछा तो मैं बताना चाहता हूं कि 1995-96 में 40 करोड़ रुपया प्रस्तावित है इससे 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई होगी । बदायूं जनपद में 5 लाख रुपये का कार्य पूरा किया जा रहा है । नलकूप और गूल का काम हो रहा है ।

मान्यवर, जहां तक श्री हरेन्द्र सिंह मलिक ने प्रश्न उठाया था, बंद्धी हुई दरों के संबंध में उन्होंने कहा पहले भी इस सदन में जवाब आ चुका है उसके बारे में पूर्ण रूप से अवगत करा दिया है कि हालात में दरें बढ़ी हैं ।

उसके बाद विधान परिषद् में पुनः यह मसला उठाया गया और वहां पर काफी चर्चा हुई । माननीय सदस्यगण की भावनाओं से हम परिषद् में अवगत हुए और सदस्यों की भावनाओं से अवगत हो चुके हैं और हम सहमत हैं कि इस वर्ष की जो दरें बढ़ी है और जो नियमावली बनाई गई है उसमें पूर्णतया तो ज्यादती नहीं लेकिन आंशिक रूप से है । बुन्देलखण्ड और रामपुर की जो नहरें हैं उनपर दर का पुनर्विचार होने की आवश्यकता है । विधान परिषद् के नेता सदन वहां सदस्यों को अवगत करा चुके हैं कि किसी वक्त बैठकर दरों के पुनरीक्षण के संबंध में बातचीत करके विचार कर लिया जायेगा और जो नियमावली 94 की बनी थी तथा सन् 83 में जो थी, उसमें कितना अन्तर है किस औसत से बढ़ी हैं कौन सी नहरें हैं जो पानी नहीं देती हैं- चार श्रेणी में थीं, अब एक और दो में कर दी गई हैं उनको पुनरीक्षित किया जायेगा । इस बारे में बैठकर पुनरीक्षण किया जायेगा, आपको भी प्रतिनिधि लिया जायेगा । जो जनहित में है वह सब किया जायेगा । क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसा भी ज्यादा न लगे और पानी भी हमें और आपको मिलता रहे ।

रहिमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून । पानी गये न ऊबरे मोती मानुष चून । पानी तो रखना ही है जिसका पानी चला गया उसका समझो सब कुछ चला गया । जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे

बन्द हो गया था तो राम नाम सत्य की याद आयेगी । उसी तरह से खेतों को पानी न मिले तो कृषकों का भी अन्त हो जाता है उनका सब कुछ चला जाता है । तिवारी जी की मंशा से मैं बहुत कुछ सहमत हूं । जो मेरे पास है उसका मैं खुले दिल से बाटूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी जो चिन्तित हैं वह बरसात का पानी निकलवाने के लिए चिन्तित हैं ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

(व्यवधान)

सरयू पम्प नहर पूरी कर दी जायगी तो हमारे आपके क्षेत्र का बड़ा भला होगा । हो सकता है कि आप उस कुर्सी पर बैठकर यह न कह पाते जो मैंने कह दिया है ।

श्री अकबर अली–

हमने 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए कर दिया है । मेरे पास जितनी रोटियां हैं उनको हमारी बांटने की कोशिश है । जब आप थे तो किसी को एक दो फूलों के लाले हैं गुलशन में। कोई चुनता है । फूल इतने गिरे जाते हैं दामन से । हमने तो बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने को तैयार हैं । आप भी मान जाइये । पानी आप भी रखिये और हम भी रखें । मेरा निवेदन है कि इस पर से हमारे माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और हम सबको धन्यवाद देते हैं और अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट बनाया है ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय मल्ल जी चिन्तित हैं क्योंकि हमारे यहां का पानी इनके यहां चला गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले,

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,42,63,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 4,71,13,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

कारागार होमगार्ड तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अकबर अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 27,37,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 27,30,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 11,26,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, कारागार व्यवस्था में निहित दर्शन पर प्रकाश डालना चाहूंगा । वर्तमान सरकार की यह मान्यता है कि जहां अपराधी तथा असामाजिक तत्वों को समाज से पृथक रखकर कानून व्यवस्था एवं आम वातावरण को अपराधमुक्त बनाना है, वहीं इन तत्वों को भी विभिन्न कार्यक्रमों के तहत इनके जीवन को एक नया मोड़ भी प्रदान करना होगा जिससे वह अपनी सोच में बदलाव कर एक सभ्य समाज का अंग बन सकें । उनके लिये ऐसे कार्यक्रम रखें जायं जिससे मानसिक तौर से उनमें बदलाव आ सके और जब वह बन्दीगृह से छूट कर अपने घरों को जायं तो अच्छे विचार लेकर जायं । शिक्षा के साथ-साथ दूसरे प्रभावी कार्यक्रम भी रखे गये हैं जिनको उन्हें बताया जाय । इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारागार बंदियों को व्यवहार संशोधन की तकनीकें, सामाजिकरण की प्रक्रियायें, साक्षरता व शिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यम जैसे विकास कार्यक्रमों से भी सम्बद्ध रखा जाता है ।

बंदियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने व बंदियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण हेतु परिक्षेत्रीय स्तर पर मनोवैज्ञानिकों के पदों का सृजन किया गया है । कारागारों में सुरक्षा व संचार उपकरणों की आपूर्ति और क्लोज सर्किट टेलीविजन की स्थापना की गई है । व्यापक संदेश प्रसारण के लिए अन्य संचार व्यवस्था इम्प्लीमेंट की जा रही है । कारागारों में स्थापित उद्योगों की संचालन लागत कम करने, प्रति बन्दी उत्पादकता बढ़ाने तथा वर्तमान में प्रचलित उत्पादन तकनीक से बंदियों एवं सम्बद्ध कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने व कारागारों में लागू करने की योजना बनाई गई है ।

मान्यवर, इसी क्रम में सदन को अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार से वर्ष 1995-96 में 2.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है । राज्य सरकार ने तीन वर्ष के लिए 15.10 करोड रुपये की योजनायें भारत सरकार को प्रेषित की हैं जो भारत सरकार के विचाराधीन है । जिसमें से 10 करोड़ रुपया भारत सरकार का अंश होगा तथा शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश के समस्त कारागारों में जो बंदी क्षमता है वह 30.355 है जिसके विपरीत दिनांक 31-3-95 को कुल 35.493 बंदी निरुद्ध रहे हैं । केन्द्रीय कारागारों में मान्यवर, पर्याप्त क्षमता उपलब्ध वहीं जिला कारागारों में कुल 20.932 की क्षमता के विरुद्ध 31-3-95 को 30.174 बंदी निरुद्ध थे । केन्द्रीय कारागारों में चूंकि सजायाफ्ता बन्दी रहते हैं । उनकी क्षमता ज्यादा होती है और वहां बन्दी कम होते हैं ।

जिला कारागारों में बन्दी आते और चले जाते हैं लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है बन्दी ज्यादा होने की वजह यह है कि जो नये जिले बने हैं वहां जेलों का निर्माण नहीं हुआ है दूसरे जिलों के बन्दी आ जाने से अव्यवस्था होती है । मान्यवर, गाजियाबाद, मऊ तथा फिरोजाबाद में कारागार निर्माणाधीन हैं यह जल्दी ही पूरे करा लिए जायेंगे । इसके अतिरिक्त जनपद कानपुर देहात हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र महराजगंज, पडरौना, भदोही तथा चार पुराने जनपद इलाहाबाद, उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ में भी कारागार का निर्माण कराया जायगा । यहां कारागार स्थापित कराने का कार्यक्रम है । जिन जिलों में कारागार नहीं बने हैं उनको पहले ले लेंगे ताकि जो बन्दियों के लिए जगह नहीं है वह पूरी हो जाय । मान्यवर, एक आम समस्या बन्दियों की पर्याप्त सुविधाओं से संबंधित है । समस्त कारागारों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाये जाने के आदेश दोहराये गये हैं । बंदियों के ज्ञानार्जन हेतु धार्मिक व सामाजिक साहित्य एवं पुस्तकों की व्यवस्था की गई है । सामाजिक एवं धार्मिक बातें बन्दियों तक पहुंचें ऐसी व्यवस्था की गई है । इस वर्ष हम यह चाहते हैं कि त्योहार के अवसर पर संत सूफी उन कारागारों में भेजे जाएं, ताकि वह उनके दर्शन से लाभान्वित हो सकें । उन सूफी संतों के माध्यम से बन्दियों को

यह बताया जाए कि इससे न यहां सुख है और न वहां सुख मिलता है इसलिए इस तरह से अपराध न करें। क्योंकि जो जैसा फल बोता है, वैसा ही पेड़ लगता है जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है, तो इस तरह का प्रयास किया जा रहा है ताकि जेलों में सुधार हो सके। सुधार के लिये हमने रक्षाबंधन के मौके पर और बारहवफात का जो मौका आ रहा है तथा और जो धार्मिक उत्सव होते हैं, उन धार्मिक उत्सवों का बंदियों को महत्व समझाया जाएगा।

धार्मिक उत्सवों पर ऐसे कार्यक्रम बनाए जायेंगे जिससे उनके धार्मिक महत्व को वह समझ सकेंगे रक्षा बन्धन का महत्व समझाया जाएगा, सल्ला-तसल्लम के बारे में बताया जायगा। इससे काफी सुधार होगा। मान्यवर, जहां तक होमगार्ड्स का सवाल है वह हमारे अंग हैं पुलिस व्यवस्था में रहते है इतनी जनसंख्या है क्योंकि पुलिस में स्टाफ नहीं है होमगार्ड्स के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई, हम जो प्रशिक्षण के केन्द्र हैं वहां उनको ट्रेन्ड कराना चाहते हैं ताकि यह न हो कि होमगार्ड्स का दर्जा नीचे है और वह उसके योग्य नहीं है। तो हम यह चाहते हैं कि सिपाहियों के लिये प्रशिक्षण दिया जाय उनके रख-रखाव की व्यवस्था की गई है। डाक्टर प्रशिक्षण लेकर जायगा तो वह समाज की सेवा करेगा, सामाजिक सुरक्षा के लिए होमगार्ड को रखा जाता है।

तनख्वाहों की बात कही गयी है। वित्तीय साधन हैं उसको हम देखेंगे अगर संभव होगा तो उनके बारे में विचार करेंगे। जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों का सवाल है यह मान-सम्मान जो आज हम लोगों को मिल रहा है यह उनकी ही देन है। जिन्होंने देश को आजाद कराया जिनकी वजह से हिन्दुस्तान के अन्दर जम्हूरियत बनायी। विधान सभा, लोक सभा यह सब उन्हीं की देन है। इन्होंने बड़ा उपकार किया है। यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इनके लिए जो पेंशन की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा है उसके बारे में हम पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इन्हीं की बदौलत हम इधर बैठे हैं।

श्री अकबर अली–

इन्हीं की बदौलत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज हैं। हमारे ऊदल जी जो ज्ञान दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज बहुजन समाज पार्टी सरकार में है। यह जो सदियों से उपेक्षित वर्ग रहा है, यह जो पिछाड़े गए इन्सान हैं जो इन्सान नहीं समझे जाते थे वह आज स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही आज सरकार में है और इन्हीं की बदौलत आज आप सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए हैं। उनके लिए हमारे दिल में पूरा मान-सम्मान है। वित्तीय संशाधन को देखते हुए उनकी भलाई के लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

* श्री विजेन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मंत्री जी वाकई अनुभव से परिपूर्ण हैं । उन्होंने बड़े सूक्ष्म, पारदर्शी अवलोकन के उपरान्त अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है । लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी नहीं है । वह हर बात पर यह कहते हैं कि यह पारदर्शी सरकार है । हम समस्याओं का पारदर्शी समाधान चाहते हैं । मंत्री जी ने ऐसे भाषण दिया जैसे कोई कहता है कि मैंने दिल्ली को प्रसन्न करने के लिए सिर चढ़ा दिया, हाथ पर चढ़ा दिए । उन्होंने जो कुछ यहां पर कहा है, शायद वह सब कर पायेंगे इसमें मुझे सन्देह है । जेल शब्द आज अछूत शब्द की तरह हो गया है । लोकतंत्र में देश को आजादी मिली । 1947 से आज तक 40 साल हो गए । समस्त विभागों का सर्वांगीण विकास हुआ लेकिन जेल की मैं समझता हूं आज भी वही दशा है । आजादी मिले इतना समय हो गया है लेकिन जेलों की दुर्दशा में कोई सुधार नहीं हुआ । आज मंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं ।

आज अपराधों की संख्या बढ़ रही है और अभियुक्तों की भी संख्या बहुत ज्यादा हो रही है । इसलिये हमारी जेलों में भी गुणात्मक सुधार होना नितांत आवश्यक है । माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं हैं । आज हमारे देश में सही मानों में जेलों का बहुत महत्व है । जेलों में कैदियों की दशा सुधारने और कैदियों की मानसिकता बदलने की नितांत आवश्यकता है । कैदियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का माननीय मंत्री जी ने उद्घोष किया है कि उनके लिये कुछ योजनायें चलायी जायेंगी लेकिन इसके लिये कौन-कौन से कार्यक्रम रखे गये हैं इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की है । माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिये था कि वह किस तरह से कैदियों की मनोवृत्ति में बदलाव लाना चाहते हैं ? अभी-अभी आपने सुना होगा दिल्ली में किरन बेदी (आई०पी०एस०) जो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने कैदियों की मनोवृत्ति पर रिसर्च की है और इंस्टीट्यूट खोला है और एक-एक कैदी की मनोवृत्ति का अध्ययन करके एक प्रस्ताव दिया है जिससे कैदियों में सुधार होगा ।

मैं अनुरोध करुंगा कि उन प्रस्तावों का अवलोकन करें और उनका अनुसरण करायें जैसा कि वह करने जा रहे हैं । तिहाड़ जेल में यह एक्सपेरीमेंट शुरू हुये हैं । आज जो जेलों में व्यवस्था है उस संबंध में मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज जेलों में जो खाने की व्यवस्था है उसको आप जानते हैं । हर व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त है, हमें यह समझना चाहिये कि जेलों में किस कारण से लोग गये हैं, बदले की भावना से गये हैं, समाज ने बहिष्कार किया इसलिये अपराध करने के कारण गये हैं या उत्पीड़न के कारण गये हैं । जेल का हर व्यक्ति किसी कारणवश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपराध करने के कारण जेल गया है। यह सच है कि कुछ व्यक्ति समाज में अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। यह समाज का दायित्व है कि व्यक्ति अपराधी न बने लेकिन यदि अपराधी बनता है तो सरकार को ऐसी योजनायें उसके सुधार के लिये लागू करनी चाहिये जिससे उसके दिल और दिमाग को परिवर्तित करके उसकी अपराधी मनोवृत्ति को समाप्त किया जा सके। आज जो जेलों में खाने की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाय। आपका डाक्टर खाना टेस्ट करता है लेकिन सही मानों में वह खाना ऐसा होता है जो पशुओं के लायक होता है इसमें निश्चित रूप से सुधार करना चाहिये। देश को 1947 में आजाद हुये एक लम्बा अरसा हो गये है लेकिन कैदियों के रहने की बैरकें आज भी वैसी ही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उसमें पंखे नहीं लगाये जाते हैं।

मेरा कहना है कि बैरकें बहुत ऊंची होती हैं बीच में लोहे का जाल डालकर बेरकों में पंखों की व्यवस्था की जा सकती है। मान्यवर, इसी तरह से जेलों में जो शौचालय होते हैं उनकी बड़ी अव्यवस्था है। इनका इतना बुरा हाल है कि आप ताज्जुब करेंगे। जेलों में कहीं पर फ्लश लैटरीन्स नहीं हैं। खुली लैटरीन्स से इतना प्रदूषण होता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है इन लैटरीन्स से प्रदूषण फैलता है और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में कैदियों की सुविधा के लिये प्राविधान करें जिससे कि बंदियों की मनोवृत्ति बदले। मान्यवर, आपकी बड़ी-बड़ी जेलों में, किसी में 20 बेड हैं किसी में 30 बेड हैं। आपने 30 हजार कैदियों की संख्या बताई है, लेकिन यह नहीं बताया है कि उनके लिये कितनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। पुलिस कैदियों को पकड़ कर लाती है, तो अगर वह कैदी अपनी डाक्टरी जांच कराना चाहता है, तो वहां पर एक्स-रे मशीनें नहीं होती हैं। तो मेरा निवेदन है कि बेड बढ़ाये जाने चाहिये और दवाओं की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि आप इन बातों को संज्ञान में लें और इनका बजट में प्राविधान करें। आदमी को अपने इलाज का पहला अधिकार है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जबतक कैदियों की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं होगा, इसलिये आप लघु उद्योग की ट्रेनिंग के सेंटर चलायें, अगर चल रहे हों, तो उनको बड़े लेवल पर चलाया जाये।

ट्राइसम योजना है, उसके उद्योगों को चलाया जाये, इससे कैदियों में अपराध करने की प्रवृत्ति कम होगी और रोजगार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अपराधों की संख्या में भी कमी होगी, तो आप इस तरह की व्यवस्था का प्राविधान करें। इससे जेलों की आय भी बढ़ेगी और दोनों तरीकों से गुणात्मक होगा। मान्यवर, आपके यहां पर पैरोल का मामला आता है, उसके सम्बन्ध में पुराने कानून बने हैं, जब कोई बात आती है तो आप कह देते हैं कि कानून से बंधे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में जरूरी नहीं है कि 6 साल का अन्तर हो, अगर किसी की परिस्थितियों में जरूरी नहीं कि 6 साल का अन्तर हो, अगर किसी की पुत्र वधू मर जाती है या और कोई इसी प्रकार की घटना हो जाती है तो उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाना चाहिये, तो समय की बाध्यता नहीं होनी चाहिये, पैरोल देने में। मान्यवर, जेलें बिक रही हैं, पुरानी जेलें शहरों के बीच में आ गयी हैं, अगर आपने इनको बेचने के लिये तय कर लिया है तो इसके प्रारूप को आप बदलें, या तो आप उनके स्थान पर आवासीय भवन बनावें क्योंकि जेल के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वह किराये के मकानों में रहते हैं, या फिर वहां पर बड़े पैमाने पर सेल होगा और विभाग का कल्याण होगा। पुरानी सरकार के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह 60–70 साल वाले कैदियों को जिनका वर्तमान में चाल चलन अच्छा रहा है, उन को देश के

महत्वपूर्ण दिवसों को छोड़ेंगे, मान्यवर, 15 अगस्त अति निकट है, इस दिन को प्राप्त करने के लिये लाखों भाइयों को खून बहाना पड़ा था। आप पारदर्शी हैं और समाज का कल्याण करना चाहते हैं अगर उनको एक दिशा देना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 15 अगस्त से महले ऐसे बन्दी जिनकी उम्र 60-70 वर्ष के बीच है अथवा 60-70 के लगभग है उनकी रिपोर्ट मंगा लें और जिनका चालचलन सही हो उनको इसी 15 अगस्त पर छोड़ने की घोषणा करें।

मान्यवर, राजनीतिक पेंशन के बारे में आपने बजट दे दिया मैं बल देता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे और आपके लिए क्या-क्या सपने संजोये थे और हम लोग उनके लिए कुछ भी करें उनका कर्ज उतार नहीं सकते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी संख्या बहुत कम हो जायेगी और इन्हें मुल्ला मोलवियों की तरह घूमना पड़ेगा इसलिए यह हमारा दायित्व बन जाता है कि उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं काम करें। भारत सरकार जो कुछ करती है वह तो करती ही है लेकिन उत्तर प्रदेश को भी उनके लिए करना चाहिए तो मेरा एक निवेदन है कि आप कम से कम इनके परिवार के लोगों को शादी की जो निधि होती है उसकी धनराशि को बढ़ाएं ताकि उनको उचित समय पर सहायता दी जा सके। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधा जितनी दी जा सके वह अवश्य दी जाय।

मान्यवर, होमगार्ड के बारे में कहना चाहता हूं आपके गृह विभाग का यह एक बहुत गरीब विभाग है और उसमें जो प्राविधान आपने किया है वह बहुत कम है यदि आप दलितों के उत्थान की बात करते हैं तो आप गरीब विभाग के उत्थान की बात क्यों नहीं करते। होमगार्ड का सिपाही पुलिस के कांस्टेबिल से कहीं कम ड्यूटी नहीं देता है लेकिन उसको वेतन कम मिलता है उसका वेतन बढ़ाया जाय और उसको साल में तीन वर्दी दी जायं और ट्रेनिंग दी जाय क्योंकि इनको राइफल तो आप लोग पकड़ा देते हैं परन्तु कोई ट्रेनिंग न होने के कारण वे आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और उनकी राइफले छिन जाती हैं।

* श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, आपने हमें कारागार के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कारावास का अनुभव है कि नहीं।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, एमरजेंसी में वह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बजट निश्चित रूप से अच्छा है कारागार का हो राजनैतिक पेंशन का हो या होम गार्ड का हो। होम गार्ड के लिए कल्याण निधि का प्राविधान किया है उसके लिए मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं व धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जब जेलों की स्थापना हुई थी तो अंग्रेजों के जमाने की बात है उस समय उनका उद्देश्य था बन्दियों को दण्डित करना अब हमारा उद्देश्य है बन्दियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सुधारना । लेकिन जेल मैनुवल लगभग वही पुराना वाला है । हम लोग तो राजनैतिक बन्दी रहे कुछ सुविधायें मिलती रहीं लेकिन हमने देखा है कि बड़ा अमानवीय व्यवहार इन बन्दियों के साथ होता है जो जेल में बन्दी है वह हर बन्दी अपराधी नहीं होती कुछ राग द्वेषवश फस जाते हैं कुछ फर्जी एफ आई आर में फस जाते हैं कुछ साक्ष्य नहीं दे पाते हैं तो उनको सजा हो जाती है तो इस तरह से हर व्यक्ति के साथ एक जैसा सलूक होता है यह ठीक नहीं है ।

यह सबसे बड़ी जटिल समस्या थी । पुलिस के बराबर जेल के वार्डर चीफ वार्डर, हेड वार्डर इनका तनखाह नहीं मिलती थी वह ठीक हो गयी । लेकिन उसी क्रम में डिप्टी जेलर व जेलर की तनखाह बढ़नी चाहिए । ऊपर तो ठीक है उनके ग्रेड बढ़ाये गये हैं नीचे ठीक हो गया है बीच में जेलर और डिप्टी जेलर को बहुत कम तनखाह मिलती है जैसे नायब तहसीलदार और तहसीलदार उसी कैडर का है उनको वेतन दे दिया गया है । उसी कैडर के सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर हैं मैं चाहता हूं कि उसके अनुरूप उनका भी वेतन कर दिया जाय । मैं देखता हूं कि बन्दियों से सीधा-सीधा सामना तो उन्हीं का होता है अफसर लोग तो ऊपर रहते हैं । लेकिन खतरे में वही रहते हैं । खूंखार डकैत और खूंखार अपराधी जेलों में रहते हैं उनके खिलाफ उन्हीं को झेलना पड़ता है ।

[6 बजकर 25 मिनट]

तो इनकी मानसिकता तो ऐसी होनी चाहिए कि कितनी तनखाह दे ताकि मनोबल उनका बना रहे । उनकी जो कालोनियां हैं वह देखने लायक हैं सौ साल से पहले की बनी हुई है बिल्डिंगें जर्जर है । मान्यवर, इस बार भीषण गर्मी पड़ी है सैकड़ों बन्दी मर गये हैं बैरकों में कुछ पंखे लग जाये । बन्दी जो उद्योग में लगे हैं पावर रूम में 50 पैसे प्रति मीटर मजदूरी दी जाती है जबकि प्राइवेट फैक्टरी में 2 रुपये 50 पैसे दी जाती है तो इन्हें कम से कम दो रुपये या डेढ़ रुपये दिये जाये । मान्यवर, होमगार्ड के जवानों के लिए कहना चाहता हूं उनकी सेवायें नियमित की जाये । इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मुन्नू लाल कुरील–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं कारागार मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, कारागार में जमीने अधिक है । सितारगंज, बरेली, जेल इलाहाबाद जेल, आदि में जमीने काफी मात्रा में हैं । उन जमीनों को उत्पादन से जोड़ा गया, तो सारे उत्तर प्रदेश की जेलों को गेहूं चावल यह दे सका है । यहां जमीनों से उत्पादन बढ़ाया जाये । वहीं उद्योग के मामले में उद्योग सर्वथा पीछे की ओर जा रहे हैं, 1991-92 में हमारी सरकार में उद्योगों का उच्चीकरण हुआ था, उनको बढ़ावा मिला था और दूसरे जमीन से उत्पादन बढ़ा था ।

मान्यवर, हमारे समय में बन्दी रक्षक, बन्दी वार्डर उनके वेतन बढ़ाये गये थे लेकिन वेतन विसंगतियां कुछ रह गयी हैं जैसे डिप्टी जेलर और जेलर । फूड एलाउन्स पुलिस विभाग और वन विभाग के लोगों को मिलता है । उनके अनुसार इनको भी फूड एलाउन्स दिया जाये । मान्यवर जेलों में माफिया तबके के और आतंकवादी ज्यादा रहते हैं इसमें डिप्टी जेलर जेल अधीक्षक इनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है शासन स्तर पर इनको शस्त्रों के लाइसेंस दिये जाये । मान्यवर, होमगार्ड एक श्रम सेवी संगठन है जो उनको दैनिक भत्ता दिया जाता है वह मजदूरों से भी कम है वह 35 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये किया जाये ।

साथ ही उनको वर्दी अच्छी दी जाये । जो अवैतनिक कमाण्डर और प्लाटून कमाण्डर हैं उनको 50 और 100 रुपये दिया जाता है जबकि समाज कल्याण में जो महिला कार्यकर्ती कार्य करती हैं उनको 300 रुपये दिया जाता है वेतन विसंगतियों और देय भत्तों को बराबर किया जाये ।

वतन के हम पुजारी हैं वतन की बात करते हैं ।
गुलों में खार देने को चमन की बात करते हैं ।।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया है । मैं राजनैतिक पेंशन विभाग के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । बटरिंग करने वाले लोग अलग हैं । आपके सचिवालय पर मुझे कोई शंका नहीं है ? सभी माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि आपके सचिव योग्य हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको कृपया दिखवा लें । मान्यवर, मेरे जनपद हैदरगढ़ तिताबी में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सत्यपाल शास्त्री जब रोडवेज की बस में यात्रा कर रहे थे तो उनका आई० कार्ड झटक दिया और उन पर तीन सौ रुपया का जुर्माना भी कर दिया । मैंने इस संबंध में कई बार परिवहन मंत्री को लिखा भी था । तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जाये । इसी के साथ महान पुरुषों की याद में जो स्मारक बनाये जाने हैं हमारे तो राजनैतिक इष्टदेव चौधरी चरण सिंह जी आपके कोई और होंगे, चार स्मारक स्वीकृत हुए थे और टोकन मनी के रूप में पच्चीस हजार रुपये जारी किये गये थे, वित्त विभाग से पैसा भी स्वीकृत हो गया था लेकिन आज तक वह धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है । तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस धनराशि को अवमुक्त कराया जाये ।

राजनैतिक पेंशन के मामले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान के प्रतिकूल कोई बात नहीं होनी चाहिए । मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपकी प्रशंसा करता हूं और आपको बधाई भी देना चाहता हूं इसी पीठ से बदन सिंह जी के मामले में जो साहसिक निर्णय दिया था वह काबिले तारीफ था । मान्यवर, यह एक अच्छी परम्परा है जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए । मान्यवर, होम गार्ड्स के मामले में यह कहना चाहता हूं कि अगर आप उनसे काम लेना चाहते हैं तो उन्हें सम्मान देना होगा । उन्हें भरपेट भोजन देना होगा । आज आप कम्पनी कमाण्डर को, प्लाटून कमाण्डर को क्या दे रहे हैं आप दिखवा लें । हां भर्ती के समय इनकी शारीरिक दक्षता आदि में कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए और इन्हें मानदेय दिया जाना चाहिए । आप देख लिजिए किस तरह से यह चौराहे पर खड़ा होकर आने जाने वालों से पैसा वसूलता है और वर्दी को कलंकित करता है । मान्यवर, जब हम सुबह 7.00 सोकर उठते हैं तो हमारे यहां पचासों आदमी आते हैं और कहते हैं कि चिट्ठी लिख दीजिये मिलायी मिलनी करनी है तो इतना करेशन है जेल में । बिना चिट्ठी के वहां के सिपाही 50 रुपया लेते हैं और अगर चिट्ठी लिख दी तो 23 रुपया लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो जेल दूर हैं, सुरक्षा की दृष्टि से कम महत्व की जो जमीन पड़ी हुई है वहां पर दुकानें बनवा दें। भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय करें। आज आप जेल के सिपाही को क्या तनख्वाह दे रहे हैं और आज उनके पास आवास नहीं है आप उन्हें पुलिस के सिपाही के बराबर तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, जेलर की सुरक्षा और जेल के कर्मचारियों को सुविधा की बात कही गयी उन्हें आप अधिकार भी दीजिए, वेतन भी दीजिए ताकि उन्हें यह लगे कि वे जेल के कर्मचारी हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं कहना चाहूंगा कि आप को तो योग्य सचिव मिले हैं मैं यह अपेक्षा करूंगा कि आप इसमें सुधार करायेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कारागार मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ बिन्दु सुझाव के रूप में देना चाहता हूं। मान्यवर, जेल नियमावली अंग्रेजों के जमाने में बनायी गयी थी जो कि आज की परिदृश्य में आज के सामाजिक परिवेश में निरर्थक है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जेल मैनुअल को किसी प्रकार से आज की परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित करें।

दूसरा मान्यवर, आज एक बहुत बड़ी समस्या जेलों में नई पैदा हुई है, वैसे तो सारे समाज की है, जेलों में अधिकांश ऐसे लोग जाते हैं, जिनके ऊपर कम से कम अपराध करने का आरोप तो लगा ही रहता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि उनमें से अधिकांश किसी न किसी रूप में ग्रसित होते हैं। आज जेलों में मादक द्रव्यों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, शासन को इस ओर भी विचार करना चाहिये, सभी तरह के मादक द्रव्य प्रचलित हैं, गोलियां हैं, चरस है आदि-आदि।

मान्यवर, इसी तरह से एक बहुत बड़ी समस्या, जेल के बाहर जो परिवार के लोग रहते हैं, उनके साथ है। आप किसी जेल पर, जब परिवार के लोगों के मिलने का समय होता है, जाकर देख लें, बिना एक बड़ी रकम तम्बी रकम दिये कोई मिल नहीं सकता है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको किसी तरह कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार कर क्रियान्वित कराने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी तरह से जहां तक मनोवैज्ञानिक लोगों की सहायता और सहयोग लेने का प्रकरण है, इसमें माननीय मंत्री जी, केवल सिद्धान्त बना देने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा कि जहां-जहां जेलों के आसपास मेडिकल कालेज है, जहां सायकेट्रिक डिपार्टमेन्ट हैं, वहां उन कैदियों का साइकलोजिस करावें और उनकी चिन्ता करें तभी समाज में परिवर्तन आने की संभावना है। एक बात और कहना चाहूंगा। आज जेल के अधिकारियों में बड़ी निराशा है। किसी समय उनका वेतन पुलिस अधिकारियों से ज्यादा हुआ करता था। यदि आप उन्हें पुलिस अधिकारियों से अधिक वेतन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस अधिकारियों के समकक्ष जो अधिकारी हैं, उनके बराबर का वेतन देने पर जरूर विचार करें अन्यथा आप भ्रष्टाचार हटाना चाहेंगे भी तो नहीं हटेगा क्योंकि जब उनकी आवश्यकतायें पूरी नहीं होगी तो वह अवश्य गलत रास्ते पर जायेंगे ।

अब मान्यवर, होमगार्डों के बारे में 2-3 बाते कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । आपने उन्हें वर्दी दे दी, पुलिस का साथ दे दिया, सहयोग करने के लिये कह दिया, लेकिन कठिनाई यह है कि उनके पास विधिक अधिकार है नहीं कोई, उनको माननीय मंत्री जी विधिक अधिकार भी देना चाहिये । आज प्लाटून कमांडर को 50 रुपया मिल रहा है, कम्पनी कमांडर की भी ऐसी ही दशा है, आपको इनका मानदेय बढ़ाकर 250, 500 या 300 कर देना चाहिये ।

अन्तिम बात मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बड़े पवित्र विचार प्रकट किये । आज सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वृद्ध हो चुके हैं अभी लखनऊ में इस समय पंडित बृजभूषण मिश्र, ग्रामवासी गंभीर रूप से बीमार हैं, खेद की बात यह है कि शासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति उनको देखने तक नहीं गया और न ही उनकी चिकित्सा की कोई समुचित व्यवस्था की गई । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ ध्यान दें, पिछली सरकार में उनको पेंशन मेकर भी लगा था, आज चिकित्सालय में बहुत खराब स्थिति में वह हैं । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मैं होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व जेल के बजट पर समर्थन देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं होमगार्ड के विषय में कहना चाहता हूं कि वर्ष 1965 में होमगार्ड की आवश्यकता समझी गई तो उसका एक प्रारूप यह था कि देश का, प्रदेश का हर घर का नागरिक एक सैनिक शिक्षा से प्रशिक्षित हो जाय और इस देश की रक्षा के लिये, अपने परिवार की रक्षा के लिये इस तरह का बन जाय और अपने मुल्क की रक्षा, अपने प्रदेश की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके, सेकेन्ड लाइन आफ दि डिफेन्स खुद बना सके, इस तरह की मानसिकता के साथ होमगार्ड के विभाग के बारे में सोचा गया था । आज इसे पुलिस के साथ सहयोगी रूप में बना दिया गया । दुर्भाग्य यह बन गया कि पुलिस के बेगारी के रूप में यह विभाग बन गया ।

एक पुलिस का कांस्टेबिल सबसे नीचे का कर्मचारी होता था, यह सोचा गया कि इसको सहयोग देने के लिये भी कर्मचारियों की व्यवस्था की जाये । इसी मानसिकता के साथ होमगार्ड का जन्म हुआ वह पुलिस का सहयोगी बन गया, एक चर्चा में आ गया । होमगार्ड भी समझने लगा कि वह पुलिस का सहयोगी है । इसलिये जो एक्ट में प्राविधान है, उसको विधिक अधिकार दिया जाना चाहिए और महसूस कराया जाना चाहिए कि वह पुलिस की बेगारी नहीं है, पुलिस की सहयोगी है । हर व्यक्ति को प्रशिक्षण के आधार पर, योग्यता के आधार पर सम्मान मिलता है, होमगार्ड का सिपाही भी तभी सम्मानित होगा जब वह प्रशिक्षित होगा । आज जितने भी होमगार्ड के प्रशिक्षण केन्द्र हैं, किसी के पास अपने भवन नहीं है, सारे के सारे किराये के भवन में चल रहे हैं ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, कह लेने दीजिये मैं अच्छे सुझाव दे रहा हूं। पूरे प्रदेश में किसी के भी प्रशिक्षण केन्द्र के पास मैदान नहीं है, बिना मैदान के चल रहे हैं। आगरा जिले में भूतवाली कोठी में प्रशिक्षण केन्द्र है। वह दो वर्ष पहले, दो जवानों को खा गयी। आज तक होमगार्ड विभाग के मंत्री ने नहीं सोचा कि आगे और लोगों को न खाये, कम से कम दूसरी जगह उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, होमगार्डों को बन्दूक पकड़ा दी गयी लेकिन बन्दूकों को रखने के लिये उनके पास आर्टीलरी नहीं है, वह अपना सामान सुरक्षित नहीं रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन जब आप समय नहीं दे रहे हैं तो एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो होमगार्ड पुलिस के साथ वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनकी विधवा को पेंशन नहीं दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से गुजारिश है कि होमगार्ड के व्यक्ति की विधवा को भी उसके वीरगति के बाद पेंशन दिया जाना चाहिए, जितना पेंशन एक कांस्टेबिल की विधवा को दिया जाता है। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रशिक्षण के समय 12 रु० दिया जाता है, यह कौन सा तरीका है, 12 रुपये में तो एक टाइम का नाश्ता भी ढंग से नहीं हो सकता है और वह उसी में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि के समय का भोजन कैसे कर सकता है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं।

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, मैं राजनैतिक पेन्शन की चर्चा पहले करना चाहता हूं, बड़ी प्रशंसा की गयी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बल बूते पर हम यहां बैठे हुये हैं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कि अब इतने वृद्ध हो गये हैं कि मृत्यु-शैय्या पर पड़े हैं। उनका नाम है श्री मुरारी आत्मज स्व० बलदेव जो कि जनपद-बिजनौर के, मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक गांव के हैं। वह केन्द्र का पेन्शन पाते हैं, लेकिन आपके द्वारा उनको पेन्शन नहीं दिया जा रहा है, 10-15 साल से फाईल चल रही है, बूढ़े हो गये हैं, मृत्यु शैय्या पर पड़े हैं। मैं उनको लेकर राजनैतिक पेन्शन कार्यालय गया, मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लाना चाहता लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था कि मैं समझता हूं कि ऐसा व्यवहार किसी नौकर के साथ भी नहीं कर सकते, जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, अधिकारी महोदय, चश्मा लगाकर देखते रहे।

यह भी पूछने का प्रयास नहीं किया कि क्या काम है। जब मैंने खुद कहा कि हमारी तरफ भी मुखातिब होईये, मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूं। कहने लगे बहुत फाइलें होती हैं, मैं लिख देता हूं, फाइल जब आ जायेगी तब होगा मैंने कहा कि फाइल अभी निकलवाकर आया हूं। कहने लगे कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखिये कि कितने दिनों में फाइल आती है, मैंने कहा कि दो कदम पर है क्या महीने-दो महीने लग जायेंगे। मान्यवर, फाईल को 7-8 दिन से ऊपर हो चुके हैं लेकिन फाइल नहीं आयी। लेकिन अभी तक फाइल नहीं आयी है। कैसे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान दे पायेंगे। आज हम होमगार्ड्स से काम तो लेना चाहते हैं, परन्तु उसको उसका पारिश्रमिक देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक उसे उसका पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा तब तक उसका मन काम पर कैसे लगेगा। कारागार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कितना भ्रष्टाचार आज इस विभाग में है, उतना किसी में नहीं है ? मैं भी इमरजेन्सी में जेल में रहा हूं और मुझे इसका अनुभव है। जेल के अन्दर जो मिलने वाले लोग जाते हैं, उनके लिए कहीं पर बैठने की जगह नहीं है और नहीं उनके लिए कुर्सी है, खड़े-खड़े तह मिलती है, इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो खाना जेलों में दिया जाता है, जो सब्जी दी जाती है वह इतनी पकी हुई होती है कि जब उसकी डण्डी पक कर सख्त हो जाती है तब उसे कटवाकर जेल में कैदियों को सब्जी के रूप में दिया जाता है। आटे के तौल में किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जाता है, दाल के तौल में किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जाता है इसी प्रकार की अन्य चीजें हैं, जिन पर भ्रष्टाचार होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री रामजीत भारद्वाज...

मान्यवर, आपने मुझे राजनैतिक पेंशन व कारागार के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, दास, भू-दास और सामन्ती प्रथा के प्रचलन के साथ-साथ जब इस देश में जेलों का प्रादुर्भाव हुआ, उसी के साथ ही साथ तीन डब्लू से क्राइम बढ़ना शुरू हुआ। ये तीन डब्लू हैं, वाइन, वेल्थ और वोमन। जब इन तीन डब्लू से क्राइम बढ़ना शुरू हुआ तो इन 50 सालों में किसी भी सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि क्राइम बढ़ता गया और जेल में कैदियों की आबादी भी बढ़ती गई। यूरोप की तरफ अगर हम देखें तो अठारहवीं लड़ाई जो कल्योपेट्रा के संबंध में लड़ी गई थी, जेलों में बीभत्स यातनायें दी गई और आज वही हमारे जेलों में चल रहा है। मैंने कालापानी की सजा काटी मोतीलाल को देखा है। मैं भी जेल गया हूं, इसलिए जानता हूं। वहां जो रोटियां मिलती हैं उसे शायद दूसरे देश का या फिर आसमान का आदमी ही खा सकता है।

मैं बनारस के जेल की बात आपसे करना चाहता हूं। वहां पर पुलिस वाले खुद कैदियों पर इतना बड़ा अत्याचार करते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हैं। अब मैं स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई में हमारे समाज के लोगों ने कुर्बानी दी और देश को आजाद कराया परन्तु आज उस आजादी की सजा इसको मैंटेन कर रहे हैं। जिस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से भी पेंशन दे रही है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दी जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे होम गार्ड के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। तबियत खराब होने के कारण मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन 3, 4 सुझाव देना चाहता हूं।

होमगार्ड के जवान 24 सौं घटा काम करते हैं लेकिन जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। होमगार्ड के जवान ज्यादातर दलित और पिछड़े तबके के लोग हैं उनको शैक्षिक और शारीरिक योग्यता के आधार पर पुलिस में जो भर्ती होती है उसमें 50 परसेंट कोटा उनको दिया जाय। सरकार यह सुनिश्चित करे कि उनको पुलिस में नौकरी देंगे।

होमगार्ड जवानों को साल में 3 बार वर्दी दी जाय, उनका भत्ता बढ़ाया जाय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी उनको इलाज के लिये मात्र 5 हजार रुपया दिया जाता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसको कम से कम 15 हजार रुपया इलाज के लिये दिया जाय। जिससे उनका इलाज ठीक से हो सके और राजनीतिक पेंशन जो उनको मिलती है उसके लिये उनको दौड़ना पड़ता है मेरा सुझाव है कि राजनीतिक पेंशन मनीआर्डर अथवा चेक के द्वारा दी जाए जिससे परेशानी का सामना उनको न करना पड़े।

एक और सुझाव देना चाहता हूं, गांवों, कस्बों या शहरों में जो सड़कें बनायी जाती है या जो सरकारी भवन बनाये जाते हैं उनका नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से किया जाए। इससे उनकी गरिमा नहीं हम लोगों की गरिमा बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने मुझे होमगार्ड और कारागार के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं चूंकि समय कम है इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि कहने को बहुत कुछ है लेकिन समयाभाव के कारण संक्षेप में बिन्दुवार कहूंगा।

नागरिक सुरक्षा संगठन जो आंतरिक और बाह्य दोनों जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है उसमें ऐसे लोगों की भर्ती की गयी है जो नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा ही दण्डित किये गये हैं। उनको वार्डेन एवं पोस्ट वार्डेन मथुरा आदि में नियुक्त किया जा रहा है जिससे आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है क्योंकि गुप्त सूचना उनसे विदेशों को जा सकती है और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।

नागरिक सुरक्षा कार्यालय में उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है जो स्थानीय होते हैं उनको न रखा जाए। उप नियंत्रक के पद पर आई० ए० एस० या पी० सी० एस० कैडर का होना चाहिए चूंकि जो प्रमोट होकर आता है उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। होमगार्ड के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है और समय से भुगतान नहीं होता है। जेलों में जो 55 वर्ष से अधिक की उम्र की सजा काट रहे हैं उन कैदियों को छोड़ दिया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं ।

* श्री राम सेवक सिंह–

अभी तो हम लोग सदन के बाहर ही माफिया लोगों को देखा और उनके बारे में सुना करते थे किन्तु अब यहां आकर हमें मालूम हुआ है कि इस सदन के अन्दर भी माफिया हो गये हैं । आप मान्यवर, चेहरे देखकर बुलवाते हैं,नये चेहरों को नहीं बोलने का मौका देते हैं सिंचाई बजट पर बोलने के लिये मैं कई बार खड़ा हुआ लिखकर भी दिया था लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दिया गया । इसलिये हमारी मांग है कि जो नये लोग आये हैं उनको भी आपकी तरफ से बोलने का मौका दिया जाय । जो राजनैतिक पेंशन दी जाती है इसमें जो पहले सहवर्ती का प्रमाण-पत्र मिला हुआ था उसको बाद में राजनैतिक कारणोंवश उनकी पेंशन रोक दी गयी है । सहवर्ती आधार पर आज तक पेंशन मिलती रही उनको पुनः पेंशन दी जाय । हमारे यहां नैनी जेल में प्रति कैदी से रिश्वत लेकर उनसे काम नहीं लिया जाता है किन्तु जो गरीब लोग हैं नहीं दे सकते हैं उनसे कठोर काम लिया जाता है । पहले उस जेल की आमदनी एक करोड़ रुपया थी अब वह घटकर बहुत कम हो गई है इसलिये आप उसके जेलर को हटवा दीजिये । वहां के सारे अधिकारी बदल दीजिये ।

* श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जेल, होमगार्ड, कारागार और राजनैतिक पेंशन के बजट का समर्थन करते हुए मैं अपने साथी भाई के इस वक्तव्य का विरोध करती हूं, उन्होंने तीन डब्लू० से बचने का अनुरोध किया है । यदि तीन डब्लू से पुरुष लोग बचते हैं तो महिलायें कितने डब्लू से बचें या बचा करें। यह महिलाओं का घोर अपमान है जो उन्होंने किया है । उन्होंने कभी डब्लू से बचा है । महिलाओं का स्थान समाज में देवियों का रहा है, इस तरह से महिलाओं के संबंध में अपना ऐसा वक्तव्य रखना उचित नहीं है । जहां तक जेलों का संबंध है वहां पर जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी कोई सीमा नहीं है । मैं स्वयं इसे अनुभव करती हूं । मैं एक बन्दी से मिलने जेल गयी थी । उसने बताया कि पहले हमारे साथ प्रतिदिन बहुत मारपीट हुआ करती थी लेकिन जब से पैसा देना शुरु कर दिया तब से वह मार बन्द हो गई । वहां के भ्रष्टाचार की बहुत बुरी हालत है । वहां पर हर चीज शराब, चरस और दूसरे मादक द्रव्य उपलब्ध हो सकते हैं ।

मैं महिला बन्दियों के संबंध में विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगी कि महिला बन्दियों का विशेष ध्यान रखना चाहिये । किसी मजबूरी के कारण से वह वहां पहुंचने के लिये बाध्य होती हैं । उनका स्वभाव वास्तव में नरम दिल स्वभाव होता है । उन्हें दस साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलनी चाहिये और उन्हें जेल में आवश्यक सुविधायें मिलनी चाहिये । पेंशन और चिकित्सा अनुदान के बारे में कहना चाहती हूं कि आजकल जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे बहुत बुजुर्ग हैं । चिकित्सा अनुदान की धनराशि 5 हजार साल होने की बात है लेकिन प्रार्थना पत्र देने पर उतना नहीं मिलता है । एक से तीन हजार के बीच पहली बार में मिलता है । फिर पांच हजार पूरे करने के लिये बार-बार प्रार्थना करनी पड़ती है इसलिये एक मुश्त 5 हजार रुपया दे दिया जाया करे जिससे पूरे साल का काम चल सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, रोजाना तबादले होते रहते हैं। इस वक्त जेल में जो अधिकारी हैं, जैसा मैंने सुना वैसा ही पाया कि वह सब अच्छे हैं। अगर आपके अन्दर इच्छा शक्ति होती, धन होगा तो जेलों में सुधार हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जेल में बहुत मादक पदार्थ जा रहा है। मैं और जगह की बात नहीं कर रहा हूं। बनारस की बात कर रहा हूं वहां पर हेरोइन बड़े पैमाने पर जिला जेल और सेन्ट्रल में जा रही है। इसको कैसे रोकेंगे। जेल के कर्मचारी और जो दूसरे लोग हैं उनकी वजह से यह जेलों तक पहुंच रही है। इसी तरह से जो मिलाई कराने जाते हैं। अभी कुछ लोग गये थे हालाती बन्दी थे। उन्होंने बताया कि एक मिलाई पर 50 रुपया लिया जा रहा है। जो पचास रुपये नहीं देता है तो जो कैदी होता है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा हमारे यहां जो बड़े अपराधी थे ख्यात डिप्टी डायरेक्टर ने उनको कुछ सुविधायें दे रखी थीं पंखा, टी० वी० वगैरह लगा रखा था। डी० एम० से जांच करवाई तो रंगे हाथ पकड़े गये। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

हमारे प्रदेश में मेरी जानकारी के हिसाब से हजारों, बीस हजार हो सकते हैं, 25 हजार हो सकते हैं, इतनी बड़ी तादात है कैदियों की जो जेल में सजा काट रहे हैं। हजारों की तादात में ऐसे कैदी भी हैं जिनके लिये न तो थाने में या अदालत में मुकदमा है, लेकिन वह सजा काट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि कम से कम मेरी बात से सहमत होते हुए अपने प्रमुख सचिव से जांच करवालें। जो कैदी पूरी सजा काट चुके हैं लेकिन छोड़े नहीं गये हैं उनको छोड़ा जाय। मेरे बताने में तादात में कुछ कमी हो सकती है लेकिन मेरी सूचना बिलकुल सही है।अतः आपसे निवेदन करूंगा कि आप जांच करवायें कि कुल कितने कैदी जेल में हैं, कितने कैदी सजा काट चुके हैं और कितने कैदी हैं जिसकी सजा बाकी है। ऐसे कैदियों के बारे में आदेश कराकर प्रमुख सचिव से हर जिले में जेलों में कितनी संख्या है, पता करायें। जो सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इस पर शासन का पैसा ही खर्च होता है। जिनके ऊपर कोई मुकदमें दर्ज नहीं हैं, उनको क्यों रखा गया है।माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जेल सुधार की घोषणा उन्होंने की है,उसको लागू करेंगे।

* श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

मान्यवर, आपने कारागार, होमगार्ड, राजनैतिक पेंशन के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत बहुत आभारी हूं। कारागारों में जैसा कि कई सदस्यों ने भी बताया, बड़ा ही भ्रष्टाचार है। जो बन्दी पैसे वाले होते हैं, वहां सुविधा शुल्क भी चलता है उन्हें खाने पीने और रहने की व्यवस्था अच्छी दी जाती है लेकिन जो गरीब मुजरिम होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मान्यवर, आप इसकी जांच करा लें। मान्यवर, होमगार्ड सबसे आगे किया जाता है, जब कोई दविश का या सुरक्षा का काम किया जाता है। लेकिन आज भी उन्हें डेली वेजेज के आधार पर काम दिया जाता है। पिछली सरकार में भी उन्हें परमानेन्ट करने का निर्णय लिया गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। होमगार्ड्स को नियमित किया जाय। साथ ही अपने जनपद की बात कहना चाहता हूं वहां पर जेल कमान्डेंट हैं उनके खिलाफ कई बार जांच के लिये कहा गया। वह कम्पनी वालों से पैसा लेते हैं। जो होमगार्ड पैसा नहीं देते हैं उसको सेवा से बाहर कर दिया जाता है जिन होमगार्डों ने, जो जांच हुई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी, उसमें सफाई दी तमाम गरीब होमगार्डों को बाहर निकाल दिया गया । वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ऐसे होमगार्डों को बहाल किया जाय । ऐसे भ्रष्ट जेल कमान्डेन्ट को सीतापुर से निकाला जाय ।

* श्री छोटे लाल वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे कारागार बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं दो सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जेलों में अनेक अनियमिततायें बरती जाती हैं हमने देखा जिस सब्जी को कोई नहीं खरीदता है मंडियों में सड़ी बुसी सब्जियां होती हैं उनको लेकर जेलों में बन्दियों को खिलाते हैं आटे में कीटाणु होते हैं उसको छानते नहीं हैं जिससे कैदी बीमारी की चपेट में आ जाता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं जहां जेल है, कारागार है वहां जनप्रतिनिधियों की जैसे हों, उस हिसाब से जनप्रतिनिधि जिसमें दो-तीन व्यक्ति हों की एक कमेटी बना दी जाय तो चेकिंग की वजह से जेल अधिकारी डरेंगे । मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि होमगार्ड के लिये हमारे आगरा में भूतकोठी में होमगार्ड जाते थे वह गिर गई । उसका कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जो दफ्तर है वह मैदान में है चौरे में वह लोग रहते हैं कई बार कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ आज मुझे सौभाग्य मिला है उसका निर्माण होना चाहिये । ताकि वह लोग रात में वहां रह सकें चौरे में पड़े रहते हैं । उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री छोटे लाल वर्मा–

वह गरीब बच्चे होते हैं वहां निर्माण कराया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री राजबली यादव–

मान्यवर, यह जो कारागार मंत्री जी द्वारा कारागार और नागरिक सुरक्षा पर बजट रखा गया है मैं उसका समर्थन करते हुए एक-दो बात रखना चाहता हूं । मान्यवर, एक कहावत है "जाके पांव न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ।" ऊदल जी अभी बोल रहे थे यह मुझसे ज्यादा जेल गये होंगे । जनसंघ में उस समय जो थे उस समय इन्होंने जेल काटी है जिन्होंने जेल काटी होगी उन्हें पता होगा । इमरजेन्सी में हम बन्द हुए कई दर्जन बार बन्द हुए हैं । मान्यवर, जेल में मुसहरों को पकड़ कर लाया गया। हम लोग तो छूट गये थे उनको पता नहीं कब छोड़ा गया किन दफाओं में वह अन्दर किये गये । आजमगढ़ तथा गाजीपुर जेलों की हालत बता रहा हूं उस समय जेल में देखा था फ्लश शौचालय नहीं थे हम लोगों ने पुलिस से फावड़ा लेकर खोदना शुरु कर दिया तब स्व० शिवराम सदस्य थे वह जिला परिषद् के चेयरमैन और पार्टी के मंत्री थे 80 साल के बुड्ढे थे सुबह चार बजे उनको शौच जाने की आदत थी वह पाखाना करने गये और उस गड्ढे में गिर गये नाटे थे उसी के अन्दर कूद रहे थे रामनरेश जी और दूसरे लोग भी जेल से निकले लेकिन किसी ने नहीं देखा । मसूद साहब भी जेल से निकले थे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मैं बता रहा था कितनी कमी महसूस नहीं होती है जब जेल से निकल आते हैं तो भूल जाते हैं। अकबर साहब पता नहीं कितनी बार जेल गये हैं अगर न गये हों तो अच्छी बात है। जिन्होंने अनुभव नहीं किया उन्होंने नहीं किया लेकिन इतनी बात मान लें कि आगमगढ़ गाजीपुर में जेलें बनवाई जाए और व्यवस्था सही की जाय।

जेल इस हालत में नहीं है कि वहां पर रहा जा सकता हो। पुराने जमाने के ओटे हैं लोगों ने क्या बिगाड़ रखा है ? वह उसी में पाखाना करते हैं, उसी में पेशाब करते हैं। आप फ्लश लेट्रीन न बनवायें। जेलों की दशा सुधारने के संबंध में श्री ऊदल जी ने चिन्ता व्यक्त की है। उनके यहां सेन्ट्रल जेल है। हमारे यहां गाजीपुर, आजमगढ़ में मच्छर खा जाते हैं। पंखा आप मत लगवायें लेकिन फ्लश लेटरीन आप बनवा दें। क्योंकि जेलों में कभी भी किसी को जाना पड़ सकता है। राजबली यादव भी जेल में जा सकता है। पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने बहन मायावती को दो दिन जेल में बन्द रखा था। वह जेल थी ही थी न हिल सकती थी न कहीं जा सकते थे। उनके साथ हमारी पार्टी के विधायकों को भी बन्द रखा था। लेकिन जेल से निकलने के बाद वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जिन्होंने प्रदेश में गुण्डा राज कायम कर रखा था। वह भी जेल गये थे लेकिन बाद में उन्होंने जेल सुधार के विषय में कुछ नहीं किया। जेल से ही निकलने के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का बध किया था जेल से निकलने के बाद हमारे महापुरुषों बड़े बड़े काम किये हैं। बहन मायावती भी जेल से निकलकर श्री मुलायम सिंह यादव का वध करके मुख्यमंत्री बनी हैं। इसलिये कम से कम श्री अकबर अली साहब आजमगढ़, गाजीपुर को ठीक करने के विषय में कुछ प्रयास करें। वहां पर फ्लश लेटरीन बनवा दें। यह काम करवा देंगे तो आप अमर हो जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामबाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आपस में बातचीत नहीं करेंगे। यदि इस तरह से बातचीत की जायेगी तो हालत में कैसे सुधार होगा। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्री जी प्रत्येक सप्ताह आप प्रति जिले का दौरा करें उस जिले में जितने भी हमारे सम्मानित विधायक हैं उनको साथ लेकर यह दौरा करें। जब आप जिलों में जायेंगे, होमगार्ड के दफ्तरों को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक समस्या का हल होगा। वित्तीय संशाधनों की जो कमी है उसके संबंध में भी विचार करके उनको दूर करें। जो भाई हमारे जेलों में बन्द हैं उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करना होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क निर्मल होता है उसके बाद धीरे-धीरे सीखने पर गलत आदमियों की संगत करने के बाद ही वह बिगड़ता है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हो जाती हैं कि व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है। यदि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को हम ठीक कर दें तो वह व्यक्ति महान बन सकता है। बाल्मीकि ऋषि बनने के पहले किस तरह के व्यक्ति थे। अंगुलिमाल ने कितनी हत्यायें की थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के सम्पर्क में आकर तो वह सज्जन पुरुष बन गया। जो हमारे कैदी भाई हैं उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने की व्यवस्था करने की जरुरत है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

* श्री जवाहर लाल दिवाकर–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जेलों में जब कैदी अपनी सजा काटते हैं तो उनसे खेती का काम कराया जाता है उनको कोई तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर बंदियों को तकनीकी शिक्षा दी जाय तो जेलों से निकलने के बाद वह स्वावलंबी हो सकते हैं। मैं एक बात की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 21 महिला बंदी छोड़ी गयी हैं उनके पुनर्वास की समस्या है। कभी-कभी महिला बन्दी जो छोड़ी जाती हैं उनको उनके परिवार के लोग ग्रहण नहीं करते हैं जिसके कारण उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। माननीया सुशीला सरोज जो समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं उनका भी आग्रह है कि महिला बन्दियों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं बुलन्दशहर में एक होमगार्ड में कार्यरत लड़का जिसका नाम ब्रह्म सिंह था, 4-5 साल पहले कम्युनल रायट में उसकी हत्या हो गयी। शासन का आदेश है कि जो होमगार्ड या पुलिस का आदमी साम्प्रदायिक तनाव में मारा जायगा उसके परिवार को 1 लाख रुपया दिया जायगा। उस परिवार में उसकी विधवा और छोटे-छोटे बच्चे हैं जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसकी विधवा होमगार्ड के दफ्तर और कलेक्टर के दफ्तर में अनेकों चक्कर लगा चुकी है। जो पहले वाले मंत्री थे वह उनके यहां भी आ चुकी है लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसकी पत्रावली दिखवा लें और जो भी शासन का जी० ओ० है उसके अनुसार उसकी विधवा को 1 लाख रुपया दिलवाने का कष्ट करें और मृतक के स्थान पर उसकी विधवा को कोई छोटी मोटी नौकरी पर रख लें तो बड़ा उपकार होगा उस परिवार के साथ, बस मैं यही कहना चाहता था।

* श्री बिजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, होमगार्ड, कारागार और राजनीतिक पेंशन के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर माननीय मलिक साहब, डंग जी, साथी उदयभान, बहन राजलक्ष्मी वर्मा, राजबली यादव जी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके विचारों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सब लोग आशावादी हैं और मंत्री जी आदर्शवादी हैं, और यह सरकार पारदर्शी है, मुझे तो ऐसा लगा कि सभी लोग मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। मैं केवल 2-3 बातों को आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। अगर आदर्श कारागार आप हर जिले में बनाने में सक्षम नहीं हैं और बजट कम है तो मण्डल स्तर पर आदर्श कारागार बनाने का प्राविधान करना चाहिए। महिला बंदियों की दशा में सुधार लाना चाहिए। आदर्श महिला बंदी गृह में जो घटना घटी वह समाज के लिये बहुत शर्म की बात है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।

मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आने वाले 15 अगस्त के अवसर पर हर ऐसे चरित्रवान बंदी को, जिसकी आयु 60–70 साल हो गयी है उन्हें जेल से छोड़ देने की घोषणा करनी चाहिए। तीसरी बात है कि जेलों में पेय जल की बड़ी समस्या है। पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। आगरा,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा और अलीगढ़ में पेय जल का संकट है। वहां पर या तो पानी की टंकी की व्यवस्था की जाये या अन्य कोई योजना चलायी जाये, जिससे वहां की पानी की समस्या दूर हो सके।

मान्यवर, होमगार्ड की बात आयी थी। आप उनको पुलिस में भर्ती के समय आरक्षण दें और जो होमगार्ड ट्रेनिंग शुदा होम गार्ड होता है, उसको उम्र की छूट मिलनी चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीस हजार बन्दी हैं, लेकिन एक बैरक में 150 बन्दी रहते हैं। उनका पसीना एक दूसरे को लगता है जिससे बड़ी भयंकर स्थिति रहती है। कोई व्यवस्था नहीं है। देश आजाद हो गया है और हम सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो अगर कोई और सुधार न किया जाय लेकिन बैरकों की संख्या बढ़ा दी जाय और एक बैरक में 10–15 कैदियों को ही रखा जाय। मान्यवर, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राजनैतिक आन्दोलनों के तहत लोग जेल जाते हैं तो उनको उत्तम श्रेणी की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और उनके साथ बदले की भावना नहीं रखी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अकबर अली–

माननीय सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया है, शौचालयों की व्यवस्था के बारे में कहा है और लघु उद्योगों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। श्रीमन्, अभी जो पुरानी जेलें हैं उनमें वही व्यवस्था है, यह हम लोग भुगतते आये हैं लेकिन जो नयी जेलों का निर्माण होगा उनमें लैटरीन फ्लस सिस्टम की बनायी जायेंगी जो मानक हैं डाइट के, उनका ध्यान रखा जायगा। उनको डाइट पूरी मिलनी चाहिए। जहां तक लघु उद्योगों का प्रश्न है हम प्रशिक्षण दिला रहे हैं। बन्दियों को जो मजदूरी दी जाती थी, उसकी नयी दरें तय की गयी हैं। अब हम 4 रुपये देंगे, 3 रुपये अर्ध दक्ष को देंगे और 2 रुपये अनस्किल्ड को देंगे। मान्यवर, जहां तक जेल मैनुअल का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि सदस्यों की राय से इसको बदलेंगे। श्री हरेन्द्र सिंह मलिक ने एक सवाल उठाया है तो चौधरी चरण सिंह के बारे में उनकी बड़ी शिकायत है, इसको हम दिखवा लेंगे। सतपाल शास्त्री का मामला है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो बस में जा रहे थे और जिनकी मृत्यु हो गयी इसको भी हम दिखवा लेंगे और आपको अवगत करा देंगे और कोई अगर बात है तो आप बता दें। आप हमसे कह दिया करें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने और किरनपाल सिंह जी ने अपने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बदन सिंह का मामला उठाया था।

[7 बजकर 25 मिनट]

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैंने सम्बन्धित विभाग से जानकारी हासिल की थी और उस समय यह जानकारी मिली थी कि वह जितनी अवधि तक जेल में रहे हैं उतनी अवधि उनको पेंशन देने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि उनको पेंशन दी जाय तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर नियमों में कोई शिथिलता करके पेंशन दी जा सकती है तो इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊदल जी ने एक समस्या रखी है कि जिनकी अवधि पूरी हो गयी है वह भी अभी जेल में हैं व जिनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं हैं न थाने में न कोर्ट में वह भी जेल में हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहें। तो कह दें।

श्री अकबर अली–

मान्यवर, इस बारे में मैंने पहले ही निर्देश दे दिया है कि अपने प्रमुख सचिव को कि आप ऐसे दण्डियों की एक सूची प्रस्तुत करें जिनकी उम्र 60 और 70 वर्ष के बीच की हो और 25 वर्ष की सजा भुगत चुके हों।

श्री ऊदल–

मेरा निवेदन यह था कि जो अपनी सजा पूरी काट चुके हैं उसके बाद भी जेल में हैं और दूसरा जिनके विरुद्ध कोई मुकदमा न्यायालय में नहीं है वह भी जेल में हैं।

श्री अकबर अली–

जब मैंने यह सूचना चाही है कि इतनी सजा भुगत चुके हों तो उसके बाद माननीय सदस्य ने पूछा है वह निश्चित रूप से छूट जायेंगे। किराकी क्या सजा है जब यह मेरे सामने आ जायेगी तो पता लग जायेगा कि सजा है ही नहीं और सजा भुगत चुके हैं तो वह प्रथम प्राथमिकता पर छूटेंगे। बदन सिंह के बारे में अगर नियमों में सुधार करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष–

आप उनसे पूछ लें कि क्या कटौती वापस ले रहे हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, मंत्री जी घोषणा करने जा रहे थे उनको बोलने दें।

श्री अकबर अली–

मान्यवर, बदन सिंह के मामले में मुझको कोई जानकारी नहीं मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

इसमें आपको दिक्कत क्या है ?

श्री अकबर अली–

मैं कर दूंगा, मैं कह रहा हूं कर दूंगा लेकिन पत्रावली देखने का तो मौका दें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, वह जेल में रहे हैं इसका प्रमाण आपके पास है बिना जेल जाने वाले को भी पेंशन मिल रही है। जेल गये हैं इसका उत्तर विधान सभा में दिया है। अब वह अस्सी साल के बूढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके नाम का उल्लेख यह कर रहे हैं उनके बारे में आप माननीय मंत्री जी से मिलकर अगर नियमों को शिथिल करके जैसा सम्भव हो, माननीय मंत्री जी से मिल लीजियेगा। वह कर देंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं क्या दफ्तरों के चक्कर काटता रहूंगा यहां आश्वासन दे सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री आश्वासन दे चुके हैं और वह जेल में रहे हैं कुछ दिनों की कमी थी (व्यवधान)

श्री राम लखन वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने तो कह दिया है ये शायद सुन नहीं पाये कि अगर नियमों को शिथिल भी करना पड़े तो भी हम कर देंगे इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है इसको हम कह रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है ।

श्री अकबर अली–

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा ।

इसलिये बिजेन्द्र सिंह साहब आप इसको वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

बिजेन्द्र सिंह जी, आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री बिजेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,37,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,30,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,26,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विधान सभा की सहमति †

सहकारिता मंत्री (श्री जगवीर सिंह गूजर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उ० प्र० सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर, विचार किया जाए।

मान्यवर, कुछ समितियों में चुनाव होने से रह गये थे और उत्तराखण्ड आन्दोलन की वजह से और अनेक कारणों से कुछ विवादास्पद मामले माननीय उच्च न्यायालय में थे, जिनके निर्वाचन होने शेष रह गये थे। इसमें समय बढ़ाने की मांग थी कि 31 दिसम्बर तक समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर, विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2

(2) धारा 2 दिनांक 30 दिसम्बर, 1994 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 दिनांक 30 नवम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (3) में, द्वितीय, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1994" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1995" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में अंक तथा शब्द "30 जून, 1995" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 1995" रख दिये जाएं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1995

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 3 फरवरी, 1995 को विधान सभा में पारित हुआ।

खण्ड 4

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 1994 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 1994	4-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे ।	निरसन और अपवाद

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाए :–

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 1995 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 1994 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 1994	"4(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1995 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994, द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।	निरसन और अपवाद

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

सहकारिता मंत्री (चौधरी जगवीर सिंह गूजर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायती विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, इसमें दो छोटे-छोटे संशोधन रखे गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायती विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से यह स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 12 तक खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा ।

(2) धारा 5, 6, 7 और 11 दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 2, 3, 4, 8, 9 और 10 दिनांक 20 मई, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

अध्याय–दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 को जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (ज) में शब्द "स्थापित" के स्थान पर शब्द "संघठित" रख दिया जायगा ।

धारा 11-ङ का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 11-ङ में,—

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उप प्रमुख है, या

(ग) किसी जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, या" ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् ग्राम, खण्ड और जिला स्तर की पंचायतों को संघटित करने के लिये हुए प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायतों का सदस्य चुना जाता है, तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या यदि उक्त दो या अधिक स्तर की पंचायतों के संबंध में निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा भिन्न-भिन्न दिनांकों को की गयी है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक स्थान को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, जिन स्तरों की पंचायतों के लिये वह निर्वाचित हुआ है उनमें से सर्वोच्च स्तर की पंचायत में उसके स्थान को छोड़कर अन्य सभी पंचायतों में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा।"

धारा 12 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) में शब्द "स्थापित" के स्थान पर शब्द "संघटित" रख दिया जायगा।

5-मूल अधिनियम की धारा 12-खग के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

नई धारा 12-खगक, 12-खगख, 12-खगग 12-खगघ, 12-खगङ और 12-खगच का बढ़ाया जाना

परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण

"12-खगक-(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के संबंध में--

(क) इस प्रयोजन के लिये कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिये उपयोग किया जाय, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, अथवा

(ख) किसी मतदान स्थल से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिये या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल के

सदस्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों केपालन के लिये किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिये किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सभाव्य है, तो वह ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिये विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जायगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए ।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायगा जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जायगी ।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिग्रहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिये ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित है ?

(4) इस धारा में–

(क) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है,

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिये उपयोग में आता है, या उपयोग में लाये जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो ।

प्रतिकर का संदाय

12–खगख–(1) जहां धारा–12-खगक के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर का अधिग्रहण करें, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात् :––

(i) परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिये देय भाटक,

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाये वहां दिये जाने वाले प्रतिकर

की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें :

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभोजन की बाबत कोई विवाद है वहां अवधारण के लिये उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायगा ।

<u>स्पष्टीकरण</u>–इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पद से वह व्यक्ति, जो धारा 12–खगक के अधीन अधिग्रहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 12–खगक के अनुसरण में अधिग्रहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीव जन्तु को भाड़े पर लेने के लिये उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें :

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किये जाने से अव्यवहितपूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर था वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिये वे सहमत हो जायें और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चत करें, प्रभाजित की जायेगी ।

जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति

12–खगग–जिला मजिस्ट्रेट किसी सम्पत्ति को धारा 12–खगक के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 12–खगख के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाये ।

किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां

12–खगघ–(1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिये कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 12–खगक के अधीन आदेश किया जाये और यदि किया जाए तो किस रीति में किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये कोई व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) इस धारा में "परिसर" तथा "यान" पदों के वही अर्थ हैं, जो धारा 12-खगक में है।

अधिगृहीत परिसर से बेदखली

12-खगङ-(1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 12-खगक के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किये रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपता बेदखल कर सकेगा।

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिये सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली को प्रयोजन के लिये कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति

12-खगच-(1) जबकि धारा 12-खगक के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किये जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किये जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है, कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जायेगा, और कब्जे का ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में है, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिये हकदार हो।

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 12-खगक के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिये सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिये गये हैं ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से न रहेंगे और उनकी बाबत यह समझा जायगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात किसी कालावधि के लिये ऐसे परिसर के संबंध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगा।"

6–मूल अधिनियम की धारा 97 में, शब्द "अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा" के स्थान पर शब्द "अधिनियम की धारा 12–खगक या धारा 12–खगग के उपबन्धों के सिवाय किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 97 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 97 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

नई धारा 97-क का बढ़ाया जाना

"97–क–जहां कोई व्यक्ति धारा 12–खगक या धारा 12–खगग के अधीन किये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।"

अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

8–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (3) के बाद निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी,अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 5 का संशोधन

"(4) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी क्षेत्र पंचायत के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

(5) क्षेत्र पंचायत का संघटन गजट में अधिसूचित किया जायगा ।"

9–मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

धारा 17 का संशोधन

"(5) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी जिला पंचायत के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

(6) जिला पंचायत का संघटन गजट में अधिसूचित किया जायेगा ।"

10–मूल अधिनियम की धारा 27-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

नई धारा 27–ग का बढ़ाया जाना

"27-ग-(1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित किसी पद पर निर्वाचन के लिये या पद धारण करने के लिये अनर्ह होगा—

एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रतर रोक

(क) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख, यदि वह जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, और

(ख) जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि वह किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख हो ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख के पद के साथ-साथ, या बाद में, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होता है तो यथास्थिति, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर ऐसे निर्वाचन के दिनांक से वह, यथास्थिति क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या उप प्रमुख के पद पर नहीं रह जायगा ।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद के लिये चुना जाता है जिसको एक साथ धारण करने के लिये वह उपधारा (1) के अधीन अनर्ह है, तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या यदि उक्त पदों के संबंध में निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा भिन्न-भिन्न दिनांकों को की गयी है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक पद को छोड़ कर अन्य सभी पदों से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में जिला पंचायत में उसके पद को छोड़कर अन्य सभी पद रिक्त समझे जायेंगे।"

11-मूल अधिनियम की धारा 264-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

नई धारा 264-ग, 264-घ, 264-ङ 264-च, 264-छ 264-ज, 264-झ और 264-ञ का बढ़ाया जाना

"264-ग-(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा ।

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण आदि के कर्मचारी वृन्द को निर्वाचन कार्य के लिये उपलब्ध किया जायेगा

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण, जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों।

(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण

264-(घ) (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिले के भीतर इस परिसर, यानों के अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में—

(क) इस प्रयोजन के लिये उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात मतपेटियों के रखने के लिये उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, अथवा

(ख) किसी मतदान स्थल से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिये या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन के लिये किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिये किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, तो वह ऐसे परिसर, या यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसी आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिये विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तक अधिगृहीत नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाये।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस संपत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति में की जायेगी ।

(3) जब कभी कोई संपत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिये ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित है ।

(4) इस धारा में—

(क) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अर्न्तगत आता है,

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिये उपयोग में आता है या उपयोग में लाये जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो ।

264–ङ–(I) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर की धारा 264–घ के अनुसरण मे अधिगृहीत करें तब हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर सदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा अर्थात परिसर की बावत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में बसे ही परिसर के लिये देय भाटक,

(II) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या काराबार के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने के आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाय वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें :

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है वहां अवधारण के लिये उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पद से वह व्यक्ति, जो उपधारा 264-घ के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर या स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 264-घ के अनुसरण में अधिगृहीत करें तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिये परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किये जाने से अव्यवहितपूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर था वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिये वे सहमत हो जायें, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चय करें, प्रभाजित की जाएगी ।

जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति

264-च–जिला मजिस्ट्रेट किसी सम्पत्ति की धारा 264-घ के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 264-ङ के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाये ।

किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां

264-छ–(1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिये कि क्या किसी परिसर, किसी यान जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 264-घ के अधीन आदेश किया जाय और यदि किया जाय तो किस रीति में किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किये गये, किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) इस धारा में "परिसर" तथा "यान" पदों के वही अर्थ हैं जो धारा 264-घ में हैं ।

अधिगृहीत परिसर से बेदखली

264-ज–(1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 264-घ के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किये रहा है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा ।

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिये सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिये कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा ।

अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति

264-झ–(1) जब कि धारा 264-घ के अधीनअधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किये जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किये जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जायेगा, और कब्जे को ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा किन्तु उसरो परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिये हकदार हो ।

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 264-घ के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चयन नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिये सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिये गये हैं ऐसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना मे विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख की ओर से न रहेंगे और उनकी बाबत यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिये ऐसे परिसर के संबंध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिये दायित्वाधीन न होगा ।

अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये

264-ञ–यदि कोई व्यक्ति धारा 264-घ या धारा 264–च के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघ करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1995 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1995	12-(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 और उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय-दो और अध्याय तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।	निरसन और अपवाद

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 12 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायती विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री कृष्ण कुमार नवमान की अलीगढ़ नगर में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा बिना पूर्व सूचना के दुकानों व मकानों के अग्रभागों को तुड़वाये जाने के संबंध में है। इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। दूसरी सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की फतेहपुर जिले में वनरोजों (जंगली जानवर नीलगाय) द्वारा की जा रही फसलों की क्षति के संबंध में है। इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। तीसरी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक और श्री किरनपाल सिंह जी की दुलन्दशहर जिले के छतारी थानान्तर्गत नारयनपुर ग्राम में इस्लाम विरोधी साम्प्रदायिक नारे लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की फतेहपुर जिले के धाता कस्बे में एक सिनेमा घर से हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड की कापियां तथा प्रश्नपत्रों के बरामद होने के संबंध में है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। पांचवी सूचना श्री नन्द किशोर मिश्र की पडरौना जिले की क्षेत्र पंचायत संबरही व दुदही के गांव को नारायणी व बांदी नदी की बाढ से हुई क्षति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। छठी सूचना श्री राज कुमार शिवहरे की बांदा नगर में नालियों की सफाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट होकर नकल करने विषयक श्री बदन सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

ग्राम विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चैनसुख भारती)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चैनसुख भारती—

[लोअर सबार्डिनेट परीक्षा मार्च, 1995 में आयोजित की गयी, उक्त परीक्षा में इलाहाबाद तथा कानपुर नगर में प्रश्नपत्रों के आउट होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी ।

उक्त के संबंध में चयन आयोग द्वारा मामले की जांच जिलाधिकारी इलाहाबाद/कानपुर नगर से कराई गयी । उक्त दोनों जिलाधिकारियों ने अपनी जांच आख्या में कहा है कि प्रश्नपत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बन्डल कोषागार में डबल लाक में रखवाये गये थे । परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि 5 मार्च, 1995 को प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं को प्रातः 7.00 बजे के लगभग कोषागार से निकाला गया एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा 7.00 बजे से 8.50 बजे के बीच परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिकायें पहुंचा दी गयी थी । समस्त बन्डलों पर आयोग की सील्ड दुरुस्त पायी गयी थी परीक्षा केन्द्रों पर प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा आयोग के प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के समक्ष परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घन्टे पूर्व पैकेट खोले गये थे ।

3–प्रश्न पत्र आउट होने की प्रकाशित सूचना के संबंध में जांच आख्या में यह अवगत कराया गया है कि कुल भास्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद तथा गणेश शंकर विद्यार्थी इण्टर कालेज, पाण्डु नगर, कानपुर में कुछ बाहरी असामाजिक व्यक्ति परीक्षा कक्ष में घुस कर परीक्षा प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें लेकर भाग गये थे । जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी ।

4–इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जो छायाप्रति समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है वह उपरोक्त घटना के पश्चात की है क्योंकि उपरोक्त सूचना समाचार पत्रों में अगले दिन दिनांक 6 मार्च, 1995 को प्रकाशित हुई है । अन्त में जांच आख्या में यह कहा गया है कि उपरोक्त घटनाओं को छोड़कर परीक्षा सकुशल एवं सुचारु रूप से संचालित हुई है । पेपर बिकने एवं लीक आउट होने की घटना असत्य एवं निराधार है ।]

बांदा जनपद के कृषकों पर अनियमित ढंग से लगायी गयी सींच एवं अवैध वसूली विषयक श्री राज कुमार त्रिवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, बांदा जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत केन नहर प्रणाली है.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ जाय)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[केन नहर प्रणाली बरियारपुर वियर से निकलती है तथा केन नदी व उसकी सहायक बन्ने नदी पर निर्मित गंगऊ वियर एवं रनगवां बांध से जल आपूर्ति की जाती है । इस प्रणाली पर जो बांध एवं जलाशय है उनकी जल भण्डारण क्षमता सीमित है तथा वह भी वर्षा पर निर्भर करती है । जिसके कारण इस जनपद में पानी का सदैव अभाव रहता है । माननीय विधायक जी ने केन नहर प्रखंड, बांदा में सिचाई के संबंध में कुछ बिन्दु उठाये हैं जिन पर स्थिति निम्नानुसार है :—

1–माननीय विधायक जी ने यह इंगित किया है इस वर्ष गेहूं में प्रति बीघा की दर से 19/- रु० धान में प्रति बीघा 35.96 रु० तथा धान काट पलेवा में 19 रु० प्रति बीघा की दर से वृद्धि हो जाने से कृषकों को आर्थिक रूप से भारी हानि हो जाने से जनाक्रोश व्याप्त हो गया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि जिन खेतों में नहर द्वारा सिंचाई नहीं की गयी है उन पर भी सिंचाई लगायी जा रही है तथा डाल सिंचाई दर्ज नहीं की जा रही है जबकि डाल सिंचाई आधी दर से दर्ज की जानी चाहिए ।

इस संबंध में केन नहर प्रखण्ड, बांदा में रबी 1402 फसली में सिंचाई कर नवीनतम शासनादेश सं०–4417/94-27-सि-4-2 रेट/94, दिनांक 18-10-94 के अन्तर्गत गेहूं व अन्य रबी उदाहरणार्थ–पलेवा, चना, मटर, लाही, अहर, मसूर, बरसीम पर लगाया गया । शासनादेश में पलेवा का सिंचाई कर अलग से न दर्शाने पर रबी फसल में बोयी गयी जिन्स, जिसका सिंचाई-कर न्यूनतम था, वही रेट पलेवा पर लगाया गया । इस प्रकार लघु सीमान्त कृषक हेतु पलेवा का रेट रु० 90/- प्रति हेक्टेयर (तोड़) व अन्य कृषकों हेतु रु० 115/- प्रति हेक्टेयर (तोड़) लगाया गया । जहां तक नहर के माध्यम से सिंचाई न होने पर भी सिंचाई दर्ज करने का प्रश्न है, इसके संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकार के प्रकरण के संबंध में खण्डीय कार्यालय में 33 कृषकों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं जिन पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा जांच करायी जा रही है तथा जांच आख्या आने पर प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय किया जायेगा । डाल सिंचाई पूर्व में आधी दर से दर्ज की जाती थी किन्तु नवीनतम शासनादेश दिनांक 18-10-94 के अनुसार यह दरें अब आधी नहीं हैं । शासनादेश में अंकित दरें ही अब डाल सींच के लिये लागू होंगी ।

2–माननीय विधायक जी ने यह भी कहा है कि केन नहर प्रखण्ड, बांदा में इस वर्ष नहरों की सफाई का कार्य और गहरा करने का कार्य नहीं कराया गया है जिसके कारण किसान खेती में सींच नहीं लगा पाये हैं ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वर्ष रबी 1402 फसली में 24 नहरें जिनकी कुल लम्बाई 111.262 किमी० है, की 68.3 किमी० की लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया था । संबंधित 15 कृषकों के प्रार्थना-पत्र केन नहर प्रखण्ड, बांदा में प्राप्त हुए हैं जिन पर जांच कराई जा रही है और जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही कर दी जायगी ।

3–मा० विधायक जी का कथन कि केन नहर खरीफ चैनल होने पर रबी की सींच भी ली जा रही है, इस संबंध में सूचित करना है कि केन नहर पर खरीफ एवं रबी दोनों फसलें होती हैं तथा दोनों फसलों में बोयी गयी जिन्स पर सींच ली जाती है जो उचित है ।]

प्रदेश के कालीन उद्योग को खतरनाक उद्योग की श्रेणी में रखने हेतु केन्द्र से सिफारिस करने आदि विषयक श्री रंगनाथ सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)–

बच्चे राष्ट्र की अमूल्य निधि एवं देश का भविष्य हैं । उनकी शिक्षा-दीक्षा, स्वास्थ्य.....

(कई सदस्यों की ओर से पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें)

(सदन की अनुमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना लिया गया ।

श्री श्याम लाल यादव–

[व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है । भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों तथा मौलिक अधिकारों के रूप में उक्त आशय की स्पष्ट व्यवस्था की गई है । संविधान की धारा 24 में व्यवस्था है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाना, खदान का अन्य जौखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । संविधान की धारा–39 में उल्लेख है कि बच्चों की आयु (अल्प) का दुरूपयोग न हो ।

बाल श्रम एक सामाजिक कुरीति है जिसके कारण वह शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं बौद्धिक विकास से वंचित हो जाता है । यह समस्या उस समय और गम्भीर हो जाती है जब बाल श्रमिक से उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य लिया जाता है और उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है । प्रदेश सरकार इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है । भारत सरकार भी बाल श्रम प्रथा के समूल उन्मूलन की पक्षधर है ।

वर्तमान समय में अनुमानतः 18 लाख बाल श्रमिक विभिन्न नियोजनों में नियोजित/कार्यरत हैं जिसमें से अनुमानतः 45,000 बाल श्रमिक कार्पेट बेल्ट एरिया (मिर्जापुर-भदोही-वाराणसी) में हैं । वर्ष 1994-95 में कालीन के निर्यात से लगभग 1,400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी परन्तु कालीन उद्योग में बाल श्रमिक नियोजित होने के कारण विदेशों में इसका काफी दुष्प्रचार हुआ जिसके कारण अमेरिका व जर्मनी आदि देश से कालीन को अपने देश में आयात करने के संबंध में प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करने लगे ।

बाल श्रमिक उन्मूलन के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अनुरूप कालीन उद्योग से बाल श्रमिकों के उन्मूलन के संबंध में निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं । इसी क्रम में प्रवर्तन कार्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाराणसी में अपर आयुक्त (बालश्रम) की नियुक्ति की गयी है ।

निर्धनता के कारण बल श्रम का पूर्ण उन्मूलन सम्भव नहीं है । लेकिन जिन उद्योगों में बाल श्रमिकों को सस्ते दर पर उपलब्ध होने के कारण बहुतायत रूप से नियोजित किया जाता है तथा जिन उद्योगों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है तथा बन्धुआ सा जीवन व्यतीत करना पड़ता है जैसे कांच चूड़ी उद्योग, पीतल उद्योग, ताला उद्योग तथा कालीन उद्योग में, इनके नियोजन को समाप्त किया जाना उचित होगा । इन उद्योगों की कतिपय प्रक्रियाओं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में कतिपय संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया और तदनुसार भारत सरकार को संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है । जिसके अन्तर्गत न केवल कालीन उद्योग बल्कि कांच चूड़ी, ताला उद्योग, पीतल उद्योग की कतिपय प्रक्रियाओं को बाल श्रम अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खतरनाक प्रक्रिया की श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया गया है । वैसे भी बाल श्रम अधिनियम, 1986 के नियम–3 के साथ पठित शेड्यूल में, "कालीन बुनाई" खतरनाक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित है ।

प्रदेश सरकार का विचार है उक्त संशोधनों के उपरान्त बाल श्रम अधिनियम, 1986 के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा तथा बाल श्रमिक को नियोजित करने वाले सेवायोजकों के

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी । क्योंकि उक्त अधिनियम बाल श्रम को समाप्त करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रम कानून है । बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने इस प्रक्रिया को समाप्त करने, देश के भविष्य तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के दृष्टिकोण से बाल श्रम प्रथा को समाप्त किया जाना आवश्यक है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग का उद्देश्य केवल बाल श्रम उन्मूलन के लिए वैधानिक कार्यवाही करना ही नहीं बल्कि श्रम विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इन खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे बच्चों को अवमुक्त कराकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नतशील बनाना भी है इसके लिए श्रम विभाग द्वारा परियोजना तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृत करने के लिए भेजी गयी है ।]

जनपद आगरा के ताज होटल के कर्मचारियों की हड़ताल एवं भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की बिगड़ती स्थिति विषयक श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का

वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)–

प्राप्त सूचना के अनुसार ताज व्यू होटल, आगरा फतीहाबाद रोड, आगरा एक पंच सितारा होटल है, जिसमें अधिकांशतः विदेशी पर्यटक ठहरते हैं....

(अनेक माननीय सदस्यों की ओर से पढ़ा हुआ मान लिया जाये की आवाजें)

(सदन की अनुमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)–

[इसमें महिला कर्मचारी श्रीमती भूपेन्द्र कौर, हाउसकीपर सुपरवाईजर (टिकट नं० 297) के पद पर कार्यरत थी । सेवायोजकों के अनुसार श्रीमती भूपेन्द्र कौर एक वर्ष से अधिक से सुचारू रूप से कार्य पर उपस्थित नहीं हो रही थीं, अतः सेवायोजकों द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया । इसके उत्तर में श्रीमती कौर द्वारा अपना त्याग-पत्र दिनांक 21-3-95 को प्रेषित किया गया, जिसे प्रबन्धकों द्वारा उसी दिन स्वीकार कर लिया गया । श्रमिक यूनियन के अनुसार श्रीमती कौर दिनांक 25-1-95 से दिनांक 23-3-95 तक प्रसूति अवकाश पर थीं परन्तु इस बात की पुष्टि प्रबन्धतन्त्र ने नहीं की है । इस प्रकरण पर ताज व्यू होटल कर्मचारी संघ, आगरा के पदाधिकारी (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) दिनांक 25-3-95 को महाप्रबन्धक के कक्ष में वार्ता हेतु गये, जहां पर वार्तालाप के बाद दोनों पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई । इस संबंध में प्रबन्धकों की ओर से 10 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–98/95 अन्तर्गत धारा–147, 342, 352, 504, 506 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गयी और पुलिस द्वारा दिनांक 29-4-95 को आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । दिनांक 26-3-95 को प्रबन्धकों ने 6 कर्मचारियों को, जो ताज व्यू होटल कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी थे, निलम्बित कर दिया तथा 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दी गयी । इन कर्मचारियों के विरुद्ध घरेलू जांच कार्यवाही चल रही है ।

दिनांक 25-3-95 की घटना के संबंध में श्रमिकों की ओर से श्री एस० पी० शर्मा, द्वारा दिनांक 5-5-95 को धारा 323, 504, 506 भा०दं०वि० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिस पर जांच के उपरान्त पुलिस ने दिनांक 26-5-95 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

होटल के प्रबन्धकों ने जिला प्रशासन को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया कि कर्मचारियों ने पूर्व में हुए समझौते दिनांक 16-7-93 जो उप श्रमायुक्त, कार्यालय द्वारा पंजीकृत एवं उभयपक्षों के लिए बाध्यकारी है, के अनुच्छेद-8 का उल्लंघन किया है जिसके कारण उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-14(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 14-7-95 को अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) को 11 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान की, जिस पर अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने दिनांक 17-5-95 को सी० जे० एम० आगरा के न्यायालय में, समझौता दिनांक 16-7-93 का उल्लंघन करने के आरोप में उपालम्भ प्रस्तुत किये। सी० जे० एम० आगरा ने उक्त उपालम्भ पर दिनांक 24-7-95 के लिए निम्नांकित 11 श्रमिकों को नोटिस जारी की और श्री एस० पी० शर्मा को छोड़कर शेष 10 ने उपस्थित कर ली है :-

(1) श्री एस० पी० शर्मा, पुत्र श्री डी० एन० शर्मा
(2) श्री अशोक कुमार सिंह, पुत्र श्री भीम सिंह,
(3) श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री राम स्वरूप
(4) श्री राम प्रकाश दुबे, पुत्र श्री हीरा लाल दुबे
(5) श्री राम चरण सिंह, पुत्र श्री झड़प सिंह
(6) श्री देवर दीन, पुत्र श्री ई० दीन
(7) श्री मथुरा प्रसाद, पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद
(8) श्री के० पी० राना, पुत्र श्री टी० एन० राना
(9) श्री राजकुमार, पुत्र श्री चन्दूराम
(10) श्री गोपी शर्मा, पुत्र श्री हर प्रकाश शर्मा
(11) श्रीमती भूपेन्द्र कौर, पत्नी श्री रणवीर सिंह

कर्मचारियों के निलम्बन के विरोध में कर्मचारी संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 3-4-95 से 30-4-95 तक उप श्रमायुक्त कार्यालय आगरा पर धरना दिया गया। दिनांक 12-7-95 से सर्वश्री एस० पी० शर्मा, जो ताज व्यू होटल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं श्री ज्ञान सिंह जो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, आमरण अनशन पर बैठे थे तथा दिनांक 21-7-95 की स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त अस्पताल में दाखिल किये गये। उन्होंने उप श्रमायुक्त, आगरा द्वारा प्रकरणगत विवाद का निपटारा वार्ता द्वारा कराये जाने संबंधी आश्वासन देने के उपरान्त उपवास अनशन समाप्त कर दिनांक 28-7-95 को वे घर चले गये। श्री एस० पी० शर्मा एवं श्री ज्ञान सिंह बेग जी को चिकित्सालय ले जाने के बाद श्री ओ० पी० शर्मा एवं श्री रमेश चन्द अनशन पर बैठ गये जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त दिनांक 30-7-95 को चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ पर 2-8-95 को अनशन समाप्त कर वो घर चले गये। श्री मथुरा प्रसाद दिनांक 30-7-95 से अनशन पर बैठे हैं। आगरा स्थित अन्य होटल के श्रमिकों द्वारा हड़ताल अथवा आन्दोलन पर जाने की कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 25-3-95 को घटित घटना के पश्चात् श्रमिक यूनियन ने दिनांक 27-3-95 को घटना के सम्बन्ध में उपालम्भ उप श्रमायुक्त, आगरा को प्रस्तुत किया। उप श्रमायुक्त आगरा द्वारा

दिनांक 11-4-95 को वार्ता हेतु बैठक बुलायी गयी पर कोई समाधान न होने की स्थिति में दिनांक 1-5-95 को अपर जिलाधिकारी, नगर द्वारा पक्षों को बुलाया गया परन्तु अपरिहार्य कारणों से श्रमिक प्रतिनिधि वार्ता में भाग न ले सके। दिनांक 1-8-95 को उप श्रमायुक्त स्तर पर वार्ता की तिथि निश्चित की गयी थी जो अब पुनः दिनांक 4-8-95 को निश्चित की गयी है। उभय पक्षों के मध्य वार्ता कराकर समस्या का समाधान हेतु प्रयास किया जा रहा है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठे हैं, 7 अगस्त को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 40 मिनट पर सोमवार 7 अगस्त, 1995 अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
4 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–3 का उत्तर पीछे पृ० 29 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री राज कुमार शिवहरे, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर का संलग्नक

मांग-पत्र के बिन्दु	कृत कार्यवाही
1–माह जनवरी-फरवरी का वेतन भुगतान अविलम्ब कराया जाय एवं भुगतान की समस्या हर माह की 7 तारीख तक सुनिश्चत की जाये।	झांसी डिवीजन जल संस्थान, बांदा इकाई में कार्यरत कर्मचारियों को माह जून, 1995 (अप-टू-डेट) वेतन का भुगतान किया जा चुका है। वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख के पूर्व किया जा रहा है।
2–पम्प चालकों व फील्ड स्टाफ को नये वेतनमान का एरियर (धन) तुरन्त भुगतान कराया जाये।	बांदा इकाई के अन्तर्गत कार्यरत पम्प चालकों/फील्ड स्टाफ को दिनांक 1-1-86 से लागू नये वेतनमान के एरियर का भुगतान 60 प्रतिशत कर्मचारियों को किया जा चुका है। शेष 40 प्रतिशत कर्मचारियों के एरियर जांच प्रक्रिया में है, जिन्हें शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा। पूर्व में उक्त कर्मचारियों द्वारा अन्य शासकीय विभागों में कार्यरत नलकूप चालक/फिटर के वेतनमान रु० 950–1500 की मांग की जा रही थी, जबकि वेतन आयोग द्वारा उक्त पदों का वेतनमान रु० 825–1200 स्वीकृत किया गया है। इस वेतनमान के प्रति एरियर लेने से कर्मचारियों ने इन्कार किया है तथा उनके द्वारा रु० 950–1500 वेतनमान के एरियर की मांग की जा रही थी, जब कर्मचारी वेतनमान रु० 825–1200 लेने को तैयार हुए, तो उपरोक्तानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
3–वर्ष 93-94 का तथा 94-95 के नकदीकरण का भुगतान शीघ्र दिलाया जाये।	वर्ष 1993 का बांदा इकाई के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को नकदीकरण का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है, वर्ष 1994 का 90 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, शेष 10 प्रतिशत बिल भुगतान किये जाने हेतु जांच प्रक्रिया में है। वर्ष 1995 में बांदा इकाई के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा नकदीकरण के आवेदन तक शाखा को प्राप्त नहीं कराये गये।
4–राष्ट्रीयकरण पर्व एवं त्योहारिक अवकाश पर ड्यूटी पर, डबल ड्यूटी का पैसा, पूर्व की भांति स्वीकृत कर लागू किया जाये जोकि पूर्व में मिलता था।	बांदा इकाई के अन्तर्गत पम्प संचालन में कार्यरत पम्प चालकों को राष्ट्रीय पर्व क्रमशः 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर में किये गये कार्यों के प्रति डबल ड्यूटी का भुगतान पूर्व की भांति किया जा रहा है।

1	2
5–जी० पी० एफ० का धन बैंक में जमा कराया जाय तथा पास बुकें कर्मचारियों को दी जायें और भविष्य निधि अग्रिम से मांगी गयी धनराशि स्वीकृत कर तुरन्त दिलायी जाये ।	जी० पी० एफ० का धन माह अप्रैल, 1995 से बैंक में प्रतिमाह जमा किया जा रहा है । कर्मचारियों को पास बुकें कर्मचारियों को दे दी गई है । कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि से अग्रिम मांग करने पर नियमानुसार स्वीकृत उपरान्त भुगतान भी किया जाता है ।
6–पूर्व में वेतन से काटी गई, पूर्ण/अपूर्ण आर०डी० का भुगतान जो कि खातों में नहीं जमा किया गया, धन तुरन्त दिया जाये ।	कर्मचारियों के वेतन से राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत पूर्ण/अपूर्ण आर०डी० की कटौती वेतन से किये जाने के उपरान्त उसी माह में डाकघरों में सम्बन्धित खातों में जमा कर दिया जाता है । आर०डी० का समय पूर्ण होने पर सीधे कर्मचारियों को भुगतान करा दिया जाता है । माह जून, 1995 तक अप-टू-डेट आर०डी० की कटौती डाकघर में जमा कराई जा चुकी है ।
7–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जब से दोनों प्रकार की वर्दियां या वर्दी का भुगतान नहीं किया गया, उसे अविलम्ब दिलाया जाये ।	बांदा इकाई के अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समय-समय पर वर्दी दी जाती है । वर्तमान में जिन कर्मचारियों को पुनः वर्दी देय हो गई है । उनकी सूची समस्त शाखाधिकारियों से मांगी गई है । सूचना प्राप्त कर देय कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध करा दी जायेगी ।
8–अनुकम्पा नियुक्ति तुरन्त की जाये तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सभी अवशेष देयों का निवृत्त होने के समय ही तुरन्त भुगतान दिलाया जाये ।	बांदा इकाई के अन्तर्गत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्तियों से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है । बांदा इकाई के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष बीजक भुगतान हेतु जांच प्रक्रिया में है, जिन्हें भुगतान कर दिया जायेगा ।
9–ज० सं० बांदा जनपद की प्रत्येक इकाई में रिक्त पदों की पूर्ति की जाये एवं कार्यरत कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाये ।	बांदा जिले के अन्तर्गत 326 पद सृजित हैं, जिनके विरुद्ध 316 कर्मचारी कार्यरत है । 10 रिक्त पदों के भरने/पदोन्नति को कार्यवाही की जा रही है ।

1	2
10–जिन दैनिक वेतन कर्मियों की सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गई है उनका नियमितीकरण अविलम्ब किया जाये।	झांसी डिवीजन जल संस्थान की बांदा इकाई में दैनिक वेतन पर 9 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सभी अनुसूचित जाति के हैं और जिन्हें 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी मण्डल में स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो रिक्त पद हैं, उन दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिनमें उक्त 9 कर्मचारी नहीं आते हैं। पद सृजित होने पर ही इनका नियमितीकरण नियमानुसार किया जा सकेगा।
11–दैनिक श्रमिकों का वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ भुगतान तुरन्त दिया जाय तथा रिक्त पदों के सृजन में स्वीकृति प्रदान कर उन्हें तुरन्त रखा जाये।	बांदा इकाई के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के माह जून, 1995 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। शेष आख्या क्रमांक–10 में वर्णित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

आगरा मण्डल में वर्ष 1994–95 में सघन विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य के विपरीत चयनित गांवों की सूची

जनपद	लक्ष्य	चयनित ग्राम नाम	कोड संख्या	टिप्पणी
अलीगढ़	8	1–मिर्जापुर	221	
		2–सिघरौली	154	
		3–जाफराबाद	188	
		4–शेरपुर	224	
		5–लालपुर	168	
		6–रामपुर चन्देना	143	
		7–जरीनपुर मुखका	189	
		8–सुल्तानपुर खड़ा	165	
मथुरा	1	1–उझानी बांगर	95	
मैनपुरी	7	1–नगलाकंज	316	
		2–सकरामपुर	409	
		3–तकरऊ	140	सभी चयनित गांवों का विद्युतीकरण
		4–बातक	155	वर्ष 1994–95 में कर दिया गया।
		5–सहन	161	
		6–पहाड़पुर	318	
		7–दलीपपुर नरैनी	291	
एटा	1	1–बलीपुर	84	
आगरा	5	1–सिंगारपुर	65	
		2–मुटनई	45	
		3–नरगांव (गुढ़ा)	44	
		4–नगला पाटल	12	
		5–पतसाल	6	
फिरोजाबाद	7	1–सरजपुर	221	
		2–राजपुर बलई	47	
		3–इटोरा	175	
		4–जहानाबाद	238	
		5–रानीपुर	128	
		6–फरीदाबहल	123	
		7–बसई मोहम्मदपुर	147	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

द्वितीय सत्र 1995 के तीसरे शुक्र के लिए निर्धारित श्री दीनानाथ चौधरी का अतरारांकित प्रश्न संख्या–48

संलग्नक : "क"

पूर्वान्चल निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से पूर्ण कर लिए गये एवं अधूरे कार्यों का विवरण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	अद्यतन स्थिति
1	2	3
	विधान सभा–बलिया	
1	मिड्ढी मुहल्ले में 100 केवीए एलटी उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइन का निर्माण ।	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
2	बनकटा मुहल्ले में 100 केवीए एलटी उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइन का निर्माण ।	–तदैव–
3	ग्राम बहादुरपुर में 100 केवीए एलटी उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइन का निर्माण ।	–तदैव–
4	मोहल्ला टैगोर नगर में 100 केवीए एलटी उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइन का निर्माण ।	–तदैव–
5	निम्नलिखित क्षेत्र के एलटी मेन्स के पुराने तारों को बदलना :–	
	(अ) चौक से आर्य समाज रोड	–तदैव–
	(ब) चौक से स्टेशन रोड	–तदैव–
	(स) सनिचरी मंदिर से मालगोदाम रोड	–तदैव–
	(द) स्टेशन से शीश महल	–तदैव–
	विधान सभा–कोपाचिट	
6	निम्नलिखित क्षेत्र में एलटी मेन्स के पुराने तारों के स्थान पर नये अधिक क्षमता के तारों से बदलना :–	
	(अ) चितबड़ा गांव	सामान मिल गया है । कार्य प्रगति पर है ।
7	रामपुर चिट हनुमानगंज विकास खण्ड में 63 केवीए एलटी उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइन का निर्माण	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष प्रगति पर ।

1	2	3
8	ग्राम अमडरिया हरिजन बस्ती में 500 मीटर एलटी लाइन का निर्माण ।	आंशिक सामान मिला है ।
9	ग्राम भरौली एवं भिखारीपुर में वर्तमान एलटी० उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाना ।	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
	विधान सभा–द्वारा	
10	गोनिया छपरा में 63 के०वी०ए० का एलटी सब-स्टेशन एवं सम्बन्धित लाइन का निर्माण ।	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष प्रगति पर है ।
11	ग्राम चकिया व सोनबरसा के एल०टी० सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाया जाना ।	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
	विधान सभा–बांसडीह	
12	करम्मर डाउन के विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु 63 के०वी०ए० एल०टी० सब-स्टेशन तथा 22.25 कि०मी० 11 के०वी० लाइन का निर्माण ।	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
13	रसड़ा टाउन में 63 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
14	रसड़ा टाउन में 100 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
15	रसड़ा टाउन में 25 से 63 के०वी०ए० उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	–तदैव–
16	रसड़ा टाउन में 100 के०वी०ए० से 250 के०वी०ए० की क्षमता वृद्धि	–तदैव–
17	बेल्थरा रोड टाउन में 63 के०वी०ए० उपकेन्द्र निर्माण ।	–तदैव–
18	बेल्थरा रोड टाउन में 100 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण ।	–तदैव–
19	बेल्थरा रोड टाउन में 25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए० की क्षमता वृद्धि	–तदैव–
20	बेल्थरा रोड टाउन में 100 के०वी०ए० से 250 के०वी०ए० की क्षमता वृद्धि	–तदैव–
21	पुरवा तियरा हैदरपुर नगरा का विद्युतीकरण	खम्भे खड़े हैं तार खींचना है ।
22	सिकन्दरपुर टाउन में 63 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–कार्य पूर्ण हो चुका है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
23	सिकन्दरपुर टाउन में 100 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण–	--कार्य पूर्ण हो चुका है।
24	सिकन्दरपुर टाउन में क्षमता वृद्धि 25 के०वी०ए० से 63 केवीए।	–तदैव–
25	सिकन्दरपुर टाउन में क्षमता वृद्धि 100 के०वी०ए० से 250 केवीए।	–तदैव–
26	मनियर टाउन में 63 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
27	मनियर टाउन में 100 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
28	मनियर टाउन में क्षमता वृद्धि 25 के०वी०ए० से 63 केवीए	–तदैव–
29	बांसडीह के सहतवार टाउन में 63 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण।	–तदैव–
30	बांसडीह टाउन में 100 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
31	बांसडीह टाउन में क्षमता वृद्धि 25 से 63 के०वी०ए०	–तदैव–
32	बांसडीह टाउन में क्षमता वृद्धि 100 से 250 के०वी०ए०	–तदैव–
33	रेवती टाउन में 63 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
34	रेवती टाउन में 100 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
35	रेवती टाउन में क्षमता वृद्धि 25 केवीए से 63के०वी०ए०	–तदैव–
36	रेवती टाउन में क्षमता वृद्धि 100 केवीए से 250 के०वी०ए०	तदैव
37	हरिजन बस्ती सहतवार विकास खण्ड रसड़ा का विद्युतीकरण।	–तदैव–
38	हरिजन बस्ती हीता का पुरा रसड़ा बाहरी का विद्युतीकरण।	–तदैव–
39	हरिजन बस्ती हीता का पुरा नहर के पास का विद्युतीकरण	–तदैव–
40	हीता का पुरा भरटोलवा का विद्युतीकरण	–तदैव–
41	ग्राम बेलसरा नगरा में एलटी लाइन का निर्माण	खम्भे खड़े हैं। तार खींचना है।
42	रसड़ा टाउन में फेज कन्डक्टर बढ़ाने का कार्य।	कार्य पूर्ण हो चुका है।
43	रसड़ा टाउन में हीतापुर मुहल्ले में 25 के०वी०ए उपकेन्द्र का निर्माण	–तदैव–
44	बांसडीह टाउन में फेज कन्डक्टर बढ़ाने का कार्य।	–तदैव–
45	बांसडीह टाउन के सहतवार कस्बे में फेज कन्डक्टर बढ़ाने का कार्य।	–तदैव–
46	रेवती टाउन में फेज कन्डक्टर बढ़ाने का कार्य।	–तदैव–
47	सिकन्दरपुर टाउन में फेज कन्डक्टर बढ़ाने का कार्य।	–तदैव–
48	मनियर टाउन में फेज कन्डक्टर बढ़ाने का कार्य।	–तदैव–
49	ग्राम/पुरवा मठिया सीयर का विद्युतीकरण	खम्भे खड़े हैं। तार खींचना है।
50	हरिजन बस्ती टीका देवरी का विद्युतीकरण	–तदैव–
51	सराय भारती टाउन में 20 के०वी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण	कार्य पूर्ण हो चुका है।
52	मनीयर टाउन में क्षमता वृद्धि 100 के०वी०ए० से 250 के०वी०ए०।	–तदैव–

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर नीचे पृष्ठ 58 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–60 का संलग्नक ।

रिट याचिका दायर करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों की सूची

1–श्री पारस नाथ त्रिपाठी
2–श्री मुश्रीम अन्सारी
3–श्री एस० ए० कलाम
4–श्री मो० हाशिम अन्सारी
5–श्री कयामुद्दीन
6–श्री फुलेमा यादव
7–श्री मन्दीप इन्दवार
8–श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
9–श्री प्रमोद कुमार सिंह
10–श्री जोजफ सुरेन
11–श्री सुभाष यादव
12–श्री लाल मणि भौर्या
13–श्री राम स्वरूप
14–श्री कृष्णा सुमन
15–श्री दिनेश कुमार सिंह
16–श्री राम जी सिंह
17–श्री श्रीराम गौड़
18–श्री सुरेन्द्र शर्मा
19–श्री खरपत्तू राय
20–श्री सुखारी मेहता
21–श्री लाल चन्द्र शर्मा
22–श्री अर्जुन सिंह
23–श्री कैलाश राम त्रिपाठी
24–श्री कमलेश सिंह
25–श्री ददन साह
26–श्री घूरे लाल चौहान
27–श्री शिवधर चौहान
28–श्री राम गरीब शर्मा
29–श्री कामेश्वर सिंह
30–श्री मुरली धर
31–श्री बजरंगी प्रसाद गुप्ता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के 3सरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–112 के उत्तर का संलग्नक–एक

क्र०सं०	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या
1	रिफ्यूज कलेक्टर व्हेकिल (आर० सी० व्हेकिल)	4
2	आर० सी० बिन	482
3	जीप	4
4	कैरियर कन्टेनर 4.5 घन मी० क्षमता	32
5	व्हील बैरो (कन्टेनराइज्ड)	200
6	व्हील बैरो ट्यूबलर	2400
7	लोडर फ्रान्टएन्ड	1
8	30 ली० क्षमता का कन्टेनर	1200
9	ट्रिपर ट्रक 4.5 मी० टन	3
10	डम्पर प्लेसर	5
11	डम्पर प्लेसर के बिन	25
12	मिनी ट्रिपर	2
13	पुराने व्हील बैरो की मरम्मत	1200
14	बुलडोजर	1
15	कैरियर अटैचमेन्ट	6

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 177 का उत्तरपीछे पृष्ठ 114 पर)

पत्रांक निल दिनांक 13-3-95

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,

उ० प्र० ।

प्रेषक,

सईद खान,

सदस्य,

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ० प्र० ।

विषय :–इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग पर सवारी गाड़ियों के बड़ी संख्या में अवैध परिचालन के संबंध में ।

महोदय,

दिनांक 12-3-95 को दिन में इलाहाबाद से मिर्जापुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर जाते समय मुझे उस मार्ग पर निरन्तर छोटी बड़ी प्राइवेट सवारी गाड़ियां चलती हुई दिखायी पड़ीं । राष्ट्रीयकृत मार्ग पर इतनी अधिक संख्या में प्राइवेट सवारी गाड़ियां देखकर मुझे आश्चर्य हुआ शंका समाधान के लिये अपने विभागीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए मैंने टांस पुल पर रुक कर आती हुई निम्नलिखित प्राइवेट सवारी वाहनों को निम्न लिखित समय पर हाथ देकर रोका और अपना परिचय बताते हुए उनसे राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने हेतु सवारी गाड़ी परमिट अवलोकन हेतु तलब किया :––

1-यू० पी० 70 ई/9492 बड़ी बस जो मिर्जापुर से इलाहाबाद जा रही थी । समय 13.25 बजे दिन ।

2–यू० पी० 42ए/3841 टाटा 407 मिर्जापुर से इलाहाबाद समय 13.28 बजे दिन ।

3–यू० पी० 42 ए/9806 टाटा 407 मिर्जापुर से इलाहाबाद समय 13.30 बजे दिन ।

4-यू० पी० 70डी/981 टाटा 608 इलाहाबाद से मिर्जापुर समय 13.35 बजे दिन ।

5–यू० पी० 70जी/9030 टाटा 407 इलाहाबाद से मिर्जापुर समय 13.35 बजे दिन ।

6–यू० पी० 42ए/9549 टाटा 608 मिर्जापुर से इलाहाबाद समय 13.38 बजे दिन ।

उपरोक्त समस्त वाहनों में से कोई भी वाहन परमिट अथवा कोई अन्य वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका । मैंने उनके चालक तथा परिचालकों से उनके अवैध संचालन के संबंध में पूछा तो वे भी कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दे सके । इस प्रकार लगभग प्रति डेढ़ मिनट पर एक अवैध सवारी गाड़ी उपरोक्त मार्ग पर संचालित हो रही है ।

उपरोक्त मार्ग पर टौंस पुल से मिर्जापुर की तरफ आगे बढ़ने पर मेजा रोड बस स्टैण्ड के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर मुझे निम्नलिखित गाड़ियां निम्नलिखित समयों पर सवारियां लेकर आती जाती एवं सवारियां बैठाती, उतारती हुई मिलीं ।

1-यू० पी० 70 डी/9060 बड़ी बस इलाहाबाद से मिर्जापुर समय 13.50 बजे दिन ।

2–यू० पी० 70 ई/9995 बड़ी बस मिर्जापुर से इलाहाबाद 14.45 बजे दिन ।

3-यू० पी० 42/9193 टाटा 407 मिर्जापुर से इलाहाबाद समय 14.25 बजे दिन ।

4–यू० पी० 70 ई/9039 बड़ी बस इलाहाबाद से मिर्जापुर समय 14.45 बजे दिन ।

5–यू० पी० 70 ई/9318 टाटा 407 मेजा रोड से इलाहाबाद समय 14.50 बजे दिन ।

6–यू० पी० 42 ए/3835 टाटा 407 मेजा रोड से इलाहाबाद समय 14.50 ।

7–यू० पी० 42 ए/7351 टाटा 407 मेजा रोड से इलाहाबाद समय 15.00बजे दिन ।

8–यू० पी० 70 एफ/9473टाटा 608 मेजा रोड से इलाहाबाद समय 15.05 बजे दिन ।

9–मेजा रोड बस स्टैण्ड से वापस इलाहाबाद आते समय मुझे निम्नलिखित गाड़ियां राष्ट्रीय मार्ग पर सवारी ले जाती ले आती तथा सवारी उतारती बैठाती हुई मिली :—

1–यू० पी० 70 ई/9579 407 टोलवुज इलाहाबाद से मिर्जापुर समय 15.20 बजे दिन ।

2–सी आई ई/113 बड़ी बस टोल वुज इलाहाबाद से मिर्जापुर समय 15.23 बजे दिन ।

3–यू० पी० 42 ए/9349 टाटा 407 टोल वुज चेकिंग पर इलाहाबाद से मिर्जापुर समय 15.25 बजे दिन ।

4–यू० पी० 42 ए/4681 बड़ी बस इलाहाबाद से मिर्जापुर स्थान भीरपुर समय 15.30 बजे ।

5–यू० पी० 62 ए/3063 टाटा 407 मेजारोड से इलाहाबाद स्थान भीरपुर समय 15.35 बजे दिन।

6–यू० पी० 70 ई/9617 टाटा 407 मेजारोड से इलाहाबाद स्थान भीरपुर समय 15.55 बजे दिन ।

7–यू० पी० 70 ई/9407 टाटा 407 मिनी बस इलाहाबाद से मिर्जापुर स्थान भीरपुर समय 16.00 बजे दिन ।

8–यू० पी० 70 ई/8791 टाटा 407 इलाहाबाद से मिर्जापुर स्थान भीरपुर समय 16.03 बजे दिन ।

9–यू० पी० 70 ई/9492 बड़ी बस इलाहाबाद से मिर्जापुर स्थान भीरपुर समय 16.05 बजे दिन ।

10–यू० टी० जेड०/2517 बड़ी बस इलाहाबाद से मिर्जापुर स्थान भीरपुर समय 16.10 बजे दिन ।

उपरोक्त सभी प्राइवेट सवारी वाहन राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं । यह मेरा स्पष्ट मत है कि इतनी भारी संख्या में जो अवैध सवारी वाहन संचालित हो रहे हैं यह संभागीय परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की सांठ-गांठ के बगैर सम्भव नहीं है । उपरोक्त सम्बन्धित परिवहन अधिकारियों के इस उपेक्षा एवं कर्तव्यपालन की घोर उदासीनता के कारण विभाग को राजस्व की भारी क्षति हो रही है ।

अतः मैं आप जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ विभागाध्यक्ष से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त अवैध वाहनों के विरुद्ध मुख्यालय के विशेष प्रवर्तन दल द्वारा कार्यवाही करायी जाय, इसके अतिरिक्त इलाहाबाद संभाग में मुख्यालय के विशेष प्रवर्तन दल द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाय, इसके साथ ही संभागीय परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद तथा सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के विरुद्ध अपने स्तर से आप कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं इस प्रकार के अवैध परिचालन जैसी गम्भीर समस्या के लिये अविलम्ब प्राधिकरण की विशेष बैठक भी आहूत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह०/- सईद खान
सदस्य,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :—

1–माननीय परिवहन मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 195 का उत्तर पीछे पृष्ठ 122 पर)

गोरखपुर स्थित विद्युत परिषदीय आवासों में वर्ष 1988 से 6-10-94 तक स्थानान्तरण के उपरान्त अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखने वाले अधिकारियों का विवरण

क्र०सं०	नाम एवं पद	आवास संख्या	स्थानान्तरण के पूर्व तैनाती स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् नव तैनाती स्थान	कार्यभार से अवमुक्त की तिथि	अनाधिकृत कब्जे तक तिथि	धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
	सर्वश्री						
1	आर० एन० तिवारी, अधिशासी अभियन्ता	एइ–1	अधि० अभि० सं० मु० अ० (वि०) गोरखपुर	वि० वि० ख० (वि०) बस्ती	3-8-91	21-11-91	10,299.70
2	स्व० जी० एन० तिवारी सहायक अभियन्ता	एइ–2	उपखंड अधिकारी, (आर० ई) वि० वि० ख० प्र० गोरखपुर	स० अ० (राजस्व) वि० वि० खं० फैजाबाद	7-6-90	1-9-93	1,06,342.00
3	टी० पी० चौधरी सहायक अभियन्ता	एई–3	सहा० अभि० (उत्पादन) वाष्प शक्ति गृह, गोरखपुर	उपखंड अधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद	7-5-90	6-11-91	60,186.85
4	एच० आर० आजमी सहायक अभियन्ता	एइ–4	सहायक अभि० वि० भण्डार खण्ड, गोरखपुर	सहायक अभि० पारेषण, गाजीपुर	27-5-90	17-9-93	1,04,321.22
5	पी० पी० त्रिपाठी, अधि० अभि०	एइ–7	अधि० अभि० वि० न० वि० ख० (द्वि) गोरखपुर	अधि० अभि० वि० पारेषण खण्ड, बस्ती	2-6-90	1-10-91	39,649.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	आर० के० मिश्रा सहायक अभियन्ता	एइ-9	सहा० अभि० (निर्माण) वि० नि० वि० ख० प्र०, गोरखपुर	वि० वि० ख० सिद्धार्थनगर	29-5-90	16-10-94	1,45,601.55
7	ए० के० चौबे सहायक अभियन्ता	एइ-11	वि० जनपद वितरण खंड, गोरखपुर	सहा० अभि० वि० जनपद खं० वाराणसी	6-88	31-7-93	1,33,028.00
8	आर० एन० चौरसिया सहायक अभियन्ता	एई-12	सहा० अभि० वि० वि० ख० प्र०, गोरखपुर	सहा० अभि० नलमप विद्युतीकरण (विश्व बैंक) खण्ड इलाहाबाद	13-8-88	7-9-93	1,53,909.22
9	एस० एन० सिंह	एइ-10	स० अ० वि० वि० ख० प्र० गोरखपुर	स० अ० आनन्दनगर वि० वि० ख० महराजगंज	4-4-92	7-9-93	47,384.11
10	आर० पी० यादव अधिशासी अभियन्ता	एइ-1	अधि० अभि० (सं०) मु० अ० (वि०) गोरखपुर	अधि० अभि० (सं०) केसा, कानपुर।	13-7-92	1-9-94	73,241.66
11	यू० के० त्रिपाठी अधिशासी अभियन्ता	टाइप-4	अधि० अभि० वि० पारेषण ख० (द्वि) गोरखपुर	अधि० अभि० वि० पारे० ख० (द्वि०) आजमगढ़	17-5-94	अब तक (2/95)	33,561.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी–एल० 231 विधान सभा (676)–1996–572 (डी०टी०पी०)।